17 May 1990

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 17 मई, 1990/27 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
6	नीचे से 3	"श्री मुफ्ती मोहम्द सईद" के स्थान पर "श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद" पढ़िये ।
11	नीचे से 3 नीचे से 11	"श्री नितीश कुमार" के स्थान पर "श्री नीतीश कुमार" पढ़िये ।
24	नीचे से 7	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
54	6	"श्री बासवननय्या सिंगम" के स्थान पर "श्री बासवपुन्नय्या सिंगम" पढ़िये ।
58	14	"डा० खुशाल परसराम बोपचे" के स्थान पर "डा० खुशाल परशराम बोपचे" पढ़िये ।
60	8	"प्रो० के० वी० श्रावस" के स्थान पर "प्रो० के० वी० थामस" पढ़िये ।
	नीचे से 3	"श्री सुवोध कांत सहाय" के स्थान पर "श्री सुबोध कांत सहाय" पढ़िये ।
76	14	"मूल्म" के स्थान पर "मूल्य" पढ़िये ।
93	नीचे से 8	"श्रीमती सुखवंश कौर" के स्थान पर "श्रीमती सुखवंस कौर" पढ़िये ।
110	2	"प्रो० के० पी० थामस" के स्थान पर "प्रो० के० वी० थामस" पढ़िये ।

124	1	"निगमन" के स्थान पर "निगम" पढ़िये ।
189	9	"श्री श्रीकांतदत्त दरसिंह राज वाड्यार" के स्थान पर "श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाड्यर" पढ़िये ।
198	2	"श्री पी०सी०थावल" के स्थान पर "श्री पी०सी० थामस" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 43, गुरुवार, 17 मई, 1990/27 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 860 से 863	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—211
तारांकित प्रश्न संख्या : 864, 866 से 879 और 759	19—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9106 से 9280, 9282 से 9295 और 9297 से 9316	33—192
सभा पटल पर रखे गए पत्र	211—218
समिति के लिए निर्वाचन	219
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	219—240
भारत-पाक सीमा के निकट छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों का जमाव	
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	219
डा० राजा रमन्ना	219
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	222
श्री एडुआर्डो फैलीरो	224
श्री बनवारी लाल पुरोहित	227
श्री भोगेन्द्र झा	229
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	238

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न † इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य-मन्त्रणा समिति	240
ग्यारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	241—244
(एक) मिन्जुर रेलवे स्टेशन पर छोटे विक्रेताओं को वैकल्पिक भूमि स्थायी तौर पर आबंटित किए जाने की मांग	
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	241
(दो) मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की कमी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री सरजू प्रसाद सरोज	241
(तीन) चित्तौड़गढ़ जिले में भूपालसागर में रुग्ण मेवाड़ शूगर मिल्स लिमिटेड को किसी उपयुक्त संप्रवर्तक को सौंपे जाने की मांग	
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	242
(चार) भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की मांग	
श्री ईश्वर चौधरी	242
(पांच) पश्चिम बंगाल में पान के पत्तों के लिए द्रुत रेल परिवहन सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग	
श्री सत्यगोपाल मिश्र	242
(छः) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में सागरदीघी और बजबज में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को तथा पुरुलिया पंप स्टोरेज और बालागढ़ ताप विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री सनत कुमार मंडल	243
(सात) केरल के इडुक्की जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू	244
वित्त विधेयक, 1990	244—312
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	245

विषय	पृष्ठ
श्री एडुआर्डो फैलीरो	248
श्री मुरली देवरा	252
डा० बिप्लब दासगुप्त	257
श्री बृज भूषण तिवारी	263
श्री काशीराम राणा	265
श्री भोगेन्द्र झा	267
डा० देवी प्रसाद पाल	271
श्री पी० जी० नारायणन	275
श्री मंजय लाल	277
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी	279
श्री के० मुरलीधरण	282
श्री निर्मल कांति चटर्जी	283
श्री पी० नरसा रेड्डी	288
श्री हरीश रावत	289
प्रो० मधु दण्डवते	291
खंडवार विचार	295—312
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	312

लोक सभा

गुरुवार, 17 मई, 1990/27 वैशाख ; 1912 (शक)

लोकसभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्ड

[अनुवाद]

*860. **श्री विद्याधर गोखले :**

डा० वेंकटेश काबड़े : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्ड की मंजूरी हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन कब तक कर दिया जाएगा ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने दो प्रस्ताव सुझाए हैं, पहला प्रस्ताव विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में व्यवस्था की हुई है, और दूसरा प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 371 (2) (क) को संशोधित करने के लिए है ताकि कोंकण के लिए भी एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए इसमें विशिष्ट उपबन्ध सम्मिलित किए जा सकें । तथापि राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि द्वितीय प्रस्ताव को विचार के लिए लम्बित रखा जाय और प्रथम प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जाय ।

श्री विद्याधर गोखले : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक धूर्तों के लिए संस्कृत में एक बढ़िया सुभाषित है ।

हस्तादपि न दातव्यम् गृहादपि न दीयते ।

परोपकारणार्थाय वचने किं दरिद्रता ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो विद्या के लिए है ।

श्री विद्याधर गोखले : मराठवाड़ा और विदर्भ विभागों के वैधानिक विकास मण्डलों के बारे में गये 6 वर्षों से केन्द्रीय सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार ने वचनों की, आश्वासनों की बहुत वृष्टि की है, लेकिन अभी तक इन को 'स्टेचुटरी डवलपमेंट बोर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है··· ।

अध्यक्ष महोदय : आपके दो सवाल हैं, पहला सवाल कीजिए ।

श्री विद्याधर गोखले : पहला सवाल यह है कि मराठवाड़ा और विदर्भ की यह हालत है, तो बेचारे पिछड़े कोंकण विभाग की हालत क्या होगी ? क्या प्रगतिशील 21वी सदी तक उनको 'इन्तजार का लुत्फ' चखना पड़ेगा ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का प्रस्ताव है इसलिए उसको प्राथमिकता देने की बात की जा रही है । लेकिन कोंकण के मामले में, क्योंकि यह संविधान संशोधन का सवाल है इसलिए उस पर राज्य सरकार से वार्ता करके हम इसके लिए जो बोर्ड बनाने की बात है वह करने का आश्वासन देते हैं ।

श्री विद्याधर गोखले : विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण की जनता की यह मांग है कि विकास मण्डल 'स्वायत्त' होने चाहिएं । लेकिन इस विषय पर महाराष्ट्र शासन बड़ी धूर्तता से चुप बैठा है । उन्होंने अभी तक 'ड्राफ्ट प्रपोजल' जाहिर नहीं किये हैं । केन्द्रीय सरकार इसके बारे में क्या विचार कर रही है ? और विकास मण्डल स्वायत्त होंगे या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं ?

मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि सरकार के पास अनुच्छेद 371 (2) में उपयुक्त अमेंडमेंट करने का कोई प्राईवेट मैम्बर बिल आया है या नहीं ?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोंकण के सवाल की इनकी प्राथमिकता है । हम राज्य सरकार से अविलम्ब इस पर वार्ता करेंगे और जो भी प्रावधान होगा, उस पर हम लोग कारंवाई करेंगे ।

[**अनुवाद**]

डा० वेंकटेश काबडे : इस प्रश्न के संबंध में अनुच्छेद 371 (2) की पृष्ठभूमि को समझा जाना चाहिए. यह अनुच्छेद संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम के द्वारा 1956 में सम्मिलित किया गया था । इसकी जरूरत इसलिए हुई कि फजल अली आयोग ने देश की भाषायी अखंडता के लिए एक पृथक राज्य विदर्भ की सिफारिश की थी और विदर्भ के लोगों ने महाराष्ट्र में मिल जाने का निर्णय लिया था । मराठवाड़ा के लिए भी यह गारंटी दी गई थी कि रोजगार तथा अन्य अवसरों के लिए मराठवाड़ा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इस प्रकार मराठवाड़ा का 1956 में महाराष्ट्र में विलय कर दिया गया ।

गत तीस वर्षों के दौरान अनुच्छेद 371 (2) के उपबन्धों की पालना नहीं की गई है । ये उपबन्ध क्या हैं ? अनुच्छेद 371 (2) के अन्तर्गत तीन उपबन्ध हैं । एक तो यह है कि मराठवाड़ा, विदर्भ और शेष महाराष्ट्र अर्थात कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड गठित किए जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन बोर्डों की रिपोर्ट हर वर्ष राज्य विधानसभा में पेश की जाए ।

लेकिन यह रिपोर्ट राज्य विधान सभा में कभी भी पेश नहीं हुई है। दूसरा उपबन्ध यह है कि राज्यों की राशियों का वितरण उनकी जनसंख्या के अनुसार बराबर होगा। तीसरा उपबन्ध यह है कि तकनीकी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं तथा सरकार के नियंत्रण के तहत सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण में बराबर वितरण होगा। लेकिन महाराष्ट्र इन तीनों शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है। महाराष्ट्र विधान सभा ने मराठवाड़ा तथा विदर्भ के लिए सांविधिक विकास बोर्डों के गठन के लिए 24 जुलाई 1984 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज कर सिफारिश की गई है कि इनका गठन किया जाए। लेकिन कुछ विचित्र कारणों से यह प्रस्ताव काफी लम्बे समय से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आ जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब उचित समय है जबकि हमें इस पर विचार करना चाहिए और जैसाकि हमारे माननीय साठे जी जानते हैं, कुछ लोगों ने एक पृथक विदर्भ की मांग की है और मराठवाड़ा में भी एक अलग विदर्भ की मांग की जा रही है। इन आन्दोलनों के साथ अधिक समर्थन नहीं है लेकिन यदि विभाजक शक्तियां रहेंगी तो यह ठीक नहीं होगा। फिर भी, हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वह इस बारे में केबिनेट का निर्णय लें। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने मंत्रिमंडलीय निर्णय ले लिया है? नागपुर के सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने वायदा किया था कि इन बोर्डों को इस सत्र में गठित किया जाएगा। परन्तु उन्हें अभी तक गठित नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न है कि उनका गठन कब किया जाएगा?

गृह मंत्री (**श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद**) : एक विशेष उपबन्ध है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात और कच्छ के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए संविधान में एक विशेष उपबन्ध किया गया। यह मामला विगत 30 वर्षों से विचाराधीन है क्योंकि इस उपबन्ध के अन्तर्गत संविधान में राज्यपालों को इस उपबन्ध को लागू करने के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर भी, संबंधित मुख्यमंत्री इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कुछ हद तक इसका तात्पर्य संबंधित मुख्यमंत्रियों के प्राधिकार का हनन करने से है। इसलिए, वर्तमान सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और कुछ मंत्री सदस्य होंगे। हम राज्यपालों की राय जानने के लिए इस प्रस्ताव को पुनः वापस भेजेंगे। परन्तु वर्तमान राज्पाल की राय यह है कि इसका तात्पर्य द्विभाजन करना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन फिर भी, यदि हम संवैधानिक उपबन्ध का पालन करें तो यह राज्यपाल की जिम्मेदारी है। परन्तु वर्तमान सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार, हम महाराष्ट्र सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं शीघ्र ही एक बैठक बुला रहा हूं और इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री बसंत साठे : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, इस मामले का गत तीस वर्षों में उतार-चढ़ाव पूर्ण इतिहास रहा है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरकार किसी की भी रही हो, विदर्भ, मराठवाड़ा के लोगों के साथ गंभीर धोखा होता रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैंने कहा है 'चाहे किसी की भी रही हो' ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए।

श्री बसंत साठे : मैं अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करूंगा। लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधर नहीं सकते। वे तो इस विषय को समझ भी नहीं सकते ...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

श्री वसंत साठे : मैं कहता हूं कि सरकार कोई भी रही हो चाहे हमारी सरकार ही हो, धोखा हुआ है। हमने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के साथ धोखा किया है। विदर्भ के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 371 विशेष रूप से लाया गया था और इन लोगों को फजल अली आयोग द्वारा सर्वसम्मति से राज्य पुनर्गठन आयोग में पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था, हमने केवल समस्त महाराष्ट्र की भाषाई एकता के लिए इस दर्जे का त्याग कर दिया। लेकिन इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र के नेतृत्व तथा केन्द्र सरकार के नेतृत्व के साथ मिलकर विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा किया। मौजूदा सरकार भी अनुच्छेद 371 के अनुबन्धों को कम करने का प्रयास कर रही है। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं, मुफ्ती साहेब, कम से कम, आप तो इस संबंध में सारा इतिहास जानते हैं। ये सांविधिक विकास बोर्ड स्वतंत्र होने चाहिएं और इसमें राज्यपाल हो अर्थात केन्द्र सरकार हो, जिसके पास पुनरीक्षण का अधिकार हो। इसे कम करने, राज्यपाल को उसके प्राधिकार से वंचित करने और मुख्यमंत्री द्वारा इसका अधिग्रहण करने से अनुच्छेद 371 का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए मैं गृह मंत्री और विशेषकर इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें। महोदय, इस देश में यह प्रवृत्ति है और मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि किसी भी दिन पृथक विदर्भ और अन्य भागों के लिए आन्दोलन शुरू होगा जो किसी से भी नियंत्रित नहीं हो सकेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह अनुच्छेद 371 के अनुसार सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना तथा कोंकण के लिए एक सांविधिक विकास बोर्ड हेतु प्रावधान करने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करेगी। यह मेरा अनुरोध है (व्यवधान) मेरे मित्रों, इसे साधारण बात मत समझिए ··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : वे इसे साधारण बात नहीं समझ रहे हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है?

[हिन्दी]

यह बड़ा गम्भीर सवाल है और इसे कोई लाइटली नहीं ले रहा है।

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं श्री साठे की चिन्ता से सहमत हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यह विशेष उपबन्ध विगत 30 वर्षों से विचाराधीन है। यदि किसी सांविधिक विकास बोर्ड का गठन किया जाए तो संविधान के इस उपबन्ध के अन्तर्गत किया जाए। यह मामला मुख्य मंत्रियों के साथ मिलकर तय किया जाए। मैं मुख्यमंत्री को शीघ्र ही बुला रहा हूं और हम इसे निपटाने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वसंत साठे जी ने जो कुछ कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं और इसके साथ साथ यह भी बताना चाहती हूं कि हमारे देश में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जिन समस्याओं को मदारी द्वारा सांप की तरह टोकरी में बंद करके और ढक्कन लगाकर रख दिया जाता है। जब चुनावों का अवसर आता है तो उस टोकरी को

खोलकर, बीन बजाते हुए सांपों को नचाकर सबको बताया जाता है कि हम विदर्भ के लिये कोकण के लिये या मराठवाड़ा के लिये विकास बोर्डों की स्थापना करेंगे । जब चुनाओं के दिन खत्म हो जाते हैं, वोट अपने खीसे में आ जाते हैं, उसके बाद उन सांपों को फिर ढक दिया जाता है । तीस साल से लगातार यही इतिहास चला आया है और आज यदि हमारे माननीय सदस्य, बुजुर्ग नेता श्री वसन्त साठे जितनी जोरदार आवाज में बोल रहे हैं, उतनी जोरदार आवाज से अगर 15 साल पहले बोले होते, तो यह सवाल आज यहां पूछने का मौका ही नहीं आता । मैं आपकी सारी भावनाओं के साथ सहमत होते हुए, आपको बताना चाहती हूं कि इस सरकार की तरफ से अभी माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री को बुलाकर तुरन्त निर्णय लिया जाएगा, इस सम्बन्ध में, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वे कृपया यह बताएं कि वे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को आमंत्रण कब देने जा रहे हैं ? यदि हम महाराष्ट्र के सभी एम० पी० राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर इसके लिए कार्य करें, तो निश्चित रूप से मराठ-वाड़ा, विदर्भ और कोंकण के विकास की दृष्टि से संविधान में संशोधन करते हुए वहां की जनता को न्याय दे पाएंगे । सिर्फ मैं माननीय गृह मंत्री जी से यही जानना चाहती हूं कि वे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को कब आमंत्रित करने जा रहे हैं ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगले दो हफ्ते में मैं उनको बुला रहा हूं । उनके साथ पहले ही 26 अप्रैल को महाराष्ट्र में मीटिंग रखी थी । जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा, उनको बुलाकर तथा जो महाराष्ट्र के माननीय सदस्य हैं, उनके साथ अलग से बात करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा ।

डा० वेंकटेश काबड़े : अध्यक्ष जी, जिस समय इस विषय में विधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, तब मैं वहां हाजिर था और श्री शरद पवार जो आज मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने तब कहा था कि सेपरेट स्टेट न हो । इसलिए इस मामले में जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए । इसको आज 4 वर्ष हो गए । विदर्भ और मराठवाडा के लिए कांस्टीटयूशन में जो प्रॉविजन है, हम पहले उसे तो कर दें क्योंकि वह तो सांवैधानिक प्रावधान है और विधान सभा का सर्वसम्मत फैसला है । इसके बाद कोंकण में सुधार के लिए आपको कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तो वे कदम कब तक उठाएंगे, यही मेरा सवाल है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष जी, पहले हम इसी में रहें, कोंकण के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन जिसके बारे में कांस्टीटयूशन में प्रॉविजन है, 30 साल से उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है, पहले उसके बारे में करें । कोंकड के लिए भी कर लेंगे । जिसके बारे में कांस्टीटयूशन में प्रॉविजन हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, इसलिए पहले उसी को करें । मैं फिर यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी वहां की राज्य सरकार ने सजैशन दिया है, उसको देखूंगा । उसमें सारे कैबिनेट के मिनिस्टर' मैम्बर हैं, जो स्टेटयूटरी बोर्ड बना है, उसके बारे में उनसे यहां बुलाकर बात करके इसको कोई फायनल शकल दे सकेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अध्यक्ष जी, जो वहां आंदोलन चल रहा है, उसके मूल में बात यह है कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था । केवल भाषा के

आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ही इन सारे विवादों की जड़ है। सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आधारों को नजरअन्दाज कर के, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का जिस प्रकार से पुनर्गठन किया गया था, उसी के कारण आज ये सब आन्दोलन उठ रहे हैं। राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों को छोटा बनाने की कल्पना थी, लेकिन मध्यप्रदेश का पुनर्गठन के बाद, जितना बड़ा आकार पुनर्गठन के पहले था, उससे और बड़ा हो गया, इसके चलते जो विकास उस राज्य का होना चाहिए था, आर्थिक दृष्टि से उतना विकास नहीं हुआ और क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए, जिसके कारण वहां अलग राज्य बनाने की मांग उठ खड़ी हुई झारखण्ड की मांग है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है, बुंदेलखण्ड को भी अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है क्योंकि ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए ये मांग उठ रही हैं।

सवाल यह है कि सरकार को आज फिर से राज्यों के पुनर्गठन की बात को उठाने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए बीच का एक रास्ता यह है कि संविधान की धारा जो 317 है उसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक विकास बोर्ड का गठन अगर सरकार कर दे, तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है। इसलिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोंकण का सवाल यहां उठा है लेकिन आन्दोलन पूरे देश में खड़ा हो रहा है, अलग राज्य बनाने के लिए क्या मंत्री जी स्वयं अपनी ओर से, जहां-जहां पृथक राज्य की मांग हो रही है वहां क्या पिछड़े-पन को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम उठाने की बात की जा रही है, उन बातों को ध्यान में रखकर पूरे देश में जो पिछड़े इलाके हैं जिसमें छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड और विदर्भ का सवाल भी है, इसके अलावा और भी तमाम क्षेत्रों के लिए, जांच करके, सर्वे करवाकर उन क्षेत्रों के विकास बोर्ड गठन करने पर कोई विचार करेंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : कुछ इलाके इन्होंने जनरलाईज़र किए लेकिन झारखंड और बोडो में ट्राईबल ऐरिया हैं, उनका ख्याल है कि एक तो उनकी कल्चरल आईडेनटिटी पर हमला हो रहा है, दूसरे उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, बाहर के लोग उनकी जमीन ले रहे हैं। बोडो और झारखंड की जो डिमांड है उसके लिए पोलिसी सभी ट्राई करनी है लेकिन हम स्टेटहुड के हाथ में नहीं हैं, विदिन दी स्टेट का जो कांस्टीटूशन फ्रेमवर्क है जैसे स्टैटूटरी डेवलपमेंट बोर्ड का सवाल है, जैसे गोरखालैंड में काउंसिल बनाकर डेलीगेशन आफ पावर लिया गया, कोई माडल बनाकर उन लोगों की जो पोर्टशस है उनकी इनवाल्वमेंट डेवलप न हो सके, इसी तरह से विदर्भ और मराठवाड़ा में भी हम जल्दी काम करेंगे।

श्री राम नाइक : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे यह स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है वह संविधान के अनुरूप नहीं है। महाराष्ट्र की विधानसभा का जो एकमत का प्रस्ताव है, वह संविधान के अनुरूप है, इस प्रकार की बातचीत में बहुत समय गया है। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि बातचीत का दौरा जल्दी से जल्दी समाप्त करके क्या यह सरकार आने वाले तीन महीनों में इस पर कार्यवाही करने का निर्णय लेने का आश्वासन मंजूर करती है ?

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सांविधिक विकास बोर्ड का गठन या तो संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाए अथवा नहीं किया जाए। इसी-लिए हमें इसका मध्यमार्ग खोजने के लिए राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों से बात करनी है जिसके

तहत प्रतिनिधि सरकार का प्राधिकार कम न हो। इसके साथ ही इस क्षेत्र के लोग भी इस बोर्ड में सम्मिलित होंगे। यह सरकार का बोर्ड न हो बल्कि लोगों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने चाहिए। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने तीन महीनों की कालावधि के बारे में कुछ नहीं कहा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह स्वेच्छा से इस बारे में कहते हैं तो ठीक है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, जब से रीऑरगनाईजेशन हुआ विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता को, खासकर विदर्भ की जनता को आश्वासन दिया गया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, बैकलोग पूरा होगा, उसके करीब-करीब 30 वर्ष पूरे हो गए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा ही पश्चिमी महाराष्ट्र का वर्चस्व रहा और इसमें हमेशा विदर्भ और मराठवाड़ा पर अन्याय हुआ है। कई कमेटी की रिपोर्ट बनी है, चार-चार हजार करोड़ के बैकलोग उसमें निकाले गए, इतना बड़ा अन्याय पिछड़े इलाके पर हो रहा है। आज भी परिस्थिति यह है कि ···(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : आप जो सूचना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में सवाल पूछिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पांच साल से जो प्रस्ताव इधर से उधर रीड्राफ्ट होकर आ-जा रहे हैं, ऐसे में विदर्भ की जनता के साथ पांच साल से अन्याय हो रहा है। भारत का संविधान सर्वोपरि है और उसके द्वारा केन्द्र ने बहुत से अधिकार प्राप्त किए हुए है। विदर्भ की जनता के साथ अन्याय न हो इसको आप देखें। अगर स्टेट गवर्नमेंट गलत काम करती है तो केन्द्र खुद ड्राफ्ट बनाकर विदर्भ की जनता को न्याय प्रदान करे।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह दुरुस्त है कि जब स्टेट्स का रीआर्गेनाइजेशन हुआ उस वक्त विदर्भ के लिए सैपरेट स्टेटहुड का सवाल नागपुर पैक्ट के तहत था। यह जो स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड का सवाल है यह बहुत देर से मामला लटक रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तावों का आदान-प्रदान काफी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। जब वहां के चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर थे तो इसके बारे में बहुत बात करते रहे लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बने तो फिर ऐसी कोई बात नहीं की। मैं यही यकीन दिला सकता हूं कि हम यहां बैठ कर मैटर को सॉल्व करेंगे। ···(व्यवधान) ···।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री वामनराव महाडीक : आप हमें बोलने का मौका नहीं देते है जबकि यह हमारे एरिया का सवाल है । ऐसे में आप कहते हैं कि आप बैठ जायें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री टी. वशीर ।

(व्यवधान)

श्री वामनराव महाडीक : मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न करने का अवसर नही दिया गया है । इसलिए मैं सभा से बहिंगमन करता हूं ।

तत्पश्चात् श्री वामनराव महाडीक सभा-भवन से बाहर चले गये

मत्स्य पालन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना

*861. **श्री टी० वशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध मे केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी. नहीं ।

(ख) पिछले दिनों में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

श्री टी० वशीर : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से मुझे बड़ी निराशा हुई है क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है । महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का काफी महत्त्व है। इस क्षेत्र से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नए वैज्ञानिक उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है । अत: मैं महसूस करता हूं कि यहां मत्स्य पालन के लिए एक विश्वविद्यालय की अत्यन्त आवश्यकता है । इस समय इसके लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है । जहां तक केरल का सम्बन्ध है, मै यह बताना चाहूंगा कि केरल समुद्री उत्पादों का सबसे अधिक उत्पादन करता है और यहां देश के मछुआरों की जनसंख्या भी सर्वाधिक है । मत्स्य पालन के विकास के लिए कुछ केन्द्रीय संस्थान केरल में स्थित है । अत: मेरा विचार है कि मत्स्य पालन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केरल एक आदर्श स्थान है ।

माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार हाल ही के पिछले कुछ समय में केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है । परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार केरल सरकार ने ऐसा प्रस्ताव

भेजा है। फिर भी, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की महत्ता पर विचार करते हुए क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फिशरीज यूनिवर्सिटी का सवाल है, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज एजुकेशन जो कि बम्बई में है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस 27 मार्च 1989 को दिया गया है। जहां तक केरल का सवाल है और जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं भी कहा है। तीन प्रमुख संस्थान केरल में हैं। एक तो केरल विश्वविद्यालय में कालेज ऑफ फिशरीज है, पन्ननगाड़ी में और दो आई.सी.ए.आर. के संस्थान हैं। एक सेन्ट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन और दूसरा है केन्द्रीय मछलीपालन टैक्नोलोजी संस्थान, कोचीन। जहां तक केरल सरकार के प्रस्ताव का सवाल है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, हाल में कोई प्रस्ताव नहीं आया है लेकिन बहुत पहले 1986 में केरल के तत्कालीन मछलीपालन मंत्री श्री ए.एल. जैकब ने तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री जी.एम. ढिल्लन को एक पत्र लिखा था और उसमें यह अनुरोध किया था कि केरल में फिशरीज यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय, उस समय यह विचार चल रहा था कि फिशरीज के क्षेत्र में कोई इस तरह का संस्थान बनाया जाय तो उसी समय आई.सी.ए.आर. के जो 6 संस्थान देश में कार्यरत है, उनमें से जो सबसे पहले अच्छी स्थिति में था, जैसा मैंने पहले बताया, बम्बई का, उसको 1989 में डीम टू बी यूनीवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। फिलहाल फिशरीज इंस्टीट्यूट में जो प्रशिक्षण मिलता है या शिक्षा मिलती है, उसका सवाल है, फिलहाल जो इन्टेक है वह मैन करने के लिए सफीशिएण्ट है इसलिए फिलहाल केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नई फिशरीज यूनिवर्सिटी खोलने का नहीं है।

[अनुवाद]

श्री टी. बशीर : महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि कुछ संस्थान केरल में स्थित हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक मत्स्य उद्योग के विकास का सम्बन्ध है उसके लिए शोध एवम् वैज्ञानिक जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मन्त्री महोदय ने केरल में स्थित संस्थानों के नाम भी बताए हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या केरल में स्थित इन संस्थानों के विकास का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीटयूट, कोचीन में ही आलरेडी कोचीन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से मैरीकल्चर में एम.एस.सी. और पी.एच.डी. स्तर की शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। कालेज आफ फिशरीज में स्नातक पूर्व कार्यक्रम में करीब 20 स्टूडेण्ट्स है, और पी.जी. में 628 स्टूडेंटस हैं। तीसरे केन्द्रीय मछलीपालन टैक्नोलोजी संस्थान, कोचीन में है। अभी केन्द्र सरकार महसूस करती है कि यह सफीशिएण्ट है इसलिए कोई फरदर डवलपमैंट का प्रपोजल फिलहाल इस वक्त नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य के सवाल के कन्सर्न का है तो हमारी जो रिसोर्सेज की स्थिति है और आई.सी.ए.आर. का अपना जो सोचना है उसमें 5-10 वर्षों में कोई फरदर डवलपमैण्ट की जरूरत नहीं है जितनी रिक्वायरमेंण्ट है, उसके हिसाब से जो निकलना चाहिए,

उतना प्रोडक्ट वहां न निकल रहा है, वहां हो रहा है। अगर राज्य सरकार महसूस करती है तो अपने संसाधनों से उसका फरदर डवलपमैंण्ट कर सकती है या नये संस्थान खोल सकती है।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : अध्यक्ष महोदय, यदि वे मत्स्य पालन के लिए अलग विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते तो सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन्हीं संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मनाएं, ताकि ये उपाधियां दे सकें और इसके लिए इन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाए और उन पर नियमित विश्वविद्यालय जितना खर्च अनिवार्यतः न किया जाए। क्योंकि ये उच्च स्तर के संस्थान पहले से ही पूर्व स्नातक और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : फिलहाल तो ऐसा कोई एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी रंगा : मेरा यह सुझाव है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री बसंत साठे : मन्त्री महोदय, ऐसा कहें कि वे इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जहां तक डवलपमैंण्ट का सवाल है तो कोचीन इंस्टीट्यूट को आठवीं पंचवर्षीय योजना में डवलपमैंण्ट प्लान में इन्क्लूड करने का विचार है। फिलहाल यही योजना है और डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसी कोई बात बम्बई के अलावा नहीं है। इसके अलावा कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं यह प्रस्ताव सरकार के विचार के लिए कर रहा हूं। यह उत्तर देने से पूर्व कि इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, वरिष्ठ मंत्री से अवश्य ही परामर्श कर लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय रंगा साहब हम लोगों के बहुत ही सम्मानित और पुराने नेता हैं इस देश के। इनका जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर सरकार नए सिरे से विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, केरल में मत्स्य पालन के दो पहलुओं की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश से निर्यात किए जाने वाले समुद्री उत्पादों

में झींगा मछली के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु अनुसन्धानों से पता चलता है कि इस झींगा मछली की मृत्युदर 90 प्रतिशत है और केवल 10 प्रतिशत मछलियां जीवित रहती हैं। सब मछलियों में इसकी मृत्युदर सर्वाधिक है। कोचीन के 'सैन्ट्रल मैरिन इंस्टीट्यूट' में इस बारे में अनुसन्धान किया जा रहा है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस अनुसन्धान कार्य को और अधिक सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि छोटी झींगा मछलियों की मृत्युदर में कमी लाई जा सके ?

दूसरा पहलू यह है कि करोड़ों रुपये कीमत वाली टूना मछली, जिसकी विदेशी बाजार में सर्वाधिक मांग है, मछली पकड़ने की सुविधाओं की कमी के कारण स्वाभाविक रूप से मर जाती हैं। अतः इन दो पहलुओं पर विचार किया जाए और केरल के लिए कुछ विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की जाएं। क्या माननीय मन्त्री महोदय इन पहलुओं पर विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम किया जाता है।

डा० कुशाल परशराम बोपचे : अध्यक्ष महोदय, मत्स्य व्यवसाय विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत फिश-पांड का निर्माण शुरू किया था, जो कि पिछले दो साल से बन्द हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, देश में मत्स्य व्यवसाय को विकसित करने के लिए... ।

अध्यक्ष महोदय : आप देख रहे हैं कि यह केरल की बात है। मंत्री महोदय कह देंगे कि नोटिस चाहिए।

डा० कुशाल परशराम बोपचे : केन्द्रीय सरकार के पास इसको तैयार करने के लिए क्या ऐसा कोई प्रपोजल है ?

श्री नितीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, लेकिन इन्लैंड फिशरीज डवेलप करने के कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार केरल में मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय देश में कोई मत्स्य विश्वविद्यालय नहीं है, क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और इस सम्बन्ध में केरल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी ?

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया, फिलहाल अलग से कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्स्टीचूट्स हैं, उनको डवेलप करने और मजबूत करने का विचार अष्टम पंचवर्षीय योजना में है।

पूर्वोत्तर राज्यों पर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू न करने की मांग

[अनुवाद]

*862. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न एकता संगठनों से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं ने अपनी इस मांग के समर्थन में हाल ही में नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में अब सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 लागू न किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) दिल्ली में पढ़ रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के करीब 250 छात्रों ने ऐसी मांग के समर्थन में इस वर्ष मार्च में एक जुलूस निकाला था।

(ख) सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। जैसे ही हालात सुधरते हैं, सरकार मामले की समीक्षा करती है।

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून वहां लगा है, यह नार्थ-ईस्टर्न रीजन में लॉ एंड आर्डर मैनटेन करने के लिए लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इस कानून के अन्तर्गत क्या स्पेशल पावर्स दी गई हैं और जो कानून लगा है, उस समय वहां क्या स्थिति थी और आज स्थिति क्या है ?

श्री सुबोधकांत सहाय : जिन राज्यों में ये कानून लगाये गये हैं वे हैं मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। इन राज्यों में ये एप्लीकेबल हैं। इनमें जो स्पेशल पावर्स दी गयी हैं वे है—

[अनुवाद]

"यदि कोई व्यक्ति किसी कानून और आदेश के विपरीत कोई कार्य कर रहा है, उसे समुचित चेतावनी देने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, गोली चला सकता है या बल प्रयोग कर सकता है··· ।

किसी भी ऐसे शस्त्र भण्डार ठिकाने या आश्रय स्थल को नष्ट कर सकता है जिसकी आड़ से हमले किए जा रहे हों या किये जाने की सम्भावना हो ··· ।

किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है, जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया हो या जिसके खिलाफ यह अपराध करने का शक हो या वह अपराध करने वाला हो··· ।

किसी भी परिसर में बिना वारन्ट के प्रवेश कर तलाशी ले सकता है···"।

[हिन्दी]

ये पावर्स दी गयी हैं जिनके तहत यह फोर्स अप्लाई किया जाता है इन एक्ट्स के मुताबिक।

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : यह जो कानून लगाये गये उस समय वहां क्या स्थिति थी, आज की स्थिति क्या है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अभी भी जिन इलाकों में ये लगे हुए हैं वहां की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है और मणिपुर को पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेअर किया गया है। बर्मा बार्डर पर नागालैंड का जो 5 किलोमीटर का बेल्ट है, इस इलाके में अभी भी यह स्थिति है, इसलिए इन इलाकों में ये लगाये गये हैं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि गृह राज्य मंत्री द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है कि यह अधिनियम सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बर्मा, बंगलादेश और अन्य पड़ोसी देशों के समर्थन से उग्रवादियों की नापाक गतिविधियों के कारण लागू किया गया है। मणिपुर में हाल ही में चुनाव हुए और जनता दल, मणिपुर पीपल्स पार्टी और कांग्रेस (एस.) द्वारा मिलकर नई सरकार बनाई गई। इन चुनावों में एक वायदा विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम हटाने का किया गया था। उसके बाद जब माननीय गृह मन्त्री ने मणिपुर का दौरा किया तो उन्हें इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया गया। निःसन्देह, उन्होंने इसका आश्वासन नहीं दिया परन्तु जैसा कि मुझे समाचार पत्रों से पता चला है, उन्होंने कहा, "हम स्थिति की समीक्षा करेंगे और तब किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।"

यह एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां उग्रवादियों की गतिविधियां और बढ़ गई हैं और बहुत से अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारी पिछले तीन या चार माह के दौरान मारे गए हैं। इसके बावजूद कुछ उग्रवादी संगठन इस अधिनियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या मैं सरकार से आश्वासन प्राप्त कर सकता हूं कि वह कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। यदि यह अधिनियम एक बार वापिस ले लिया गया तो इससे एन. एस. सी. एन. उल्फा इत्यादि द्वारा की जा रही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में इन्होंने इस क्षेत्र के प्रत्येक आतंकवादी गुट के साथ समझौता किया है और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए उनके बीच गठ-बन्धन हुए है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए यहां आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी अवगत करा दिया है। मात्र लोकप्रियता के लिए इन्हें कोई समझौता नहीं करना चाहिए और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : मेरे ख्याल से ला एण्ड आर्डर के सवाल पर कोई पापुलर डिसीजन लेने का सरकार का दृष्टिकोण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर स्थिति सामान्य होगी तो रिव्यु कर के फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये इलाके अभी भी डिस्टर्ब्ड हैं इसलिए तत्कालीन ऐसा कोई फैसला लेने का सरकार का इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी न किसी स्थान पर गड़बड़ रहती है। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत की अपेक्षा उन्हें इस प्रावधान को समाप्त करने पर विचार करना है।

जैसा कि आपने कहा है, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रावधान को वापिस लेने से पूर्व वातावरण तैयार करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। परन्तु उग्रवादी और अलगाववादी न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों बल्कि असम के मध्यवर्ती भागों में भी सक्रिय हैं। इनमें "उल्फा" और अन्य कुछ ताकतें भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए तब बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, जब मन्त्री वहां जाते हैं और वे जोरदार वक्तव्य देते हैं जैसे "हम उग्रवादियों से बात नहीं करेंगे।" परन्तु जैसे ही मन्त्री दिल्ली वापस जाते हैं तो उसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां जारी रहती हैं। लोग काफी हैरान और पेशोपश में पड़ जाते हैं कि इस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठा रही है। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं और क्या वे उन लोगों से बातचीत करेंगे जो अलगाववादी आन्दोलनों की ओर झुक रहे हैं और जो इस नीति पर दृढ़ रहने की अपेक्षा आतंकवाद के रास्ते का अनुसरण करने जा रहे हैं ताकि इस समस्या से राजनीतिक और भावनात्मक ढंग से निपटा जा सके ? इस बारे में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय सरकार की नीति बहुत साफ है, जो भी संवैधानिक फ्रेम वर्क के अन्दर बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे। जहां तक नार्थ ईस्ट स्टेट्स के अन्दर कानून और व्यवस्था का सवाल है, उसमें केन्द्रीय सरकार बहुत ही माइनूटिली हर एक चीज पर वाच कर रही है और वहां हम सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देते हैं बल्कि यहां से भी उन सारी चीजों के ऊपर उतनी ही सख्ती से, सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इमोशनली जो इन 40 सालों में हर्ट किया गया है, इसमें हम उस काम को भी पूरा करेंगे। उनके मान-सम्मान की भी मर्यादा रखेंगे।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार को इसमें अभी तक क्या सफलता मिली है ? इसके बारे में बतायें।

श्री सुबोध कान्त सहाय : इसके बारे में कोई पूरी संख्या तो नहीं है, लेकिन इसमें काफी सफलता मिली है। हम समझते हैं कि इससे बहुत से इलाकों में सफलता प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान नागालैण्ड के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नेता के हाल ही के इस वक्तव्य की ओर गया है कि वे पार्थक्यवाद और घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि नागालैंड में कुछ घटनाएं हुई हैं, क्योंकि

उसका इन वर्गों से पिछला सम्बन्ध था जिसके लिए उसे 1986 में दण्ड दिया गया था। क्या मैं सरकार से यह जानकारी हासिल कर सकता हूं कि सरकार का उस महत्वपूर्ण नेता के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी हमें लिख करके दें तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि 'सशस्त्र सेनाएं विशेष शक्तियां अधिनियम' को केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही विशेष रूप से क्यों लागू किया गया है ? इस सशस्त्र सेनाएं विशेष शक्तियां अधिनियम को कार्यान्वित करते समय स्त्रियों की एकान्तता का अतिक्रमण किया गया है और इसका दुरुपयोग किया गया है। जब गृह मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि इस अधिनियम को वापिस ले लिया जायेगा। परन्तु आप इसे टाल रहे हैं। इस सशस्त्र सेनाएं विशेष शक्तियां अधिनियम को वापिस क्यों नहीं लिया गया ? यह भेदभाव है। जब तक सरकार इसे वापिस नहीं लेगी तब तक वह उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती।

जहां तक माननीय मंत्री महोदय द्वारा उठाये गये पृथकतावादी मुद्दों का सम्बन्ध है, हम पृथकतावादियों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। सरकार ही पृथकतावादियों को बढ़ावा दे रही है। मेरे पास एक उदाहरण है। सरकार प्रथकतावादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विशेष सशस्त्र सेनाएं अधिनियम को वापिस लेने जा रही है।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्तर-पूर्व के अधिकांश क्षेत्रों में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और सौभाग्य से इस क्षेत्र के लोग अब वास्तव में विकास और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। परन्तु अब भी संयुक्त असम मुक्ति मोर्चा, एन. एस. सी. एण्ड जैसे कुछ उग्रवादी संगठनों और दूसरे संगठनों की तीव्र गतिविधियों के कारण वे सीमा पार बर्मा से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्र के कुछ भागों में घुसपैठ को रोकने के लिए उस क्षेत्र को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किया गया है और सशस्त्र सेनाओं को विशेष शक्तियां दी गयी हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार इस निर्णय की समीक्षा करने नहीं जा रही है और विशेष शक्तियां कुछ समय के लिए जारी रखी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि लगातार इस ओर ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर कानून और व्यवस्था बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद पिछले 2-3 महीनों में उल्फा द्वारा वारदातें होती रही हैं। श्री शंकर बिरनिवाल की हत्या उस दिन हुई जिस दिन श्री देवीलाल जी वहां गए हुए थे। उसके बाद टी गार्डन के अंदर श्री स्वराजपाल के भाई की हत्या की गई। उसके बाद एक इंजीनियर और उसके साथी की हत्या की गई। आज

स्थिति यह है कि किसी दुकान पर उल्फा के लोग आते है और टेलीफोन द्वारा वहां पर 10 लोगों को बुलवा लेते हैं। फिर उनको बांध कर, मुर्गा बनाकर जीप में बिठा कर ले जाते हैं। वहां पर उनकी बोली लगा कर, कीमत तय की जाती है और कहा जाता है कि 5—10 15 – 20 लाख रुपए पहुंचा दिए जाएं। अगर पैसे नहीं पहुंचाए जाते तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से 100 से अधिक हत्याएं की जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां पर जांच करने के लिए गया था और मैंने वहां पर पाया कि उल्फा की हिंसक कार्यवाही को रोकने के लिए जो सक्षम कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए, वह नही हो रही है। कहा यह भी जाता है कि राज्य सरकार के गृह मंत्री उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, हालांकि यह बात संदेहास्पद है, इसके बारे में मैं कोई मत देना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री महोदय आज इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि दो महीने के अंदर-अंदर यदि हत्याओं का दौर समाप्त नहीं हुआ, 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं और 10 करोड़ से ज्यादा रेनसम लिए गए हैं, अगर यह स्थिति इसी तरह चलती रही तो उल्फा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसके बाद भी अगर हिंसा का दौर समाप्त नहीं हुआ तो इसको कानून और व्यवस्था की समाप्ति मानकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से पिछले महीने की 5—6 तारीख को हम वहां गए थे, पूरी केबीनेट के साथ विचार-विमर्श किया गया था, होम मिनिस्टर साहब ने पूरी स्थिति को रिव्यु किया था। वहां के आई जी को हिदायतें दी गई थीं। वहां पर चीफ सेक्रेट्री होम सेक्रेट्री और आफिसर्स आए थे। जो निर्णय वहां पर लिए गए, उनकी समीक्षा की जा रही है। जानकारी मिली है कि आज-कल में वहां के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आदि सब लोग यहां आ रहे हैं और जिन चीजों की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, मैं समझता हूं कि पूरी तत्परता के साथ उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है और उल्फा की एक्टीविटीज को रोकने के प्रति सरकार दृढ़ संकल्प है। इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

हल्दिया में जहाजों की मरम्मत करने वाले कम्पलैक्स की स्थापना

[अनुवाद]

*863. **श्री चित्त बसु** :

श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया में जहाजों की मरम्मत करने के लिए एक कम्पलैक्स की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत और वित्त पोषण के स्रोतों सहित इस परि-योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय इसके कार्यान्वयन का काम किस चरण में है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. पश्चिम बंगाल सरकार ने समय-समय पर हल्दिया में जहाज मरम्मत कम्पलैक्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की है। 2 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह सवाल जल-भूतल परिवहन मंत्री के समक्ष उठाया था।

2. भारत सरकार इस समय देश में उपलब्ध जहाज मरम्मत सुविधा की समीक्षा कर रही है। सरकार ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से देश में जहाज मरम्मत सुविधा की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत अध्ययन भी शुरू किया है।

3. ए डी बी परामर्शदाताओं द्वारा मामले का विस्तृत अध्ययन किए जाने तथा हल्दिया सहित विभिन्न स्थानों की जांच किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया में जहाज मरम्मत कम्पलेक्स स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन भी तैयार करवाया है। इस मामले में आगे निर्णय, एशियाई विकास बैंक द्वारा सरकार को अपना अध्ययन प्रस्तुत किए जाने के बाद लिया जाएगा।

श्री चित्त बसु : विवरण में एशियाई विकास बैंक द्वारा अध्ययन किये जाने की बात कही गयी है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार के पास इस समय कम से कम तीन प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। एक 'मैसर्स कोन्टिन्हो कारो एण्ड कम्पनी, हेमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी' के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें मैसर्स मारप्लान के द्वारा 1985 में एक अध्ययन किया था। वह प्रतिवेदन पश्चिमी बंगाल सरकार को पेश किया गया था और पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसे भारत सरकार को भेज दिया तथा यह प्रतिवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने जहाजों की मरम्मत के लिए व्यवहारिकता अध्ययन भी प्राप्त कर लिया है जो भारत सरकार के पास है और तीसरे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने हाल ही में 13 अप्रैल को घोषणा की है कि 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली व्यवहारिकता रिपोर्ट भी तैयार कर ली गयी है, जो सरकार के पास है।

भारत सरकार के पास इन तीन प्रतिवेदनों के उपलब्ध होने के बावजूद क्या विशेष कारण है कि एशियाई विकास बैंक से एक अन्य अध्ययन कराया जायेगा?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत विवरण में मैंने और मंत्रालय ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि इस बारे में पहले अध्ययन किये गये हैं। वास्तव में सम्भवतः चौथी योजना अवधि से अनेक अध्ययन हुए हैं, हल्दिया के सम्बन्ध में और सामान्यतः जहाजों की मरम्मत के सम्बन्ध में ब्रिगेडियर नहला की रिपोर्ट के बाद से अनेक अध्ययन हुए हैं। अतः हमने अनेक अध्ययनों के अस्तित्व से इंकार नहीं किया है। परन्तु जब एशियाई विकास बैंक ने सातवीं

योजना में अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसमें अपनी रुचि व्यक्त की थी, जब हमने देखा कि योजना आयोग के सामने हमारे योजना प्रस्तावों को स्वीकार करने में कुछ कठिनाईयां है तो हमने सोचा कि अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से उचित प्रस्तावों का पता लगवाना भी जरूरी था और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यह कार्य मुख्य मंत्री और पश्चिमी बंगाल सरकार से सलाह-मशविरा करके किया गया था। जैसे ही मैंने कार्यभार संभाला, हमने इस प्रश्न पर विचारो का आदान प्रदान किया और उन्होंने स्वयं मुझे सुझाव दिया कि इसे आरम्भ किया जाना चाहिए और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। एशियाई विकास बैंक ने तकनीकी सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विस्तृत रिपोर्ट देने का वायदा किया है और पश्चिमी बंगाल सरकार की एजेन्सियों द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट, जो अभी 3 मई को मिली है, पर एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के साथ विचार किया जायेगा।

श्री चित्त बसु : विवरण से मेरे मन में एक आशंका उत्पन्न हो गयी है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उस आशंका को दूर करें। वक्तव्य के पैरा तीन में कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक के सलाहकारों द्वारा मामले का विस्तृत अध्ययन और हल्दिया सहित अनेक स्थानों के परीक्षण करने की आशा है। अब, इसमें विकल्प है, यह हल्दिया में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही आशंका है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन प्राप्त कर सकता हूं कि इसे हल्दिया में ही स्थापित किया जायेगा अन्य किसी स्थान पर नही?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : महोदय, माननीय सदस्य की आशंकाएं निराधार हैं। हम एक विशेष योजना के जरिये पूरे देश के लिए जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं की सम्पूर्ण समस्या पर विचार कर रहे हैं। अतः पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर सुविधाएं दी जायेंगी। हमारा यह दृष्टिकोण है कि इस कार्य की व्यापक संभावनाएं है, क्योंकि अब तक हम अपने जहाजों की मरम्मत पर विदेशी मुद्रा में 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं। वहां आधुनिक कार्य की एक सम्भावना है। इसमें हल्दिया को अलग नहीं रखा जायेगा।

श्री अजीत पांजा : महोदय, 2 अप्रैल को माननीय मंत्री महोदय की पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ बैठक के बाद — जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने विवरण के पैरा एक में बताया है — हमने स्थानीय समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि माननीय मंत्री महोदय ने हल्दिया में जहाजों की मरम्मत के कम्पलैक्स को पहले ही स्वीकृति दे दी है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है और क्या मंत्री महोदय हल्दिया को एक उप-योजना के रूप में लेंगे, क्योंकि चौथी योजना के बाद से, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा, सारा कार्य पूरा हो गया है जिनमें पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा तैयार एक अत्यधिक जानकारी प्रदान करने वाली योजना भी शामिल है। हमें अब हल्दिया में आरम्भ किए जाने वाले कार्य पर विचार करना है। माननीय मंत्री महोदय को हल्दिया में खराब सड़कों और कम रेल लाइनो के कारण होने वाली वास्तविक कठिनाईयों का अनुभव करना चाहिए। अत. यातायात का केवल एक साधन समुद्र होगा। भारी मशीन भी लायी जायेंगी। मेरा प्रश्न यह है (क) क्या नौपरिवहन काम्पलैक्स की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है अथवा नहीं (ख) इस सम्बन्ध में क्या एक उप-योजना बनायी जायेगी अथवा नहीं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने 'स्वीकृति' शब्द का प्रयोग कुछ विशेष अर्थ के साथ किया है। जैसा कि मैंने कहा है, हम पूरे प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। इसे आठवीं योजना के सन्दर्भ में और संसाधनों की उपलब्धता के सन्दर्भ में भी स्वीकृत किया जायेगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम देश में जहाजों की मरम्मत की अच्छी सुविधाओं को पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्र तटों पर मुहैय्या कराने के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए हमें अपने स्वयं के जहाजों की मरम्मत पर भारी धनराशि खर्च करने के संदर्भ में भी इसकी जरूरत है और इससे भारी संख्या में रोजगार एवं अन्य कार्यकलापों के अवसर पैदा होने की सम्भावना भी है। हल्दिया के बारे में कही गयी बातों पर हम सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते है, हम जानते हैं कि यह एक न्यायोचित मांग है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद मामले में आगे पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में रामनगर और बगहा जिलों में माइक्रोवेव टावर

*864. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में रामनगर और बगहा में माईक्रोवेव टावर की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) बेतिया-बगहा 30 चैनल रेडियो प्रणाली के 1991-92 में चालू किए जाने की योजना है। रामनगर के लिए एक प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

अमरीकी समाचार पत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*866. **श्री विजयराघवन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी समाचार पत्रों द्वारा जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी और विघटनकारी तत्वों को समर्थन देते हुए भारत के विरुद्ध प्रचार किये जाने की कार्यवाही पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दुष्प्रचार का खण्डन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ऐसा नहीं सोचती कि अमरीकी प्रैस पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और विघटनकारी ताकतों के समर्थन में भारत के खिलाफ कोई अभियान चला रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान भवन और सदर बाजार में हुई अग्नि दुर्घटना के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट

*867. **श्री कमल नाथ :**

श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विज्ञान भवन तथा सदर बाजार के थोक बिक्री बाजार में हुई अग्नि दुर्घटनाओं के संबंध में जांच करने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ;

(घ) विज्ञान भवन तथा सदर बाजार में लगी आग से कितना नुकसान होने का अनुमान है ; और

(ङ) आग से प्रभावित व्यापारियों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) विज्ञान भवन और सदर बाजार में लगी आग की दो प्रमुख घटनाओं की जांच-पड़ताल करने के लिए दिल्ली के प्रशासक द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक (कार्य) द्वारा गठित की गई समिति ने विज्ञान भवन के पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 753 लाख रुपए आंकी है। सदर बाजार अग्नि कांड के कारण हुई क्षति निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) सरकार ने व्यापारियों को कोई मुआवजा नहीं दिया है।

भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या

*868. **श्री कावम्बुर एम.आर. जनार्दन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के रूप में की गई ;

(ख) प्रति वर्ष इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये और ये कुल कितने प्रतिशत हैं ; और

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने प्रतिशत व्यक्तियों का चयन किया गया ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान नियुक्त किये गये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या

संवर्ग	1987 में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	1988 में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	1989 में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	13	6	6
2. ए.जी.एम.यू.	7	6	2
3. असम और मेघालय	4	6	7
4. बिहार	16	19	10
5. गुजरात	8	7	2
6. हरियाणा	3	9	2
7. हिमाचल प्रदेश	2	5	7
8. जम्मू और कश्मीर	24	—	2
9. कर्नाटक	4	1	8
10. केरल	7	12	5
11. मध्य प्रदेश	16	12	7
12. महाराष्ट्र	8	16	5
13. मणिपुर और त्रिपुरा	11	5	3
14. नागालैंड	—	—	24
15. उड़ीसा	7	7	5
16. पंजाब	5	5	2

संवर्ग	1987	1988	1989
17. राजस्थान	6	15	7
18. सिक्किम	5	1	1
19. तमिलनाडु	8	6	4
20. उत्तर प्रदेश	12	8	32
21. पश्चिम बंगाल	9	18	2
जोड़	175	164	143
अनु. जाति की संख्या	26	20	20
अनु. जनजाति की संख्या	16	11	21
अनु. जाति का प्रतिशत	14.85	12.20	14
अनु. जनजाति का प्रतिशत	9.14	6.70	14.69

टिप्पणी—इसमें वे अधिकारी भी सम्मिलित है जो प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से भर्ती हुए हैं और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त राज्य पुलिस सेवा अधिकारी भी सम्मिलित है।

अमृतसर स्थित स्वर्ण मन्दिर के आस-पास रहने वाले लोगों का पुनर्वास

*869. **श्री कृपालसिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर स्थित स्वर्ण मन्दिर के गलियारे को सुन्दर बनाने संबंधी योजना के अन्तर्गत, इस मन्दिर के आस-पास रहने वाले लोगों को तथा आप्रेशन ब्लूस्टार के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों को कोई प्लाट आवंटित किए गए है ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित दो श्रेणियों के लोगों से आवंटित भूमि की अलग-अलग दरें वसूल की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ;

(घ) क्या सरकार को प्रभावित लोगों की ओर से तथा लोगों के प्रतिनिधियों की ओर से इन लोगो को भूमि के आबंटन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) पंजाब सरकार द्वारा स्वर्ण मन्दिर काम्पलैक्स के गलियारे को सुन्दर बनाने की योजना में अन्य बातों के साथ साथ सहायता दरों पर वैकल्पिक प्लाटों को आवंटित करने की व्यवस्था थी। आपरेशन ब्लूस्टार के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति पहले विस्थापित हुए थे उन्हें गलियारा योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां, श्रीमान्,

(ङ) इस मामले में निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है।

कृषि के बारे में भारत-चीन समझौता

*870. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह अप्रैल, 1990 के दौरान चीन की यात्रा पर गये थे ;

(ख) क्या भारत और चीन प्रौद्योगिकी और कृषि संबंधी संयुक्त अनुसंधान के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं ;

(ग) उनकी इस यात्रा के दौरान, इस संबंध में जिन विषयों पर बातचीत हुई, उनका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या कोई समझौता भी किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ङ) उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने 23 से 27 अप्रैल, 1990 तक बीजिंग में हुए एशिया और प्रशान्त के 20वें खाद्य एवं कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए और चीनी प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सहयोग, पर विचार-विमर्श करने के लिए 23 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1990 तक चीन का दौरा किया।

चीन जनवादी गणतंत्र ने संकर चावल उत्पादन, कार्बनिक पदार्थों का पुनः इस्तेमाल करने की तकनीक, प्लास्टीकल्चर तकनीक, समेकित मत्स्य-धान खेती, अन्य अश्वशक्ति कृषि मशीनरी, धान की भूसी का गैसीकरण, सूअर, भेड़ और बकरियों आदि की उच्च उत्पादक नस्लों और ताजे जल और खारे जल में मछली पालन की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रगति की है, जिसमें भारत ने भावी सहयोग के लिए रुचि दिखलाई है। विचार-विमर्श के दौरान चीन जनवादी गणतन्त्र ने भारत से कपास उत्पादन, गन्ने की अधिक उपज देने वाली और अधिक चीनी का उत्पादन देने वाली किस्मों, जलधारा के आधार पर बारानी और वर्षासिंचित फार्म प्रौद्योगिकी, सिंचाई परियोजनाओं का कमान क्षेत्र प्रबंधन, दूध के उत्पादन और परिसंस्करण की प्रौद्योगिकी, भैंसों में भ्रूण स्थानांतरण की प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। चीन और भारत दोनों इस बात पर सहमत थे कि इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से कृषि उत्पादन को अधिकतम बनाने में दोनों देशों को परस्पर लाभ मिलेगा।

कश्मीर से आये लोगों की दुर्दशा

*871. श्री शंकर सिंह बघेला :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां से पलायन करके दिल्ली और अन्य स्थानों में आकर ठहरे व्यक्ति अभी तक भय से आतंकित और निराश है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन्हें उचित राहत देने और घाटी में उन्हें वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) कहीं से भी पलायन, मजबूरी के कारण होता है और यही बात कश्मीर घाटी से आए प्रवासियों के लिए सत्य है। नई जगह पर उन्हें मानसिक रूप से भयभीत होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। विद्यमान परिस्थितियों में उनका कश्मीर घाटी को वापस न जाने की इच्छा प्रकट करना स्वाभाविक है।

संबंधित राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन ने भी जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय, राशन तथा नकद सहायता सहित सहायता सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और घाटी में उत्तरोत्तर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सख्त प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। ज्योंही कश्मीर घाटी की स्थिति में सुधार होगा यह आशा की जाती है कि प्रवासियों का अपने घर वापस जाना शुरू हो जाएगा।

दिल्ली में हेरोइन का पकड़ा जाना

*872. श्री आर. एन. राकेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दक्षिण जिला पुलिस द्वारा 20 अप्रैल, 1990 को बढ़िया किस्म की एक करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में इस बीच कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्। 19.4.1990 को (न कि 20.4.1990 को) दिल्ली पुलिस ने एक किलो ग्राम बढ़िया किस्म की हेरोइन जब्त की थी।

(ख) से (घ) स्वापक औषध तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत पुलिस स्टेशन कोटला मुबारकपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/90 दिनांक 19.4.1990 को एक मामला दर्ज किया गया था तथा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

ध्यान चन्द मैथिलीशरण गुप्त, केशवराव बलिराम हेडगेवार और रानी लक्ष्मी बाई पर स्मारक डाक-टिकटें

[हिन्दी]

*873. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वर्गीय श्री ध्यानचन्द, श्री मैथिलीशरण गुप्त, श्री केशवराव बलिराम हेडगेवार और रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में नई स्मारक डाक-टिकटें जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ध्यानचन्द, मैथिलीशरण गुप्त और रानी लक्ष्मीबाई पर स्मारक डाक-टिकट क्रमशः 3.12.80, 3.7.74 और 15.8.57 को जारी किया जा चुका है। इन विशिष्ट व्यक्तियों पर और डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सामान्यतः विभाग द्वारा एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक डाक-टिकट जारी नहीं किया जाता।

जहां तक श्री हेडगेवार का डाक-टिकट जारी करने का संबंध है, यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था

[अनुवाद]

*874. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पताल, कालेज, होटल, शापिंग प्लाजा, होस्टल बैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, समाचार-पत्र तथा सरकारी कार्यालयों जैसे सरकारी भवनों का ब्योरा क्या है जिन्हें दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने खतरनाक भवनों की सूची में शामिल किया है ;

(ख) किन कारणों से इन भवनों में अग्नि शमन व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ग) इन भवनों में अब सुरक्षा की कौन सी व्यवस्था करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) भवनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ख) संबंधित व्यक्तियों/संस्थानों को अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए कानून के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। उनमें से अधिकांश ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय मांगा है। पहले से निर्मित भवनों में सभी अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने में समय लगेगा और इसमें पर्याप्त धनराशि लगानी पड़ेगी।

(ग) इन भवनों में दिल्ली अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार 12 अग्नि सुरक्षा उपाय करने होते हैं।

विवरण

क्रम सं.	नाम और पता

अस्पताल :

1. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बाबा खड़कसिंह मार्ग ।
2. गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग ।
3. एम. ए. एम. कालेज, बहादुर शाह जफर मार्ग ।
4. सफदरजंग अस्पताल, अरविन्दो मार्ग ।
5. प्रशासनिक खण्ड, हिन्दु राव अस्पताल ।
6. नर्स होस्टल, हिन्दू राव अस्पताल ।
7. मेल वार्ड, हिन्दू राव अस्पताल ।

कालिज और संस्थान :

1. आई आई टी हौज खास, नई दिल्ली ।
2. एशियन इंस्टीच्यूट आफ टाउन प्लानर, एन आई ई कैम्पस ।
3. वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
4. यू.एस.एस.आर. बिल्डिंग, 24 फिरोज शाह रोड ।
5. गोल्डन जुबली हाल, पूसा ।

होटल :

1. होटल सम्राट, चाणक्यपुरी ।
2. कुतुब होटल, अरविन्दो मार्ग ।
3. अशोक यात्री निवास, अशोक रोड ।

शापिंग प्लाजा :

1. सुपर बाजार, कनाट प्लेस ।
2. मोहन सिंह पैलेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग ।
3. गफ्फार मार्कीट, करोल बाग ।

छात्रावास भवन :

1. नेशनल यूथ होस्टल, चाणक्यपुरी ।

क्रम सं.	नाम और पता

बैंक भवन :

1. यूको बैंक, संसद मार्ग ।
2. पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग ।

टेलीफोन एक्सचेंज भवन :

1. टेलीफोन एक्सचेंज, नेहरू पैलेस ।
2. टेलीफोन एक्सचेंज, हौज खास ।
3. टेलीफोन एक्सचेंज, प्रशासनिक खण्ड, राजौरी गार्डन ।
4. टेलीफोन एक्सचेंज, पूसा रोड ।
5. टेलीफोन एक्सचेंज, तीस हजारी ।
6. टेलीफोन एक्सचेंज, शक्ति नगर ।
7. टेलीफोन एक्सचेंज, ईदगाह ।
8. किदवई भवन, जनपथ ।

समाचार पत्र/प्रेस भवन :

1. मिलाप भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग ।
2. दैनिक तेज, बहादुर शाह जफर मार्ग ।
3. पी.टी.आई. बिल्डिंग, संसद मार्ग ।
4. हिन्दुस्तान टाइम्स हाऊस 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग।

सरकारी कार्यालयों के भवन (के. लो. नि. विभाग और लो. निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी भवन ।

1. केन्द्रीय राजस्व भवन, आई. पी. इस्टेट ।
2. ए. जी. सी. आर, भवन आई पी इस्टेट ।
3. विकास भवन, आई पी इस्टेट ।
4. सी. जी. ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड ।
5. सी. ए. जी. एनैक्सी आई. पी. इस्टेट ।
6. ड्रम शेप बिल्डिंग, आई पी इस्टेट ।
7. वाई शेप बिल्डिंग, आई पी इस्टेट ।
8. विट्ठल भाई पटेल भवन, रफी मार्ग ।
9. उद्योग भवन, रफी मार्ग ।

क्रम सं.	नाम और पता
10.	सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग ।
11.	कृषि भवन, रफी मार्ग ।
12.	निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़ ।
13.	चुनाव आयोग बिल्डिंग, अशोक रोड़ ।
14.	योजना भवन, संसद मार्ग ।
15.	शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड ।
16.	श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग ।
17.	इंडियन आयल भवन, (जनपथ भवन) जनपथ ।
18.	सेना भवन, डुप्लैक्स रोड ।
19.	वायु भवन, रफी मार्ग ।
20.	यू.जी.सी. बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग ।
21.	एम एम. बिल्डिंग. नजदीक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ।
22.	रेल भवन, रफी मार्ग ।
23.	बड़ौदा हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग ।
24.	अकबर भवन, चाणक्यपुरी ।
25.	यशवन्त पैलेस, चाणक्यपुरी ।
26.	चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी ।
27.	मयूर भवन, कनाट प्लेस ।
28.	चन्द्र लोक बिल्डिंग, जनपथ ।
29.	शक्ति सदन, कोटला रोड ।
30.	विकास मिनार, आई पी इस्टेट ।
31.	फारेन पोस्ट आफिस बिल्डिंग, कोटला रोड़ ।
32.	खुर्शीद लाल भवन, जनपथ ।
33.	इस्पात भवन. लोधी रोड़ ।
34.	नेशनल प्रोडैक्टीविटी काउंसिल, लोधी रोड ।
35.	आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग ।
36.	जीवन बिहार, संसद मार्ग ।

क्रम सं.	नाम और पता
37.	मानकालय भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग।
38.	मानक भवन, आई पी इस्टेट।
39.	ई. एस. आई. सी. बिल्डिंग, कोटला रोड।
40.	इंडियन एयर लाईन्स भवन, रकाब गंज रोड।

भारत में पाकिस्तान और बंगला देश के नागरिक

[हिन्दी]

*875. **श्री राघवजी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार पाकिस्तान और बंगलादेश के कितने कितने नागरिक भारत में ठहरे हुए थे जो वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने देश वापस नहीं गये थे ; और

(ख) ऐसे लोगों को उनके देश तुरन्त वापस भेजने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि-आदानों की खरीद और वितरण के बारे में अल्पावधि के ऋण

[अनुवाद]

*876. **श्री इरा अन्बारासु :**

श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी रबी की फसल के लिए कृषि–आदानों की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को अल्पावधि ऋण दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, मंजूर किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं। राज्यों को रबी के लिए अल्पावधि ऋण सामान्यतया अक्तूबर-नवम्बर में निर्मुक्त किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट" के नेता की अमेरिका से निष्कासन

*877. **श्री माधवराव सिंधिया :**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट" के नेता की अमेरिका से निष्कासन के बारे में सरकार की मांग संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इस संबंध में अमेरिका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) इस बात को भली-भांति जानते हुए कि अपराध और आतंकवाद की कारंवाइयों में अमानुल्लाह खान का हाथ है, अमरीका में उनकी उपस्थिति और उनकी कार्रवाइयों पर भारत सरकार की गंभीर चिंता से अमरीका की सरकार को अवगत करा दिया गया है। अमरीका की सरकार ने अमानुल्लाह खान का वीजा रद्द कर दिया है।

भारत ने अमरीका से अमानुल्लाह खान के प्रत्यर्पण के लिए भी अनुरोध किया है। अमरीका सरकार ने अपनी कानूनी पद्धति की रूप-रेखा के अन्तर्गत प्रत्यर्पण के आवेदन-पत्र पर कार्यवाही शुरू की थी लेकिन इससे पहले कि यह कानूनी प्रक्रिया पूरी होती, अमानुल्लाह खान अमरीका से भाग गए।

अमानुल्लाह खान अब नीदरलैंड्स में हैं। सरकार ने वहां से उनके प्रत्यर्पण के लिए कार्रवाई शुरू की है।

उर्वरकों का आयात

*878. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया है ;

(ख) इस पर भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा के रूप में पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरक आयात किये जाने की सम्भावना है और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) 1987-88 और 1988-89 के दौरान आयात की गयी उर्वरकों की मात्रा में नीचे दी गयी है :—

1987—88	17.30 लाख टन
1988 89	26.82 लाख टन

(ख) 1987-88 और 1988-89 के दौरान विभिन्न स्रोतों से उर्वरकों के आयात पर वहन की गयी लागत तथा भाड़े निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लागत एवं भाड़े का मूल्य करोड़ रुपए में		
	विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा	योग
1987-88	123.37	100.40	223.77
1988-89	468.51	176.01	644.52

(ग) ब्यौरे बताना जन हित में नहीं होगा।

सुपारी उत्पादन

*879. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्यों और सुपारी की सर्वाधिक खपत वाले राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ;

(ग) सुपारी की मांग और पूर्ति में अंतर समाप्त करने के लिये सुपारी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपारी का कितना आयात किया गया ; और

(ङ) सुपारी के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इसके मूल्य स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सुपारी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य असम, कर्नाटक और केरल हैं।

सुपारी की सर्वाधिक खपत वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान हैं।

(ख) से (ङ) एक विवरण-संलग्न है।

विवरण

सुपारी उत्पादन

(ख) भारत सुपारी में आत्मनिर्भर है। गत तीन वर्षों के दौरान सुपारी का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार था :—

1986—87	1987—88	1988—89
	(मी. टन में)	
219,000	226,700	246,100

इन वर्षों के लिए उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) उत्पादन के मौजूदा स्तर आन्तरिक खपत की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उत्पादन के मांग के बराबर होने के कारण भारत सरकार के पास सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्र, द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कोई आयात नहीं किया गया।

(ङ) सुपारी की कीमतें 1988-89 से धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हुई। इस अवधि से पहले कीमतों में 40 से 55 प्रतिशत तक तेजी से गिरावट आयी। कीमतों में मौजूदा बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण 1989—90 के दौरान उत्पादन स्तर में आयी हल्की सी गिरावट है। केन्द्रीय सुपारी एवं कोका विपणन एवं प्रसंस्करण सहकारी समिति जो केरल और कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों से सुपारी की अधिप्राप्ति कर रही है और इसे खपत वाले राज्यों में बेच रही है। इस कदम से कीमतों में आए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब को लेकर हुए आन्दोलन में भाग लेने के कारण बर्खास्त किए गए/जेल भेजे गए असम रायफल्स के जवान

*759. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब को लेकर हुए आन्दोलन में भाग लेने के कारण असम रायफल्स के कितने जवान बर्खास्त किए गए/जेल भेजे गए थे ;

(ख) क्या इन सभी जवानों पर समान कानून अथवा कानूनों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उनमें से कितने जवानों पर सेना अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और कितने जवानों पर अन्य कानूनों, जैसे संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अन्तर्गत अथवा असम रायफल्स अधिनियम अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया ;

(ङ) मुकदमा चलाने के मामले में जवानों को दो समूहों में बांटकर उनके साथ भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार उनके मामलों पर पुनर्विचार करने का है और यदि हां, तो इस पुनर्विचार के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 55 जवानों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया/जेल भेज दिया गया।

(ख) से (घ) उन जवानों की संख्या जिन पर निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत मुकदमें चलाए गए/कार्रवाई की गयी :

(I)	सेना अधिनियम	25
(II)	संविधान का अनुच्छेद 311	21
(III)	असम राइफल अधिनियम	6
(IV)	सी. सी. एस. (सी. सी. और ए. नियम)	3

(ङ) कानून के विभिन्न उपबंधों के अधीन उन पर मुकदमा चलाया गया/कार्रवाई की गई जो इस बात पर निर्भर करता था कि वे किस यूनिट में सेवारत थे।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

कापार्ट द्वारा सहायता बंद करना

9106. डा. असीम बाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कौंसिल फार एडवांसमेंट आफ पिपल्स ऐक्शन फार रूरल टेक्नोलोजी (कापार्ट) ने अनेक स्वयंसेवी संगठनों को, जिन्हें पहले सहायता मिल रही थी, अब सहायता धनराशि देना बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों से संबंधित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में "कापार्ट" के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि, यदि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो अनुदानों को रद्द करने, जहां कहीं आवश्यक हो तो दण्डात्मक कार्रवाई करने और संगठन को भविष्य में सहायता से वंचित करने सहित उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) इस समय ऐसे 35 मामले हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। शिकायतों में कोई वास्तविकता नहीं पायी गयी है। स्वीकृतियों में कुछ विलम्ब होने का आरोप लगाया गया था तथा कापार्ट को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

पुन्नाप्परा-व्यलार आन्दोलन और आर. आई. एन. विद्रोह

9107. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से पुन्नाप्परा-व्यलार आन्दोलन आर. आई. एन. विद्रोह, मालाबार स्पेशल पुलिस विद्रोह और केरल में हुए अनेक ऐसे आन्दोलनों में सम्मिलित लोगों को केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) केरल सरकार से समय-समय पर पुन्नाप्परा-व्यलार आन्दोलन, रायल इण्डियन नेवी बगावत और मालाबार विशेष पुलिस विद्रोह आदि में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस सभी आन्दोलनों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर पहले भी कई बार विचार किया जा चुका है परन्तु रायल इण्डियन नेवी बगावत के अतिरिक्त किसी अन्य आन्दोलन को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैशन प्रदान करने के लिए मान्यता नहीं दी गई।

मछली पालन

9108. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों जैसे रेलवे, कोयला क्षेत्र आदि के पास जल क्षेत्र हैं जिन्हें मछली पालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से ऐसे जल क्षेत्रों में मछली पालन की अनुमति प्रदान करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी. हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता है।

राष्ट्रीय पेय जल मिशन

9109. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पेय जल मिशन की उपलब्धियों तथा इसके प्रमाण का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) इसके आरंभ के समय से इस पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या इसके भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत 55 मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों, विभिन्न उप-मिशन गतिविधियों तथा जल एकत्रीकरण ढांचों की योजनाओं पर लगभग 170 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 1986 से लेकर मार्च 1990 तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1394.59 करोड़ रुपये रिलीज/खर्च किए गये हैं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2073.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये/व्यय किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित जल विभाजक विकास परियोजना के लिए विदेशी सहायता

9110. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा राज्यों की एक समेकित जल विभाजक विकास परियोजना के बारे में विश्व बैंक से बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; तथा विदेशों से प्राप्त की जाने वाली सहायता की शर्तों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) देश की भुगतान-संतुलन की विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे किस प्रकार उचित माना जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का मुख्य उद्देश्य अपरदन नियंत्रण स्वस्थाने आर्द्रता संरक्षण और भौगोलिक रूप से विभिन्नीकृत उत्पादन व्यवस्था के लिए मुख्यतः वानस्पतिक उपाय करके गुजरात उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास करना है। परियोजना की अवधि सात वर्षों की होगी।

विश्व बैंक 52 मिलियन एस. डी. आर. का अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण (55 मिलियन डालर के बराबर) एवं 7 मिलियन अमरीकी डालर का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक ऋण देने को सहमत हो गया है। साख और ऋण की शर्तें संलग्न विवरण में दे दी गयी हैं।

(ग) देश की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित निवेश और उपलब्ध संसाधनों के मध्य के अंतर को पूरा करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त की जा रही है। फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाता है कि जहां तक सम्भव हो सहायता रियायती शर्तों पर ही प्राप्त हो।

विवरण

साख और ऋण की शर्तें

(1) **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण संबंधी शर्तें :—**

ऋण 35 वर्षों की अवधि में 10 वर्षों की अनुकम्पा अवधि के साथ अर्ध-वार्षिक किस्तों में पुनः देय है।

प्रति वर्ष 30 जून की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा निर्धारित दर पर समय-समय पर निकाले नहीं जाने वाले ऋण की मूल राशि पर प्रतिबद्धता प्रभार, लेकिन यह प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के आधे दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निकाले गये ऋण/समय-समय पर प्रमुख ऋणों की मूल राशि पर प्रति वर्ष एक प्रतिशत की तीन चौथाई का सेवा प्रभार भी भुगतान योग्य है।

(2) **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्तें :**

ऋण 5 वर्षों की अनुकम्पा अवधि के साथ 20 वर्षों के दौरान अर्ध-वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य है।

समय-समय पर निकाले नहो जाने वाले ऋण की मूल राशि पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की तीन-चौथाई की दर पर प्रतिबद्धता प्रभार ; और

बैंक की अर्हक निकासियों पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के आधे दर पर ब्याज भी पुनः भुगतान योग्य है।

राजस्थान में दूध की कीमतें

[हिन्दी]

9111. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1989-90 के दौरान दूध का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) राजस्थान में दूध के मूल्यों में कब वृद्धि की गई थी ; और यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या राजस्थान दिल्ली को दूध की आपूर्ति करता है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा और दर कितनी है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का है ; और

(च) यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राजस्थान में 1989-90 में उत्पादित दूध की कुल आकलित मात्रा 42 लाख मीटरी टन (प्रत्याशित) है।

(ख) राजस्थान में उत्पादकों का मूल्य (डेयरी सहकारी समितियो के स्तर पर) 23 अप्रैल, 1990 से गाय के दूध के लिए बढ़ाकर 3.40 रुपए प्रति कि. ग्रा. और मिश्रित दूध के लिए बढ़ाकर 4.20 रुपए प्रति कि. ग्रा. कर दिया गया था।

(ग) और (घ) राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आर. सी. डी. एफ.) पारस्परिक रूप से सहमत वार्षिक समझौतों के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी, दिल्ली को दूध की आपूर्ति करता है। चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति की जाने वाली दूध की मात्रा और उनकी दरें नीचे सारिणी में दी गई हैं :—

मौसम	आपूर्ति किए जाने वाले दूध की मात्रा (लाख लीटर/दिन)		दर (रुपये/कि. ग्रा.)	
	गाय का दूध	मिश्रित दूध	गाय का दूध	मिश्रित दूध
कमी वाला	1.50	0.29	4.95	6.45
संक्रमणशील	1.50	0.48	4.95	5.80
बहुल वाला	1.50	0.80	4.95	5.35

(दिल्ली दुग्ध योजना को राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की आपूर्ति हेतु औपचारिक समझौता विचाराधीन है)।

(क) और (ख) राजस्थान सहकारी डेयरी संघ इस माह से कमी वाले मौसम में लाभ के रूप में मिश्रित दूध के लिए उच्चतर मूल्य के भुगतान पर विचार कर रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा बहु-राष्ट्रीय ट्रेवल एजेंसियों से विमान यात्रा की बुकिंग

[अनुवाद]

9112. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में जाने वाले यात्रियों तथा शिष्ट-मंडलों के लिए बहु-राष्ट्रीय ट्रेवल एजेंसियों को यात्रा टिकट और सामान की बुकिंग का ठेका दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 1982 से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अपने शासी निकाय के अनुमोदन से परिषद के लिए अपेक्षित यात्रा आरक्षण यात्रा एजेन्सियों की मार्फत करवाती रही है। इस समय यह काम तीन यात्रा एजेन्सियां कर रही हैं दो सार्वजनिक क्षेत्र की और एक निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र की यात्रा एजेन्सी के विश्व भर में कार्यालय है।

(ख) यह पाया गया था कि हवाई कम्पनियों से सीधी बुकिंग करवाने में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के भीतर एक बहुत बड़ी आधारिक संरचना की आवश्यकता होगी जो हवाई अड्डों पर लोगों की अगवानी कर सके और उन्हें बिदा कर सके, पासपोर्ट और वीजा के मामले में, होटल बुकिंग, विदेशी मुद्रा परमिट तथा रिजर्व बैंक से अनुमति आदि के मामलों में सहायता कर सके। सम्बद्ध यात्रा एजेन्सियां इस काम को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से कोई अतिरिक्त धन लिए बिना कर रही हैं।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

9113. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 को भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट और पी डी आई एल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के कितने मामले लंबित पड़े थे ;

(ख) क्या उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य सरकारी क्षेत्र की यूनिटों और प्रमाणों में ऐसे कठिन मामलों में रोजगार देने के लिये कोई नियम है ;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट के प्रबन्धक कुछ समय से ऐसे मामलों में रोजगार देने से इन्कार कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या प्रबन्धकों को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में नौकरी दिये जाने के बारे में दिये गये निर्णय की जानकारी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) 1.4.90 की स्थिति के अनुसार गत 10 वर्षों के लिए एफ. सी. आई. के सिन्दरी एकक और पी. डी. आई. एल. में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार के लिए लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	पी. डी, आई. एल.	एफ. सी. आई.	वर्ष	पी. डी. आई. एल.	एफ. सी. आई.
1980	शून्य	23	1986	शून्य	37
1981	—वही—	16	1987	1*	47
1982	—वही—	26	1988	9*	38
1983	—वही—	21	1989	3*	39
1984	—वही—	33	1990	शून्य	14
1985	—वही—	35	* प्रक्रिया में		

(ख) जी नहीं। उर्वरक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रिक्तियों की उपलब्धि के अनुसार तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित कार्य विशिष्टताओं को पूरा करने की स्थिति में ऐसे मामलों पर विचार करते है।

(ग) ऐसे मामलों में. एफ.सी. आई. रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास विशेषकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में वृहद अतिरिक्त स्टाफ है। भारी हानि उठाते हुए निगम अत्यधिक नाजुक वित्तीय स्थिति से भी गुजर रहा है। कठोर उपायों के रूप में कुछ बहुत नाजुक क्षेत्रों को छोड़कर नई भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(घ) और (ङ) एफ. सी. आई. श्रीमती सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अवगत है। उसमें इंगित स्थितियां/तथ्य, एफ. सी. आई. के मामलों के अनुरूप नहीं है।

मुम्बई में टेलीफोन कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदन

9114. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लम्बित सारे आवेदनों की तुलना में वृहत मुम्बई के गोरे गांव, मलाड. कण्डीवली और बोरीवली उपनगरों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदनपत्र बकाया पड़े हैं ;

(ख) क्या इन बकाया आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए कोई निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त 4 एक्सचेंज क्षेत्रों में ओवाईटी, स्पेशल और सामान्य श्रेणी के आवेदकों को निपटाने के लिए कमीशनिंग प्रोग्राम संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-I

1-4-1990 को टेलीफोन कनेक्शनों तथा इनकमिंग शिफ्ट के लिए आवेदकों की प्रतीक्षा-सूची

निपटान की तारीख		ओ. वाई. टी.	गैर	गैर			लंबित आवेदनों की संख्या						
एक्सचेंज कोड और टाइप		गैर ओ. वाई. टी. एम.एम. ओ. वाई. टी. स्पेशल	निपटाई गई तारीख	निपटाई गई तारीख	निपटाई गई तारीख	गैर. ओ. वाई. टी. एम.एम.	ओ. वाई. टी. स्पेशल	ओ. वाई. टी.	गैर ओ. वाई. टी. अंतिम	अनंतिम	ओ. वाई. टी. सामान्य	विशेष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दक्षिण क्षेत्र													
कोलाबा	215	कनेक्शन उपलब्ध	8.3.90	8 3.90	कनेक्शन उपलब्ध	27.5.88	0	0	23	0	0	301	324
कोलाबा ई-10बी, 495 डी.आर.		31.12.89	31.8.87	31.3.87	31.3.87	6.10.86	0	131	169	17	3	373	962
कुपरेज 22पी, 23 पी 24 पी, 202 पी, 204ए 287 डी		कनेक्शन उपलब्ध	22.2.90	5.12.88	कनेक्शन उपलब्ध	9.11.87	0	0	1353	5	18	1720	3096
फाउन्टेन-1 27पी		कनेक्शन उपलब्ध	12.2.90	3.2.90	कनेक्शन उपलब्ध	29.11.88	0	0	21	3	2	233	259
फाउन्टेन-2 261 डी, 262डी		कनेक्शन उपलब्ध	23.3.90	23.3.90	कनेक्शन उपलब्ध	6.4.84	0	0	99	0	0	2621	2720
सिटी 25 पी, 29पी, 31पी, 286 डी आर		31.1.90	31.8.87	31.8.86	31.8.86	11.4.80	0	272	2543	96	5	8	1225
क्षेत्र की कुल प्रतीक्षा-सूची							0	403	4208	121	28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य क्षेत्र												
मान्डवी 325, 355, 34 पी	कनेक्शन उपलब्ध	8-3-90	28-3-90	कनेक्शन उपलब्ध	6-11-82	0	0	681	0	15	4838	5534
सामदेवी 355, 365, 38 पी	—वही—	7-2-90	3-10-89	—वही—	8-07-82	0	0	348	0	29	7149	7526
मालाबार हिल्स 811 सी 812 सी, 822सी, 828सी	—वही—	1-3-90	26-02-90	—वही—	14-10-88	0	0	110	0	26	690	826
मझगांव 86सी, 861ए, 855ए, 872सी	—वही—	7-2-90	12-05-89	—वही—	24-11-86	0	0	318	0	29	5235	5582
क्षेत्र की कुल प्रतीक्षा सूची						0	0	1457	0	99	17912	19468
उत्तरी क्षेत्र												
वडाला 411सी, 412सी, 413डी, 414डी	कनेक्शन उपलब्ध	कनेक्शन उपलब्ध	कनेक्शन उपलब्ध	कनेक्शन उपलब्ध	30-03-89	0	0	0	0	23	1211	1234
भायखला 37एस, 29एस, 89पी	—वही—	19-3-90	19-3-90	—वही—	14-07-88	0	0	13	0	26	1692	1737
वरली 492सी, 493डी, 494सी	—वही—	30-3-90	30-3-90	—वही—	13-03-89	0	0	277	0	23	1695	1995
शिवाजी पार्क 45एस, 46पी	—वही—	28-2-90	15-2-90	—वही—	15-02-88	0	0	22	0	37	1409	1468
प्रभादेवी 422सी, 430ए, 437ए,	—वही—	28-2-90	12-2-90	—वही—	18-11-87	0	0	84	0	64	2663	2811
माटूंगा 48पी	—वही—	कनेक्शन उपलब्ध	कनेक्शन उपलब्ध	—वही—	15-12-87	0	0	125	0	7	5787	5919
सायन, 407डी, 409डी	—वही—	28-9-90	—वही—	—वही—	5-02-90	0	0	0	0	12	1120	1132
क्षेत्र की कुल प्रतीक्षा-सूची						0	0	521	0	192	15583	16296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पश्चिम क्षेत्र-I												
बान्दरा 640ए, 642ए, 644डी आर	31-3-90	31-3-90	5-04-88	9-2-90	21-5-85	0	0	784	3	28	6467	7292
खार 549, 646-8-9डी	कनेक्शन उपलब्ध	28-2-90	19-02-90	कनेक्शन उपलब्ध	14-5-87	0	0	85	0	17	2350	2452
विले पारले 612सी, 613सी 614सी, 615सी	—वही—	28-2-90	3-02-90	—वही—	14-3-84	0	0	239	0	1	11326	11566
अंधेरी 620-1-3डी, 628पी	—वही—	कनेक्शन उपलब्ध	कनेक्शन उपलब्ध	—वही—	22-2-85	0	0	0	0	32	8292	8324
वारसोवा 626डी आर, 627डी आर	31-1-90	31-1-90	31-01-89	16-6-89	18-8-84	0	0	1361	29	22	5787	7019
क्षेत्र की कुल प्रतीक्षा-सूची						0	0	2469	32	100	34052	36653
पश्चिमी क्षेत्र-II												
मरोल 630सी, 632सी 624सी, 636डी	21-2-90	21-2-90	18-01-88	20-12-88	24-3-84	0	0	2407	107	189	16055	18758
गोरेगांव (एच आर एल-आर एल. यू.) 672डीआर, 637डीआर	कने०उप०	19-3-90	19-03-90	कने० उप०	30-4-82	0	0	142	0	117	5654	5913
गोकुलधाम 680डी	—वही—	29-2-90	19-5-89	—वही—	29-3-82	0	0	630	0	5	2002	2637
मलाड 69एस, 682डी आर 688पी	—वही—	22-2-90	18-11-89	—वही—	21-7-81	0	0	1015	0	162	18288	19465
कांदि विली 605डी, 606डी	—वही—	कने०उप०	कने० उप०	—वही—	27-12-83	0	0	0	0	57	5867	5924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बोरीवली 65पी, 66एस	8-1-90	8-1-90	13-04-88	15-12-89	20-05-80	0	0	2051	34	35	16730	18850
भाण्डर 698एस	29-2-90	28-2-90	3-09-87	18-08-87	22-12-78	0	0	580	53	25	3723	4881
क्षेत्र की कुल प्रतीक्षा-सूची						0	0	6825	194	90	68319	75928
पूर्वी क्षेत्र												
चेम्बूर 52एस	कने० उप०	कने० उप०	कने० उप०	कने० उप०	12-12-84	0	0	0	0	0	4775	4775
मानाहुर्द 551सी, 555सी	—वही—	23-3-90	23-3-90	—वही—	22-01-87	0	0	25	0	61	2409	2495
घाटकोपर 511डी, 512डी, 513सी, 514डी,	—वही—	कने० उप०	कने० उप०	—वही—	20-05-88	0	0	0	0	0	2701	2701
पोवई 58एस	2-1-90	2-1-90	6-10-87	9-11-87	25-01-80	0	0	618	98	177	5807	670
मुलून्द 560सी, 561सी	31-12-89	31-12-89	18-06-88	16-05-89	7-08-82	1	7	1300	53	108	13871	15382
ठाणे 50पी, 59एस	31-12-89	31-12-89	9-07-86	13-08-87	31-07-81	2	8	2282	231	437	10681	13631
क्षेत्र की कुल प्रतीक्षा-सूची						3	15	4225	382	783	40244	45634
सकल जोड़						3	418	1975	729	1792	191310	213536
नई बम्बई												
तोरडे 68पी,	कने० उप०	30-1-90	30-01-90	कने० उप०	18-10-86	0	0	144	0	0	6137	6281
रेबेले 67(एन्पी ए एक्स) (एम ए एक्स-II)	21-8-89	11-1-88	11-01-88	21-8-89	23-02-84	0	0	161	4	0	1063	1228
पेनवेल (मैक्स-II)	26-3-87	26-3-87	8-04-85	26-3-87	4-06-83	0	1	218	34	0	1147	1399
उरान (मैक्स-II)	कने० उ०	कने० उप०	कने० उप०	कने० उप०	4-04-89	0	0	0	0	0	77	77
नहवा (रैक्स)	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	कने०उप०	0	0	0	0	0	0	0
कौसा (मैक्स-II)	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	6-01-87	0	0	0	0	0	671	671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कलाम्बोली (42)ए-पी ए एक्स	कने०उ०	कने०उ०	कने०उ०	कने०उ०	5-04-88	0	0	0	0	0	490	490
होपा (आई एल पी)	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	कने०उप०	0	0	0	0	0	0	0
नई बम्बई की कुल प्रतीक्षा-सूची						0	1	530	38	0	9585	10146

टिप्पणी : (1) विशेष वर्ग के अधीन अंतिम मामले को जारी किया जाएगा। (2) एम टी एक्स : एस एस एक्स—एरिया अंतरण माटुंगा और शिवाजी पार्क एक्सचेंजों से प्रभादेवी एक्सचेंज को अंतरित। (3) ए एक्स. एंड ए एक्स.-II-अंधेरी एक्सचेंज से वारसोवा एक्सचेंज को अंतरित मामले। (4) जी एक्स, जी एक्स-II जी एक्स-III,—एरिया अन्तरण गोरेगांव एक्सचेंज (एम आर एल—आर एल वी) एफ पी ओ। (5) बी एक्स-II एंड एम एक्स—बोरीविली और मलाड एक्सचेंजों से क्रमशः कांजीवली एक्सचेंज को अंतरित मामले। (6) ए टी टी एंड ए टी पी—ठाणे और पावई एक्सचेंजों से क्रमशः मुलुंड एक्सचेंज को एरिया अंतरण के मामले। (7) कोष्टक में दिए गए आंकड़े प्रतीक्षा सूची में लंबित पंजीकरण को दर्शाते हैं जोकि उपभोक्ता की कमियों के कारण लंबित हैंजिसे सुलझाया जा रहा है। (8) ओ वाई टी एस प्रतीक्षा सूची, ओ वाई टी सामान्य श्रेणी में शामिल है। (9) गैर-ओ वाई टी-एस एस प्रतीक्षा सूची, गैर-ओ वाई टी सामान्य श्रेणी में शामिल है। (10) विवरण में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द-एस-स्ट्रोजर, पी-पेन्टाकोटा, क्रास-बार, सी-सी 400 क्रासबार, ए-एस पी सी एनालॉग (इले.) डी आर-डिजिटल (इले.) डी-डिजिटल ई-10 बी इलेक्ट्रानिक।

विवरण-2

एक्सचेंज का नाम	उपस्कर जोड़ने का कार्यक्रम (लाइनें)			1-4-90 तक प्रतीक्षा सूची निम्न तारीख तक निपटाई जाएगी		
	1990-91	91-92	92-93	ओ वाई टी	विशेष	सामान्य
गोरेगांव	—	9000	5000	दिस. 91	उपलब्ध	मार्च, 93
मलाड	—	3900	12000	दिस. 91	वही	मार्च, 93
कांजीविली	10,000	6000	—	उपलब्ध	उपलब्ध	मार्च, 93
बोरीविली	—	9000	—	दिस. 91	दिस. 91	मार्च, 93

पंजाब में दुग्ध उत्पादन

9115. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरी फार्म प्रोद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत पंजाब राज्य को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में कृषि के विविधिकरण और दुग्ध उत्पादन में कृषि में संबंधित किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) पंजाब राज्य को डेरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल किया गया है। पंजाब की राज्य सरकार ने डेरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित एक राज्य स्तर की समन्वय समिति का गठन किया है। तथापि, राज्य सरकार ने अभी जिला समन्वय समितियों का गठन नहीं किया है, जो प्रौद्योगिकी मिशन के क्रियाकलापों के संबंध में जिलों के लिए योजनायें बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।

अर्ध सैन्य बलों में भर्ती

9116. **श्री वसंत साठे : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स में भर्ती किए गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र से केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) इन सेवाओं को अधिक आकर्षित बनाकर इन संगठनों में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 पर दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 पर दी गई है।

(ग) अर्द्ध सैनिक कार्मिकों को 1-1-1986 से बढ़े हुए वेतनमान तथा भत्ते अनुदेय हैं। हाल ही में अवकाश संचय सीमा को 120 दिन से बढ़ाकर 240 दिन कर दिया गया है। कल्याण अनुदानों के लिए बृहत्तर आवंटन, उदार परिवार पेंशन तथा कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों के परिवारों को 1 लाख रुपए (बीमा राशि सहित) का भुगतान करने जैसे अन्य कदम हाल ही में उठाए गए हैं। विभिन्न बलों में भर्ती के लिए अपेक्षित स्तर के उम्मीदवारों की प्राप्ति में कोई कठिनाई महसूस नहीं की जा रही है।

विवरण-1

वर्ष 1989 के दौरान केन्द्रीय पुलिस संगठनों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय पुलिस संगठनों में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या				
		के. रि. पु. बल	बी. एस. एफ.	आई. टी. बी. पी.	के. औ० सु. बल	असम राइफल्स
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	239	317	16	491	4
2.	अंडमान व निकोबार	6	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	—	—
4.	असम	251	712	—	159	232
5.	बिहार	165	1463	43	471	165
6.	चंडीगढ़	19	1	200	1	—
7.	दिल्ली	38	1837	54	50	—
8.	गुजरात	50	734	—	279	—
9.	गोवा, दमन व दीव	1	—	—	1	—
10.	हरियाणा	130	915	57	260	37
11.	हिमाचल प्रदेश	125	175	169	93	139
12.	जम्मू व कश्मीर	17	412	312	27	10
13.	कर्नाटक	197	562	—	383	1
14.	केरल	171	1482	28	326	70
15.	मध्य प्रदेश	250	825	302	339	4
16.	महाराष्ट्र	145	689	12	282	157
17.	मणिपुर	60	92	1	—	56
18.	मेघालय	3	59	—	—	25
19.	मिजोरम	—	—	—	2	3
20.	नागालैंड	1	4	—	—	38
21.	उड़ीसा	284	85	—	184	181

1	2	3	4	5	6	7
22.	पंजाब	464	1026	48	271	45
23.	पांडिचेरी	20	2	—	—	—
24.	राजस्थान	111	1732	32	4[illegible]0	16
25.	तमिलनाडु	112	638	1	354	5
26.	त्रिपुरा	48	295	—	8	3
27.	उत्तर प्रदेश	474	2[illegible]42	893	698	708
28.	पश्चिमी बंगाल	86	1950	6	403	473
29.	सिक्किम	—	—	—	—	3

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदर्भ तथा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या

संगठन का नाम	स्थान का नाम	भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या		
		1987	1988	1989
के. रि. पु. बल	विदर्भ	83	778	68
	महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र	323	739	77
बी. एस. एफ.	विदर्भ	23	17	196
	महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र	485	310	493

काजू उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहन

9117. **श्री पी० ए० एन्टनी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने काजू उत्पादक क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि करने तथा इस फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सम्बद्ध राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : जी, हां। 1990-91 के दौरान, विभिन्न राज्यों में काजू विकास के लिए समेकित कार्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है, ताकि काजू के तहत आने वाले क्षेत्र में विस्तार किया गया जा सके और किसानों के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहनों की व्यवस्था करके उत्पादकता बढ़ायी जा सके। इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. वानस्पतिक प्रवर्धन और कलम बैंकों का रखरखाव करके काजू बागानों का सुधार;
2. क्लोनल पौध रोपण सामग्रियों से काजू के तहत आने वाले क्षेत्र में विस्तार;
3. क्लोनल पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण; और

4. रैयत बागानों में प्रदर्शन प्लाट तैयार करना।

नई दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों में परिवर्तन

9118. श्री सी० एम० नेगी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में एक क्षेत्र/एक्सचेंज से दूसरे क्षेत्र/एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन बदलने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) इस प्रकार टेलीफोन कनेक्शनों को बदलने में कितना समय लगता है;

(ग) पिछले दो महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें नई-दिल्ली के लिए मन्त्र कोटा से टेलीफोन कनेक्शन देने के बाद टेलीफोन के आवंटी ने ओ० बी० जारीकरने से पूर्व अपना निवास स्थान बदल लिया है;

(घ) नये निवास स्थान पर टेलीफोन लगाने में कितना समय लगा; और

(ङ) इस प्रकार के टेलीफोन को शीघ्र लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा लम्बी प्रक्रिया को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ एक आवेदन उस क्षेत्रीय महाप्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में वाणिज्य अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है जहां शिफ्ट करने के समय उक्त टेलीफोन काम कर रहा है। संबंधित एक्सचेंजों को शिफ्ट के आदेश तब क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं जब उस टेलीफोन को शिफ्ट करने की बारी आ गई हो और तत्संबंधी कारंवाई पूरी हो गई हो अर्थात या तो इस टेलीफोन को लगे तीन वर्ष से अधिक हो गये हों या जिस एक्सचेंज में इसे शिफ्ट किया जाना है वहां पर इस टेलीफोन की रजिस्ट्रेशन तारीख तक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हों। बशर्ते कि क्षमता की तंगी के कारण आवक शिफ्ट होने वालों के लिए उस टेलीफोन एक्सचेंज में शिफ्ट की गुंजाइश न होने के कारण टेलीफोन देना बंद न कर दिया गया हो।

(ख) आम तौर पर टेलीफोन शिफ्ट करने का काम 15 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। कुछेक मामलों में अतिरिक्त केबल पेपर आदि के उपलब्ध न होने के विशेष कारणों से विलम्ब हो सकता है।

(ग) पिछले दो महीनों के दौरान सत्रह आवेदकों ने, जिन्हें मंत्री जी के कोटे से वरीयता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन अलाट किए गए थे, ओ. बी. जारी होने से पूर्व ही पते में परिवर्तन करने का निवेदन किया है।

(घ) जब नया पता मूल क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के एक्सचेंज के अंतर्गत आ जाता है तो वरीयता के आधार पर मंत्री जी के आदेश से दूरसंचार विभाग/एम. टी. एन. एल. निगम कार्यालय द्वारा जारी की गई औपचारिक मंजूरी, को संशोधित करना आवश्यक होता है। इस प्रयोजन के लिए, ऐसे मामले, को सिवाय उनके जिनका नया पता क्षेत्र के एक्सचेंज में पड़ता हो, नए पते पर टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए समीक्षा करने व संशोधित संस्वीकृति जारी करने के लिए संस्वीकृति प्राधिकारी को भेजे जाते हैं। संशोधित मंजूरी पत्र प्राप्त होने पर तत्काल ओ. बी. जारी की जाती है और कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान कर दिया जाता है।

(ङ) मंत्री जी की प्राथमिकता पर जारी किए गए टेलीफोनों की संस्थापना शीघ्रता से की जाती है।

आवश्यक सेवा अधिनियम के निरस्त करने का प्रस्ताव

9119. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सेवा अधिनियम को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) मामले पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र

[हिन्दी]

9120. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उर्वरक संयंत्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संयंत्रों का कार्य निष्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र में और अधिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरे तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनका निष्पादन नीचे दिया गया है :—

उत्पादन (000'एम-टी)

क० सं०	संयंत्र का नाम	न्यूट्रिएन्ट्स	स्थापित क्षमता	85-86	86-87	87-88	88-89	89-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सरकारी क्षेत्र							
1.	आर० सी० एफ० : ट्राम्बे	एन	90	81.2	85.7	96.4	102.6	87.1
		पी	45	39.8	39.7	50.1	54.4	54.5
2.	आर० सी० एफ० : ट्राम्बे IV	एन	75	51.8	61.7	59.7	64.2	63.4
		पी	75	51.8	61.7	59.7	64.2	63.4
3.	आर० सी० एफ : ट्राम्बे V	एन	152	136.0	153.7	120.9	159.3	137.4
4.	आर० सी० एफ० : थाल	एन	683	376.5	479.2	610.2	667.1	510.8
	निजी क्षेत्र							
1.	भारत फर्टिलाइजर्स, माजीवाडा							
2.	भारत फर्टिलाइजर्स, खारीवाली	पी	15.1	10.0	11.4	11.3	5.3	12.1
3.	धरसी मोरारजी केमिकल कम्पनी अमरनाथ	पी	48.0	35.9	33.0	31.6	37.3	30.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	महाराष्ट्र एग्रो इण्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन रसायनी	पी	7.4	4.4	5.1	4.2	2.5	3.4
5.	रामा कृषि रसायन, लोनी कालभोर	पी	10.6	1.5	3.9	5.6	6.3	8.1
6.	विदर्भ फास्फोड्स, पुलगांव	पी	10.6	—	—	—	4.8	6.7
7.	डी बी एग्रो प्रोडक्ट्स, नागपुर	पी	3.4	—	0.8	1.3	0.3	शून्य
8.	नोबल फर्टिलाइजर्स, तलोजा	पी	3.2	0.8	1.4	0.9	1.3	0.5
9.	राशि फर्टिलाइजर्स, लखनपुर	पी	5.2	—	—	0.8	3.1	2.8
10.	वेस्टर्न केमिकल इण्ड०, बम्बई	पी	1.3	—	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	हिन्दुस्तान फार्मा एण्ड फर्टिलाइजर्स, बम्बई	पी	8.0	—	—	—	—	2.1

टिप्पणी : दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स का तलोजा में एक एकक है जो अमोनिया उत्पादन करता है, जिसकी अन्य उर्वरक संयंत्रों को आपूर्ति की जाती है। इस अमोनिया पर आधारित एक फास्फेटिक संयंत्र उनके द्वारा तलोजा में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आवेदक का नाम	उत्पादक की मद	मात्रा ("000 टन प्रति वर्ष)	स्थान
1. मैसर्स इण्डियन लिंक चैन मैन्यूफैक्चर्स लि०	सिंगल सुपर फासफेट्स	66	सांगली/ शोलापुर/ कोहलापुर
2. मैसर्स गोल्डन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (पी) लि०	सिंगल सुपर फासफेटस	66	तहसील चंदुर जिला अमरावती
3. मैसर्स नन्दकिशोर कागलीवाल	सिंगल सुपर फासफेट्स	66	चन्द्रापुर
4. मैसर्स प्लूटो केमिकल्स लि०	—उपरोक्त—	134	रतनगिरी/ रायगढ़
5. मैसर्स राशि फर्टिलाइजर्स लि०	—उपरोक्त—	33	नासिक
6. मैसर्स श्री प्रवीनचन्द्रा जीनाभाई पटेल	—उपरोक्त—	66	जलगांव
7. मैसर्स श्री ओ० पी० अग्रवाल	—उपरोक्त—	66	जलगांव

गुजरात के राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

9121. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के राजकोट, जामनगर तथा जूनागढ़ जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या 1982 से पंजीकृत किए गए आवेदकों को अभी टेलीफोन कनेक्शनों को आवंटन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजकोट,

जामनगर और जूनागढ़ जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :—

	1-4-88	1-4-89	1-4-90
राजकोट	3366	3973	5771
जामनगर	1005	1026	872
जूनागढ़	571	117	201

(ख) जी नहीं। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों में 1982 में पंजीकृत कोई भी मांग लंबित नहीं है।

(ग) भाग (ख) को मद्देनजर रखते हुए लागू नही होता।

भीख मांगने के लिए छोटे बच्चों द्वारा मोटर चालकों को परेशान किया जाना

9122. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे बच्चे भीख मांगने के लिए सड़क के चौराहों और लाल बत्तियों पर मोटर चालकों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं;

(ख) क्या दिल्ली यातायात पुलिस को इस समस्या के बारे में ओटोमोबाईल एसोसिएशन आफ अपर इण्डिया से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) सभी जिलों के पुलिस उप-आयुक्तों तथा पुलिस उप-आयुक्त/यातायात को बम्बई भीख निवारक अधिनियम, 1959 तथा दिल्ली भीख उपबंध नियम, 1960 का कड़ाई से पालन करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं।

अमरीकी कांग्रेस में भारत को दी जाने वाली सहायता स्थगित करने के लिए विधेयक

9123. **श्री दिलीप सिंह जू देव :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अप्रैल, 1990 के स्टेट्समैन (नई दिल्ली) में "बिल टू सस्पेंड एड टू इण्डिया" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने और भारत विरोधी अभियान और गठबन्धन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इस बिल में जोकि अमरीकी कांग्रेस सदस्य डान बर्टन (रिप्बलिकन इण्डियाना) ने पेश किया है, यह पेशकश की गई है कि अगर भारत सरकार एमनेस्टी इन्टरनेशनल तथा अन्य मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रवेश न दे तो भारत को अमरीकी सहायता बन्द कर दी

जानी चाहिए। स्वयं एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने औपचारिक रूप से अपने आपको इस बिल से अलग कर लिया है जिसे कांग्रेस का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं दिखता।

सरकार की स्थिति अमरीकी सरकार को और अमरीकी कांग्रेस के प्रभावशाली सदस्यों को पूरी तरह समझा दी गई है।

लौह अयस्क के निर्यात पर विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को हानि

9124. **श्री बासवनन्या सिंगम :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा आयात और निर्यात संबंधी कितने माल का लदान और उतराई की गई;

(ख) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को जापान को लौह अयस्क के निर्यात पर हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो विशाखापतनम पत्तन न्यास को हुई इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार किया गया है और कब तक ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा हैंडल किया गया आयात एवं नियात कार्गो निम्न प्रकार है :—

(मि० टन)

	1987-88	1988-89	1989-90
आयात	6.965	8.601	9.338
निर्यात	7.810	10.031	10.707

(ख) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लेखों में लौह अयस्क प्रचालनों के लाभ अथवा हानि को अलग-अलग दिखाया अथवा लेखा परीक्षित नहीं किया गया है। पत्तन न्यास द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यदि लौह अयस्क प्रचालनों को अलग-अलग दिखाया जाता तो पत्तन न्यास को 1987-88 में 8.96 करोड़ रुपए, 88-89 में 5.19 करोड़ रु० और 89-90 में 0.17 करोड़ रु० की हानि हुई।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को अपने प्रचालनों में कुल मिलाकर लाभ हुआ है। सरकार ने लौह अयस्क हैंडलिंग की दरों को वर्ष 1986-87, 87-88 और 88-89 के लिए 27 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 40.92 रुपये प्रति टन करने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 1989-90 के लिये दर को और बढ़ाकर 50 रुपये प्रति टन कर दिया गया।

बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करना

9125. **श्री वामनराव महाडीक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई का नाम बदलकर "मुम्बई" करने की मांग की गई है;

(ख) क्या हाल में सरकार ने हिन्दी भाषा और साहित्य में बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई घोषित करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) हिन्दी भाषा में संविधान के प्रामाणिक पाठ में "मुम्बई" शब्द प्रयोग में किया गया है । हिन्दी भाषा और साहित्य में "मुम्बई" शब्द को प्रयोग करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ग) नीति के अनुसार भारत सरकार मात्र क्षेत्र के प्रति भक्ति भावना अथवा भाषाई कारणों अथवा मात्र स्थानीय भावनाओं की संतुष्टि के लिए गांवों, कस्बों, शहरों के नामों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों पर सहमति नहीं देती है ।

प्रमुख पत्तनों पर लौह अयस्क का जमा होना

9126. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर लौह-अयस्क जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जमा हो गई इस मात्रा के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) विशाखापत्तनम पत्तन को छोड़कर लौह अयस्क निर्यात करने वाले महा पत्तनों पर लौह अयस्क का स्टाक प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित स्तर से अधिक नहीं है ।

(ख) और (ग) लौह अयस्क के स्टाक की क्लीअरेंस, अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क को उठाने के लिए जहाजों के पर्याप्त नामांकन पर भी निर्भर करती है । कुछ पत्तनों पर अधिक स्टाक इकट्ठा होने का मुख्य कारण जहाजों के पर्याप्त नामांकन की कमी है । इस मामले को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उठाया गया है जो विशाखापत्तनम पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क निर्यात करने वाली एजेंसी है ।

तमिलनाडु के तंजौर शहर में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

9127. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तंजौर शहर में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची काफी लंबी है;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-वार दर्ज व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

ओ० वाई० टी०	—	32
विशेस	—	124
नाम ओ० वाई० टी०	—	984
कुल	—	1140

(ग) मौजूदा 3000 लाइन वाले कासवार एक्सचेंज का 1991-92 के दौरान 2000 लाइनों तक विस्तार किए जाने की आशा है बशर्ते कि समय पर उपस्कर उपलब्ध हों। इससे मौजूदा प्रतीक्षा सूची का निपटान किया जायेगा।

दिल्ली में दर्ज आतंकवाद के मामले

9128. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अप्रैल, 1990 में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गये हैं जिनमें आतंकवादियों के शामिल होने का संदेह है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) छह।

(ख) और (ग) थाना तिलक नगर और थाना राजौरी गार्डन में हुए बम विस्फोटों के मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस के एक उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है।

दादरा और नागर हवेली के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

9129. **श्री मोहन भाई संजीभाई डेलकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाये गये कर्मचारियों में विरुद्ध प्रारम्भिक कार्यवाही करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आचार नियमों का उल्लंघन करने, कर्त्तव्य की अवहेलना करने और सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने के कारण दो अलग-अलग मामलों में लिप्त तीन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कराने की सिफारिश की है। संघ शासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। अन्य दो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित नियन्त्रण प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।

दिल्ली पुलिस में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का भरती किया जाना

9130. **श्री मदन लाल खुराना :**
डा० बंगाली सिंह :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भारी संख्या में दिल्ली पुलिस में भर्ती किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों का पता लगा लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भर्ती हो गए हैं। दिल्ली पुलिस में उम्मीदवारों को उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त की जांच कराने के बाद ही भर्ती किया जाता है। तथापि, कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें पुलिस कार्मिक आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं। इस तरह के मामलों में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

धारा मूंगफली के तेल और रेपसीड आयल का विज्ञापन

9131. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित धारा मूंगफली के तेल से सम्बन्धित आकर्षक विज्ञापन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विज्ञापनों पर तथा आयातित रेपसीड आयल के टेट्रापैक में बिक्री करने के विज्ञापनों पर इनके प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास स्वदेशी और आयातित मदों का इतना अधिक स्टाक है कि वह इनकी बिक्री के लिए इतना अधिक प्रोत्साहित कर रही है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार और नियन्त्रण और महालेखा परीक्षक का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के लेखों पर कोई नियन्त्रण रहता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड "धारा" ब्रांड नाम के अन्तर्गत परिशुद्ध और दुगुना फिल्टर्ड मूंगफली तेल तथा परिशुद्ध रेपसीड तेल का विपणन कर रहा है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अपने तेल के लिए प्रचारित विज्ञापनों का उद्देश्य हेरा-फेरी न किए जा सकने वाले पैकों में उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की उपलब्धता का व्यापक प्रचार करना है। विज्ञापनों से यह भी सुनिश्चित करना होता है कि तेल उत्पादक सहकारी समितियां सीधे उपभोक्ताओं से सम्बद्ध रहें और निजी व्यापार, जो खाद्य तेलों में सट्टेबाजी करते हैं और उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों का शोषण कर रहे हैं, से बचा जा सके।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा "धारा" के प्रारम्भ होने के समय अर्थात अगस्त, 1988 से प्रेस विज्ञापनों पर किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार है :—

अगस्त, 1988 से मार्च, 1989	:	6.29 लाख रुपये
अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990	:	51.82 लाख रुपये

(ग) "धारा" ब्रांड नाम के अन्तर्गत विपणित मूंगफली तेल विशेषकर उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप कार्यों के अन्तर्गत खरीदा जाता है। आयातित रेपसीड तेल कनाडा में सहकारी समितियों द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की शाकाहारी तेल परियोजना के लिए राशि का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को प्रदान किया गया।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम से किया गया था और यह कृषि मन्त्रालय के माध्यम से संसद के प्रति उत्तरदायी है। बाजार हस्तक्षेप कार्यों के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा पृथक लेखे रखे जा रहे हैं। हाल में इन लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल की खरीद

9132. डा० कुशाल परसराम बोपचे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 के दौरान व्यापारियों और किसानों से पृथक-पृथक कितनी मात्रा में खाद्य तेल खरीदा गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को खाद्य तेल की खरीद और बिक्री में कोई घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल संबंधी किए गए सौदे के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका दायर की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अधिकांश तेल, तिलहन उगाने वाले कृषकों की सहकारी समितियों से खरीदा जाता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को व्यापार के माध्यम से भी तेल खरीदना पड़ता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कटाई के तत्काल बाद किसानों के लिए मूल्य प्रोत्साहित स्तरों पर बने रहें। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित तेल की खरीद इस प्रकार न की जाए जिससे सहकारी समितियों को हानि हो। व्यापार के माध्यम से बेचे गए तेलों की कीमत अक्सर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित तेल पर सभी करों के भुगतान के बाद की कीमत लागत से लगभग 3 रुपए प्रति किलोग्राम कम होती है। ऐसा सूचित किया गया है कि कुछ व्यापारी कर नहीं दे रहे हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने अभी तक बाजार हस्तक्षेप संबंधी कार्यकलापों में किसी प्रकार की संबंध हानि की सूचना नहीं दी है।

(घ) और (ङ) गुजरात उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात में आम

जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मुक्त किए गए मूंगफली के तेल के सम्बन्ध में एक समादेश याचिका दायर की गई थी। यह याचिका अभी तक गुजरात उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई है।

मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

9133. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इस धनराशि को किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना खर्च किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) फरवरी, 1990 के अन्त तक, मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 25618.79 लाख रुपए में से 12584.61 लाख रुपए खर्च किए जाने की सूचना मिली है। इस तरह उस समय तक, जवाहर रोजगार योजना के 49.12 प्रतिशत संसाधन व्यय किए गए थे।

जिन क्षेत्रों में इस राशि को व्यय किया गया है, उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सामाजिक वानकी	
(क) कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	6990
(ख) लगाए गए वृक्ष (संख्या लाख में)	54.09
2. ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	97
3. लघु सिंचाई तथा बाढ़ बचाव कार्य के जरिए लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	59
4. पेयजल कुएं (संख्या)	383
5. ग्रामीण सड़कें (कि० मी०)	1712.65
6. महिला मंडल (संख्या)	61
7. मकानों का निर्माण (संख्या)	26
8. आवास स्थलों का विकास (संख्या)	15
9. बालवाड़ी पंचायत घर (संख्या)	78
10. स्कूल भवन (संख्या)	671
11. स्वच्छ शौचालय (संख्या)	15
12. अन्य कार्य (संख्या)	2303
13. अनुसूचित जाति/जनजाति को लाभान्वित करने वाले कार्य (संख्या)	1246

14.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	97
15.	इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकान (संख्या)	2822
16.	दस लाख कूपों की योजना के अन्तर्गत निर्मित कुएं (संख्या)	2073

केरल के भारतीय पुलिस सेना अधिकारी

[अनुवाद]

9134. प्रो० के० वी० थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुलिस सेवा का दर्जा दिए जाने के लिए केरल सरकार द्वारा सिफारिश किए गए अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को भा० पु० से० का दर्जा दिया गया है;

(ग) इनमें से कितने अधिकारी केरल संवर्ग में अभी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों को अनुरोध पर या किसी कारण से केरल से दूसरे राज्यों और केन्द्र सरकार सेवा में स्थानान्तरित किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 13,

(ख) 13,

(ग) 13,

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल से भारतीय पुलिस सेवा के 6 अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। केरल से भारतीय पुलिस सेवा का कोई भी अधिकारी राज्य से राज्य में प्रतिनियुक्ति पर नहीं गया है।

अफगान मुजाहिदीनों से जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई

9135. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अफगान मुजाहिदीनों से जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को अत्याधुनिक हथियारों के दिए जाने के समाचारों की जानकारी है;

(ख) क्या इनमें मिसाइल भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादन

9136. श्रीमती बासव राजेश्वरी :
श्री प्रकाश बी० पाटिल :
श्री जी० एस० बासवराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान गन्ने की कुल मांग और सप्लाई कितनी रही; और

(ग) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के लिए गन्ना के उत्पादन का लक्ष्य 112 मिलियन मीटरी टन था और यह अनुमान है कि उत्पादन 210 मिलियन मीटरी टन से अधिक होगा।

(ग) गन्ना उत्पादकों को राज्य सरकारों द्वारा उनकी राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत सहायता मुहैया की जा रही है। राज्य सरकारों के प्रयासों को बढावा देने के लिए, केन्द्र सरकार भी गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को ऋण मुहैया कर रही है। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया की जाने वाली निधियों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है :—

1. ताप उपचार संयंत्रों की स्थापना;
2. नर्सरियों की देख-रेख;
3. कृमि नियंत्रण उपाय;
4. गन्ना की उन्नत किस्में अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन।
5. सिंचाई योजनाएं आदि।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में "आपरेशन फ्लड" परियोजना

9137. श्री ए० आर० अन्तुले : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में "आपरेशन फ्लड" परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने कोंकण क्षेत्र, विशेष रूप से रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों, के लिए "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी कार्य-योजना का प्रस्ताव किया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों को राज्य के "आपरेशन फ्लड"

कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया गया है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य डेयरी संघ ने "आपरेशन फ्लड-3" के लिए कोई विशेष निवेश योजना प्रस्तुत नहीं की है तथा महाराष्ट्र सरकार को राज्य में "आपरेशन फ्लड-3" के कार्यान्वयन के लिए अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ करार पर हस्ताक्षर करने हैं।

केरल की पेयजल परियोजना

9138. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कालीकट जिले के थालाकुलायुर गांव के लिए 64 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली ग्रामीण जल सप्लाई योजना की तकनीकी रूप से जांच की गई है और कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदित कर दी गई है।

मल्लापुरम जिले के इरिम्बीलियम, वालान्चेरी, और इदायुर गांवों के लिए 411 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली एक व्यापक ग्रामीण जल सप्लाई योजना की तकनीकी रूप से जांच की गई है और उसे संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी टिप्पणियों के साथ लौटा दिया गया है।

केरल में पेयजल की समस्या

9139. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा पेयजल की समस्या का अध्ययन करने हेतु प्रायोगिक अध्ययनों के लिए किसी ज़िले का लघु मिशन परियोजना के रूप में चयन करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या केरल में अत्यन्त सूखा प्रवण जिला इडुक्की को एक लघु मिशन परियोजना के रूप में चुना जायेगा;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) विभिन्न राज्यों में मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों के रूप में जिलों का चयन करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों में समन्वित परियोजना नीति द्वारा पेयजल सप्लाई से सम्बद्ध विशेष समस्या वाले क्षेत्रों को लेना था ताकि इस प्रकार तैयार किए गए प्रतिमानों को ऐसे ही क्षेत्रों में लागू किया जा सके। समस्यायें सूखा, जीवाणुयुक्त संदूषण, अत्यधिक फ्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट, अत्यधिक लौह तत्व, गंदला पानी आदि से सम्बन्धित थीं। सभी मिनी मिशनों को राज्य सरकारों से सलाह करके अन्तिम रूप दिया गया था।

(ख) मिनी मिशन परियोजना क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए किसी नए जिले पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नये मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों की स्थापना पर विचार सरकार द्वारा आठवीं योजना के लिए ग्रामीण जल सप्लाई हेतु नीति पर निर्णय लिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

साहवा-गंधेली जल आपूर्ति योजना

[हिन्दी]

9140. **श्री दौलत राम सारण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राजस्थान के चुरू, गंगानगर और झुनझुनू के उन गांवों में जहां का पानी खारा है, पेयजल आपूर्ति के लिए साहवा-गंधेली जल आपूर्ति योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना का क्रियान्वयन पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब स्वीकृति दी गई और इस योजना पर कितनी राशि खर्च की जानी है तथा इससे लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या क्या है;

(घ) कितने दिनों में यह योजना शुरू होने वाली है; और

(ङ) इन गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार के विचाराधीन योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) चुरू और श्री गंगानगर जिलों के 335 गांवों और दो कस्बों को पीने के पानी की सप्लाई के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा साहवा-गंधेली जल सप्लाई योजना तैयार की गई है जिसकी अनुमानित लागत 394 लाख रुपए है। इस योजना में झुनझुनु जिले के गांवों को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) पश्चिम जर्मनी की सहायता से एक द्विपक्षीय परियोजना के अन्तर्गत उपर्युक्त योजना के 335 गांवों में से केवल 172 गांवों को जल वृद्धि कार्यों के लिए कवर करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) द्विपक्षीय परियोजना में 172 गांवों के अलावा, नोहर, सरदार शहर तहसीलों, चुरू तहसील, तारानगर तहसील और झुनझुनु जिले के अन्य 181 गांवों के साथ-साथ तीन कस्बों को लगभग 73.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कवर किया जाएगा। यह परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की अवस्था में अभी विचाराधीन है। योजना के कार्यान्वयन की समयावधि परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृत किए जाने पर निर्भर करेगी।

(ङ) द्विपक्षीय सहायता के लिए अन्तिम निर्णय होने तक साहवा-गंधेली जल सप्लाई योजना राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है।

स्वतन्त्रता सेनानी अनुभाग का कम्प्यूटरीकरण

[अनुवाद]

9141. **श्री विद्याधर गोखले :**
डा० वेंकटेश काबडे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय में स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन से सम्बन्धित सेक्शन का, कार्य-कुशलता बढ़ाने हेतु कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी हां श्रीमान । वास्तव में, स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग का संगणकीकरण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है । प्रथमतया, इसमें पेंशन मजूर करने और अस्वीकार करने के मामलों के बारे में जिला-वार सूचना रखी जा रही है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

9142. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया है, जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, ढांचे सम्बन्धी कमियों को दूर करने और किसानों के जीवन-स्तर में सुधार लाने पर बल दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सरकार के प्रयासों का प्रमुख जोर उपयुक्त प्रोद्योगिकियों के सृजन और उन्नत प्रोद्योगिकियां अपनाए जाने के लिए किसानों द्वारा अपेक्षित सभी आदानों तथा सेवाओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ उत्पादकों के लिए मूल्य सम्बन्धी एक अनुकूल माहौल बनाए जाने पर है । गेहूं, चावल, मक्का, चना और अरहर पर विशेष ध्यान देने वाले विशेष खाद्यान्न कार्य-क्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु छोटे और मार्जिनल किसानों के विकास के कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि विशिष्ट कृषि जिन्सों के उत्पादन को अधिकतम किया जा सके अथवा छोटे और मार्जिनल किसानों तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों जैसे शोषित वर्ग के किसानों की सहायता की जा सके जिससे कि कृषि फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को अधिकतम किया जा सके ।

गरीबी की रेखा से नीचे के लाभानुभोगियों के लिए बनाए गए समेकित ग्रामीण विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत फल तथा खाद्य परिसंस्करण इकाइयों, मछली पालन आदि जैसे कार्यक्रमों को शामिल करके परियोजनाओं के व्यापक चयन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्पादक आधार का विविधी-करण और विस्तार करने पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि संरचनात्मक प्रतिकूल परिस्थि-तियों को दूर किया जा सके और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सके ।

उत्तर प्रदेश में ऊसर और बंजर भूमि का सुधार

9143. **श्री चांद राम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार ऊसर और बंजर भूमि का कुल क्षेत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार ऊसर और बंजर भूमि को उर्वर बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि ऊसर और बंजर है, इसका जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में 1986-87 से अल्काली (ऊसर) भूमि सुधार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार को वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक 335 लाख रुपए की सहायता दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय योजना के तहत अब तक लगभग 11,863 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपनी निजी योजनाओं के तहत लगभग 129000 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में ऊसर और बंजर भूमि के तहत आने वाले क्षेत्र का जिलावार ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र० सं०	जिले का नाम	ऊसर भूमि	बंजर भूमि
1	2	3	4
1.	आगरा	25049	14800
2.	अलीगढ़	45057	31929
3.	अल्मोड़ा	—	29755
4.	इलाहाबाद	68232	36418
5.	आजमगढ़	32045	13299
6.	बांदा	—	41243
7.	बाराबंकी	23966	11900
8.	बुलन्दशहर	32345	15037
9.	बहराइच	—	9414
10.	बरेली	18588	13268

1 2	3	4
11. बस्ती	—	7142
12. बदायूं	25283	16569
13. बलिया	21218	16755
14. बिजनौर	—	7415
15. चमोली	—	179402
16. देवरिया	—	9139
17. देहरादून	—	1814
18. एटा	56027	11553
19. इटावा	42328	26039
20. फैजाबाद	26599	8520
21. फर्रुखाबाद	49499	21798
22. फतहपुर	41937	14157
23. गढ़वाल	—	29191
24. गोंडा	—	7959
25. गाजियाबाद	20439	9057
26. गोरखपुर	—	5061
27. गाजीपुर	14796	6803
28. हमीरपुर	—	23113
29. हरदोई	35535	21302
30. झांसी	—	32164
31. जालौन	—	14932
32. जौनपुर	28885	7894
33. कानपुर	78128	53944
34. खेरी लखीमपुर	24083	7133
35. लखनऊ	25515	10718
36. ललितपुर	—	18985
37. मुजफ्फरनगर	19763	11098
38. मथुरा	12563	6366
39. मैनपुरी	66752	36686

1 2	3	4
40. मुरादाबाद	28456	15315
41. मिर्जापुर	—	52913
42. मेरठ	15748	6128
43. नैनीताल	—	4937
44. पीलीभीत	—	4962
45. पिथौरागढ़	—	25221
46. प्रतापगढ़	31685	12477
47. राय बरेली	59800	25435
48. रामपुर	—	7232
49. सीतापुर	19932	8454
50. सुल्तानपुर	42577	18270
51. सहारनपुर	12022	5585
52. शाहजहांपुर	21725	11044
53. टीहरी गढ़वाल	—	10836
54. उन्नाव	48638	21254
55. उत्तर काशी	—	17958
56. वाराणसी	23328	11955
अन्य	156457	—
कुल :	1295000	1099748

पिथौरागढ़ में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

[हिन्दी]

9144. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के लिए कितने सार्वजनिक टेलीफोन स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) क्या इस जिले के लिए स्वीकृत किए गए सार्वजनिक टेलीफोन, उपकरणों की कमी के कारण नहीं लगाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा इन सार्वजनिक टेलीफोनों को लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन सार्वजनिक टेलीफोनों को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के लिए 8-5-1990 तक 100 पी० सी० ओ० मंजूर किए गए हैं।

(ख) अब तक 82 पी० सी० ओ० चालू कर दिए गए हैं। मंजूर किए गए शेष 18 पी० सी० ओ० के संस्थापना कार्य को 89-90 के दौरान लाइन स्टोर की कमी तथा रेडियो उपस्करों की सप्लाई में हुए विलंब के कारण रोकना पड़ा था।

(ग) सामग्री जुटाई जा रही है।

(घ) मार्च, 1991 तक पी० सी० ओ० लगाए जाने की संभावना है।

बनर्जी समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

9145. **श्री रामदास सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986 और 1987 में प्राप्त बनर्जी समिति की रिपोर्टों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये रिपोर्टें सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित की गयी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) 1986 में बनर्जी समिति ने बी० एच० सी० पर एक रिपोर्ट पेश की, जबकि 1987 की रिपोर्ट में एलडरिन, डाइलडरीन, कालोरडेन, हेप्टाक्लोर, एन० डी० बी० और एनड्रीन शामिल थे। एनड्रीन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और डाइल्डरीन, एन० डी० बी० और बी० एच० सी० का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया है।

एल्ड्रीन, हैप्टाक्लोर और क्लोरडेन से संबंधित सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) बनर्जी समिति के अध्ययन का उद्देश्य सरकार को भारत में लगातार प्रयोग में लाए जा रहे या अन्यथा प्रतिबंधित या अन्य देशों में प्रयोग के लिए निषिद्ध कृमिनाशक की समीक्षा करने हेतु समर्थ बनाना है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर विचार तभी किया जा सकेगा, जबकि सभी रिपोर्टें प्राप्त हो जाएंगी तथा उन पर निर्णय ले लिए जाएंगे।

सीधे डॉयल करने की सुविधा प्रदान करने की परियोजनायें

9146. **श्री सुधीर गिरि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीधे डॉयल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए चालू परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें वर्ष 1990-91 के दौरान पूरा किया जाना है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी नई परियोजनाएं शुरू की जानी हैं; और

(ग) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के कंटाई में आरम्भ की गई चालू परियोजना की स्थिति क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने के लिए 74 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

(ख) वर्ष 1990-91 में हाथ में ली जा रही परियोजनाओं की संख्या 117 है।

(ग) कोन्टाई और हल्दिया के बीच एक 60 चैनल का यू० एच०एच० सम्पर्क अप्रैल, 1990 में चालू कर दिया गया है।

दण्डकारण्य परियोजना के अध्यापकों को वेतन निर्धारण में लाभ देने पर असमानता

9147. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कुछ मैट्रिक प्रशिक्षित अध्यापकों को संशोधित वेतनमान में निर्धारण का लाभ 1 जनवरी, 1973 से बकाया राशि के भुगतान के साथ दिया गया है, जबकि अन्य अध्यापकों को, समान ग्रेड में होने के बावजूद सैद्धांतिक रूप से वेतन निर्धारण तो 1 जनवरी, 1973 से दिया गया, लेकिन धनीय-लाभ 30 मार्च, 1989 से दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दण्डकारण्य परियोजना के जिन प्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापकों ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक न्यायपीठ में रिट याचिकाएं दायर की थीं उन्हें न्यायाधिकरण के विशिष्ट निदेश के तहत 1-1-73 से अथवा उनके वास्तविक नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, वेतन और भत्तों की बकाया राशि सहित 290-560 रु० का वेतनमान दिया गया है। तथापि, अन्य मैट्रिक प्रशिक्षित अध्यापकों को 1-1-1973 से अथवा वास्तविक नियुक्ति की तारीख से जो भी बाद में हो, नोशनल लाभ दिया गया है और वास्तविक लाभ प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में यथा-विनिर्दिष्ट सीमित पहलुओं के कारण वास्तविक लाभ स्वीकृति जारी करने की तारीख अर्थात 20-3-1989 से दिए जाएंगे।

राजस्थान में नागरिक रक्षा एकक

[हिन्दी]

9148. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय नागरिक रक्षा एककों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) नागरिक रक्षा कार्यालय को अजमेर से हटाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार राजस्थान के सीमावर्ती राज्य होने की दृष्टिगत रखते हुए नागरिक रक्षा सेवाओं का विस्तार करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) नागरिक सुरक्षा में एककों

(यूनिटों) की कोई संकल्पना नहीं है। खतरे की आशंका के आधार पर चुनिन्दा शहरों का वर्गीकरण किया जाता है। इस समय, राजस्थान में 10 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहर हैं।

(ख) 1985 के दौरान अजमेर शहर को वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों की सूची से हटा दिया गया था। यह संशोधन परिवर्तित खतरे की आशंका पर आधारित था।

(ग) और (घ) नागरिक सुरक्षा ढांचा राजस्थान राज्य के केवल 10 वर्गीकृत शहरों में विद्यमान है। विद्यमान स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य के अन्य शहरों में नागरिक सुरक्षा सेवाओं के विस्तार का कोई निर्णय नहीं है।

उत्तर प्रदेश में विदेशों से धन प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठन

9149. **डा० बंगाली सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने स्वयंसेवी संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान अलग-अलग इन संगठनों ने कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए दिसम्बर, 1989 के अंत तक उत्तर प्रदेश में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 पंजीकृत संगठनों की संख्या 508 है।

(ख)	वर्ष	राशि
	1987	14.25 करोड़
	1988	15.66 करोड़
	1989	संगणकीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि मार्च, 1990 तक की रिपोर्ट आनी बाकी है।

दूरसंचार आयोग को बंद करना

[अनुवाद]

9150. **श्री जी० एस० बासवराज** :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार आयोग को बंद करने तथा उसके स्थान पर दूरसंचार बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के स्थान पर बोर्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) ऐसा किया जाना कहां तक उपयोगी होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोरबा में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

9151. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा में इलैक्ट्रोनक टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण-कार्य और वहां केबिलें बिछाए जाने का कार्य कब आरम्भ किया गया था और यह कार्य कब पूरा किया गया और इस एक्सचेन्ज की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इसके लिए वहां मशीनों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त एक्सचेंज से 20 किलोमीटर तक की दूरी पर आस-पास कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(घ) वहां एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कोरबा में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के निर्माण और केबिल बिछाने का कार्य अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है।

(ख) उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण मशीनें और अन्य उपस्कर प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ग) कोरबा एक्सचेंज प्रणाली के आस-पास 20 कि० मी० के भीतर कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	नाम	क्षमता
1.	गेवरा परियोजना	90 लाइनें
2.	बांकी मोगरा	45 लाइनें
3.	कुशमुडा	45 लाइनें
4.	चुरी	25 लाइनें
5.	पहाड़ा	25 लाइनें
6.	राजगमार	25 लाइनें
7.	भैसमा	25 लाइनें

(घ) कोरबा में टेलीफोन प्रणाली का स्वचलीकरण करने के साथ-साथ एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ङ) एक्सचेंज उपस्कर के समय पर उपलब्ध हो जाने पर कोरबा में 8वीं योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज काम करना शुरू कर देगा।

विदेशियों द्वारा भारतीय पारपत्रों की जालसाजी

[अनुवाद]

9152. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा, जिसमें आतंकवादी भी सम्मिलित हैं, सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देने हेतु फोटो बदलकर भारतीय पारपत्रों की जालसाजी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों द्वारा भारतीय पारपत्रों की जालसाजी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। फोटो बदले जाने की रिपोर्ट मिली हैं।

(ख) सरकार का विचार एक ऐसा नया पासपोर्ट शुरू करने का है जिसमें गरम की गई सुरक्षा फिल्म का इस्तेमाल करके सुरक्षित फोटोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा जिससे फोटोग्राफ को बदल पाना मुश्किल होगा और आसानी से पकड़ा भी जा सकेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क विकास कोष

9153. **श्री के० एस० राव : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क विकास कोष गठित करने की योजना पर पुन: विचार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, 15 जून, 1989 से लागू किया गया है। केन्द्रीय सड़क निधि 1929 से अस्तित्व में है तथा किसी नई सड़क विकास निधि के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में तलचर में एस० टी० डी० सुविधा

9154. **श्री रवि नारायण पाणि : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचर दूरभाष केन्द्र में कोड नंबर-06765 वाली एस० टी० डी० सुविधा को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तलचर में एस० टी० डी०

सुविधा मार्च, 90 के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग में तकनीशियनों तथा पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में विसंगति

[हिन्दी]

9155. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में तकीनीशियनों तथा तकनीकी पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कुछेक समितियां गठित की हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके वेतनमानों सम्बन्धी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रिपोर्ट की सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दो विभिन्न संवर्ग हैं। तकनीशियनों के लिए तकनीकी सुपरवाइजर पदोन्नति संवर्ग का होता है इसलिए इसका वेतनमान ज्यादा है।

(ख) तकनीकी सुपरवाइजर का वेतनमान रु० 1400-2300 है तथा तकनीशियन का रु० 975-1660।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा टेलीफोन एक्सचेंज संबंधी शिकायतें

9156. **श्री के० मानवेन्द्र सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में टेलीफोनों के खराब रहने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार मथुरा जिले में टेलीफोनों के सुचारू कार्यकरण के लिए क्या उपाय कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कृषि आधारित उद्योग

[अनुवाद]

9157. **श्री के० चोक्का राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योग कौन-कौन से हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। सरकार ने परिसंस्करित खाद्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया है जिसमें कृषि पर आधारित उद्योग भी शामिल हैं। इन उद्योगों को उद्योग (डी० एंड आर०) अधिनियम की पहली अनुसूची के परिशिष्ट-1 में भी शामिल किया गया है जिसके कारण एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति/विदेश विनिमय विनियमन अधिनियम (एम० आर० टी० पी०/फेरा) कम्पनियों को भी इस क्षेत्र में आने दिया जाता है।

(ख) विपणन संबंधी क्षमता वाले स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों, जिनसे भविष्य में पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने की आशा है, को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनमें फलों और सब्जी उत्पादों, अनाज पर आधारित उत्पादों, कोको पर आधारित उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योग शामिल हैं।

जलपाईगुड़ी और बीरपाड़ा शहरों में आधुनिक इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

9158. **श्री माणिक साण्याल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "एन० ई० ए० वी०" कार्यक्रम के अन्तर्गत अलीपुरद्वार शहर के एक्सचेंज को छोड़कर जलपाईगुड़ी जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली युक्त एक्सचेंजों में बदलने का निर्णय ले चुकी है;

(ख) क्या आधुनिक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों ("एन० ई० ए० वी०" कार्यक्रम के अन्तर्गत) की स्थापना के लिए जलपाईगुड़ी शहर में और बीरपाड़ा में भवन के निर्माण तथा अन्य मूलभूत ढांचा बनाने का काम पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जलपाईगुड़ी शहर और बीरपाड़ा एक्सचेंज में नए एक्सचेंज कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जलपाईगुड़ी जिले में एक्सचेंजों को बदलने के लिए कोई एन० ई० ए० एक्स० कार्यक्रम नहीं है। तथापि, जलपाईगुड़ी जिले के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है।

(ख) जलपाईगुड़ी में भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है और वीरपाड़ा में भवन निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर अन्य अपसंरचना गतिविधियां शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जलपाईगुड़ी और वीरपाड़ा के लिए 1990-91 के दौरान उपयुक्त उपस्कर अलाट करके इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है। इस एक्सचेंजों को उपस्कर प्राप्त होने की तारीख से और अवसंरचना कार्य पूरा होने के लगभग 6 महीने के भीतर संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

झींगा मछली पालन

9159. **श्री ए० चार्ल्स : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झींगा मछली उत्पादन में विश्व बाजार में भारत का हिस्सा क्या है;

(ख) क्या हमारे निर्यात बाजार का काफी बड़ा हिस्सा चीन, थाईलैंड और इंडोनेसिया जैसे देशों को ही भेजा जाता था, जिन्होंने मछली पालन और झींगा मछली पालन शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में फिलहाल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा मछली पालन किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का झींगा मछली पालन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाये गये या कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) विश्व के श्रिम्प उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 10% है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हीमित श्रिम्प का निर्यात 1986-87 के 49,203 मीटरी टन से बढ़कर 1988-89 में 56,835 मीटरी टन हो गया।

(घ) इस समय देश में श्रिम्प पालन के लिए लगभग 59,000 हैक्टेयर खारा-पानी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने पहले से ही देश में श्रिम्प उत्पादन के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं, जिनमें (1) समेकित खारा-पानी मत्स्य फार्म विकास नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से खारापानी झींगा/मत्स्य पालन का विकास, खारापानी मछली/झींगा फार्म और आधुनिक झींगा बीज हैचरियों का निर्माण और परिचालन, झींगा उत्पादकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन पैकेज प्रदान करने के लिए तटवर्ती जिलों में खारापानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता प्राप्त तटवर्ती जलकृषि परियोजना के अंतर्गत विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से मार्गदर्शी फार्मों और मार्गदर्शी वाणिज्यिक झींगा बीज हैचरियों की स्थापना, इस योजना के प्रमुख घटक हैं, (2) जलकृषि की स्वदेशी प्रौद्योगिकी को उन्नत और स्तरीय बनाने के संयुक्त उद्यम के अंतर्गत तकनीकी सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों की सहायता से प्रौद्योगिकी का आयात, (3) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात उद्देश्यों हेतु झींगा उत्पादन के लिए झींगा पालकों को आयातित आधुनिक प्रौद्योगिकी और सहायता देकर वाणिज्यिक स्तर की झींगा बीज हैचरियों की स्थापना; (4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों द्वारा श्रिम्प पालन से संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों को तेज करना; आदि शामिल हैं।

राजस्थान में कश्मीर से आए लोग

9160. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में कश्मीर के काफी परिवार वहां से पलायन कर राजस्थान चले आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परिवारों की संख्या कितनी है तथा केन्द्रीय सरकार ने इसका पुनर्वास

करने तथा इन्हें राहत प्रदान करने हुतु क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) कश्मीर घाटी से आए लोगों के लिए किसी भी पुनर्वास उपाय पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन प्रवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

कन्याकुमारी में मत्स्यन बंदरगाह

9161. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट पर एक मत्स्यन बंदरगाह का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बंदरगाह का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता है।

आंध्र प्रदेश में मिर्च की खरीद तथा मूल्य निर्धारण

9162. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्च आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख नकदी फसल है जिसमें बड़ी संख्या में किसानों, अधिकांशतः छोटे किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है;

(ख) क्या इस वर्ष आंध्र प्रदेश में मिर्च की अच्छी सफल हुई है तथा समर्थन मूल्य न मिलने के कारण एवं नाफेड द्वारा खरीद न किए जाने के कारण किसानों को बहुत कम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वे बैंक तथा सहकारी ऋणों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए नाफेड द्वारा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिला कर मिर्च की खरीद करने के लिए अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मिर्चों के अन्तिम अनुमान अभी आंध्र प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, मण्डी आसूचना रिपोर्टों के अनुसार इस वर्ष आंध्र प्रदेश में मिर्च की फसल सामान्य बताई गई है। किसानों द्वारा मजबूरी में कम मूल्यों पर बिक्री किए जाने के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता है।

बंगलौर में नए टेलीफोन कनेक्शन

9163. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर टेलीफोन विभाग द्वारा 1989 में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की श्रेणीवार कुल संख्या क्या है; और

(ख) क्या आज जनता की सहायता के लिए सरकार का नए कनेक्शन जारी करते समय नान-ओ० वाई० टी० (साधारण) कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बंगलौर टेलीफोन द्वारा 1989 के दौरान जारी किए गए श्रेणीवार टेलीफोनों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

(i) गैर ओ वाई टी—सामान्य	8730
(ii) गैर-ओ वाई टी—विशेष	2307
(iii) गैर-ओ वाई टी—एस एस	304
(iv) ओ वाई टी सामान्य	3830
(v) ओ वाई टी विशेष	1172
(vi) तत्काल	150
(vii) कुल	16498

(ख) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कार टेलीफोन लगाना

[हिन्दी]

9164. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितने कार टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) प्रत्येक टेलीफोन पर विभागीय व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा अन्य शहरों में भी उपलब्ध कराई गई है अथवा कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली में अतिरिक्त कार टेलीफोन देने की व्यवस्था स्थगित करने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली में 7-5-90 तक संस्थापित कार टेलीफोनों की संख्या 138 है।

(ख) प्रत्येक कार-टेलीफोन पर हुए आवर्ती व्यय की अलग से गणना नहीं की गई है।

(ग) फिलहाल यह सुविधा अन्य शहरों को प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

कश्मीर तथा पंजाब के उग्रवादियों के बीच सम्पर्क

[अनुवाद]

9165. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर के उग्रवादी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कौन-कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सरकार के पास इस आशय की कोई निश्चित सूचना नहीं है कि पंजाब और जम्मू और कश्मीर के उग्रवादी मिलकर काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस वालों द्वारा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को परेशान किया जाना

[हिन्दी]

9166. **श्री गोविंद चन्द्र मुण्डा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस वाले हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उड़ीसा जाने वाले यात्रियों को घरेलू सामान की रसीदें दिखाने के लिए मजबूर करते हैं और गाड़ी छूटने से केवल 5-10 मिनट पहले उनके सामान की जांच करते हैं और रसीद न होने पर रिश्वत लेते हैं;

(ख) क्या इस तथ्य को थानेदार तथा उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों और यूनियन के नेताओं के विरुद्ध पुलिस मामले

9167. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1988 में हुई दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के कितने कर्मचारियों और यूनियन के नेताओं के विरुद्ध पुलिस मामले दर्ज किए गए थे; और

(ख) इनमें से कितने मामले अब भी न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 13 यूनियन नेताओं सहित, दिल्ली परिवहन निगम के 3419 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ दिल्ली परिवहन निगम की मार्च, 1988 में हुई हड़ताल के सिलसिले में 43 पुलिस मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) मार्च, 1990 में दिल्ली प्रशासन से, जो मामलों को वापिस लेने के बारे में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकरण है, दिल्ली परिवहन निगम में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से, बरखास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में, ऐसे मामलों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

पठानकोट के निकट पंजाब रोडवेज की बस में बम विस्फोट

[अनुवाद]

9168. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब रोडवेज की जम्मू जाने वाली बस में पठानकोट के निकट 19 अप्रैल, 1990 में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है;

(घ) बम विस्फोट में मृत व्यक्तियों के नजदीकी सम्बन्धियों और घायलों को दी गई राहत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंजाब में और वहां से होकर जाने वाली बसों में यात्रा सुरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब रोडवेज की जम्मू जाने वाली बस में ग्राम भरोली (पठानकोट से लगभग 4 कि० मी०) के निकट एक बम विस्फोट हुआ। फलस्वरूप, 13 व्यक्ति घटना स्थल पर मारे गये तथा 36 अन्य घायल हुए। तीन व्यक्ति बाद में घावों के कारण मर गए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) इस बारे में पंजाब सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव अनुदान

9169. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण सामग्री आदि की लागत में वृद्धि के कारण 12,000 रुपए प्रति किलोमीटर की विद्यमान दर से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या लारी आनर्स एसोसिएशन का इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए निधियों की आवश्यकता एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए गए मानदण्डों के अनुसार निर्धारित की जाती है। प्रति किलोमीटर लागत कई कारकों पर जैसे सामग्री एवं श्रम की लागत, सड़क की सतह की चौड़ाई, यातायात की सघनता, भौतिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों, आदि पर निर्भर करती है। निधियों की आवश्यकता की परिगणना प्रति वर्ष चालू दरों पर की जाती है न कि 12,000 रुपये प्रति किलोमीटर की स्थिर दर पर। प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के आधार पर, वर्ष 1989 90 में मैदानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की सामान्य मरम्मत एवं आवधिक नवीनीकरण की लागत, मानदंडों के अनुसार, 21,860 रु० से 42,310 रुपये

प्रति किलोमीटर के बीच रही। वर्ष 1990-91 के लिये, विभिन्न निवेशों की लागत के संबंध में ये आंकड़े बदल जाएंगे। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिये विभिन्न राज्यों को वास्तविक आबंटन, स्रोतों एवं रखरखाव संबंधी अनुदान की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लोरी ओनर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा से, रखरखाव संबंधी निधि में वृद्धि करने के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। तथापि, बजटगत दबावों के कारण रखरखाव संबंधी अनुदान में वृद्धि करना संभव नहीं हुआ है।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

9170. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में जिला मुख्यालयवार तथा दूरभाष केन्द्रवार आवेदनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का गुजरात में दूरभाष केन्द्रों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान प्रतीक्षा-सूची के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को आठवीं योजना अवधि (1990-95) को पहले तीन वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर निपटाये जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि समय पर उपस्कर और संसाधन उपलब्ध हों। 1990-91 के दौरान लगभग 27,000 लाइनें निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर चालू किए जाने की योजना है।

क्र० सं०	जिला मुख्यालय	1990-91 में चालू की जाने वाली लाइनों की संख्या	पुनर्संस्थापन
1.	अहमदाबाद साबरमती	3000 लाइनें	1800 लाइनें
2.	अहमदाबाद आर एल यू	2000 लाइनें	
3.	गांधी नगर	6000 लाइनें	4000 लाइनें
4.	जामनगर	1500 लाइनें	
5.	हिम्मतनगर	2500 लाइनें	1680 लाइनें
6.	बड़ोदरा-अलकापुरी	10000 लाइनें	
7.	सूरत	1000 लाइनें	
8.	राजकोट	2000 लाइनें	
	कुल	27000 लाइनें	7480 लाइनें

विवरण

क्र० सं०	जिला मुख्यालय	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची	योग
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	जमालपुर (35, 39)	598	
		कैन्ट (6)	747	
		सेन्ट्रल (2)	1196	
		एलिसब्रिज	443	
		नारणपुरा-I (49)	175	
		नारणपुरा-II (47, 48)	3579	
		नररंगपुरा (40, 46, 44)	4977	
		रेलवेपुरा ब्लाक (36, 37, 38, 33, 34, 31)	5473	
		रायपुर गेट 5	146	
		साबरमती 86	1505	
		वासना (41, 42)	4589	
		नरोडा (81)	425	
		ओधव (87)	1189	
		वातवा (83)	741	
			25513	25513
2.	राजकोट			
		जुबली पार्क (जे बी राजकोट)	1162	
		के० आर० राजकोट	1950	
		भक्तिनगर	323	
		अजी	119	
		आर० एल० यू० राजकोट	430	
			3984	3984

1	2	3	4	5
3.	बड़ोदरा			
		सिटी कासबार	11268	
		अल्कापुरी	6359	
		कोठी	शून्य	
		मकरपुरा	800	
		फतेहगंज	147	
		कोयली	510	
			21084	21084
4.	सूरत			
		महीधार (यूनिट I, II, III)	11959	
		टैक्टाइल मार्केट (एन० ई० सी० एक्सबार)	13607	
		टैक्टाइल मार्केट (आर० एल० यू०)	1677	
		अथवा	1010	
		उधना	2766	
		रंधेर	2786	
		कटरा गाम	467	
			34272	
5.	भावनगर			
		भावनगर	4374	
		चित्रा	535	
			4909	4909
6.	अमरेली	अमरेली	203	203
7.	पालनपुर	पालनपुर	889	889

1	2	3	4	5
8.	भड़ौंच	भड़ौंच	1755	1755
9.	आवाह	आवाह	—	—
10.	गांधीनगर	गांधीनगर	1015	1015
11.	जामनगर	जामनगर I, II	872	872
12.	जूनागढ़	जूनागढ़	3	3
13.	भुज	भुज	1051	1051
14.	खेडा	खेडा	23	28
15.	मेहसाना	मेहसाना	1250	1250
16.	गोधरा	गोधरा	398	398
17.	हिम्मत नगर	हिम्मत नगर	558	558
18.	सुरेन्द्र नगर	सुरेन्द्र नगर	290	290
19.	वलसाड	वलसाड	1252	1252

डाक वितरण प्रणाली में सुधार

[हिन्दी]

9171. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक वितरण की वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(ख) डाक वितरण प्रणाली को द्रुत बनाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डाक का वितरण, पोस्टमैन/अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेन्ट और पोस्ट बॉक्स/पोस्ट बैग के जरिए किया जाता है।

(ख) (i) डाक वितरण प्रणाली में डाक सुव्यवस्थित करना एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक डाकघर की डाक व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां जरूरी होता है वहां, उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, इस प्रकार इस प्रणाली में संभव बेहतर डाक वितरण के कार्य को सुनिश्चित किया जाता है।

(ii) बड़े डाक घरों में तारीख की मुहर तत्परता से लगाने के लिए विरूपण मशीनें प्रदान की गई हैं जो डाकघर में बिना विलंब के तार वितरण करने में यह महत्वपूर्ण कारक है। इन मशीनों से ज्यादातर पत्रों का विरूपण किया जाता है।

(iii) बड़ी मात्रा में डाक प्राप्त करने वालों को डाक का शीघ्र वितरण करने के एक साधन के रूप में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग किराए पर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(iv) बहुमंजली इमारतों में काम करने वाले कार्यालयों को उनके पत्रों का जल्दी वितरण करने के उद्देश्य से इमारत के भूतल में वितरण बक्से लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(v) घरों में लेटर बक्स लगाने और उन पर साफ पता लिखने से डाक वितरण तेजी से करने में सहायता मिलती है।

(vi) पिन कोड के साथ साफ पते के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

केरल के वायनाड जिले में मुख्य डाकघर और केन्द्रीय तारघर शुरू करना

[अनुवाद]

9172. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायनाड जिले में मुख्य डाकघर शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब और कहां; और

(ख) क्या सरकार का वायनाड जिले में केन्द्रीय तारघर शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कहां और कब ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) वायनाड जिले के कालतेट्टा स्थान पर 16-4-90 को एक विभागीय तारघर खोला जा चुका है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक समयबद्ध पदोन्नति

9173. **श्री जगपाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अगस्त, 1988 से 40 प्वाइन्ट रोस्टर प्रणाली शुरू करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण/छूट का लाभ एक समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए किया गया है, यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1983 जिस तारीख को इसे बन्द कर दिया गया था, से 40 प्वाइन्ट रोस्टर को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 अगस्त, 1988 के निर्णय में सुझाये गये अनुसार रोस्टर के बिना 12 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को एक समयबद्ध पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार द्वारा इस बारे में जारी किया गया कोई भी आदेश भविष्य में भी लागू रहेगा और इस प्रकार दी गई सभी पदोन्नतियां अप्रभावित रहेंगी।

(ख) माननीय न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा अवधि 12 वर्ष तक कम करने के लिए कोई निश्चित निर्देश नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय ने रोस्टर के बारे में भी कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने केवल उपयुक्त योजना तैयार करने का आदेश दिया है। न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जारी आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी रोस्टर में आरक्षित प्वाइन्ट उपलब्ध होने पर 12 वर्ष से कम अवधि की सेवा होने पर भी पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा सहायताप्राप्त सहकारी डेयरी संस्थाओं द्वारा दूध की खरीद

9174. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी डेयरी संस्थाओं द्वारा दुग्ध की औसत खरीद कितनी है;

(ख) विभिन्न प्रकार के दूध का औसत क्रय और बिक्री मूल्य कितना है; और

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी डेयरी संस्थाओं में सदस्यों के माध्यम से खरीद योजनाओं के अन्तर्गत दर्ज दुग्ध उत्पादकों की संख्या कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान सहकारी डेयरी समितियों ने "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत औसतन लगभग 98 लाख कि०ग्रा० दुग्ध प्रतिदिन (अनन्तिम) अधिप्राप्त किया है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान "आपरेशन फ्लड" दुग्धशालाओं में दूध का अनुमानित औसत मूल्य निम्न प्रकार था :—

औसत अधिप्राप्ति मूल्य

(1) गाय का दूध	3.60 रुपये प्रति लिटर
(2) भैंस का दूध	4.80 रुपये प्रति लिटर

महानगरों में औसत बिक्री मूल्य

(1) स्टैंडर्ड दूध	5.00 रुपये से 5.80 रुपये प्रति लिटर
(2) टोन्ड दूध	4.50 रुपये से 5.00 रुपये प्रति लिटर

(अधिकतर पौलिपैक्स में)

(ग) मार्च, 1990 तक "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानत: 71 लाख कृषक सदस्य कवर किए गए हैं।

डाई अमोनियम फास्फेट का आयात

9175. **श्री आर० प्रभु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाई अमोनियम फास्फेट (डी० ए० पी०) के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है जबकि इस सम्बन्ध में स्वदेशी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डी०ए०पी० के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी;

(घ) देश में 1989-90 के दौरान डी०ए०पी० उद्योग का उपयोग प्रतिशत कितना है और वर्ष 1990-91 के दौरान यह कितने प्रतिशत होगा; और

(ङ) डी० ए० पी० की स्वदेशी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) देश में फास्फेटिक उर्वरकों की मांग को आधारभूत कच्चे पदार्थों के स्वदेशी निर्माण द्वारा तथा मध्यवृति उत्पादनों द्वारा तथा परिषकृत फास्फेटिक उर्वरकों (मुख्यतः डी० ए० पी०) के सीधे आयात द्वारा भी पूरा किया जाता है। स्वदेशी निर्माण क्षमता का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत निवेशों, जिन्हें आयात करना पड़ता है, की उपलब्धता पर निर्भर करता है और आयात अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्थिति और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, पर निर्भर करता है। अप्रैल-सितम्बर, 1990 की आवादी के लिए, उद्योग को, एम०एम०टी०सी० जोकि एक सरणीबद्ध अभिकरण है, द्वारा इच्छित निवेश की आपूर्ति करने के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, डी०ए०पी० के आयात पर व्यय की जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा की राशि बताना, लोकहित में नहीं है।

(घ) और (ङ) 1989-90 के दौरान स्वदेशी डी०ए०पी०क्षमता का उपयोग 66.9% और 1990-91 के लिए लक्ष्य 83.5% है।

भोजपुर में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

9176. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के भोजपुर जिले में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित 9 स्थानों में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि वहां टेलीफोनों की मांग हो।

1. बरहारा
2. उदवंतनगर
3. संदेश
4. साहर
5. नवनागढ़
6. राजपुर
7. चैनपुर
8. चांद
9. तारारी

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बरहामपुर-फूलबनी सड़क का सुधार

[अनुवाद]

9177. **श्री ए० एन० सिंह देव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से राज्य में विश्व बैंक की सहायता से बरहामपुर फूलबनी सड़क का सुधार करने का कार्य आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ तथा उड़ीसा सरकार ने इसके लिए कितनी राशि की मांग की है;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में 16 जनवरी, 1990 को राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपए दर्शायी गई थी। सहायता के लिए विश्व बैंक को राज्य सड़क स्कीमों का एक दूसरा पैकेज प्रस्तुत करने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में निर्णय लेने के उपरांत, विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित अन्य सड़कों के साथ यह स्कीम भी विश्व बैंक के विचारार्थ प्रायोजित की जायेगी।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पंजाब को धनराशि

9178. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए दी गई अलग-अलग धनराशि क्या है;

(ख) पंजाब सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे किये गये काम का और उस पर खर्च की गई धनराशि का विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ग) पंजाब सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है और इसके अन्तर्गत कितने मानव दिवस सृजन किए गए ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) पंजाब को गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तीन मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 6860.17 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। इसमें से 1486.65 लाख रुपये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 3697.52 लाख रुपये केन्द्रीय अंश के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम/जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रिलीज किये गये थे। पंजाब को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 191634 परिवारों को सहायता दी गई तथा राज्य के अंश सहित 3284.83 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ग) 1987-88 तथा 1998-89 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के 80.53 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया था। फरवरी, 1990 तक, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 29.89 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत केवल सृजित श्रम दिनों के रूप में प्रगति की निगरानी की जाती है।

बामनापाडु (आंध्र प्रदेश) में मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण

9179. **डा० विश्वनाथम्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बामनापाडु में मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यह चालू होने के लिए तैयार है;

(ख) यदि नहीं, तो बन्दरगाह को चालू होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने, जो केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बावनापाडु में मात्स्यकी बन्दरगाह का विकास कर रही है, नवम्बर, 1987 तक सभी महत्वपूर्ण कार्यों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था । फिर भी, प्रवेश मार्ग में गाद भर जाने के कारण बन्दरगाह चालू नहीं किया जा सका । फरवरी, 1990 में संशोधित लागत के लिए जारी की गई भारत सरकार की प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार, राज्य सरकार को मार्च, 1991 तक बावनापाडु मात्स्यकी बन्दरगाह में शेष कार्यों के निर्माण को पूरा करना होगा ।

तंजावुर तमिलनाडु में झींगा मछली पालना

9180. **श्री एम० सेल्वाराशु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तंजावुर जिले में झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने की अधिक संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने 1983-84 के दौरान थंजावुर जिले में थोंडियाकाडु में 24.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक खारे पानी में झींगा पालन का फार्म स्थापित करने की मंजूरी दी थी तथा इस प्रयोजन के लिए खर्च में केन्द्रीय हिस्से के रूप में 7 लाख रुपये का एक तदर्थ अनुदान दिया गया था । लेकिन, स्थल की स्थिति उपयुक्त न होने के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्माण के लिए यह परियोजना आरम्भ नहीं की जा सकी ।

तमिलनाडु सरकार का प्रति वर्ष खारे पानी के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन करने के लिए झींगा पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता सुलभ कराने के लिए 1990-91 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत थंजावुर जिले में खारे पानी के मछली पालकों की एक विकास एजेन्सी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

गोदामों का निर्माण

[हिन्दी]

9181. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्नों का भण्डार जमा करने तथा किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु देश में अनेक गोदामों का निर्माण करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उद्देश्यों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में बिहार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार किसानों द्वारा अपनी उपज को घाटे पर बेचन से रोकने के लिए सहकारी सोसाइटियों और विपणन बोर्डों सहित विभिन्न एजेन्सियों द्वारा ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार कर रही है।

आन्तरिक ग्रामीण क्षेत्रों को भांडागार/गोदामों की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं और न ही किसानों द्वारा इन सुविधाओं का प्रभावी रूप से लाभ उठाया गया है। भांडागार की सुविधा और ऋण मुहैया कराने से किसान को बेहतर मदद मिलेगी।

ग्रामीण गोदामों का जाल बिछाने के लिए एक योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत राज्यों को निर्माण लागत के 25% तक सहायता उपलब्ध की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। बिहार से प्राप्त 156 ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

9182. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण/कृषि क्षेत्र में नए पूंजी निवेश की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान कितना पूंजी निवेश किए जाने का विचार किया गया है और इन दो क्षेत्रों में किए जाने वाले पूंजी निवेश का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में योजना-वार किए जाने के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि निवेश योग्य संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि के विकास और ग्रामीण विकास पर लगाया जाए।

(ख) और (ग) 1990-91 के केन्द्रीय बजट में देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किए गए आबंटन का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1990-91 के लिए मदवार केन्द्रीय योजना आवंटन

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	निम्नलिखित से संबंधित योजनाएं	1990-91 के लिए योजना आवंटन
1	2	3
	कृषि और सहकारिता विभाग	
1.	कृषि विस्तार और प्रशिक्षण	9.00
2.	कृषि संगणना सहित कृषि अर्थ और सांख्यिकी	14.00
3.	बीज विकास	15.00
4.	उर्वरक और खाद	12.87
5.	पौध रक्षण	7.80
6.	कृषि उपस्कर और मशीनरी	2.60
7.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम सहित फसल उन्मुखी कार्यक्रम	409.24
8.	बागवानी	16.50
9.	सचिवालीय अर्थ सेवाएं	0.75
10.	फसल बीमा	1.00
11.	मृदा और जल संरक्षण	57.00
	(i) केन्द्रीय योजना	32.90
	(ii) राज्य योजना	
12.	पशुपालन	43.71 (इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में दिए गए कार्यों के लिए 1.29 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।)
13.	डेयरी विकास	79.61 (इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में दिए गए कार्यों के लिए 0.33 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।)
14.	मात्स्यकी विकास	30.60
15.	ऋण	77.60
16.	सहकारिता	126.04
	कुल	936.28

1	2	3
	ग्रामीण विकास विभाग	
1.	जवाहर रोजगार योजना	2100.00
2.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	390.00
3.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	51.26
4.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	50.00
5.	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	423.00
6.	ग्रामीण स्वच्छता	20.00
7.	स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण	8.00
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास	11.49
9.	ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थाने	2.20
10.	लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनालोजी की उन्नति के लिए परिषद	5.50
11.	राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत बनाना	5.00
12.	विस्तार प्रशिक्षणों केन्द्रों को मजबूत बनाना	3.00
13.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन	0.35
14.	स्वैच्छिक योजनाओं को बढ़ाना	2.00
15.	लाभानुभोगियों का संगठन	4.00
16.	भूमि सुधार	25.33
17.	कृषि विपणन	7.00
18.	ग्रामीण गोदाम	4.00
19.	विशेष क्षेत्रों में सड़कें	14.40
20.	पंचायत विकास और प्रशिक्षण	2.00
21.	प्रचार और संचार	0.25
22.	एफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के लिए भवन	0.30
	कुल	3129.08

दिल्ली प्रशासन में आरक्षित रिक्त पद

[हिन्दी]

9183. श्री कालका दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की, विभाग-वार तथा श्रेणी-वार, संख्या कितनी है तथा ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; तथा इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के आरक्षित रिक्तियों को नियमों के अनुसार शीघ्र भरने के लिए संबंधित विभागों को अनुदेश जारी किए हैं ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में अ० जा०/अ० ज० जा० की आरक्षित रिक्त पदों की विभागवार और श्रेणीवार संख्या ।

क० सं०	विभाग का नाम	कुल पिछली रिक्तियां				कुल पिछली रिक्तियों में से 3 वर्षों की पिछली रिक्तियां			
		ग्रुप				ग्रुप			
		क अ.जा./अ.ज.जा.	ख अ.जा./अ.ज.जा	ग अ.जा./अ.ज.जा.	घ अ.जा/अ.ज.जा.	क अ.जा./अ.ज.जा.	ख अ.जा./अ.ज.जा.	ग अ.जा./अ.ज.जा.	घ अ.जा./अ.ज.जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आर्किचीवस	—	1/1	—	1/1	—	1/—	—	1/—
2.	बी. ई. एण्ड एस.	—	—/1	—/1	—	—	—	—	—
3.	सी. डी. एण्ड एच. जी.	—	—	4/1	2/1	—	—	—	—
4.	कोआपरेटिव	—	—	—/1	—	—	—	—	—
5.	कालेज आफ आर्ट्स	2/1	—	—/2	—	2/2	—	—	—
6.	कालेज आफ इंजी.	2/3	—	3/4	—	2/3	—	3/—	—
7.	केन्द्रीय जेल	1/1	2/1	—/2	1/9	—	2/1	—	1/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	डी०सी०कार्यालय	—	—	—	—/1	—	—	—	—/1
9.	विकास	1/—	6/2	—/7	—	—	6/2	—	—
10.	शिक्षा	1/1	—	325/315	—	—	—	69/76	—
11.	खाद्य और आपूर्ति	—	—	—/1	—	—	—	—	—
12.	वित्त लेखे	—	4/3	12/6	—	—	—	2/1	—
13.	स्वास्थ्य सेवाएं	—	—	—/9	—	—	—	—/9	—
14.	टी. आर. सी.	—	—	219/130	—	—	—	14/80	—
15.	उद्योग	—	2/2	2/3	1/1	—	2/—	—	—
16.	सूचना और प्रचार	—/1	—	—	—	—/1	—	—	—
17.	श्रम	1/—	1/1	—	—	1/—	1/1	—	—
18.	मानव शक्ति और रोजगार	—	—	1/—	—	—	—	—	—
19.	पी. एफ. ए.	—	—	—/1	—	—	—	—	—
20.	अभियोजन	2/3	4/4	—	—	—/1	—	—	—
21.	समाज कल्याण	—	2/4	4/12	—	—	—	—	—
22.	टी. टी. ई.	13/11	3/4	6/7	—	4/7	3/2	3/3	—
23.	परिवहन	—	—	4/8	—/1	—	—	—/3	—
	योग :	23/22	25/23	579/505	5/13	9/14	15/7	91/172	2/10

ब्लू स्टार के बाद सेना के भगोड़ों का पुनर्वास

[अनुवाद]

9184. **श्रीमती सुखबंस कौर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1984 में ब्लू स्टार आपरेशन के बाद कितने भगोड़े सैनिकों का जनवरी, 1990 तक पुनर्वास किया गया है; और

(ख) कब तक उन सभी सैनिकों का पुनर्वास हो जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) रक्षा मन्त्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आपरेशन ब्लू स्टार के बाद बैरक छोड़ने तथा अन्य सम्बन्धित आरोपों के लिए 2731 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इनमें से 22 व्यक्तियों को आरोप मुक्त कर दिया गया तथा 2297 व्यक्तियों को सेना/डिफेंस सिक्योरिटी कोर (डी० एस०

सी०) में वापस ले लिया गया था। 50 व्यक्तियों को पंजाब सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराया था। जनवरी, 1990 से 347 व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित संगठनों में नियोजन हेतु भेजे गए हैं :—

सी० आई० एस० एफ०	— 51
रेलवे	— 46
डाक	— 44
दूर संचार	— 46
एफ० सी० आई०	— 100
सी० डब्ल्यू० सी०	— 25
डी० पी० ई० फार पी० एस० यू०	— 35
कुल	347

इन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था तथा उन व्यक्तियों के मामलों पर, जो साक्षात्कार के लिए आए तथा जिनका चयन हो गया था, उनको नियुक्त करने के लिए संबंधित संगठनों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इन संगठनों द्वारा सेना के इन भगोड़ों का कब तक पुनर्वास किया जाएगा यह बताना कठिन है क्योंकि वास्तविक नियुक्तियां करने से पूर्व प्रक्रिया संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाना होगा।

असम-अवध एक्सप्रेस में बम विस्फोट से रेल दुर्घटनायें होना

9185. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलने वाली 5609 डाउन असम-अवध एक्सप्रेस के छह डिब्बे और 5718, टुआर्स एक्सप्रेस का एक डिब्बा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में 13 अप्रैल, 1990 को दो शक्तिशाली बमों का विस्फोट होने के कारण पटरी से उत्तर गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल की पटरियों पर इन बमों को लगाने के जिम्मेदार व्यक्तियों का अब तक कोई सुराग मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 13 अप्रैल, 1990 को असम-अवध एक्सप्रेस के छह डिब्बे तथा 12 अप्रैल, 1990 को डुआर्स एक्सप्रेस का एक डिब्बा बम विस्फोट होने के कारण पटरी से उतर गया था।

(ख) से (घ) रेलों में हुए अपराध का पंजीकरण करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसका पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना, सरकारी राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है, जो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों के नियंत्रण में कार्य करती हैं। संदर्भाधीन अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना और उसका पता लगाने का कार्य असम सरकार द्वारा किया जाना है।

टेलीप्रिंटरों की स्थापना

[हिन्दी]

9186. **कुमारी उमा भारती :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने टेलीग्राफ कार्यालय एवं टेलीग्राफ सर्किट्स हैं जहां केवल अंग्रेजी के शब्दों वाले टेलीप्रिंटर्स हैं;

(ख) इन सभी कार्यालयों एवं सर्किटों में देवनागरी टेलीप्रिंटर्स अथवा द्विभाषी टेलीप्रिंटर्स कब तक लगा दिए जाएंगे; और

(ग) वर्तमान में देश के टेलीग्राफ कार्यालयों में कुल कितने अंग्रेजी, देवनागरी अथवा द्विभाषीय टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तारघरों में लगभग 80 प्रतिशत टेलीप्रिंटर और सर्किट रोमन होते हैं और 20 प्रतिशत द्विभाषीय अथवा देवनागरी के होते हैं ।

(ख) देवनागरी अथवा द्विभाषीय टेलीप्रिंटर सर्किटों में परियात की पर्याप्तता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं । 8वीं योजना अवधि में शेष सभी तारघरों में पर्याप्त देवनागरी संदेशों सहित देवनागरी/द्विभाषीय टेलीप्रिंटर प्रदान करने की योजना है ।

(ग) 7वीं योजना के शुरू में 7615 रोमन के और 700 देवनागरी के इलैक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीप्रिंटर थे । 7वीं योजना अवधि के दौरान 1235 द्विभाषीय टेलीप्रिंटर और 770 इलेक्ट्रानिक रोमन टेलीप्रिंटर लगाए गए हैं ।

आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद

[अनुवाद]

9187. **श्री बी० एल० रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए वहां कुछ अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बल तैनात किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की कुछ कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं । उनकी वास्तविक तैनाती की प्रकृति राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है ।

फरीदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन

9188. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों से फरीदाबाद में टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकृत किए गए आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या फरीदाबाद में 1989 से सभी टेलीफोन एक्सचेंज अवरुद्ध पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो फरीदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का विस्तार न किए जाने के क्या कारण और तथ्य हैं; और

(घ) पिछले लंबित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान फरीदाबाद टेलीफोन प्रणाली में कनेक्शनों के लिए 14869 आवेदकों को पंजीकृत किया गया है।

(ख) फरीदाबाद दूरसंचार जिले में 72 टेलीफोन एक्सचेंजों में से केवल 3 एक्सचेंजों अर्थात फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और गुड़गांव अप्रैल, 1989 से ओवरलोडेड हैं।

(ग) और (घ) पैरा (ख) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए फरीदाबाद के मौजूदा एक्सचेंजों को जुलाई, 1990 तक 10,000 लाइनों में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला जा रहा है जिसमें मार्च, 1991 तक 7,000 और लाइनों की उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। इस विस्तार के साथ पड़ोसी बल्लभगढ़ एक्सचेंज को भी क्षेत्र अंतरण से राहत मिलेगी। गुड़गांव एक्सचेंज प्रणाली का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 512 लाइनों द्वारा विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा 1991-92 के दौरान गुड़गांव में 10,000 लाइनों का एक्सचेंज उपलब्ध कराया जाएगा।

जयपुर उप प्रभाग में पिन कोड का आबंटन

9189. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय/विभागोत्तर/शाखा डाकघरों आदि सहित प्रत्येक डाकघर को पिन कोड आबंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) जयपुर उप प्रभाग (कटक उत्तर तथा उड़ीसा के दक्षिण प्रभाग) में बहुत से शाखा डाकघरों तथा डाकघरों को पिन कोड का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में पिन कोड नंबर, पी०सी०ओ० सुविधा वाले किसी डाकघर को विभागीय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिन कोड एक 6 अंकों वाला डाक पता प्रणाली है। सभी वितरण प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों को "पिन" कोड नंबर दिए जाते हैं। अतिरिक्त विभागीय/शाखा डाकघरों और गैर-वितरण उप-डाकघरों को "पिन" कोड नंबर दिए जाते हैं। ये डाकघर अपने मूल डाकघर का "पिन" कोड नम्बर प्रयोग करते हैं।

(ख) जाजपुर उप मंडल में, जाजपुर प्रधान डाकघर और सभी वितरण उप डाकघरों तथा अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार "पिन" कोड नंबर पहले ही दे दिए गए हैं।

(ग) किसी डाकघर का विभागीयकरण सांख्यिकीय आंकड़ों और वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाता है।

दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध

9190. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली में महिलाओं के प्रति कितने अपराध किए गए;

(ख) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं के प्रति अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति पर रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) दहेज निषेध अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानतीय अपराध बनाया गया है।

(ii) महिलाओं के पतियों तथा सुसराल वालों द्वारा उन्हें सताने तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार के अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है।

(iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 113-क तथा 113-ख नई धाराएं शामिल की गई हैं जिससे कि यदि दहेज के लिए क्रूरता या प्रताड़ना सिद्ध जो जाए तो न्यायालय यह मान सकता है कि किसी विवाहित महिला को आत्महत्या करने/दहेज मृत्यु के लिए उकसाया गया है।

(iv) जहां संदेहास्पद परिस्थितियों में महिलाओं की मृत्यु होती है उन मामलों में एस० डी० एम० द्वारा मृत्यु के बाद तहकीकात कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

(v) महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच के लिए महिला पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष सैल की स्थापना की गई है। दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिले में महिला सैलों की स्थापना की गई है।

(vi) महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों को रोकने के लिए महिला कालेजों और स्कूलों, चलती बसों और महत्वपूर्ण बाजार स्थलों पर, जहां महिलाओं का आना-जाना जारी रहता है, पुलिस तैनात की जाती है।

विवरण

1-1-90 से 30-4-90 की अवधि के दौरान महिलाओं के साथ हुए अपराधों के सम्बन्ध में दर्ज मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

सूचित किए गए मामले	चालान	दोष-सिद्ध	दोष-मुक्त	विचारण हेतु लंबित	जांच पड़ताल हेतु लंबित	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			महिलाओं के साथ छेड़छाड़			
57	18	—	—	18	39	62
			बलात्कार			
61	3	—	—	3	58	81

1	2	3	4	5	6	7
महिलाओं के साथ छेड़खानी						
674	674	649	5	20	—	1077
दहेज-मृत्यु						
36	1	—	—	1	35	76
दहेज निवारक अधिनियम						
3	—	—	—	—	3	4
आई० पी० सी० की धारा 406 के अधीन दहेज-मामले						
65	4	—	—	4	61	23
आई० पी० सी० की धारा 498-क के अधीन पति अथवा ससुराल वालों द्वारा क्रूरता						
89	4	—	—	4	85	84

उर्वरकों और बीजों की बिक्री

9191. **डा० वेंकटेश काब्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का, विशेषकर वर्षा ऋतु के शुरू में किसानों को असुविधा से बचाने के लिए उर्वरकों और बीजों को बिक्री हेतु केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) देश के दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में उर्वरकों की बिक्री के लिए खुदरा केन्द्र खोलने हेतु 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा दो केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं कार्यान्वित की गई। 1990-91 के दौरान एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना चलाने के लिए 70 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिसमें खुदरा केन्द्र खोलने का एक घटक भी शामिल है।

असम और जम्मू व कश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत का हिस्सा बांटकर आदान सप्लाई प्रणाली स्थापित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं।

अमरीका में रह रहे कश्मीरी लोगों द्वारा अमरीकी लोबीइंग फर्म को किराए पर लेना

9192. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री दिलीप सिंह जू देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समाचार के अनुसार कश्मीरी प्रवासियों के एक संगठन और कश्मीर अमेरिकन

कौंसिल ने एक प्रबल लॉबीइंग फर्म किराये पर ली है जो जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा आत्म निर्णय किये जाने के पक्ष में समर्थन जुटायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार ने अमरीकी सरकार को और अमरीकी कांग्रेस के प्रभावशाली सदस्यों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

अंगूर की खरीद

9193. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा से अंगूर खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अंगूर के लिए यह योजना पहली बार लागू की गई है;

(ग) ऐसे बाजार हस्तक्षेप का क्या कारण है जबकि विशेषकर इन दोनों राज्यों में उत्पादित अंगूरों में, घुलनशील ठोस पदार्थों की कम मात्रा होने के कारण वे अनुपयुक्त हैं; और

(घ) सरकार या इसकी एजेंसियां जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता एवं विपणन संघ (नैफेड) इन अंगूरों का किस प्रकार इस्तेमाल करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पंजाब और हरियाणा के किसानों से अंगूरों की खरीद करने के लिए, मंडी हस्तक्षेप योजना शुरू की जा रही है ताकि किसानों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाया जा सके।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नैफेड) और अन्य एजेन्सियां देश में विभिन्न टर्मिनल मंडियों में अंगूरों की बिक्री के लिए तत्काल व्यवस्था करेगी।

मुर्गी पालन के लिए प्यूरेलियन नस्ल की मुर्गियों का आयात

9194. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेहतर किस्म की मुर्गियों की उपलब्धता के बावजूद सरकार ने मुर्गियों की प्यूरेलिन नस्ल के आयात की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) मुर्गी पालन क्षेत्र की उन्नति बहुत अधिक हो रही है और इस प्रकार अच्छी क्वालिटी के चूजों की मांग बहुत अधिक है। यह मांग पूरी करने के लिए और अच्छी क्वालिटी के प्रजनक स्टाक में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने शुद्ध नस्ल की मुर्गियों के आयात की अनुमति दे दी है।

सार्वजनिक दूरभाष बूथ प्रदान कराकर बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी देना

[हिन्दी]

9195. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान के लिए प्रत्येक पंचायत तथा शहर में सार्वजनिक दूरभाष लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी पंचायतों तथा शहरों में सार्वजनिक टेलीफोन दिए जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक टेलीफोनों की श्रेणियां निम्नलिखित है :—

(i) विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन।

(ii) प्राइवेट गारंटीशुदा सार्वजनिक टेलीफोन।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन।

(iv) फ्रेंचाइज्ड पब्लिक टेलीफोन।

ये सभी और विशेषकर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन काम/स्व-रोजगार की व्यवस्था करने में समर्थ हैं।

टेलीफोन कनेक्शन संबंधी समस्यायें

9196. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी शहरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, बड़े शहरों में प्रतीक्षा सूची विशेषकर लम्बी है।

(ख) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतीक्षा सूची में कुल 17.14 लाख आवेदक हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, लगभग 52 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है बशर्ते कि योजना को मंजूरी मिल जाये और संसाधन उपलब्ध रहें। इस प्रकार, वर्तमान प्रतीक्षा सूची को निपटाने और साथ ही नये टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना भी बनाई गई है।

लहसुन उत्पादकों को मुआवजा

9197. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान लहसुन के मूल्यों में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान मूल्य 1985 के मूल्यों (174-483 रुपए प्रति क्विटल) की तुलना में बहुत अधिक (950-2083 रुपये प्रति क्विटल) थे। 1988-89 में मूल्य अपेक्षाकृत कम (225-734 रुपये प्रति क्विटल) थे लेकिन ये मूल्य वर्ष 1985 के मूल्यों के मुकाबले अधिक थे। मार्च-अप्रैल, 1990 में मूल्य फिर से बढ़कर 360-900 रुपये प्रति क्विटल हो गए हैं। इसलिए, 1986 तथा 1987 में हुई मूल्य वृद्धि असामान्य मानी जा सकती है। लेकिन, केन्द्रीय सरकार मण्डी में हस्तक्षेप करने की योजना आरम्भ करने के गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है।

पान के पत्तों को कृषि वस्तु घोषित करना

[अनुवाद]

9198. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पान के पत्तों को कृषि वस्तु घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने क्षेत्र में पान के पत्तों की खेती की जाती है और पान की खेती करने वाले किसानों की संख्या क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उगाए गए पान के पत्तों की मात्रा और मूल्य का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ङ) पान के पत्तों के संबंध में अन्तर्राज्यीय व्यापार स्थिति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) पान के पत्ते एक बागवानी वस्तु है।

(ग) पान के पत्तों की खेती से क्षेत्र के तथा इस क्षेत्र में कार्यरत कृषकों की संख्या के राज्य-वार ब्योरे संबंधी सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मोटा अनुमान है कि देश में 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र में पान के पत्तों की खेती की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में उत्पादित पान के पत्तों की वास्तविक मात्रा तथा मूल्य का राज्य-वार ब्योरा उपलब्ध नहीं है। वैसे, पान के पत्तों की खेती में 700 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) पान के पत्तों के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नही है।

भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट और पी० डी० आई० एल०
में ठेका श्रमिक

9199. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट और पी० डी० आई० एल० में ठेकेदारों की संख्या कितनी है और प्रत्येक ठेकेदार के अधीन कितने ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ठेका श्रमिकों को वेतन दिया जाता है और उनके वेतन को भारतीय उर्वरक

निगम के प्रबन्धकों अर्थात मुख्य नियोक्ताओं द्वारा जांच की जाती है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है ठेका श्रमिकों के लिए भविष्य निधि का रिकार्ड रजिस्टर, कर्मचारी राज्य बीमा, कैंटीन सुविधाएं नहीं हैं और उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता;

(घ) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस मामले में अधिकारियों की सांठगांठ के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) दिनांक 1-5-90 की स्थिति के अनुसार ठेकेदारों की सूची तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा एफ० सी० आई० के सिन्दरी एकक तथा पी० डी० आई० एल० में नियोजित कर्मकारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। अन्तिम तारीख के ब्यौरे जबकि एफ० सी० आई० के सिन्दरी एकक के प्रत्येक ठेकेदार के लिये भुगतान का पर्यवेक्षण किया गया था, विवरण के कालम 4 में दर्शाए गए हैं।

(ग) से (च) एफ० सी० आई० के सिन्दरी एकक तथा पी० डी० आई० एल० द्वारा ठेका श्रमिकों के लिये भविष्य निधि तथा कैंटीन सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। कर्मकारों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

विवरण

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	कर्मकारों की संख्या	प्रबन्ध के प्रतिनिधि द्वारा पर्यवेक्षित भुगतान की तारीख
1	2	3	4
1.	मैसर्स जय बजरंग इन्जीनियरिंग	6	9-4-90
2.	" प्रभु जिशु इन्जीनियरिंग वर्क्स	5	9-4-90
3.	" यूनाइटेड ट्रेडर्स एण्ड कं०	4	काम नहीं
4.	" एस० सी० करना एण्ड कं०	229	9-4-90
5.	" अंजुलता इन्जीनियरिंग वर्क्स	15	5-4-90
6.	" अशोक कुमार एंड कं०	10	16-3-90/2-4-90
7.	" रंगामाटिया कोल कोक यू० एस० एस० लि०	10	20-3-90/3-4-90

1	2	3	4
8.	मै० पी० एस० इन्टरप्राइसेस	10	20-3-90/3-4-90
9.	" भूषण कंस्ट्रक्शन	1	31-3-90
10.	" कामता सिंह एंड कं०	3	31-3-90
11.	" शिव एंड कं०	3	31-3-90
12.	" एस० के० ब्रदर्स	11	2-4-90
13.	" डी० के० बी० कंस्ट्रक्शन	1	4-4-90
14.	" अशोक इन्टरप्राइसेस	14	3-4-90
15.	" बालीपुर कोल कोक ए० एस० एस० लि०	4	3-4-90
16.	" रवी एंड कं०	6	4-4-90
17.	" सी० के० कंस्ट्रक्शन	26	4-4-90
18.	" लिलि कंस्ट्रक्शन	8	3-4-90
19.	" भुनेश्वर सिंह	5	5-4-90
20.	" एच० के० कंस्ट्रक्शन	9	4-4-90
21.	" लिन्नर्स इण्डिया	7	7-4-90
22.	" जैम कंस्ट्रक्शन	7	9-4-90
23.	" राजेश इन्टरप्राइसेस	9	7-4-90
24.	" आर० एस० कंस्ट्रक्शन	3	7-4-90
25.	" पी० के० राहा	11	7-4-90
26.	" आर्यबर्त कंस्ट्रक्शन	13	4-4-90
27.	" अमित कंस्ट्रक्शन	6	31-3-90
28.	" आर० के० ट्रेडर्स एंड कं०	3	7-4-90
29.	" अरुण कुमार श्रीवास्तव	3	7-4-90
30.	" अजय कंस्ट्रक्शन	3	7-4-90
31.	" चन्दा एंड सूरज कंस्ट्रक्शन	13	9-4-90
32.	" मनभूम कंस्ट्रक्शन	7	6-4-90
33.	" हरीश उद्योग	5	7-4-90
34.	" सुरेश मिस्त्री	2	9-4-90
35.	" दुबेदी कंस्ट्रक्शन	9	6-4-90

1	2	3	4
36.	मै० यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन वर्क	24	4-4-90
37.	" सुरेन्द्रा इलेक्ट्रीकल्स	2	10-4-90
38.	" इलेक्ट्रीकोट	4	7-4-90
39.	" बबलू कंस्ट्रक्शन	2	5-4-90
40.	" सिंघ इन्टरप्राइसेस	7	9-4-90
41.	" सबीर आलम फरीदी	3	4-4-90
42.	" हिंदुस्तान ट्रेडर्स	4	6-4-90
43.	" यू० एंड जी० कंस्ट्रक्शन	4	6-4-90
44.	" शिव कंस्ट्रक्शन	2	9-4-90
45.	" रायल फाउण्डरी इन्जीनियरिंग वर्क्स	5	3-4-90
46.	" एस० के० कुण्डू	5	काम नहीं
47.	" राज कंस्ट्रक्शन	3	6-4-90
48.	" कूपर ब्रदर्स एंड कं०	8	काम नहीं
49.	" संजय इन्टरप्राइसेस	4	काम नहीं
50.	" सुभाष इलेक्ट्रीकल्स	4	काम नहीं
51.	" वैद्यनाथ कंस्ट्रक्शन	7	3-4-90
52.	" स्ट्रक्चुअल इंडिया	6	3-4-90
53.	" न्यू मोडर्न कंस्ट्रक्शन कं०	9	काम नहीं
54.	" तुलसी इन्जीनियरिंग कंस्ट्रक्शन	6	4-4-90
55.	" सिन्हा कंस्ट्रक्शन	10	6-4-90
56.	" न्यू मिठिला इन्जीनियरिंग कं०	9	4-4-90
57.	" भानू शा एंड कं०	3	6-4-90
58.	" ए० एस० इन्टरप्राइसेस	3	काम नहीं
59.	" सिंघ एंड कं०	5	6-4-90
60.	" यूनीक ट्रेडर्स एंड कं०	3	काम नहीं
61.	" स्टैंडर्ड सप्लाई कार्पोरेशन	33	6-4-90
62.	" अवधेश सिंह एंड कं०	4	6-4-90
63.	" यूनाइटेड इलेक्ट्रीकल्स कंस्ट्रक्शन	14	7-4-90

1	2	3	4
64.	मै० खैबर इलेक्ट्रीकल्स	4	काम नहीं
65.	" सम्भू ब्रदर्स	8	6-4-90
66.	" राय कंस्ट्रक्शन	6	काम नहीं
67.	" एस० आर० कंस्ट्रक्शन	3	6-4-90
68.	" महातो कंस्ट्रक्शन	10	7-4-90
69.	" सिन्हा इन्टरप्राइसेस	15	6-4-90
70.	" सिन्दरी वुड सप्लाई कार्पोरेशन	15	काम नहीं
71.	" प्रसाद ब्रदर्स	2	9-4-90
72.	" जैनिथ इलेक्ट्रोनिक्स	5	काम नहीं
73.	" चौधरी इन्जीनियरिंग वर्क्स	4	7-4-90
74.	" तारा कंस्ट्रक्शन	6	9-4-90
75.	" जी० एन० सरकार	5	10-4-90
76.	" कलकत्ता रेफ्रिजरेटर	10	9-4-90
77.	" बिश्वकर्मा इन्जीनियरिंग कं०	5	काम नहीं
78.	" रवेन्द्र एंड संस	6	9-4-90
79.	" टी० एंड एम० कंस्ट्रक्शन	3	9-4-90
80.	" पी० बी० जे० कंस्ट्रक्शन	3	काम नहीं
81.	" भारती कंस्ट्रक्शन वर्क्स	10	19-3-90
82.	" सन्जु कंस्ट्रक्शन	2	काम नहीं
83.	" ए० के० सिंह	6	7-4-90
84.	" एस० के० इन्टरप्राइसेस	4	5-4-90
85.	" भिमानी कंस्ट्रक्शन	4	6-4-90
86.	" यू० एस० इन्टरप्राइसेस	5	7-4-90
87.	" मां तारा कंस्ट्रक्शन	2	6-4-90
88.	" बी० बी० सिंह	2	7-4-90
89.	" के० एस० ई० पी० सिन्दरी	3	7-4-90
90.	" गणेश टिम्बर	3	6-4-90
91.	" उमाशंकर प्रसाद एंड कं०	3	6-4-90

1	2	3	4
92.	मै० के० पी० श्रीवास्तव	2	7-4-90
93.	" गुप्ता इन्टरप्राइसेस	3	6-4-90
94.	" बिरेन्द्र कुमार सिंह	5	काम नहीं
95.	" चित्रागुप्ता इन्जीनियरिंग वर्क्स	2	4-4-90
96.	" लाल बाबा	5	5-4-90
97.	" एम० ए० कंस्ट्रक्शन	6	4-4-90
98.	" निकुबा एंड कं०	3	6-4-90
99.	" देश राज एंड कं०	107	3-4-90
100.	" बाबू राम एंड कं०		
101.	" प्रेम नाथ सोन्द्री		
102.	" अग्रवाल रोडवेज		
103.	" रानी शती कैरियर		
104.	" जिन्दल रोडवेज		
105.	" दे इन्टरप्राइसेस	2	4-4-90
106.	" सिंह इन्टरप्राइसेस	2	9-4-90

टिप्पणी : जिन ठेकेदारों के समक्ष "काम नहीं" उल्लिखित है उन्हें मार्च महीने के दौरान कोई कार्य आबंटित नहीं किया गया था।

प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड (पी० डी० आई० एल०)

क्रमांक	ठेकेदारों के नाम	कर्मकारों की संख्या
1	2	3
1.	मैसर्स जलेश्वर प्रसाद एंड कं०	9-4-90 से प्रारम्भ*
2.	" राय कंस्ट्रक्शन	9-4-90 से प्रारम्भ*
3.	" एम० ए० कंस्ट्रक्शन	1-5-90 से प्रारम्भ*
4.	" शिव शकरे प्रसाद सिंह	5
5.	" चक्रबोर्टी एंड कं०	3
6.	" हिन्दुस्तान ट्रेडर्स	13
7.	" सिन्हा इन्टरप्राइसेस	4
8.	" शम्भू नाथ सिंह	8

1	2	3
9.	मै० भोजपुर कंस्ट्रक्शन	3
10.	" सागर इन्टरप्राइसेस	28
11.	" अरुण कुमार श्रीवास्तव	4
12.	" जैस इन्जीनियरिंग कंस्ट्रक्शन	5
13.	" मुनेश्वर सिंह	4
14.	" न्यू यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन	5
15.	" एच० के० कंस्ट्रक्शन	14
16.	" बिरेन्द्र कुमार सिंह	6

* चूंकि ठेकेदारों को हाल ही में नियुक्त किया गया था, इसलिए उनसे श्रमिकों की संख्या से संबंधित ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन विकास मार्ग के लिए नया डाक डिलीवरी जोन खोलना

9200. **श्री कृपाल सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन, विकास मार्ग, नई दिल्ली के लिए नया डिलीवरी जोन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में किसी डिलीवरी जोन को हाल में नई दिल्ली जोन में बदला गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की विकास परियोजनायें

9201. **श्री वसंत साठे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपनी विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और प्रशासनिक/तकनीकी मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर० सी० एफ०) ने अपनी विकास परियोजनाओं के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी है। तथापि, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं :—

(1) थाल में 81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला मेथानोल संयंत्र।

(2) थाल में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1350 टन प्रतिदिन क्षमता के अमोनिया की तीसरी ट्रेन।

(3) त्रिपुरा में 126.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर त्रिपुरा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन तथा ओ० एन० जी० सी० के सहयोग से 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाले मेथानोल प्रोजेक्ट की स्थापना जिसमें आर० सी० एफ० की साम्य सहभागिता 16 करोड़ रुपये होगी।

(4) 45 करोड़ रुपये की लागत पर वर्तमान अमोनिना, यूरिया एवं डी० ए० पी० संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु मैसर्स मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ सहयोग।

ये प्रस्ताव परीक्षण के प्रारम्भिक चरण में हैं तथा जब तक परीक्षण समाप्त नहीं हो जाता है तब तक परियोजनाओं के समाप्त होने का समय नहीं बताया जा सकता।

केरल में "फैक्स" सुविधा

9202. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में "फैक्स" सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा से केरल में किन-किन स्थानों को जोड़ा गया है; और

(ग) किन-किन दक्षिण राज्यों में "फैक्स" सुविधा उपलब्ध है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। केरल के केन्द्रीय तारघर से ब्यूरो फैक्स सुविधाएं प्रदान की गई हैं। टेलीफोन उपभोक्ता भी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित लाइसेन्स शुल्क का भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के केन्द्रीय तारघरों में भी ब्यूरो फैक्स सुविधा उपलब्ध है।

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के चार दक्षिणी राज्यों सहित संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के केन्द्रीय तारघरों में भी ब्यूरो फैक्स सुविधा उपलब्ध है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपने बेड़े में बढ़ाए गए पोत

9203. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय नौवहन निगम ने अपने बेड़े में कितने पोत और बढ़ाए हैं; और

(ख) इनमें से कितने पोत विदेशी तथा देश के ही शिपयार्डों से खरीदे गए तथा इनके स्रोत, लागत और कुल भार क्षमता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने वर्ष 1989-90 के दौरान दो बल्क कैरियर्स प्राप्त किए थे।

(ख) दोनों जहाज हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम से लिए गए थे। प्रत्येक जहाज की क्षमता 26450 डी० डब्ल्यू० टी० है। पहले जहाज की कीमत 21.17 करोड़ रु० तथा दूसरे जहाज की कीमत 22.53 करोड़ रु० है।

सड़क परिवहन बसों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने के लिए केरल सरकार का अनुदान के लिए अनुरोध

9204. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग की है ताकि पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद राज्य सड़क परिवहन की बसों के यात्री भाड़े की वर्तमान दर को बरकरार रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो दिए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

असम जातीयतावादी छात्र परिषद से प्राप्त ज्ञापन

9205. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद से, हाल ही में, कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद की तरफ से दिनांक 2 जनवरी, 1990 का उनका एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य रूप से असम समझौते के कार्यान्वयन, असम सहित सभी राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करना, संविधान में दोहरी नागरिकता की अवधारणा को शामिल करने तथा असम में इनर-लाइन परमिट सिस्टम शुरू करने की मांगें उठाई गई हैं।

(ग) असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार वचनबद्ध है तथा इस दिशा में समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में की गई प्रगति की भी देश के संघीय ढांचे के अन्तर्गत समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राज्यों को संविधान के उपबंधों के अनुसार शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। असम में इनर-लाइन परमिट शुरू करने के प्रश्न पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

9206. **प्रो० के० पी० थामस :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की राज्यवार संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की 1-1-1990 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1-1-90 की स्थिति के अनुसार भा०पु०से० के अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	165
2.	अरुणाचल प्रदेश-गोआ-मिजोरम-केन्द्र शासित क्षेत्र	110
3.	आसाम-मेघालय	120
4.	बिहार	195
5.	गुजरात	119
6.	हरियाणा	86
7.	हिमाचल प्रदेश	61
8.	जम्मू एवं कश्मीर	64
9.	कर्नाटक	110
10.	केरल	101
11.	मध्य प्रदेश	247
12.	महाराष्ट्र	177
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	75
14.	नागालैंड	22
15.	उड़ीसा	113
16.	पंजाब	103
17.	राजस्थान	128
18.	सिक्किम	18
19.	तमिलनाडु	134

1	2	3
20.	उत्तर प्रदेश	321
21.	पश्चिम बंगाल	225
	जोड़	2694

गुजरात में विद्रोही तत्वों की घुसपैठ

9207. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में उग्रवादी तथा विद्रोही तत्व जामनगर के साथ लगे समुद्री क्षेत्र को पार करके गुजरात के छ: शहरों में घुस आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उत्पादन

9208. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के अन्त में नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त उर्वरकों का लगभग कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) 8वीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, योजना आयोग द्वारा स्थापित उर्वरकों के कार्यकारी दल ने, 8वीं योजना के अन्तिम वर्ष में 89 लाख टन नाइट्रोजन और 32 लाख टन फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) हमारी नीति, जैसा कि पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में परिलक्षित किया गया है, नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में अधिकतम सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। जहां नाईट्रोजन के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि 8वीं योजना के दौरान मांग का 90% स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरा किया जाएगा वहां फास्फेट के मामले में घरेलू कच्चे माल की कठिनाई उत्पादन में आत्म-निर्भरता को नहीं प्राप्त होने देती। जहां तक पोटाश का सम्बन्ध है सम्पूर्ण आवश्यकताओं को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। नाईट्रोजनी उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए कार्यकारी दल ने एच० बी० जे० पाइप लाइन पर तीन बृहद आकार के गैस आधारित, अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना का सुझाव दिया है।

फास्फेटिक उर्वरकों के मांग पूर्ति अन्तर को कम करने के लिए, कार्यकारी दल ने, पी 2 ओ 5 के रूप में 4.5 लाख टन कुल क्षमता के डी० ए० पी० संयंत्रों और पी 2 ओ 5 के रूप में 1.5 लाख टन कुल क्षमता के नाइट्रो-फास्फेट संयंत्रों को, स्थापित करने का सुझाव दिया है।

रेस कोर्स, नई दिल्ली स्थित प्रधान मंत्री आवास पर सुरक्षा प्रबंधों पर व्यय

9209. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली स्थित प्रधान मंत्री आवास पर अपेक्षित सुरक्षा प्रबन्ध कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) रेस कोर्स रोड हाउस में तैनात एस० पी० जी० तथा एस० डी० जी० कार्मिकों पर प्रति माह 1,90,000 रु० का व्यय होता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर बाई-पास का निर्माण

[हिन्दी]

9210. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली जिले के फरीदपुर और भीरगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए इस सड़क पर बाई-पास बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राज्य प्राधिकारियों ने, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के इस खंड में बरेली के चारों ओर बाई-पास की आवश्यकता परियोजित की है। बाई-पास की आवश्यकता को अभी प्रमाणित किया जाना है।

केरल में नारियल उत्पादकों से ज्ञापन

[अनुवाद]

9211. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल उत्पादकों से उनको हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	अभ्यावेदन में उठाया गया मुद्दा	सरकार की प्रतिक्रिया तथा की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	जड़ मुरझान रोग तथा नारियल के पेड़ों पर प्रभाव डालने वाले अन्य रोगों के कारण नारियल उत्पादकों के सामने आए संकट।	उन्नत कृषि वैज्ञानिक उपायों सहित नारियल उद्यानों का बेहतर प्रबंध जड़ मुरझान रोग की विषाक्तता पर काबू पाने वाला तथा रोगग्रस्त पेड़ों की उत्पादकता को अपेक्षाकृत अधिक बनाए रखने वाला पाया गया है। नारियल विकास बोर्ड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "उत्पादकता में सुधार के लिए केरल में नारियल की लघु जोतों में समेकित खेती" की एक योजना शुरू की है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखी जा रही है। पत्तियों को विकृत करने वाले (लीफ राट), कलियों को विकृत करने वाले (बड राट), तना सुखाने वाले (स्टेम ब्लीडिंग) आदि जैसी दूसरी बीमारियों के बारे में प्रभावशाली नियन्त्रण उपाय खोजे गए हैं तथा किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए सिफारिश की गई है।
2.	नारियल के तेल के आयात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना।	नारियल के तेल का आयात, आयात-निर्यात नीति 1988-91 के भाग-ख परिशिष्ट 5 के क्रम सं० 5 पर की गई प्रविष्टि के अनुसार भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा हिंदुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के माध्यम से किया जाता है। आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अन्तर्गत नारियल के तेल की आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत वसायुक्त एसिड/वसायुक्त एमिन्स के निर्यात के बदले में समग्र आयात प्रतिपूर्ति दर के 20% के भीतर 50% तक की सीमा तक नारियल के तेल के आयात की अनुमति है। इसके अतिरिक्त आयात नीति में निर्यात मद के बदले में आयात करने के लिए कोई अन्य उपबन्ध नहीं है।
3.	नारियल को तिलहन घोषित करना।	यद्यपि, नारियल एक तिलहन ही है, तथापि वानस्पतिक तौर पर, बारहमासा बागान फसल के तौर पर नारियल का विशेष स्वरूप होने के कारण उस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए, भारत सरकार ने नारियल के विकास संबंधी कार्यभार अलग से गठित नारियल विकास बोर्ड को सौंपा है। भारत सरकार ने नारियल के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया है, इस तथ्य की जांच 14.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फैले नारियल बागान के लिए सातवीं योजना में निर्धारित 7.38 करोड़ रु० के परिव्यय से की जा सकती है। इस प्रकार, नारियल पर प्रति हैक्टेयर निवेश 49.00 रु० प्रति हैक्टेयर

1	2	3
		बैठता है। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान, परम्परागत तिलहनों पर सरकार द्वारा किया गया निवेश 26 रु० प्रति हैक्टेयर है। भारत सरकार ने 71.73 करोड़ रुपए की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से केरल में नारियल विकास के लिए 92.4 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना भी तैयार की है। इस आशय के करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इससे यह पता चलता है कि नारियक को तिलहन घोषित न करने के बावजूद भी भारत सरकार ने इसके विकास के लिए विशेष कदम उठाए हैं और उन्हें जारी रखेगी।
4.	नारियल को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए।	इस समय नारियल को बृहत फसल बीमा योजना से अंतर्गत शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि क्षेत्र-दर-क्षेत्र के आधार पर उपज आदि का कोई मानकीकरण नहीं किया गया है जैसा कि दूसरी वार्षिक फसलों के लिए किया जाता है।
5.	नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधियों को नारियल विकास बोर्ड में शामिल किया गया।	नारियल विकास बोर्ड में नारियल उत्पादकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसमें दो प्रतिनिधि केरल से तथा एक-एक कर्नाटक तथा तमिलनाडु से हैं। बोर्ड में कुल 23 सदस्य हैं जिनमें से 4 नारियल उत्पादक हैं।
6.	मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय।	राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों ने केरल राज्य में मिट्टी के कटाव की समस्या का सामना करने के लिए कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित मृदा तथा जल संरक्षण योजना के अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना में कुंडा स्रवण क्षेत्र में 1989-90 तक 764 लाख रुपए की लागत से 0.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सुधारा गया है। यह कार्यक्रम 1990-91 के दौरान भी जारी रहेगा तथा 1800 हैक्टेयर क्षेत्र को सुधारने के लिए 125 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार मृदा तथा जल संरक्षण क्षेत्र के अन्तर्गत पांच कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सातवीं योजना के दौरान केरल सरकार का परिव्यय 70.5 करोड़ रुपए था तथा 0.81 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सुधारा गया था।
7.	उत्तम क्वालिटी के बीज और पौधों का वितरण।	नारियल विकास बोर्ड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं :— 1. टी × डी संकर किस्मों का उत्पादन और वितरण। 2. केरल में डी × टी संकर किस्मों के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यान की स्थापना।

1	2	3
		3. बोर्ड के मुख्यालय से सम्बद्ध बीज अधिप्राप्ति इकाई की स्थापना । 4. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और त्रिपुरा में प्रदर्शन और बीज उत्पादन फार्मों के साथ सम्बद्ध नारियल नर्सरी की स्थापना । 5. तमिलनाडु में संकर बीज उद्यान और संकर किस्मों की जांच करने वाले 12 प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना । यह कार्यक्रम न लाभ न हानि के आधार पर कड़ाई के साथ कार्यान्वित किया जाएगा ।
8.	किसानों को उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के लिए 50% राज सहायता ।	नारियल विकास बोर्ड ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रियायती मूल्यों के आधार पर या संस्थागत ऋणों को देकर उर्वरकों का विवरण शामिल है । उत्पादकता बढ़ाने के लिए केरल में नारियल की छोटी जोतों में समेकित खेती की योजना के अन्तर्गत रोपण सामग्री, पम्प सेटों, बहु-फसली खेती हेतु राजसहायता प्राप्त सप्लाई के अलावा उर्वरक आदान के लिए 1400 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से तीन वर्ष के लिए ऋण सुविधाएं भी दी जाती हैं । इसी प्रकार, नारियल के लिए पैकेज योजना के अन्तर्गत संस्तुत कार्य हैं—सिंचाई, खाद, तुरन्त पौध रक्षण उपाय और अन्तर फसल । प्रत्येक प्रदर्शन प्लाट की लागत 360 रु० से 480 रुपए निकाली गई है । लगातार तीन वर्षों के लिए 250 रुपए प्रति प्रदर्शन प्लाट प्रति वर्ष की समान राजसहायता दी जाती है । उर्वरकों को सारी संस्तुत मात्रा पर राजसहायता आंशिक रूप से सामग्री के रूप में दी जाती है तथा बाद में अन्य संचालन खर्चों का वहन करने के लिए नकद राजसहायता दी जाती है ।
9.	किसानों को ऋण पर ब्याज रूपी राजसहायता ।	कृषि क्षेत्र में ब्याज की दरें पहले ही रियायती हैं । जहां तक लम्बी अवधि का संबंध है लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के लिए छोटे और बहुत छोटे किसानों से 10% की दर से ब्याज लिया जाता है । अन्य प्रयोजनों के लिए और अन्य किसानों के लिए लंबी अवधि हेतु 12.5% की दर से ब्याज लिया जाता है ।
10.	नारियल विकास बोर्ड के अन्तर्गत नारियल के रोगों का मुकाबला करने के लिए सभी अनुसंधान और अन्वेषण का समन्वय	देश में सभी कृषि और बागवानी फसलों संबंधी अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है । नारियल विकास बोर्ड का मूल संबंध नारियल संबंधी विकास कार्यों से है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान देश में नारियल पर अनुसंधान के लिए जिम्मेवार है तथा अनुसंधान के समन्वय का कार्य करने की जिम्मेदारी भारतीय

1	2	3
	किया जाए और हवाई छिड़काव सहित सभी स्थानों पर मुफ्त छिड़काव हो।	कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत नारियल आदि के पेड़ों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की है। अनुसंधान के परिणाम राज्य सरकारों तथा नारियल विकास बोर्ड को भेज दिए जाते हैं जो अनुसंधान के इन परिणामों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं बनाते हैं।
11.	एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए नारियल के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए कदम।	नारियल विकास बोर्ड ने जो विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं उनके अन्तर्गत सिंचाई कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। इस प्रयोजन के लिए एक स्वतन्त्र एजेन्सी गठित करना जरूरी नहीं समझा जाता।
12	नारियल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु उत्पादों में विविधता लाना।	नारियल विकास बोर्ड ने अनेक टेक्नोलॉजिकल कार्यक्रम प्रायोजित किए हैं तथा इस प्रकार विकसित टेक्नोलॉजियां उद्यमियों के लाभ के लिए प्रायोजिक तौर पर परखी जा रही हैं। प्राथमिक परि-संस्करण और विपणन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
13.	खोपरा के समर्थन मूल्य में वृद्धि करके उसे 2000 रुपए प्रति क्विंटल करना।	खोपरा के समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और आदानों के मूल्यों में वृद्धि के रुख को, विभिन्न कृषि जिंसों के चल रहे मूल्यों, खाद्य तेलों के बारे में समग्र नीति तथा विभिन्न तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
14.	नैफेड को खोपरे की अधिकतम खरीद करनी चाहिए।	मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत, नामजद एजेन्सियां—नैफेड और केराफेड मूल्यों के सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के मुकाबले कम होते ही खोपरा की खरीद करते हैं।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन में श्रमिकों में असन्तोष

9212. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन में श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन के श्रमिकों और स्टाफ के एक वर्ग की ओर से उठाई गई मांगों पर, प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों तथा स्टाफ के प्रतिनिधियों के साथ, समय-समय पर, विचार किया गया। जनवरी, 1989 से सात बार विचार-विमर्श किया गया और विभिन्न विषयों पर 21 मांगें निपटाई गईं।

कश्मीर के मामले पर सोवियत संघ और जापान का दृष्टिकोण

9213. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ और जापान ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को कश्मीर का मामला समझौते के तथ्य और भावना के अनुसार सुलझाने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) 13 अप्रैल, 1990 को सोवियत संघ की सरकार ने एक बयान में शिमला समझौते के आधार पर शांतिपूर्ण तथा राजनैतिक बातचीत का आह्वान किया था। 17 अप्रैल, 1990 को जारी एक वक्तव्य में जापान सरकार ने यह आशा व्यक्त की थी कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें संयम से काम लेंगी तथा इस मामले को शिमला समझौते के आधार पर शांतिपूर्वक बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश करेंगी।

तथापि, पाकिस्तान शिमला समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करके निरंतर कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश कर रहा है। वह मतभेदों को दूर करने और स्थिति को सुधारने के के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त तो बार-बार करता आया है लेकिन भारत के विरुद्ध विध्वंसकारी और आतंकवादी गतिविधियों को बराबर समर्थन दे रहा है।

बिहार के पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

9214. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रक्सौल, नरकटियागंज, रामनगर, बेतिया, लोरिया, रामगरवा एक्सचेंजों को वर्तमान एस० ए० एक्स० और मैनुअल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों को बदलने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, सिवाय बेतिया एक्सचेंज के जिसे अभी हाल के वर्षों में संस्थापित किया गया है।

(ख) एक्सचेंज को बदलने का कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

स्थान का नाम	मौजूदा एक्सचेंज	संस्थापित किए जाने वाले एक्सचेंज की किस्म	बदली करने का योजना वर्ष
1	2	3	4
(i) रक्सौल	मैनुअल	512 पी आई एल टी	1991-92

1	2	3	4
(ii) नरकटीगंज	50 लाइन एम ए एक्स-III	128 पोर्ट सी-डॉट	1990-91
(iii) रामनगर	100 लाइन एम ए एक्स-III	128 पी सी डॉट आर ए एक्स	1990-91
(iv) रामगरवा	25 एल एम ए एक्स-III	64 पी एम आई एल टी	1990-91

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना उपस्कर के समय पर मिलने पर निर्भर करेगा।

बेतिया, बिहार में टेलीफोन मंडल का मुख्यालय

9215. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और पश्चिम चम्पारन के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को छपरा में मंडल मुख्यालय पहुंचने में बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां से छपरा जाने के लिए कोई सीधी परिवहन/रेल सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का पूर्व और पश्चिम चम्पारन जिलों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए बेतिया में एक मंडलीय मुख्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यद्यपि पूर्व और पश्चिम चंपारन से छपरा तक रेल संपर्क उपलब्ध नहीं है तथापि सड़क संपर्क विद्यमान है।

(ख) और (ग) फिलहाल मोतीहारी के गौण स्विचिंग क्षेत्र (एस एस ए) के वर्तमान कार्य-भार से बेतिया में मुख्यालय बनाकर अलग टेलीफोन जिले का औचित्य नहीं बनता है।

भारत-नेपाल संबंध

9216. **श्री ए० विजय राघवन** :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में बदली हुई स्थिति को देखते हुए सरकार का नेपाल के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में नेपाल सरकार से कोई नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने नेपाल में एक नई सरकार की स्थापना का हार्दिक स्वागत किया है जिसे एक संवैधानिक राजतंत्र के अन्तर्गत एक बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रादेश प्राप्त हुआ है। हम यह कामना करते हैं कि नेपाल के लोग अपनी

आकांक्षाएं प्राप्त करने में पूरी तरह सफल हों तथा हम उन्हें पूरी सहानुभूति और समर्थन देने को भी तत्पर हैं ।

भारत नेपाल के साथ परम्परागत और अपनी तरह के अत्यन्त निकट संबंधों को बहुत महत्व देता है और इन्हें अपनी संपूर्णता में पुनः प्रतिष्ठित करने की हृदय से कामना करता है । बल्कि इससे भी आगे इन्हें सभी क्षेत्रों में और अधिक गहन और अधिक मजबूत करना चाहता है ।

अतः सरकार भारत और नेपाल के बीच के सभी अनसुलझे मसलों के शीघ्र और व्यापक समाधान को उच्च प्राथमिकता देती है । हम आश्वस्त हैं कि अगर दोनों ओर सद्भाव हो और दोनों एक-दूसरे की आवश्यकताओं और चिन्ताओं को समझें और सराहें तो परस्पर स्वीकार्य समाधान निकल सकता है । इसके लिए हमारी सरकार नेपाल की सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगी ।

(ख) और (ग) नेपाल के प्रधान मन्त्री श्री के० पी० भट्टाराई ने 30 अप्रैल, 1990 को हमारे प्रधान मन्त्री को लिखा था । उनके प्रस्तावों का पूरी सावधानी के साथ अध्ययन किया जा रहा है ताकि दोनों पक्ष जिस तरह के परस्पर स्वीकार्य और परस्पर लाभप्रद संसाधनों की तलाश में हैं उनकी ओर अग्रसर होने का सर्वोत्तम मार्ग तय किया जा सके ।

नई कश्मीर नीति

9217. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**
श्री सुधीर गिरि :
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान और वहां उग्रवाद की समस्या का तात्कालिक समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा कोई नई काश्मीर नीति बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं और यह नीति कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए कश्मीर समस्या की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा उससे निपटने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं ।

बीजिंग में खाद्य और कृषि संगठन का सम्मेलन

9218. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1990 के दौरान बीजिंग में हुए खाद्य और कृषि संगठन के सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में चर्चा के मुख्य विषय क्या थे और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या उसमें भारतीय शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। उप-प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री ने 23-27 अप्रैल, 1990 को बीजिंग, चीन में हुए खाद्य और कृषि संगठन के एशिया और प्रशान्त के लिए 20वें क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

(ख) इस सम्मेलन में, इस क्षेत्र में 1988-89 के दौरान खाद्य और कृषि संगठन के कार्यकलापों की समीक्षा के अलावा, जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई वे हैं—पोषणिक कमियां दूर करना, फसलों और पशुओं के उत्पादन हेतु बायोटेक्नोलाजी की प्रगति और सम्भावनाओं, अन्तरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकारी दल में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए पौध रक्षण करार में चीन की सदस्यता।

इस सम्मेलन में इस क्षेत्र में खाद्य और कृषि संगठन के कार्यकलापों और कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों का चयन किया गया; पोषणिक कमियां दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सदस्य सरकारों को जोर देकर कहा गया; उचित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम और बायोटेक्नोलाजी के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने तथा सदस्य देशों के बीच अपने अनुभवों तथा टेक्नोलाजियों का हिस्सा बांटने के लिए बेहतर सहयोग के लिए सिफारिशें कीं। सम्मेलन ने 1991-94 के चार सालों की अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शदायी दल में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत और सोमाया का चुनाव भी किया। इस सम्मेलन द्वारा चीन को इस क्षेत्र के लिए पौध रक्षण करार के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(ग) और (घ) भारतीय शिष्टमंडल द्वारा दिए गए निम्नलिखित प्रस्ताव सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिए गए :—

(1) सम्मेलन की अध्यक्षता के लिये चीनी कृषि मन्त्री की उम्मीदवारी;

(2) चीन को इस क्षेत्र के लिए पौध रक्षण करार का सदस्य बनाने की अनुमति देने के लिए संकल्प को सह-प्रायोजित करना;

(3) खाद्य और कृषि संगठन का अगला क्षेत्रीय सम्मेलन 1992 में भारत में आमन्त्रित करने का प्रस्ताव।

आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के उपायों की संवीक्षा

9219. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**
श्री जी० एस० बासवराज :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे उपायों की संवीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों की छानबीन कर और चलती गाड़ियों और बसों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सहित कुछ एक विक्षुब्ध क्षेत्रों में बिगड़ती हुई स्थिति का मूल्यांकन करने और सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई और समय-समय पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में नियमित आधार पर उपायों और सुझावों को प्राप्त करने के लिए एक अन्तःमन्त्रालयीय सलाहकार ग्रुप का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे विभिन्न उपाय निकालें और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के ठोस उपायों को अपनाएं। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता देती हैं।

गेहूं के उत्पादन में कमी

9220. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा हाल में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि गेहूं के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में 1971-72 की तुलना में वर्ष 1981-82 में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो प्रति हैक्टेयर गेहूं के उत्पादन में कमी आने के क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री द्वारा शुरू किए गए हाल ही के अध्ययन के अनुसार, गेहूं की खेती से प्रति हैक्टेयर निवल आय 1971-72 की तुलना में 1981-82 में कम हुई है।

(ख) गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से किसी में भी प्रति हैक्टेयर गेहूं की पैदावार में कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ, उत्पादकता में वृद्धि रही है।

(ग) गेहूं की खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए स्थान विशेष अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों के प्रचार, उन्नत टेक्नोलाजी को लागू करने तथा आदानों के कुशल उपयोग के जरिए उत्पादकता के स्तरों में और वृद्धि करने के वास्ते प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार गेहूं की खेती पर किसानों के लिए अच्छा लाभ सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन प्रक्रिया के जरिए विभिन्न कदम भी उठा रही है।

अंगूर उत्पादक राज्य

9221. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अंगूर उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस वर्ष अंगूर की अच्छी फसल हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत इन राज्यों से अंगूरों की खरीद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) अंगूर की खेती मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हरियाणा और पंजाब में अंगूर की खरीद के लिए मंडी में हस्तक्षेप करने की एक योजना आरम्भ की गई है। आरम्भ राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को संबंधित राज्यों के कृषि-उद्योग निगमों के साथ मिलकर अंगूर की खरीद करने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में नामजद किया गया है। मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के फलस्वरूप होने वाली हानि का वहन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के आधार पर किया जाएगा। "ए" ग्रेड और "बी" ग्रेड के लिए क्रमशः 3.00 रुपये और 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य निर्धारित किया गया है। पंजाब और हरियाणा में खरीद के लक्ष्य क्रमशः 2000 और 1500 मीटरी टन रखे गये हैं। यह योजना 15-5-1990 से जून, 1990 के अन्त तक चलेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

9222. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अब तक कितने व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सूचना का एक विवरण संलग्न है।

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान वास्तविक रूप से गिरफ्तार तथा छोड़े गए व्यक्तियों की (राज्य-वार) संख्या—

क्र०सं०	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	1987		1988		1989	
		वास्तविक रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या	वास्तविक रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या	वास्तविक रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	—	—	4	1	1
2.	असम	—	—	—	—	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8
3. बिहार	4	9	5	4	14	11
4. गुजरात	24	44	91	81	4	14
5. हरियाणा	—	—	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7. कर्नाटक	—	—	—	—	2	—
8. मध्य प्रदेश	121	118	141	109	236	265
9. महाराष्ट्र	284	462	214	230	233	250
10. मणिपुर	33	37	5	33	6	3
11. मेघालय	11	—	—	11	—	—
12. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
13. उड़ीसा	40	29	41	45	21	25
14. पंजाब	272	176	145	276	35	62
15. राजस्थान	77	71	8	24	23	29
16. तमिलनाडु	5	15	217	169	13	53
17. त्रिपुरा	—	—	4	7	—	—
18. उत्तर प्रदेश	225	239	156	196	152	168
19. सिक्किम	—	5	—	—	—	—
20. गोवा	9	8	—	—	2	3
21. मिजोरम	16	4	—	16	—	—
22. अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—
23. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
24. दिल्ली	5	7	11	8	10	7
जोड़	1130	1224	1038	1213	752	891

टिप्पणी : जम्मू तथा कश्मीर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 लागू नहीं है। केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दादरा तथा नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उपबन्धों को लागू नहीं किया है।

राष्ट्रीय मत्स्य निगमन की स्थापना

9223. **श्री अम्बारासु इरा :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्रीय मत्स्यन निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब स्थापित किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर के कर्मचारियों को दिए गए आश्वासन को लागू करना

9224. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर के उन कर्मचारियों की जो इस समय दिल्ली में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, रक्षा, सुरक्षा और रोजगार-संभावनाओं के बारे में कुछ आश्वासन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आश्वासनों को कार्यान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) दिल्ली में उन शिविरों को सुरक्षा प्रदान की गई है जिनमें कश्मीर घाटी के आप्रवासी ठहरे हुए हैं। एच० एम० टी०, श्रीनगर के किसी आप्रवासी कर्मचारी को वैकल्पिक रोजगार का आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में हथियार और गोलाबारूद जब्त किया जाना

9225. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में 18 अप्रैल, 1990 को "उरी" में भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जब्त किए गए गए हथियारों और गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जब्त किए गए हथियार और गोला बारूद का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) ए० के०-47 राईफल्स	—	6
(ii) पिस्तौल	—	15
(iii) हलगोले	—	27
(iv) एन्टी पर्सनल माईन्स	—	19
(v) गोला-बारूद	—	1810 राउण्ड
(vi) मैगजीन्स	—	23
(vii) डैटोनेटर	—	44

(ग) 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

9226. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और कृषि संगठन के बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983 से कार्यान्वित की जा रही "समुद्री मछुआरों के बच्चों को अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा" प्रायोगिक परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं और इनमें से प्रत्येक में अब तक कितने विद्यार्थियों के नाम दर्ज किए गए हैं;

(ग) खाद्य और कृषि संगठन से अब तक मिली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम का विविधीकरण किया जा रहा है और दानकर्ता एजेंसी नार्वेजियन एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा दी जाने वाली राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और राशि शीघ्र जारी करवाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए एक गैर-औपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार करके प्रदर्शित करने के लिए उड़ीसा में 1983-86 के दौरान खाद्य और कृषि संगठन के बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम द्वारा मछुआरों के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा पर एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई थी। शैक्षिक पाठ्यक्रम और सामग्री तैयार की गई थी और पुस्तिकाओं के उपयोग में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं चलायी गयीं। बालासौर (19), कटक (5), पुरी (8) तथा गंजम (8) में कुल मिलाकर 40 केन्द्र खोले गए थे। कुल 1100 छात्रों को प्रवेश दिया गया था। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम में शामिल कार्यकलाप थे—शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेषज्ञ से तकनीकी सलाह; एक राष्ट्रीय परामर्शदाता की सेवाएं, पाठ्यक्रम और सामग्री तैयार करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन, अध्यापकों को मानदेय देना, इस कार्यक्रम का समन्वयन और मानिटरिंग आदि।

(घ) और (ङ) उड़ीसा में 145.35 लाख रुपए की लागत से समुद्री मछुआरों के बच्चों के लिए 100 गैर-औपचारिक प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार से प्राप्त

हुआ प्रस्ताव फरवरी, 1988 में नार्वे की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया था। नार्वे के प्राधिकारियों ने बताया कि भारतीय नार्वेजियन सहयोग की समीक्षा के कारण वे इस परियोजना के लिए कोई सहायता के वास्ते कोई वचन देने की स्थिति में नहीं हैं।

सड़क निर्माण परियोजना के लिए उड़ीसा को सहायता

9227. **श्री अनादि चरण दास :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी उड़ीसा उन इने-गिने राज्यों में से एक है जो सड़कों के रखरखाव और अत्याधुनिक मशीनों तथा उपकरणों के उपयोग के मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे है;

(ख) क्या सरकार निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने और ठीक समय पर परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त आधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद में उड़ीसा की सहायता करने के किसी प्रस्ताव की जांच कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) भिन्न-भिन्न राज्यों में सड़कों के अनुरक्षण के स्तर और परिष्कृत मशीनों एवं उपकरणों के उपयोग का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। उड़ीसा राज्य के पास इस समय केन्द्रीय निधियों में से खरीदी गई विभिन्न प्रकार की 92 मशीनें हैं। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण की मशीनों में बढ़ोतरी के लिए उड़ीसा सरकार को 135.051 लाख रु० की ऋण सहायता दी गई है। उड़ीसा सरकार को, राज्य में राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए परिष्कृत मशीनें खरीदने के वास्ते यथा अपेक्षित ऋण सहायता हेतु और प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है। निर्माण की गुणवत्ता में सुधार लाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु ठेकेदारों को परिष्कृत मशीनें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई है।

राजागोपालन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

9228. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1978 में कोल फील्ड्स माफिया के बारे में गठित राजागोपालन समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अनुवर्ती कार्रवाई तथा सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

धनबाद क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु श्री पी०आर० राजगोपाल की सिफारिशों तथा इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई।

क्र०सं०	सिफारिश	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	धनबाद जिले में सड़कों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।	धनबाद जिले में सड़कों का निर्माण करने, उनको बेहतर तथा मजबूत बनाने हेतु एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसे सीमा सड़क संगठन तथा राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
2.	बिजली की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	कोयला खानों में बिजली की उपलब्धता को बेहतर बनाने हेतु कोयला खानों को बिजली की आपूर्ति करने, वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने, विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने इत्यादि को उच्चतर प्राथमिकता देने सहित कई कदम उठाए गए हैं।
3.	विभिन्न क्षेत्रों में रोशनी तथा फेंसिंग की व्यवस्था को बेहतर बनाकर कोयले की चोरी रोकने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।	पिटहेड्स तथा रेलवे साइडिंग के पास स्थित सभी कोयला डिपो के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इनमें फाटकों तथा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैयार किया जाएगा। कोयलांचल की परिधि में 5 कोल डंप्स का निर्माण, कोलियरी से 8 कि०मी० की परिधि के भीतर सभी निजी कोल डिपो के लाइसेंसों को रद्द करना, कर्मचारियों को घरेलू कोयले के वितरण को बेहतर ढंग से विनियमित करना तथा शहर में आम जनता को कोयले की आपूर्ति हेतु लाइसेंसशुदा कोयला डिपो खोलना, कुछ अन्य ऐसे कदम हैं जिनसे कोयलांचल में कोयले की चोरी को रोका जा सकेगा।
4.	कोयला तथा रेत को लाने और ले जाने का विभागीकरण।	इस सिफारिश को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।
5.	सॉफ्ट कोक तथा हार्ड कोक दोनों ही के बिक्री तथा उत्पादन संबंधी कोयले के निजी व्यापार को रोका जाए।	बी० सी० सी० एल०, धनबाद जिले में केवल उन्हीं उपभोक्ताओं/व्यापारियों को कोयले/सॉफ्ट कोक की आपूर्ति कर रहा है जिन्हें जिले के प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। सॉफ्ट कोक का उत्पादन करने हेतु धनबाद जिले में किसी को भी कोयला नहीं बेचा जा रहा है।

1	2	3
6.	कोयले की डिलीवरी के औद्योगिक अधिकारियों द्वारा झूठे फर्मों को प्रमाण-पत्र जारी करने के मामलों की जांच की जाए।	राज्य सरकार से आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इस संबंध में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
7.	बी०सी०सी०एल० की सेल्स विंग तथा लेडिंग विंग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता।	लोडिंग में होने वाली अड़चनों को दूर करने हेतु कार्रवाई की गई है तथा तोलसेतुओं की संख्या में वृद्धि की गई है।
8.	अवैध खनन को रोका जाए तथा खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम को लागू करने वाली एजेंसी को विनिर्दिष्ट किया जाए।	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत अवैध खनन एक संज्ञेय अपराध है तथा अवैध खनन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस मामला दर्ज करती रही है।
9.	खनन क्षेत्रों में बी०सी०सी०एल० का प्रलेखन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।	बी०सी०सी०एल० के अंतर्गत खनन क्षेत्रों के प्रलेखन का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।
10.	धनबाद जिले में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।	धनबाद जिले में सर्वेक्षण तथा बंदोबस्ती संबंधी कार्य अगस्त, 1982 से ही शुरू हो चुका है।
11.	खनन के कारण विस्थापित ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं की आवश्यकता।	धान के प्रति 2 एकड़ खेत के एवज में एक नौकरी तथा धान के खेत से भिन्न प्रति 3 एकड़ खेत की एवज में एक नौकरी की दर से कंपनी भूमि से वंचित होने वालों को रोजगार उपलब्ध कराती है।
12.	बी० सी० सी० एल० की सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने की आवश्यकता।	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की शक्ति का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा जहां भी आवश्यक हो वहां इसकी शक्ति में वृद्धि की जाती है। बेहतर संगठन हेतु कम्पनी के वाच एवं वार्ड स्टाफ को भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के० डी० आर० बी०/सी० ओ० एस० के एकीकृत कार्यात्मक कमांड के अधीन रखा गया है।
13.	रेलवे वैगन के लिए मांग तथा पूर्ति संबंधी नीति का युक्तिकरण किया जाए।	रेल मन्त्रालय द्वारा बी० सी० सी० एल० के परामर्श से इस संबंध में कार्रवाई की गई है।
14.	धनबाद में रेलवे यार्डों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।	प्रत्येक क्षेत्र में यातायात के विकास पर रेल मन्त्रालय लगातार नजर रखे हुए है तथा यार्ड के आधुनिकीकरण/सुधार के संबंध में रेल मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

1	2	3
15.	रेलवे सुरक्षा बल तथा सरकारी रेल पुलिस की गतिशीलता को बेहतर बनाने की आवश्यकता।	कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी रोकने हेतु यार्डों में रेलवे सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाने के बारे में एक निर्णय पहले लिया गया था। कोलियरी साइडिंग्स से रेलवे यार्डों तक कोयला ले जाने वाले रेल के डिब्बों के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक जाते थे। रेलवे यार्डों में वे इन डिब्बों को रेलवे सुरक्षा बल को सौंप देंगे जिन्हें इन डिब्बों को वहां खड़ा रहने तक इनकी देखभाल करनी थी।
16.	यार्ड क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार लाने तथा चैकिंग में सुधार लाने के लिए निगरानी बुर्ज स्थापित करने की आवश्यकता।	रेलवे द्वारा प्रकाश व्यवस्था करने के लिए लगातार समीक्षा की जाती है। निगरानी बुर्ज पहले से ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
17.	दिल्ली, पटना और धनबाद के बीच तथा धनबाद में ही टेलीफोन संचार व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता।	पटना, दिल्ली, मद्रास और बम्बई के बीच एस० टी० डी० सुविधा संसोल के द्वारा माइक्रोवेव चैनल पर कार्य कर रही है। आसनसोल, धनबाद और रांची के बीच वाइड-बैंड माइक्रोवेव चैनल बनाने की योजना है।
18.	ट्रक, कार के मालिकों आदि की सम्पत्ति की जांच करने के लिए विशेष दल का गठन किया जाए जिससे कि कर की चोरी को रोका जा सके।	सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सिज, बिहार सरकार तथा अन्य एजेंसियों ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।
19.	क्षेत्रीय कर-आयुक्त के कार्यालय में स्टाफ को बढ़ाया जाए और श्रम न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के पदों की रिक्तियों को भरा जाए।	सभी रिक्तियों को भरा जा चुका है। उप मुख्य श्रम आयुक्त के एक पद का सृजन किया गया है जिससे कि एक पक्षीय फैसले द्वारा खास किस्म के श्रम विवादों को सुलझाया जा सके।
20.	लंबित पड़े मामलों के मुकदमों को निपटाने के लिए कदम उठाए जाएं तथा न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए।	लंबित पड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु पटना उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तथा न्यायिक दंडाधिकारियों की नियुक्ति करे। उच्च न्यायालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। परन्तु लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
21.	विभिन्न इकाइयों से सूचना एकत्र करने तथा योजनाबद्ध प्रचालन	धनबाद में जिला पुलिस मुख्यालय में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (पी आई आर) कार्य कर रहा है। आपातकाल में

1	2	3
	समन्वय करने के लिए नियंत्रण कक्ष खोले जाएं।	इसमें एक मजिस्ट्रेट नियुक्त रहता है। बी०ओ०सी०एल० का मुख्यालय, सुरक्षा मुख्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा कोयलरियों को बी०ओ०सी०एल० के दूरसंचार जाल के माध्यम से पी०आई०आर० के साथ जोड़ा गया है।
22.	जिले के लिए सशस्त्र रिजर्व पुलिस बढ़ाने की आवश्यकता।	सशस्त्र पुलिस की दो कम्पनियों की स्वीकृति दी गई है।
23.	जिले में आसूचना कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी की संख्या तथा स्तर में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता।	पुलिस अधीक्षक, धनबाद के नियन्त्रण में "जिला आसूचना एकक" नामक एक पृथक कक्ष खोला गया है।
24.	शस्त्र अधिनियम को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाए।	राज्य अधिकारियों ने लाइसेंस शुदा अग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग तथा बिना लाइसेंस वाले हथियारों की बरामदगी के लिए एक अभियान चलाया गया है।
25.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे विकास का प्रबोधन करने के लिए गृह मन्त्रालय में एक कक्ष खोला जाए।	वर्ष 1979 में मन्त्रालय में एक प्रबोधन कक्ष खोला गया था।

मूंगफली की खेती

9229. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में मूंगफली की खेती की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में कितने भू-भाग पर खेती होती है और इनका औसत उत्पादन प्रति हैक्टेयर क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में मूंगफली की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के पुरूलिया जिले में मूंगफली का औसत क्षेत्र तथा उत्पादकता इस प्रकार है :—

	औसत क्षेत्र (हैक्टेयर)	औसत उत्पादकता (पैदावार किलोग्राम/हैक्टेयर)
1. छोटा नागपुर क्षेत्र	4448·0	957
2. पुरूलिया जिला	4256.6	1106

(ग) बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों में मूंगफली सहित तिलहनों के विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के तहत राज्यों को गुणवत्ता, बीजों के उत्पादन तथा वितरण, पौध रक्षण उपायों, उन्नत कृषि उपकरणों की सप्लाई, प्रदर्शनों का आयोजन आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

लंदन में "इण्डियन सप्लाई मिशन" को बन्द करना

9230. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी समय से कार्य कर रहे लन्दन स्थित "इण्डियन सप्लाई मिशन" को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्रिटेन के भारतीय उच्चायुक्त ने उच्चायोग में मितव्ययिता बरतने हेतु कुछ उपाय करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप व्यय में कितनी बचत होने की आशा है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) भारत के लंदन स्थित हाई कमीशन में भारतीय अधिकारियों के 49 ऐसे पद तय किए गए हैं जिन्हें समाप्त किया जाएगा या स्थानांतरित किया जाएगा। इससे इस हाई कमीशन के बजट में प्रति वर्ष दो करोड़ रुपए की बचत होगी।

बंगलादेश से जुम्मा शरणार्थी

9231. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र से कितने जुम्मा शरणार्थी इस समय त्रिपुरा और अन्य स्थानों में स्थित शिविरों में रह रहे हैं;,

(ख) क्या इन शरणार्थियों को उनके घर वापस भेजने के बारे में बंगलादेश सरकार से अधिकारी स्तर पर कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) इस समय बंगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के 58,229 कबायली शरणार्थी (जिन्हें जुम्मा लोग भी कहते हैं) त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में बहुमंजिली इमारतों में आग से सुरक्षा

9232. **श्री रामदास सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी बहुमंजिली इमारतों की संख्या और स्वामित्व का ब्योरा क्या है जिनमें अग्निशमन उपकरणों का अभाव है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम ने इन भवनों में अग्निशमन उपकरणों की पहले से ही व्यवस्था किए जाने पर जोर दिए बिना इन्हें निर्माण सम्बन्धी समापन प्रमाण पत्र दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) वर्ष 1983 से पहले निर्मित ऐसी 157 गगनचुम्बी इमारतें हैं जिनमें अग्निशमन उपकरण नहीं हैं। इनमें से 36 केन्द्र सरकार के, 13 स्थानीय निकायों के, 3 स्वायत्तशासी निकायों के तथा 78 प्राइवेट निर्माताओं के हैं। ऐसी इमारतों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम ने जून, 1983 में एकीकृत भवन उपनियमों के प्रचालन में आने के बाद किसी भी गगनचुम्बी इमारत को तब तक "कम्पलीशन सर्टीफिकेट" नहीं दिया है जब तक कि उसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिल गया हो।

विवरण

केन्द्रीय सरकार/स्थानीय निकायों और स्वायत्तशासी निकायों आदि के स्वामित्व में आने वाले भवनों की सूची।

केन्द्रीय सरकारी भवन (के० लो० नि० वि० और लो० नि० वि०)

क्र० सं०	नाम तथा पता
1	2
1.	एम० पी० फ्लैट्स, डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली।
2.	रा० म० लो० अस्पताल, बाबा खड़क सिंह मार्ग।
3.	केन्द्रीय राजस्व भवन, आई० पी० इस्टेट।
4.	ए० जी० सी० आर० भवन, आई० पी० इस्टेट।
5.	फैमिली अपार्टमेंट, टैगोर रोड।
6.	विकास भवन, आई० पी० इस्टेट।
7.	एम० एस० फ्लैट्स, सेक्टर-XII, आर० के० पुरम।
8.	सी० जी० ओ० कम्प्लैक्स, लोदी रोड।
9.	सी० ए० जी० एनेक्सी, आई० पी० इस्टेट।

1	2
10.	ड्रम शेप भवन, आई० पी० इस्टेट
11.	"वाई" शेप भवन, आई० पी० इस्टेट।
12.	विट्ठल भाई पटेल भवन, रफी मार्ग।
13.	उद्योग भवन, रफी मार्ग।
14.	सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग।
15.	कृषि भवन, रफी मार्ग।
16.	निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड।
17.	निर्वाचन सदन, अशोक रोड।
18.	योजना भवन, संसद मार्ग।
19.	केन्द्रीय सरकार आवासीय फ्लैट्स, पेशवा रोड।
20.	एशिया हाऊस, के० जी० मार्ग।
22.	शास्त्री भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड।
22.	श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग।
23.	इण्डियन आयल भवन (जनपथ भवन) जनपथ।
24.	कर्जन रोड, अपार्टमेंट्स, के० जी० मार्ग।
25.	8-मंजिला एम० एस० फ्लैट्स, मिंटो रोड।
26.	जी० बी० पंत अस्पताल, जे० एल० नेहरू मार्ग।
27.	एम० ए० एम० कालेज, बी० एस० जफर मार्ग।
28.	सफदरजंग अस्पताल, अरविंदो मार्ग।
29.	सेना भवन, डूप्लेक्स रोड।
30.	वायु भवन, रफी मार्ग।
31.	यू० जी० सी० भवन, बी० एस० जफर मार्ग।
32.	एम० एस० भवन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास।
33.	नार्दर्न रेलवे फ्लैट्स, पचकुइयां रोड।
34.	रेल निवास, एम० एस० फ्लैट्स, स्टेट एंटरी रोड।
35.	रेल भवन, रफी मार्ग।
36.	बड़ौदा हाऊस, के० जी० मार्ग।
स्थानीय निकाय	
37.	मोहन सिंह पैलेस, बाबा खड़ग सिंह मार्ग।

1	2
38.	अकबर भवन, चाणक्यपुरी।
39.	यशवन्त पैलेस, चाणक्यपुरी।
40.	चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी।
41.	सुपर बाजार, कनाट प्लेस।
42.	मयूर भवन, कनाट प्लेस।
43.	चंद्र लोक भवन, जनपथ।
44.	शक्ति सदन, कोटला रोड।
45.	विकास मीनार, आई० पी० इस्टेट।
46.	गफ्फार मार्केट, करोल बाग।
47.	प्रशासन ब्लाक, हिन्दूराव अस्पताल।
48.	नर्सेस अस्पताल, हिन्दूराव अस्पताल।
49.	मेल वार्ड, हिन्दूराव।
स्वायत्त शासी निकाय	
50.	होटल सम्राट, चाणक्यपुरी।
51.	कुतब होटल, अरविंदो मार्ग।
52.	अशोक यात्री निवास, अशोक रोड।
53.	टेलीफोन एक्सचेंज, नेहरू प्लेस।
54.	विदेशी डाकखाना कार्यालय भवन, कोटला रोड।
55.	टेलीफोन एक्सचेंज, हौजखास।
56.	टेलीफोन एक्सचेंज तथा प्रशासन ब्लाक, राजौरी गार्डन।
57.	टेलीफोन एक्सचेंज, पूसा रोड।
58.	टेलीफोन एक्सचेंज, तीस हजारी।
59.	टेलीफोन एक्सचेंज, शक्ति नगर।
60.	टेलीफोन एक्सचेंज, ईदगाह।
61.	खुर्शीदलाल भवन, जनपथ।
62.	किदवाई भवन, जनपथ।
63.	इस्पात भवन, लोदी रोड।
64.	नेशनल प्रोडक्टीविटी काउन्सिल, लोदी रोड।

1	2
65.	एस० बी० आई० फ्लेट्स, ईस्ट आफ कैलाश।
66.	यूको बैंक, संसद मार्ग।
67.	पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग।
68.	आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग।
69.	आई० आई० टी० भवन, हौजखास।
70.	एशियन इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स, एन० आई० ई० कैम्पस।
71.	वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय।
72.	जीवन बिहार, संसद मार्ग।
73.	यू० एस० एस० आर० भवन, 24 फिरोजशाह रोड।
74.	गोल्डन जुबली हाल, पूसा।
75.	मानकालय भवन, बी० एस० जफर मार्ग।
76.	राष्ट्रीय युवा छात्रावास, चाणक्यपुरी।
77.	मानक भवन, आई० पी० इस्टेट।
78.	ई० एस० आई० सी० भवन, कोटला रोड।
79.	इण्डियन एयरलाइन्स हाउस, रकाबगंज रोड।
80.	मंजूषा हाउस, 57 नेहरू प्लेस।
81.	मनीशा भवन, 75-76 नेहरू प्लेस।
82.	पदमा टावर, 5 राजेन्द्र प्लेस।
83.	डब्ल्यू० एच० ओ०, आई० पी० इस्टेट।
84.	विशाल भवन, 95 नेहरू प्लेस।
85.	कुन्दन हाउस, 16 नेहरू प्लेस।
86.	हेमकुंत टावर, 98 नेहरू प्लेस।
87.	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस।
88.	विक्रांत टावर, 4 राजेन्द्र प्लेस।
89.	गोपाल टावर, 25 राजेन्द्र प्लेस।
90.	आजाद अपार्टमेंट, अरविंद मार्ग।
91.	डा० जाकिर हुसैन, सी० जी० एच० एस० ओखला।
92.	मिलाप भवन, बी० एस० जफर मार्ग।

1	2
93.	सरस्वती हाउस, 27 नेहरू प्लेस ।
94.	पुंज हाउस, 17-18 नेहरू प्लेस ।
95.	दीपक भवन, 13 नेहरू प्लेस ।
96.	असियस भवन, 12 नेहरू प्लेस ।
97.	सिद्धार्थ हाउस, 96 नेहरू प्लेस ।
98.	कैलाश अपार्टमेंट जतरूदपुर ।
99.	गगन दीप, 12 राजेन्द्र प्लेस ।
100.	सेटी भवन, 7 राजेन्द्र प्लेस ।
101.	हेमकुंट हाउस, 6 राजेन्द्र प्लेस ।
102.	होली फेमिली अस्पताल, ओखला ।
103.	माईफेयर अपार्टमेंट, माईफेयर गार्डन ।
104.	डी० एल० एफ० शोपिंग कम्पलेक्स, ग्रेटर कैलाश ।
105.	अशोका इस्टेट, 24, बाराखंभा रोड ।
106.	दैनिक तेज, बहादुरशाह जफर मार्ग ।
107.	निर्मल टावर, 25-8, बाराखंभा रोड ।
108.	कंचनजंगा भवन, 18-12, बाराखंभा रोड ।
109.	रोहित हाउस, 3 टालस्टाय रोड ।
110.	आत्मा राम हाउस, 1 टालस्टाय मार्ग ।
111.	रिवारिया अपार्टमेंट, 45 माल रोड ।
112.	पी० टी० आई० भवन, संसद मार्ग ।
113.	मदन हाउस, 26 नेहरू प्लेस ।
114.	राजलोक भवन, 24 नेहरू प्लेस ।
115.	राजा हाउस, 30-31 नेहरू प्लेस ।
116.	कुशाल बाजार, 32-33 नेहरू प्लेस ।
117.	दिल्ली चेंबर, 46 नेहरू प्लेस ।
118.	सहयोग बिल्डिंग, 58 नेहरू प्लेस ।
119.	शकुन्तला अपार्टमेंट, 50 नेहरू प्लेस ।
120.	गोवर्धन हाउस, 53-54 नेहरू प्लेस ।

1	2
121.	गेडोर हाउस, 51-52 नेहरू प्लेस।
122.	लक्ष्मी हाउस, 72 नेहरू प्लेस।
123.	रेड रोज, 49-50 नेहरू प्लेस।
124.	स्काईलार्क भवन, 60 नेहरू प्लेस।
125.	गुरु अंगद भवन, 71 नेहरू प्लेस।
126.	सांची भवन, 77 नेहरू प्लेस।
127.	अशोक भवन, 93 नेहरू प्लेस।
128.	स्कीपर कोर्नर, 87-88 नेहरू प्लेस।
129.	पदमा पेलेस, 86 नेहरू प्लेस।
130.	स्काईलाइन हाउस, 85 नेहरू प्लेस।
131.	बजाज हाउस, 97 नेहरू प्लेस।
132.	दीपाली बिल्डिंग, 92 नेहरू प्लेस।
133.	भंडारी हाउस, 91 नेहरू प्लेस।
134.	हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20 के० जी० मार्ग।
135.	कैलाश बिल्डिंग, 26 के० जी० मार्ग।
136.	सागर अपार्टमेंट, 6 तिलक मार्ग।
137.	हिमालया हाउस, 23 के० जी० मार्ग।
138.	चिरंजीव टावर, 43 नेहरू प्लेस।
139.	मधुबन, 55 नेहरू प्लेस।
140.	सरोजिनी हाउस, 6 भगवान दास रोड।
141.	मानसरोवर भवन, 90 नेहरू प्लेस।
142.	मेघदूत बिल्डिंग, 94 नेहरू प्लेस।
143.	आकाशदीप, 26-ए बाराखंबा रोड।
144.	आशा दीप, 9 हैली रोड।
145.	सूर्या किरन बिल्डिंग, 19 के० जी० मार्ग।
146.	कीर्ति महल, 19 राजेन्द्र प्लेस।
147.	प्रगति हाउस, 47-48 नेहरू प्लेस।
148.	शीतला हाउस, 73-74 नेहरू प्लेस।

1	2
149.	नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखंबा रोड।
150.	दीप शिखा, 8 राजेन्द्र प्लेस।
151.	प्रभातकिरन, 17 राजेन्द्र प्लेस।
152.	प्रगति टावर, 26 राजेन्द्र प्लेस।
153.	इरोज, अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस।
154.	रतन ज्योति, 18 राजेन्द्र प्लेस।
155.	दक्सनेश्वर, 10 हैली रोड।
156.	इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, बी० एस० जफर मार्ग।
157.	हंसालय बिल्डिंग, 15 बाराखंबा रोड।

दिल्ली में खुले बाजार में अल्युमिनियम फास्फाइड की बिक्री

9233. **श्री रामदास सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा अल्युमिनियम फास्फाइड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह केरल सरकारी विभाग, भारतीय खाद्य निगम और भांडागार निगम जैसे संगठनों को ही बेचा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में बेइमान व्यापारियों द्वारा ऐसे कीटनाशकों को खुले बाजार में बेचे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन व्यापारियों पर छापे मारे गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अल्युमीनियम फास्फाइड को बाजार में मुक्त रूप से नहीं बेचा जाता है क्योंकि किसी भी व्यापारी को एल्युमीनियम फास्फाइड की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छद्म व्यापारी रसायनों की अवैध बिक्री न करें, प्रशासन अचानक आवधिक छापे मारती है। हाल ही में 6-8-1988, 12-5-1989, 23-5-1989 तथा 12-4-1990 में कुछ छापे मारे गए हैं जिसमें एल्युमीनियम फास्फाइड की मुक्त बिक्री का कोई मामला नहीं पाया गया। फिर भी, अप्रैल, 1989 में किए गए निरीक्षण के दौरान एल्युमीनियम फास्फाइड उत्पादकों के एक वितरक को कीटनाशक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बिक्री न करने का दोषी पाया गया था तथा उस पर कीटनाशक पंजीकरण समिति ने प्रतिबंध लगाया था और उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। प्रशासन दिल्ली आधारित विनिर्माताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों को बेचे गए एल्युमीनियम फास्फाइड पर संबंधित

राज्य को उनके क्षेत्र के डीलरों को बेचे गए एल्युमीनियम फास्फाइड की मात्रा के बारे में सूचित करके, इस बात की जांच-पड़ताल करके कि क्या एल्युमीनियम फास्फाइड को डीलरों द्वारा स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया है अथवा नहीं तथा उसे कानून के अनुसार प्रयोग किया गया/बेचा गया है, आदि तरीके से निगरानी रखता है।

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र

[हिन्दी]

9234. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में उर्वरक संयंत्रों का वर्षवार उत्पादन क्या रहा;

(ख) क्या इन संयंत्रों के उत्पादन और उर्वरक की गुणावत्तर में कोई गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राजस्थान से गत तीन वर्षों (वर्षवार) के दौरान उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन नीचे दिए गए हैं :—

क्रमांक	राजस्थान में संयंत्रों के नाम	न्युट्रियन्ट्स	स्थापित क्षमता	उत्पादन (1000 मी० टन)		
				1987-88	88-89	89-90
1.	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कोटा	नाइट्रोजन	152.0	114.1	114.1	164.8
2.	हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतरी	पी 2 ओ 5	30.0	9.0	12.0	12.9
3.	हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर	पी 2 ओ 5	11.5	0.9	शून्य	शून्य
4.	भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, अलवर	पी 2 ओ 5	10.6	6.0	7.3	11.3
5.	उदयपुर फास्फेट, उदयपुर	पी 2 ओ 5	10.6	11.0	11.0	11.9
6.	फास्फेट इण्डिया, उदयपुर	पी 2 ओ 5	7.0	9.5	4.2	शून्य
7.	लिबर्टी पेस्टिसाइड्स एण्ड फटस० उदयपुर	पी 2 ओ 5	6.4	4.1	3.5	0.3
8.	मधुबन कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, उदयपुर	पी 2 ओ 5	6.4	2.4	1.8	0.8
9.	धुरवी कलर कैमिकल्स प्रा०लि० उदयपुर	पी 2 ओ 5	1.2	—	0.4	0.2

(ख) और (ग) (1) श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, कोटा (2) हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतरी (3) भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, अलवर और (4) उदयपुर फास्फेट, उदयपुर

को छोड़कर अन्यों ने मुख्यतः सल्फर, सलफ्यूरिक एसिड और रॉक फास्फेट की कमी के कारण अपने उत्पादन में कमी दर्ज की है।

जहां तक राजस्थान में उत्पादित/वितरित उर्वरक की गुणवत्ता का संबंध है गत चार वर्षों के दौरान राजस्थान से प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रण को वर्षवार शिकायतें नीचे दर्शायी गई हैं।

वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	गैर मानक पाए गए
1986	2207	46
1987	3459	82
1988	881	15
1989*	1358	2

* आज की तारीख को उपलब्ध सूचना पर आधारित।

कोचीन पत्तन को गहरा करना

[अनुवाद]

9235. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर आने वाले अनेक जलयानों को 30 फीट अथवा इससे अधिक गहराई की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या वहां सभी घाटों में 30 फीट से कम गहराई है;

(ग) क्या इससे जलयानों को भारी असुविधा हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो पत्तन को अपेक्षित गहराई तक गहरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) कुछेक अपरिष्कृत तेल टैंकरों तथा उर्वरक जहाजों को छोड़कर कोचीन पत्तन पर आने वाले अन्य जहाजों को सामान्यतया 30 फुट से अधिक डुबाव की आवश्यकता नहीं होती है। गत तीन वर्षों में पत्तन पर आए ऐसे जहाजों की संख्या जिन्हें 30 फुट से अधिक डुबाव की आवश्यकता होती है कुल जहाजों के 20% से भी कम रही है।

(ख) जी, नहीं। कोचीन तेल टर्मिनल पर 35 फुट तथा उर्वरक बर्थ पर 33 से 35 फुट का डुबाव अब भी बरकरार है। इर्नाकुलम चैनल की एक बर्थ पर भी डुबाव 32 फीट बनाए रखा जाता है। उसी ओर सभी बर्थों पर निर्दिष्ट डुबाव 30 फीट की है। जब कभी मानसून के दौरान अथवा इसके तुरन्त बाद अनुमत्य डुबाव में कमी अपरिहार्य होती है तो पत्तन, नौवहन व्यापार को कम किए गए अनुमत्य डुबाव के बारे में अग्रिम रूप से अधिसूचित कर देता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) डुबाव में कमी को रोकने के लिए मानसून के शुरू होने तक निकर्षक तैनात किए जाते हैं। मानसून के दौरान और इसके तुरन्त बाद भरी गाद को, निकर्षक लगा कर मानसून के पश्चात साफ कर दिया जाता है।

कोचीन पत्तन न्यास द्वारा लेवी शुल्क का एकत्रण

9236. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कोचीन पत्तन न्यास द्वारा गोदी श्रमिक बोर्ड के श्रमिकों की मंजूरी के प्रतिशत के आधार पर लेवी शुल्क जमा किया जाता है;

(ख) क्या सामान की धरा उठाई के टनभार के आधार पर लेवी शुल्क एकत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां। कोचीन डाक लेबर बोर्ड द्वारा पंजीकृत गोदी श्रमिकों के नियोजन पर लेवी एकत्र की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोचीन डाक वर्कर्स (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1959 में गोदी श्रमिकों के नियोजन पर, श्रमिकों की दैनिक समय दर मजदूरी की प्रतिशतता के रूप से, लेवी एकत्र करने का प्रावधान है।

भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करना

[हिन्दी]

9237. **डा० बंगाली सिंह :**

श्री राम अवध :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जगजीवन राम की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्व० श्री जगजीवन राम पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने का निर्णय ले लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों को सड़कों से जोड़ना

9238. **डा० बंगाली सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से अनुसूचित जाति की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी तथा विशेष अनुदान दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी सड़कों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना राज्य का विषय है तथा इसके लिए निधियां न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/योजना बजट में उपलब्ध कराई जाती हैं ।

केन्द्रीय कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत "सड़कें" निर्माण कार्यों की एक अनुमेय मद हैं । तथापि, विकल्प संबंधित ग्राम पंचायतों पर छोड़ दिया गया है ।

कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामी सम्मेलन के संगठन का पाकिस्तान को समर्थन

[अनुवाद]

9239. **श्री बी० एस० बासवराज** :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :
श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामी सम्मेलन के संगठन का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या सउदी अरब इस बारे में कश्मीर के अपने प्रभाव का उपयोग करने को सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान कश्मीर मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने इस्लामी सम्मेलन संगठन के देशों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ।

(ग) सरकार आशा करती है कि इस्लामी सम्मेलन संगठन के सदस्य देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने, आतंकवाद और धर्म पर आधारित पृथन्यादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास में शामिल नहीं होंगे ।

जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण

[हिन्दी]

9240. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल बिलासपुर सारोगढ़ और जालीगिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और हरिजन विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत कितने पुलों और कुल कितनी लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ अथवा पूरा किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि में उपर्युक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए व्यय को छोड़ कर सड़कों और पुलों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

9241. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं के खरीद मूल्य तथा रबी फसल की अन्य कृषि वस्तुओं से समर्थन मूल्यों में हाल ही में वृद्धि करने से पहले इस बात का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था कि ऐसा करने से आवश्यक वस्तुओं के सामान्य मूल्य सूचकांक पर जो पहले ही बहुत अधिक है, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने से बाजार मूल्य ऊंचे होंगे। फसलों के उत्पादन की लागत के पद्धति विज्ञान की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा स्थायी सलाहकार समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने के बाद खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में संशोधन किया गया, ताकि वे अधिक लाभकारी बन सकें।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप-मार्गों का निर्माण

9242. श्री रबि नारायण पाणि : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात की भीड़-भाड़ में कमी करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उड़ीसा में महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपमार्गों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) इस समय 80.29 लाख रु० तथा 88.90 लाख रु० की लागत पर संस्वीकृत क्रमश: (1) राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर मेरामुंडाली पर तथा (2) राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर रम्भा पर दो बाइपासों का निर्माण प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अक्तूबर, 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर खालीकोट घाट (रिएलाइन्मेंट) पर 129.55 लाख रु० की लागत पर एक बाइपास को संस्वीकृति दी गई है।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा मोटर चालकों को परेशान किया जाना

9243. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस दिल्ली में चालकों को प्रदूषण फैलाने के नाम पर परेशान कर रही है यद्यपि उन्होंने परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मोटर चालकों को परेशान न किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन अदालत

9244. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय संसद सदस्यों/विधायकों को टेलीफोन अदालत में शामिल करने के लिए विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार, और

(ग) क्या सरकार टेलीफोन अदालत के संबंधित जिला/प्रखंड दूरसंचार के चेयरमेन को निदेश देगी कि वह अदालतों में शामिल करने के लिए क्षेत्र के अधिवक्ताओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का नाम निर्देशन करें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

राज्य कृषि मन्त्रियों का सम्मेलन

9245. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1990 में नई दिल्ली में राज्य कृषि मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या ग्रामीण गोदामों की एक शृंखला स्थापित करने के लिए कोई सहमति हुई थी;

(घ) क्या खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी हां, खरीफ सफल, 1990 के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी नीति पर विचार करने के लिए 12 अप्रैल, 1990 को राज्य के कृषि मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) से (ङ) समूचे देश के लिए मालगोदामों और गोदामों के नेटवर्क का प्रावधान सरकार की कार्यकारी योजना की एक महत्वपूर्ण मद है। सृजित की जाने वाली प्रस्तावित भण्डारण क्षमता से अभिप्राय किसानों की भण्डारण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उन्हें मजबूरी में बिक्री करने से रोका जा सके। खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

मुम्बई उत्तर में नए डाकघर

9246. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुई जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण सरकार का वहां और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) नए डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने और/अथवा किराये पर भवन लेने संबंधी समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) वर्तमान में चारकोप कांदीवाली में एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) चारकोप कांदीवाली में प्रस्तावित डाकघर के लिए बंबई शहरी विकास परियोजना द्वारा आवास का प्रस्ताव किया है। विभागीय भवनों का निर्माण किराए के भवनों में काम कर रहे मौजूदा डाकघरों के लिए किया जा रहा है, नए डाकघरों के लिए नहीं। जहां तक नए डाकघरों का संबंध है, डाकघरों की मंजूरी दे दिए जाने के बाद किराए पर उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के प्रयास जाते हैं।

आर्थिक महत्व की अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण

9247. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्र सरकार की सहायता से आर्थिक महत्व की किन्हीं अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में आर्थिक महत्व की अन्तर्राज्यीय सड़कों को ऋण सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, 31 मार्च, 1990 को समाप्त सातवीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित की गई 18 स्कीमों में से 1989-90 के दौरान कोई भी पूरी नहीं हुई है।

बीजों का वितरण

9248. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान किसानों को बीजों की कितनी मात्रा वितरित करने का विचार है;

(ख) सरकारी एजेंसियों, व्यावसायिक एजेंसियों और कृषकों से बीजों की क्रमशः कितने-कितने प्रतिशत खरीद की जाती है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी राजसहायता दी जाती है; और

(घ) विभिन्न एजेंसियों को दी जाने वाली राजसहायता का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग ने 1990-91 के लिए 60.00 क्विटल का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) से (घ) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है।

डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का निर्माण

9249. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा वर्ष 1989 के दौरान कुल कितने डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का निर्माण किया गया; और

(ख) वर्ष 1990 के दौरान इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा कितने डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का निर्माण किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आई० टी० आई० ने 1989-90 के दौरान कुल 1141 डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का विनिर्माण किया।

(ख) आई० टी० आई० द्वारा 1990-91 के दौरान 2758 डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का विनिर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है।

कर्नाटक में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

9250. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने एक्सचेंज बंगलौर में हैं और कितने एक्सचेंज हसन जिले में हैं; और

(ग) वर्ष 1990 के दौरान बंगलौर के अलावा कर्नाटक में कितने नए इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कर्नाटक में कुल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 88 है।

(ख) (i) बंगलौर (शहर) में 9

(ii) बंगलौर (ग्रामीण) में 3

(iii) हासन जिले में 2

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान बंगलौर की अतिरिक्त कर्नाटक में 390 नए इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है बशर्ते कि समय से उपस्कर उपस्कर उपस्थित हो। विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

I. कर्नाटक में वर्ष 1990-91 के दौरान स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

आर० एल० यू० पेनम्बूर

सी० आर० एल० यू० सकलेशपुर

II. 2048 पोर्ट आई० एल० टी० 1. करकाला

2. मूडाबीडरी

III. पोर्ड सीडोट

1. धर्मस्थला
2. पोलीबेटा
3. बाइन्डूर
4. गुब्बी
5. कन्नौर (दक्षिण कन्नड़)
6. कराटगी
7. मानवी
8. मुदालगी
9. थुरूवकेरे
10. गुरूपुर

IV. 512 पोर्ट आई० एल० टी०

1. अठानी
2. बसवकल्यान
3. बेलूर
4. ब्याड़गी
5. चन्नरयापटना
6. होलनराशिपुर
7. हुमनाबाद
8. हुनसर
9. इलकाल
10. के आर नगर
11. कौप
12. पुनीगाल
13. मदुर
14. महिलिंगपुर
15. मालावल्ली
16. मुद्दे बिहाल
17. मुधौल
18. नागममंगला
19. पांडवपुरा
20. पवगाड़ा
21. रामदुर्ग
22. संकेश्वर
23. सेडम
24. साहाबाद

25. शोरापुर
26. सिद्दापुर (कूर्ग)
27. सिदलाघाट
28. सिरगुप्पा
29. सोमवारपेट
30. श्रीरंगपट्ना
31. सुनतीकोपा (कूर्ग)
32. तारीकेरे
33. उप्पीनानगेडी
34. वाइटल
35. केम्पानूर
36. सोबाघोटा
37. शालीग्राम (डी० के०)
38. बेलवाड़ी
39. कामराजनगर (2 यूनिट)
40. मलूर
41. बेल्लारे
42. शिकारीपुरा
43. कुट्टा
44. नारगुंड
45. बड्डी

V. ई० एस० ए० एक्स० पी० ए० एम०

1. काकती
2. मुदालगी
3. हुवीनाहदागली
4. अराड
5. हंगल
6. नवलकुंड
7. रोन
8. अलन्द
9. अम्माटी
10. शनिवारासम्थे
11. पोलीबेटा
12. शक्तिनगर
13. हुन्नाली
14. कोरटागरे
15. श्रीनिवासपुरा
16. बेलगोला
17. बदामी
18. बिलगी
19. अम्नूर
20. गोनीबोड़
21. होसादुर्ग
22. हेबरी
23. गंगोली
24. गुटीगर
25. गाकरन
26. मुल्वगोड़

VI. सी डाट रैक्स

1. नन्दगढ़
2. नन्दवाड़ी
3. आइनापुर
4. एम के हुगली
5. निसारणी
6. हलगा

7. हिडकल डाम
8. कडोली
9. येलूर
10. कम्मले
11. कुरगोड़
12. कमलापुर
13. कुड़लगी
14. डोनी मलई
15. तोरानागल्लू
16. मथाला
17. कामठान
18. कारीजी
19. गुट्टल
20. अदरागुंची
21. बन्कापुर
22. हेबसुर
23. इन्गालगी
24. सौरसी
25. हलगेरी
26. नरगल
27. बेलाटी
28. गंगापुर-1
29. गंगापुर आर एस
30. नलवार
31. कमभावी
32. महागांव
33. नारायणपुर
34. पोसागोड़ू
35. शुक्रवाशन्टी
36. हलवेडू
37. बासवपटना
38. रामनाथपुरा
39. जवगल
40. बिक्कोड्
41. बियारपुर
42. हेगडे
43. उदवरा
44. गोडाहल्ली
45. मलदारे
46. कुन्डा
47. शानतल्ली
48. मकन्दुर
49. कल्लामंडू
50. यलबरगा
51. हुट्टी
52. अलीहाल
53. कुकनूर
54. तवरगीरी
55. जबलगेरे
56. पोथनाल
57. अनवरी
58. अरबिली
59. होलेहनूर
60. शंकरगट्टा
61. बासवपटना
62. नलूर
63. रिपोन्पेट
64. आनन्दपुरम

65. अनवटी
66. होसावले
67. अगरादहल्ली
68. गोपनाहल्ली
69. अस्यनूर
70. तिलंगरे
71. उलावी
72. अलारीपुसुराली
73. हुल्लेकरे
74. हेवूर
75. हुलीयुरदुर्गा
76. हुंडनकेरे
77. नोनविनाकरे
78. यदियूस
78. नागवल्ली
80. अमरूथुर
81. शैलपुर
82. मायासंर्गा
83. नन्दी गांव
84. गुडीबन्डे
85. नरसापुरा
86. चिक्कातिरूपति
87. सोमनहल्ली
88. डिबुरहल्ली
89. हलूवाड़ी
90. क्यायनाहल्ली
91. येलीयुर
92. अराकेरे
93. मंडागेरे
94. दोड्डामुल्लूगोड
95. चुन्चानकटे
96. गुडुर
97. अमीनगुड
98. नलतवार
99. एम गोलासंगी
100. टिकोटा
101. अज्जामपुरा
102. हरूर
103. कव्वीगे
104. मेलपाल
105. पंडारावल्ली
106. कालासा
107. कुसुवीनामने
108. हुन्सेगट्टा
109. होसादुर्ग रोड
110. हुसागोडू
111. भ्रमसागर
112. अट्टीगरे
113. लूकीकेरे
114. के एन हल्ली
115. परवीरामपुरा
116. श्रीगरे
117. अमसेवैल
118. हेमाडी
119. करवासे
120. अम्पार
121. करनीरे
122. कैकोनी

123. हल्दीपुर
124. बेलेकरा
125. भैरमवे
126. बलकुर
127. हटागी

VII. एम० आई० एल० टी० 64

1. मदभवी
2. शकराकती
3. वेलावाड़ी
4. नागनूर
5. वेलागुंडी
6. एकसंभा
7. परोसी
8. सुरागांव
9. सौनदलगा
10. कुलगोड़
11. ममदापुर
12. नागनूर
13. यादवाड़
14. पाचापुर
15. नूरगोड़
16. खरारी
17. पोलागल्लू
18. कुडीतीनी
19. हीरहडागल्ली
20. नहाली
21. डरोजी
22. देवगीरी
23. इम्मीगनूर
24. सिद्दामनाहली
25. अरेखीकेरे
26. होरमागलगेरी
27. संतापुर
28. हुलसर
29. भयामदरा
30. लखनगांव
31. चिल्लारगी
32. भिमलखेर
33. निरमा
34. करजगी
35. सरगुर
36. मोराव
37. नलावड़ी
38. तुम्मीनाकटी
39. मकानूर
40. हुलगुर
41. नरीबोल
42. तूरूकूंटा
43. संदापुर
44. निम्बरगा
45. मरीयान
46. कमलापुर
47. एम हीपरगा
48. अम्ढोला
49. मदरमी
50. मल्लीपटमा

51. गान्डसी
52. हरनहल्ली
53. कोलागुंडा
54. उदयपुरा
55. दुद्दा
56. सान्तीग्राम
57. कब्बूर
58. केरलपुर
59. हदारे
60. हलीकोटे
61. ज्योतीनगर
62. बलेले
63. अनेगुंडी
64. कनदगिरी
65. अलवण्डी
66. किनहाल
67. हलमासागर
68. मुदगल
69. सिरवार
70. तुंगभद्रा
71. उमब्लेबिल्लू
72. करेविखी
73. शसिवहल्ली
74. अलगरेमन्दिर
75. हुमचा
76. जागफाल
77. करगल
78. अगुमवे
79. बासवानी
80. कननागी
81. कनातुर
82. तोविनकेरे
83. होसाकेरे
84. ओडीनगरहल्ली
85. मेदीगेसी
86. सोकेपुरा
87. वाईएन होसकोटे
88. तवरेकेरे
89. वेलावी
90. वेंकटपुरा
91. वरगुर
92. पटपलेया
93. क्यासमवल्ली
94. मन्दीकल
95. नन्दीहील्स
96. पीरसन्दरा
97. डी एन पलैया
98. होशुर
99. होन्डेभावी
100. बताडहोशल्ली
101· तयलूर
102. उयेमूर
103. चिमग्गला
104. सन्यवाचली
105. पस्तुर
106. पल्लगल्ली
107. बसरलू
108. बिन्दीगन्डविले

109. देवलपुर
110. कोडीयाला
111. कोप्पा
112. हिब्बासुर
113. कुडेरू
114. वारगी
115. गरगनहल्ली
116. हंगला
117. हुंडीपुरा
118. एम बन्दीपुरा
119. हम्पापुरा
120. कबीनी कालोनी
121. कारापुरा
122. हनागोडू
123. कोडाहल्ली
124. कोटनूर
125. कुन्थुर
126. घाटगेला
127. हरनहल्ली
128. हेदीयाला
129. थगदूर
130. किट्टूर
131. कगलीपुरा
132. बटालू
133. बन्दाहल्ली
134. बी आर हील्स
135. हुवीना हिपारगी
136. यलवार
137. नन्दीकेश्वर
138. बवलेश्वर
139. उदालसंगम
140. मुगुलखोड
141. मनवोली
142. ससनूर
143. सिंटागेरे
144. अन्तरगट्टा
145. हिरेनल्लूर
146. मथीगट्टा
147. पंचलहल्ली
148. रमनहल्ली
149. कुमारडी
150. दरदाहल्ली
151. गोदीगेश्वर
152. वेगर
153. कमनगुंडी
154. सम्पीगंहट्टी
155. रंगवनहल्ली
156. अलूर
157. धर्मपुर
158. मुलाडीहल्ली
159. एन जी हल्ली
160. रामपुरा
161. हीरेहल्ली
162. गेरुकट्टे
163. होसनगड्डी
164. नेतान
165. उदानेन
166. घोडोकना
167. बरेलगडी
168. कटमल

169. कटूर
170. हरसीकट्टे
171. बक्काल
172. दासनकोप्पा
173. हेगडेकट्टा
174. निरनाहल्ली
175. सलकावी
176. जोइदा
177. फिरवाटी
178. मगोड

कर्नाटक में कृषि विश्वविद्यालय

9251. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1989-90 में सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को कितना अनुदान दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, कर्नाटक में दो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कर्नाटक के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को वर्ष 1989-90 में अनुदान के रूप में 40.86 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है ।

धर्मस्थल से बंगलौर के लिए एस० टी० डी० सुविधा

9252. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में धर्मस्थल को बंगलौर से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) धर्मस्थल को नये मंगलौर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के जरिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एस० टी० डी० नेटवर्क के साथ जोड़े जाने की योजना है ।

धन की कमी के कारण सड़क और पुल सम्बन्धी परियोजनाओं को रोके रखना

9253. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क और पुल संबंधी परियोजनाओं को धन की कमी के कारण रोके रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय रिजर्व फण्ड के अन्तर्गत इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि के पूर्वानुमान में मई, 89 में राज्य सरकारों से आमंत्रित केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्कीमों के लिए प्रस्तावों को आस्थगित रखा गया है ।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होने पर जो अभी नहीं हुई है, इस प्रस्ताव पर कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

9254. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में आज तक प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने एक्सचेंजों का विस्तार किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) फील्ड यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के दूरसंचार मण्डलों में दिहाड़ी मजदूर

9255. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के दूरसंचार मंडलों में कितने मजदूर कई वर्षों से दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी सेवा को नियमित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले वर्ष इन मजदूरों की छंटनी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31-8-88 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के दूरसंचार डिवीजनों में कई वर्षों तक दैनिक मजदूरी पर 7,487 कामगार काम कर रहे थे।

(ख) जी हां। उपर्युक्त कामगारों में से 2892 कामगारों को नियमित किया जा चुका है तथा 1-10-89 से 3000 से अधिक कामगारों को अस्थायी पदस्थिति प्रदान कर दी गई है।

(ग) 30-3-85 से पहले लगे किसी भी कामगार की छंटनी नहीं की गई है। 30-3-85 के बाद लगे कुछ कामगारों की छंटनी की गई है।

(घ) काम उपलब्ध न होने के कारण छंटनी करनी पड़ी थी।

उत्तर प्रदेश में फार्म मशीन प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान की स्थापना

9256. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फार्म मशीन प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

हज यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश से आवेदन पत्रों की संख्या

9257. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान सरकार को हज यात्रा के लिए स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन प्रत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए; और

(ग) शेष आवेदन पत्रों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 419.

(ख) 1989 में सरकारी कोटा से जारी 186 यात्री उत्तर प्रदेश से हज के लिए गए थे।

(ग) जितने आवेदन प्राप्त हुए थे, वे उपलब्ध स्थानों से अधिक थे।

टेलीफोन सलाहकार समिति को भंग करना

[अनुवाद]

9258. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन सलाहकार समिति को, राज्य और जिला दोनों स्तर पर, भंग करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नेप्था को उतारने के लिए घाट की स्थापना

9259. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के पूर्वी बन्दरगाहों पर और विशेषकर हल्दिया बन्दरगाह पर जहाजों से नेप्था उतारने के लिए एक घाट की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) हल्दिया स्थित वर्तमान आयल जैट्टी पर जहाजों से कच्चे पैट्रोलियम और उत्पादों सहित नेप्था उतारने की सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त, वहां निर्माणाधीन दूसरी जैट्टी में भी, जहाजों से नेप्था उतारने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

पूर्वी तट पर, मद्रास, विशाखापत्तनम और टूटीकोरिन पत्तनों पर जहाजों से नेप्था उतारने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

महाराष्ट्र में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना

[हिन्दी]

9260. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, जिला-बार, अलग-अलग रूप से कितना भूमि-क्षेत्र उजपाऊ है तथा कितना बंजर है;

(ख) क्या बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भूमि उपयोग सांख्यिकी (1985-86) के अनुसार कृषि योग्य और बंजर भूमि के अन्तर्गत क्षेत्र के बारे में जिला-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) मृदा और जल संरक्षण की उपयुक्त योजनाओं के अन्तर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार करने का उत्तरदायित्व महाराष्ट्र सरकार का है। राज्य सरकार निम्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

(1) रोजगार गारंटी कार्यक्रम।

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से खार और खाजन भूमि विकास परियोजना।

(3) मृदा संरक्षण के लिए वनरोपण योजना।

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार निम्न योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद दे रही है :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) वर्षा सिंचित कृषि में राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम।

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(4) राष्ट्रीय पनधारा विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम।

(5) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास संबंधी विश्व बैंक सहायताप्राप्त मार्गदर्शी परियोजना।

(6) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	कृषि योग्य भूमि	बंजर गैर-कृषि योग्य भूमि
1	2	3	4
1.	बृहत बम्बई	7600	7300
2.	थाणे	332500	81800
3.	रायगढ़	412800	128200
4.	रत्नागिरी	725869	235200
5.	सिन्धुदुर्ग		99900
6.	नासिक	1005600	180500
7.	धुले	730900	57800
8.	जलगांव	846200	81200
9.	अहमदनगर	1306700	143500
10.	पुणे	1086400	162400
11.	शोलापुर	1338600	61100
12.	सतारा	684300	117300
13.	सांगली	731000	39700
14.	कोल्हापुर	537400	42000
15.	औरंगाबाद	1394100	18800
16.	जालना		9700
17.	परभनी	1104600	17300
18.	बीद	998500	17700
19.	नान्देद	826300	17500
20.	उस्मानाबाद	1243400	8200
21.	लातुर		7200
22.	बुलधाना	742800	25900
23.	अकोला	857200	22200
24.	अमरावती	777300	18500
25.	यवतमल	951100	43600

1 2	3	4
26. वर्धा	469700	5900
27. नागपुर	612200	13900
28. बनधारा	444200	17900
29. चन्द्रपुर		21200
30. गोड़चीरोली	794700	12700
कुल :	20961969	1716100

टेलीफोन एक्सचेंज की महिला कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं

9261. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के टेलीफोन एक्सचेंजों में महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या महिला कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं विशेषकर रात्रि शिफ्ट में प्रदान की जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महिला कर्मचारियों की रात्रि शिफ्ट में प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश के टेलीफोन एक्सचेंजों में महिला कर्मचारियों की संख्या लगभग 36000 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) शयनशालाओं की व्यवस्था की गई है। यदि टेलीफोन आपरेटर की ड्यूटी देर रात से शुरू होती है या प्रातःकाल होने से पहले खत्म होती हो, तो उस स्थिति में शयनशालाओं में रह सकते हैं।

पशु बीमा योजना

[अनुवाद]

9262. **श्री बसन्त साठे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में चयनित आधार पर पशु बीमा योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्या विस्तारयोजना तैयार की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सरकार ने महाराष्ट्र में चुनिंदा आधार पर गोपशु बीमा योजना शुरू नहीं की है। तथापि, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत खरीदे गए पशुओं के मामले में गोपशु बीमा कवरेज अनिवार्य हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नही उठता।

मध्य प्रदेश में रायपुर और बिलासपुर टेलीफोन एक्सचेंजों में सार्वजनिक उपयोगिता के टेलीफोनों का कार्य करना

[हिन्दी]

9263. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1989 से अप्रैल, 1990 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में रायपुर और बिलासपुर टेलीफोन एक्सचेंजों में सार्वजनिक उपयोगिता के टेलीफोन नंबरों 197, 198, 180 और 181 इत्यादि की नितांत असंतोषजनक सेवा के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सार्वजनिक उपयोगिता वाले उक्त टेलीफोन नंबरों को ठीक करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नवम्बर, 1989 से अप्रैल, 1990 तक बिलासपुर तथा रायपुर में क्रमश: 40 और 60 मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) परियात के अनुसार पोजीशनों पर व्यक्तियों को लगाने का प्रस्ताव है। स्टाफ के अनुप-स्थिति को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिलासपुर काल क्यूइंग उपस्कर लगाए जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना का क्रियान्वयन

[अनुवाद]

9264. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना पर राज्यवार कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के कुछ और मिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के 1990-91 के दौरान राज्यवार किन-किन जिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना पर हुए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीजों का आयात

9265. श्री यशवंतराव पाटिल :
श्री बलवंत मनवर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीज विकास की नई नीति के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितनी-कितनी मात्रा में उच्च गुणवत्ता के बीजों और पौधों का आयात किया गया और इनका किन-किन देशों से आयात किया गया; और

(ख) इस आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आयातित बीज का मूल्य अभी प्रकाशित किया जाना है।

विवरण

बीज विकास सम्बन्धी नई नीति के तहत 1988-89 और 1989-90 के दौरान आयातित बीजों और रोपण सामग्री की मात्रा

वर्ष	बीज (कि०ग्रा० में)	रोपण सामग्री (संख्या में)	मूल देश
1988-89	16623.43	4,27,160	हालैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, कोरिया, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, ताइवान, स्पेन, न्यूजीलैंड।
1989-90	82803.22	7,82,969	हालैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, डेनमार्क, फ्रांस, कास्टारिका, कुलालाम्पुर, पश्चिमी जर्मनी, इथोपिया, रिपब्लिक आफ माली, नाइजीरिया, इण्डोनेशिया, फिलिपाइन्स, थाइलैंड, पश्चिमी अफ्रीका, मलावी, चीन, स्वीडन, जिम्बावे, पाकिस्तान, यू०के० बुलगेरिया, अर्जेन्टीना, कोरिया, ताइवान, इटली, नेपाल, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, न्यूजीलैण्ड, स्विटजरलैंड, बैंकाक, यूगोस्लाविया, ब्राजील, बहामास।

अरुणाचल प्रदेश में एस० टी० डी० की सुविधा

9266. श्री [illegible] : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां एस० टी० डी० की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार की राज्य में संचार सेवाओं में सुधार लाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इटानगर, खोस, नाहर लागान, पस्सीघाट, तेजजू, बोमडिला ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अरुणाचल प्रदेश में अनीनी, सेप्पी, दीपोरजो, जीरो, अलाग, त्वांग और इटानगर में उपग्रह भू-स्टेशनों का विस्तार किया जाना है तथा उन्हें राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग नेटवर्क के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है ।

चांगलांग में एक नये भू-स्टेशन की योजना बनाई गई है ।

आधुनिकीकरण के लिए मौजूदा इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों को बदलने के लिए 24 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आबंटित किए गए हैं ।

बड़ी सिंचाई नहरों के आस-पास के क्षेत्रों में पेय जल सुविधा

9267. **डा० विश्वनाथम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई नहरों तथा बांधों के आस-पास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण को पेय जल उपलब्ध कराने की कोई योजनाएं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सिंचाई की नहरों के पास स्वच्छ जल की सप्लाई के लिए नहरें बनाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) ऐसी कोई योजनाएं तथा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । तथापि, राष्ट्रीय जल नीति में सभी भावी बड़ी सिंचाई बांध और नहर परियोजनाओं में पेयजल घटक के लिए प्रावधान है । जब कभी त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत भूतल जल स्रोतों पर आधारित योजनाएं तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राप्त होती हैं, इन पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है तथा अनुमोदित किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

डाई-अमोनियम फास्फेट/उर्वरक मिश्रण का उत्पादन

9268. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक उर्वरक उत्पादक एकक द्वारा डाई-

अमोनियम फास्फेट/उर्वरक मिश्रण के उत्पादन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) डाई-अमोनियम फास्फेट/उर्वरक मिश्रण का अधिक से अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कुल कितनी मात्रा में फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उत्पादक एककों को अपेक्षित मात्रा में फास्फोरिक अम्ल उपलब्ध कराया जाएगा ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक उर्वरक उत्पादक एकक के संबंध में डी० ए० पी०/कम्पलैक्स उर्वरकों के लक्ष्य और उत्पादन नीचे दिए गए हैं :—

(000 मी० टन)

कम्पनी का नाम	उत्पाद	1989-90		1990-91
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य
फैक्ट : उद्योगमंडल	20 : 20	140.0	120.3	140.0
: कोचीन	20 : 20	400.0	323.2	310.0
	डी०ए०पी०	37.0	39.8	10.0
आर० सी० एफ० : ट्राम्बे	15 : 15 : 15	300.0	363.0	345.0
: ट्राम्बे-4	20.7 : 20.7	290.0	307.0	300.0
एम० एफ० एल० : मद्रास	17 : 17 : 17	605	413.0	517.0
पी० पी० एल० पारादीप :	डी०ए०पी०	630.0	247.0	415.0
इफको : कांडला	डी ए पी	370.0	150.6	151.5
	10 : 26 : 26	225.0	259.1	245.0
	12 : 32 : 16	250.0	272.1	233.5
जी एस एफ सी : बड़ौदा	डी ए पी	176.0	215.0	175.0
जैड ए सी : गोवा	19 : 19 : 19	170.0	165.1	85.0
	डी ए पी	185.0	86.8	102.0
स्पिक : तुतीकोरिन	डी ए पी	410.8	319.0	288.0
एम सी एफ : मंगलौर	डी ए पी	145.0	66.5	95.0
ई आई डी पैरी : इन्नोर	16 : 20	100.0	94.2	78.0
एच एल एल : हल्दिया	डी ए पी	161.0	72.8	128.0
जी एस एफ सी : सिक्का	डी ए पी	390.0	179.8	334.4
जी एफ सी : काकीनाडा	डी ए पी	274.0	175.0	239.0
सी एफ एल : विजाग	28 : 28	233.0	335.6	340.0
	14 : 35	19.2	12.9	10.0

(ख) और (ग) 1990-91 के दौरान पी 2 ओ 5 के इष्टतम उत्पादन के लिए लगभग 21 लाख टन फास्फोरिक एसिड अपेक्षित है।

इसमें से लगभग 18 लाख टन आयात करना पड़ेगा। एम० एम० टी० सी० जो फास्फोरिक एसिड के आयात के लिए सरणीबद्ध अभिकरण है, ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से 1990-91 (अप्रैल-सितम्बर, 1990 के पूर्वार्द्ध के लिए पी 2 ओ 5 के रूप में 8.55 लाख टन फास्फोरिक एसिड के लिए करार किया है। यह इस अवधि के दौरान इस्तेमालकर्ता एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दूसरे अर्ध भाग के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

डाई अमोनियम फास्फेट का उत्पादन

9269. श्री हरा अम्बारासु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्षवार, फास्फोरिक उर्वरकों की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) उत्पादों के सम्बन्ध में उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाई अमोनियम फास्फेट के उत्पादन के लिए और अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित किए जाने का विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान डाई अमोनियम फास्फेट के इष्टतम उत्पादन के लिए कितने आयातित कच्चे माल की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या क्षमता के भरपूर प्रयोग हेतु कच्चे माल के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाएगी ?

उप प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान पी 2 ओ 5 न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में फास्फेटिक उर्वरकों की संभावित आवश्यकता का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आवश्यकताएं (लाख टनों में)
1990-91	35.14—35.63
1991-92	39.49—40.47
1992-93	43.83—45.31
1993-94	48.17—50.14
1994-95	52.50—55.00

फास्फेटिक उर्वरकों में मुख्यत: डाई-अमोनियम फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट तथा काम्पलैक्स उर्वरक निहित हैं। उत्पादों के रूप में उपर्युक्त आंकड़ों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(ग) इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता के 85% तक स्वदेशी क्षमता, उत्पन्न की जानी चाहिए। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) 8वीं योजना के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल की वर्षवार अपेक्षाएं, जैसे कि 8वीं योजना कार्यदल द्वारा तैयार की गयी है, निम्न प्रकार है :—

(मात्रा मिलियन टनों में)

उत्पाद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
आयातित अमोनिया	0.85	0.85	0.96	0.74	0.76
आयातित फास्फोरिक एसिड (वर्तमान संयंत्र)	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
राक फास्फेट	3.14	3.30	4.27	4.63	5.68
सल्फर	1.20	1.24	1-58	1.72	2.08

(ङ) देश की भुगतान संतुलन स्थिति तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

उर्वरकों पर राजसहायता

9270. श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरकों पर राजसहायता कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उर्वरकों पर राजसहायता में कितनी कमी की जाएगी तथा इसके कारण उर्वरकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) इस समय उर्वरकों पर आर्थिक सहायता कम करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक की कमी

9271. श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक की कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान तथा वर्ष 1990-91 में अब तक सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक की मांग और सप्लाई की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु और लाइसेंस जारी करने का विचार है ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : (क) किसी भी राज्य से एस० एस० पी० की कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एस० एस० पी० के निर्माण हेतु अतिरिक्त क्षमता के लिए गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है जिसमें मांग संभावनाओं तथा राज्य एवं क्षेत्र में वर्तमान क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

यूरिया का उत्पादन

9272. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8वीं पंचवर्षीय योजना में यूरिया की वर्ष-वार कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) यूरिया की मौजूदा उत्पादन क्षमता क्या है और आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विद्यमान, उत्पादन क्षमता से कितनी मात्रा में यूरिया का उत्पादन होने के संभावना है; और

(ग) इसकी समग्र रूप से मांग और सप्लाई की राज्य-वार स्थिति क्या है ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) आगामी पांच वर्षों (आठवीं योजना) के प्रत्येक वर्ष के दौरान यूरिया की अनुमानित मांग, वर्तमान निर्माण क्षमता तथा वर्तमान क्षमता से प्रत्यासित उत्पादन, निम्न प्रकार है :—

(000 मि० टन)

वर्तमान स्थापित क्षमता	अनुमानित उत्पादन				
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
6736	5675	5675	5679	5695	5695

(ग) समग्र मांग-आपूर्ति स्थिति केवल न्यूट्रिएन्स ,के रूप में उपलब्ध है और वह संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्यवार 1994-95 तक मांग/आपूर्ति अन्तर

क्षेत्र राज्य	मांग			अनुमानित उत्पादन			अन्तर (पी-डी)		
	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	1336	560	127	498	314	0	—838	—245	—127
केरल	117	92	108	287	153	0	170	61	—108
कर्नाटक	562	373	173	185	107	0	—377	—272	—173
तमिलनाडु	551	220	315	559	419	0	8	199	—315
अन्य (अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी आदि)	72	26	7	0	0	0	—72	—26	—7
कुल (दक्षिण क्षेत्र)	2638	1277	730	1529	993	0	—1109	—284	—730
पश्चिमी क्षेत्र									
गुजरात	418	210	35	1641	748	0	1223	538	—36
महाराष्ट्र	713	340	170	1003	363	0	290	70	—170
मध्य प्रदेश	640	502	66	340	88	0	—300	—414	—66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	2	1	2	218	164	0	216	163	—2
राजस्थान	259	140	4	455	64	0	196	—76	—4
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	2032	1193	278	3657	1327	0	1632	134	—278
पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	976	291	141	304	40	0	—672	—251	—141
उड़ीसा	242	80	45	366	332	0	124	252	—45
असम	20	21	17	274	2	0	254	—19	—17
पश्चिम बंगाल	636	304	194	263	192	0	—373	—122	—194
अन्य	57	42	37	0	0	0	—57	—42	—37
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	1931	738	434	1207	566	0	—724	—172	—434
उत्तरी क्षेत्र									
हरियाणा	505	200	8	191	56	0	—314	—144	—8
पंजाब	914	410	27	419	96	0	—495	—313	—27
उत्तर प्रदेश	2191	700	160	1897	162	0	—294	—534	—160
हिमाचल प्रदेश	32	8	5	0	0	0	—32	—8	—5
जम्मू एण्ड कश्मीर	45	20	6	0	0	0	—45	—20	—6
अन्य (दिल्ली आदि)	12	4	2	0	0	0	—12	—4	—2
कुल (उत्तरी क्षेत्र)	3699	1342	208	2507	314	0	—1192	—1028	—208
कुल (आल इण्डिया)	10300	4550	1650	8900	3200	0	—1400	—1350	—1650

पंजाब को बाढ़ सहायता

9273. **श्री कमल चौधरी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सितम्बर, 1988 के दौरान वर्षा और बाढ़ से हुए संपति और फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु पंजाब सरकार को आवंटित की गई राशि का लोगों को भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, जो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सम्पत्ति और फसल को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने तथा मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सन 1984 के दंगों के दोषी व्यक्तियों को सजा

9274. **श्रीमती सुखबंस कौर :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1984 के दंगों में शामिल कितने व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1990 के पश्चात दंडित किया गया है;

(ख) 1 जनवरी, 1990 से ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) दिसम्बर, 1984 से दिसम्बर, 1989 तक ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) शून्य।

(ख) शून्य।

(ग) 12.

द्विभाषी टेलीप्रिंटर लगाना

[हिन्दी]

9275. **कुमारी उमा भारती :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मंत्रालयों के पास केवल रोमन लिपि के टेलिप्रिंटर्स हैं; और

(ख) सभी मंत्रालयों में अंग्रेजी और हिंदी शब्दों वाले टेलिप्रिंटर कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर पर दी जाएगी।

थामारास्सेरी को "ग्रुप डायलिंग" प्रणाली द्वारा कालीकट से जोड़ना

[अनुवाद]

9276. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का थामरास्सेरी को ग्रुप डायलिंग प्रणाली (कोजीकोड दूरसंचार सर्किल, केरल राज्य) द्वारा कालीकट से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का तिरूबामुबडी और कोडेनचेरी के टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का जनता की मांग को पूरा करने के लिए थोटलुमुक्कोम में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं, थामरासरी, कालीकट से 20 कि० मी० की दूरी पर स्थित है जो कि ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान करने की निर्धारित सीमा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

पंजाब में बलात्कार के मामले

9277. **श्री कमल चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1989 के दौरान बलात्कार के कितने मामले हुए;

(ख) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) महिलाओं के प्रति ऐसे अपराधों को रोकने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 1989 के दौरान पंजाब में बलात्कार के 83 मामले दर्ज किए गए।

(ख) और (ग) अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना, पता लगाना और उन्हें रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। अपराध मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों सहित अपराधों को रोकने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

बरेली की तहसील के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

[हिन्दी]

9278. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली का नवाबगंज बाहरी, आंवला और फरीदपुर तहसीलों और बरेली सिटी के बीच सीधा टेलीफोन संपर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव को 1992-93 के कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

निःशुल्क टेलीफोन कालों की संख्या का निर्धारण

[अनुवाद]

9279. **श्री के० एस० राव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल ने हाल ही में सरकार को अपने ज्ञापन में सरकार द्वारा निर्धारित 150 निःशुल्क टेलीफोन कालो की संख्या प्रति दो माह 250 अथवा 225 कालें करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब के होशियारपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव

9280. **श्री कमल चौधरी** :
श्री केशरी लाल :

क्या कृषि मंत्री पंजाब के होशियारपुर जिले में बाढ़ से पीड़ित गांवों के बारे में 26 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 6704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 में बाढ़ से पीड़ित बादला, हर्ता और राजपुर मयाना गांवों से रेत हटाने संबंधी योजना के कार्यान्वयन तथा निधियां देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गांव वालों ने अपने खेतों से रेत हटाने के लिए 370 रु० प्रति घंटे की ऊंची दर से सरकार से बुलडोजर किराए पर लिए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों को ऐसे भुगतानों को वापस करेगी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले तरीकों का ब्यौरा क्या है और ऐसे भुगतानों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन गांवों में बाढ़, विशेषकर इन गांव के बीच से बहने वाले नालों के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेपाल द्वारा शुरू की गई "कार्य अनुज्ञा प्रणाली"

9282. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल द्वारा शुरू की गई "कार्य अनुज्ञा प्रणाली" से कितने भारतीय प्रभावित हुए थे; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नेपाल में रहने वाले ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है जो इससे प्रभावित हुए हैं।

(ख) कार्य परमिट पद्धति के लागू होने के समय से ही भारत सरकार ने इस मामले को नेपाल की पिछली सरकार के साथ उठाया था।

टेलीफोन बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटे गए टेलीफोन

9283. **श्री बलवन्त मणवर :**

श्री शांतिलाल पटेल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत एक वर्ष के दौरान परिमंडलवार देय राशि का भुगतान न किए जाने के कारण कनेक्शन काटे गए टेलीफोनों की संख्या कितना है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कनेक्शन काटे गए टेलीफोनों में फिर से कनेक्शन जोड़े गए टेलीफोनों की संख्या कितनी; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान टेलीफोनों की दोषपूर्ण सेवा के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है।

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गुजरात राज्य में केवल एक दूरसंचार सर्किल है और वर्ष 89-90 के दौरान बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण गुजरात में काटे गए टेलीफोनों की संख्या जारी किए गए 2876708 बिलों की तुलना में 51487 है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान 47678 काटे गए टेलीफोनों को बकाया राशि का भुगतान करने पर दुबारा चालू किया गया है।

(ग) गुजरात के कुल 4,11,769 चालू कनेक्शनों में से वर्ष 1989-90 के दौरान टेलीफोन सेवाओं में खराबी के बारे में प्राप्त (लिखित) शिकायतों की संख्या 8427 है।

मोटर चालकों द्वारा सीमा से अधिक गति से तथा अन्धाधुन्ध तरीके से गाड़ी चलाने पर रोक

9284. **श्री के० प्रधानी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलत तरीके से सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले चालकों को रोकने और पकड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई अभियान, विशेषकर बसों, मिनी बसों और ट्रकों की जांच शुरू करने का प्रस्ताव है, तो वह क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली "पर्यटन पुलिस"

9285. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में "पर्यटन पुलिस" का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे क्या मुख्य कार्य सौंपे गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पर्यटन पुलिस को निम्नलिखित ड्यूटियां सौंपी गई हैं :—

(i) रिपोर्ट दर्ज करना तथा आम शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करना।

(ii) पर्यटकों को उचित आवास दिलवाने में सहायता करना ताकि ठग इन्हें परेशान न कर सके।

(iii) कुलियों और ट्रांसपोर्टरों से निपटने में उनकी सहायता करना।

(iv) टैक्सी तथा स्कूटर आदि दिलवाने में उनकी मदद करना।

(v) रेलवे, पुलिस और पर्यटन विभागों से सहातता उपलब्ध करवाना, तथा

(vi) व्हील-चेयर तथा ऐसी ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

9286. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में विभिन्न श्रेणी के कितने पद सृजित हुए हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई पद विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, वित्त समिति ने 12 अप्रैल, 1989 को सम्पन्न अपनी बैठक में इस बात का अनुमोदन किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे से संबधित जो निर्देश हैं, उनका यथासंभव पालन करने का प्रयास किया जाए। 20 अप्रैल, 1989 को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के शासी निकाय की बैठक में भी इसका अनुसमर्थन किया गया था।

इस बात के लिए कार्रवाई की जा रही है कि नई भर्ती करते समय सरकार के निर्देश के अनुसार निर्धारित कोटा पद्धति पर अमल किया जाए। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों (1985-90) के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा सृजित पदों की संख्या

क्र०सं०	पद	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक	1	3700-5000 रु०
2.	कार्यक्रम निदेशक	5	3000-4500 रु०
3.	कार्यक्रम अधिकारी	8	2200-4000 रु०
4.	प्रदर्शन अधिकारी	1	—वही—
5.	लेखा अधिकारी	2	—वही—
6.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	17	—वही—
7.	वरिष्ठ आशुलिपिक/सहायक	11	1400-2300 रु०
8.	कनिष्ठ आशुलिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक	2	1200-2040 रु०
9.	लिपिक	18	950-1500 रु०
10.	स्टाफ कार ड्राइवर	3	—वही—
11.	डिस्पैच राइडर	1	950-1400 रु०
12.	पैकर	1	800-1150 रु०
13.	"घ" श्रेणी के कर्मचारी	14	750-940 रु०

स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित मामले

9287. श्री कृपाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-85 वर्षों के दौरान पंजाब सरकार से प्राप्त हुए स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन संबंधी मामलों में से अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास अभी भी लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को हाल में कोई इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने हेतु इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अंतिम तिथि, अर्थात 31-3-1982 तक पंजाब राज्य से प्राप्त सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र समझा जाता है तथा इन पर तभी विचार किया जाता है जब इनके साथ

सरकारी रिकार्ड से प्राप्त साक्ष्य संलग्न हों। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय लेने संबंधी रिकार्ड अलग से नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) जिन आवेदकों के दावे रद्द कर दिए जाते हैं वे सभी समय-समय पर अभ्यावेदन भेजते रहते हैं तथा जैसे ही ये अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है।

महाराष्ट्र से स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्र

[हिन्दी]

9288. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए सरकार के पास जिलावार लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन आवेदन पत्रों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) महाराष्ट्र राज्य से कुल 12 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। इन मामलों की जिला-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सामान्य रूप से राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टों/स्पष्टीकरणों के अभाव में इन मामलों को नहीं निपटाया जा सका। उन्हें रिपोर्ट/स्पष्टीकरण भेजने के लिए नियमित रूप से लिखा जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र के जिला-वार लम्बित मामले

क्र०सं०	जिले का नाम	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	नान्देड़	1
2.	उस्मानाबाद	2
3.	लतूर	2
4.	चन्द्रपुर	1
5.	बान्द्रा	1
6.	थाणा	1
7.	औरंगाबाद	1
8.	बीड	1
9.	परभामी	2
	योग :	12

गुजरात से स्वतन्त्रता सेनानी आवेदन

9289. श्री बलवन्त मणवर :
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचाराधीन गुजरात से स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन के आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ख) इन आवेदनों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) आवेदक द्वारा भोगी गई यातनाओं के बारे में जेल प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के अभाव में स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने हेतु गुजरात से केवल एक आवेदन पत्र लम्बित है। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी आदान

[अनुवाद]

9290. डा० खुशाल परशराम बोपचे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन फ्लड" परियोजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी आदान उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1990 तक "आप्रेशन फ्लड-एक, दो और तीन" के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई;

(ग) 31 मार्च, 1989 तक सुधारी गई नस्ल के दुग्ध पशुओं के बारे में कितना लक्ष्य था और कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई;

(घ) क्या झा समिति ने "आप्रेशन फ्लड" के अंतर्गत तकनीकी आदान उपलब्ध कराने में अधिकारियों की विफलता की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि क्या झा समिति की सिफारिशें पूर्णतः लागू हो रही हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) आपरेशन-फ्लड में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी आदान कार्यक्रम की व्यवस्था है। मार्च, 1990 तक आपरेशन फ्लड-1, 2 और 3 के अंतर्गत संचयी लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	ब्यौरा	1994 तक संचयी लक्ष्य	मार्च, 90 तक उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	आहार विनिर्माण क्षमता (प्रतिदिन मीटरी टन)	4700	4305

1	2	3	4
2.	वन चरागाह (हैक्टेयर)	20000	5583
3.	प्राथमिक सहायता के अंतर्गत कवर की गई समितियां (हजार में)	37.00	21.00
4.	अकृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं वाली समितियां (हजार में)	21.5	11.00
5.	बुल मदर फार्म (सं०)	15.00	13.00

(ग) परियोजना अवधि के अंत तक उन्नत दुधारू पशुओं की संख्या के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। तथापि, 1988-89 के दौरान निष्पादित किए गए अकृत्रिम गर्भाधानों की संख्या लगभग 2.5 मिलियन थी।

(घ) इस समिति ने नोट किया था कि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया करने, स्टाक को उन्नत करने, चारा और अन्य आदानों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों में अड़चनें रही थीं। इस समिति ने यह भी पाया कि हालांकि भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को इन क्षेत्रों में अपने निजी प्रयासों को तेज करना चाहिए फिर भी केन्द्र और राज्य सरकारों को सफलता प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी।

(ङ) डेरी विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य राज्य सरकारों/आपरेशन-फ्लड के तहत दी जा ही रही आदान सम्बन्धी विभिन्न सुविधाओं का इष्टतम इस्तेमाल करना है।

गौ सुरक्षा

9291. **श्री अरविंद नेताम :**
श्री कल्पनाथ सोनकर :
श्री के० मानवेन्द्र सिंह :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जहां गौ वध पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है;

(ख) समस्त देश में गौ वध पर रोक लगाने के बारे में कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार गौ सुरक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में अन्तर्विष्ट करने का विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अभी भी गाय के वध पर प्रतिबन्ध नहीं है। असम, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के अन्तर्गत भी गाय वध की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) गोपशु का परिरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य की विधानमण्डलों

को संविधान की सूची-2 की प्रविष्टि 15 के तहत कानून बनाने के विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। इस समय संविधान की समवर्ती सूची में गाय के संरक्षण को अन्तर्विष्ट करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

उत्तर प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति के लिए हैंडपंप लगाना

[हिन्दी]

9292. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैंडपंप लगाने हेतु दी गई वित्तीय सहायता की राशि क्या है ?

(ख) क्या इस बारे में किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं की सूचना मिली है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार हैंडपंपों, पाइपों के जरिए जल सप्लाई, ग्रेविटी फीड स्कीम आदि पर आधारित ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान सहायता दे रही है। हैंडपंपों के लिये अलग से वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों, उप-मिशन गतिविधियों तथा जल एकत्रीकरण ढांचों की योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	सहायता की राशि (करोड़ रु० में)
1987-88	37.80
1988-89	46.46
1989-90	53.42

(ख) राज्य सरकार अथवा अन्य एजेंसियों से किसी प्रकार की कमियों अथवा अनियमितताओं की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीनगर और कश्मीर दूरसंचार के पलायन करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति

[अनुवाद]

9293. **श्री हरीश रावत :**

श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर और कश्मीर दूरसंचार के पलायन करने वाले कर्मचारियों को संपूर्ण देश में डी० ओ० टी० के विभिन्न सर्किलों में नियुक्त करने के बारे में क्या नीति है;

(ख) अभी तक ऐसे कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया जा चुका है; और

(ग) पलायन करने वाले ऐसे दूरसंचार कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो नई दिल्ली के कैंपों में रह रहे हैं और उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नीति की लगातार समीक्षा की जा रही है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। गड़बड़ी के दौरान दूरसंचार विभाग के जो कर्मचारी श्रीनगर छोड़कर चले गए थे उन्हें अन्य सर्किलों में जहां कहीं खाली पद उपलब्ध थे, तैनात किया गया था। ये तैनातियां केवल अनन्तिम थीं और उन कर्मचारियों को अब श्रीनगर जाने के लिए कहा गया है।

(ख) जैसाकि ऊपर (क) में बताया गया है 190 कर्मचारियों को अनंतिम रूप से समायोजित किया गया था।

(ग) दिल्ली में ठहरे हुए कर्मचारियों में से 17 कर्मचारियों को खाली पद उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली अथवा जम्मू, जगहों पर तैनात नहीं किया जा सका और उनसे कहा गया है कि वे अनन्तिम तैनाती के लिए अन्य पड़ोसी सर्किलों का चयन कर लें। तथापि इस बारे में सरकार के अद्यतन निर्णय के अनुसार, इन कर्मचारियों को वापिस कश्मीर जाने के लिए कहा गया है।

कश्मीर का मामला द्विपक्षीय बातचीत से हल करने के बारे में अमरीकी प्रस्ताव

9294. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को सलाह दी है कि वे युद्ध से बचें तथा द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से कश्मीर मामले को हल करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) अमरीका की सरकार ने भारत की इस नीति का समर्थन किया है कि कश्मीर के समले को शिमला समझौते की भावना के अनुरूप द्विपक्षीय रूप से तय किया जाना चाहिए। सरकार अमरीका के सुरुचि प्रदर्शन की सराहना करती है।

कश्मीर से आये लोग

9295. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर से आए लोगों की वर्तमान संख्या कितनी है जो इस समय दिल्ली और अन्य स्थानों पर शिविरों में शरण लिए हुए हैं;

(ख) क्या इन प्रवासियों ने पर्याप्त वित्तीय सहायता न देने और अन्य मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था न करने की शिकायतें की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन प्रवासियों को कोई विशेष सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन प्रवासियों को सरकारी सहायता पर निर्भर रहने देने की बजाय उन्हें स्वयं जीविका कमाने हेतु उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) ताजा रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कश्मीर घाटी से आए हुए 2350 परिवार जम्मू में शिविरों में तथा 363 परिवार दिल्ली में शिविरों में रह रहे हैं।

(ख) से (ङ) उनकी मांग मोटे तौर पर उनके आर्थिक पुनर्वास से संबंधित है। चूंकि घाटी में व्याप्त अस्थिर स्थिति के कारण ही वे वहां से आए हैं तथा ऐसी संभावना है कि घाटी में सामान्य स्थिति बहाल होने पर ही वे अपने-अपने घरों को लौटेंगे, इसलिए घाटी से बाहर उनका पुनर्वास करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है।

शिविरों में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती तथा चकमा शरणार्थी

9297. **श्री लेइता अम्बरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में तिब्बती तथा चकमा शरणार्थियों को ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में विभिन्न शिविरों में इन शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन शरणार्थियों को इनर लाइन रेगुलेशन ऐक्ट का उल्लंघन करके वहां बसाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके कब तक प्रत्यावर्तित किए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) हाल में किसी भी तिब्बती अथवा चकमा शरणार्थी को अरुणाचल प्रदेश में नहीं ठहराया गया है और राज्य में उनके लिए कोई शिविर नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक तथा दूरसंचार विभाग के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों को दूसरी समयबद्ध पदोन्नति

9298. **श्री जगपाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा दूरसंचार विभाग के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों को दूसरी समयबद्ध पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के 29 अगस्त, 1988 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण/छूट देने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे मूल संवर्गों, जो भारत सरकार के अन्य विभागों के समान नहीं हैं, में कुल 26 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद पदोन्नति के लिए द्वितीय समयबद्ध पुनरीक्षा करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार द्वारा जो मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं वे उस समय लागू होंगे जब समयबद्ध द्वितीय पदोन्नति की योजना प्रवृत्त हो जाएगी।

आग लगने से प्रलेखों/कागजातों का नुकसान

9299. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान भवन, निर्माण भवन तथा शास्त्री भवन में लगी भयंकर आग में विभिन्न सरकारी विभागों के अनेक महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रलेख नष्ट हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य तथा विस्तृत ब्यौरा क्या हैं;

(ग) महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रलेखों को आग और चोरी से बचाये रखने के लिए निवारक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सभी सरकारी कार्यालयों द्वारा सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील कागजातों/प्रलेखों को माइक्रो फिल्मों में रखने तथा उन्हें आग और चोरी से बचाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखने का कोई निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की सीमाओं को सील करना

9300. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के असुरक्षित स्थानों तथा पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने का निर्णय लिया है ताकि पाकिस्तान को इन राज्यों में प्रशिक्षित उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को भेजने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इन असुरक्षित स्थानों को कब सील किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) पंजाब में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा रहा है और घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। इन सीमाओं पर सुरक्षा की निरंतर समीक्षा की जाती है।

पंजाब में सहकारी संस्थायें

9301. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सरकारी शेयरी पूंजी वाले सहकारी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ संस्थाओं ने सरकारी शेयर पूंजी वापस करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के 4901 सहकारी संस्थानों में शेयर पूंजी के रूप में 175.50 करोड़ रुपये की राशि निवेश की गई है। ऐसी शेयर पूंजी प्रत्येक संस्थान के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार ही वापिस की जाती है।

कश्मीर में पाकिस्तानी मुद्रा का चलन

[हिन्दी]

9302. **श्री हरीश रावत** :
श्री राजमोहन रेड्डी :
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर घाटी के कुछ भागों में लेन-देन के माध्यम के रूप में पाकिस्तानी मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। रिपोर्ट निराधार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पशुओं को भारत से जबरन बंगलादेश ले जाना

[अनुवाद]

9303. **श्री राजवीर सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान भारतीय सीमा से पशुओं को जबरन बंगलादेश ले जाने के कितने मामले हुए; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 1989 में भारत बंगलादेश सीमा पर पशु चोरी होने के 248 मामले सूचित हुए।

(ख) सीमा सुरक्षा बल, इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए बंगलादेश के प्राधिकारियों के साथ मिल कर आवश्यक उपाय कर रही है। सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल की और अधिक सीमा चौकियों तथा निगरानी सीमा बुर्जों की स्थापना की गई है तथा आधुनिकतम उपकरण और वाहन आदि उपलब्ध कराए गए हैं।

पंजाब में युवकों द्वारा धन ऐंठना

9304. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ युवक धमकी देकर जनता से भारी मात्रा में धन ऐंठ रहे हैं और इस धन को आतंकवादियों के परिवारों को दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे युवकों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) लोगों से धन ऐंठने और उस धन को मृत आतंकवादियों के परिवारों को देने की कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं।

(ख) ऐसे गतिविधियों को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली में टेलीफोन पर बम की झूठी सूचनायें

9305. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में, विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या दक्षिण दिल्ली के निवासियों को उनके रिहायशी इलाकों में झूठ-मूठ बम रखे जाने की टेलीफोन पर धमकियां मिल रही हैं;

(ग) क्या इस बारे में पुलिस को कोई शिकायत दर्ज कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दक्षिण दिल्ली के इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) दक्षिण जिला आतंकवाद विरोधी सैल को सक्रिय तथा सुदृढ़ बनाया गया है।

(ii) बसों (डी० टी० सी०/डी० टी० सी० के अधीन चलने वाली तथा निजी) की नियमित जांच की जाती है।

(iii) पी० सी० आर० वैन/टुकड़ियों (पिकेट्स) को सतर्क कर दिया गया है।

(iv) सभी सहायक पुलिस आयुक्तों/थानेदारों/निरीक्षकों को बसों की पूरी-पूरी तथा आकस्मिक जांच करने और आतंकवादियों के छिपने के अड्डों पर निगाह रखने के लिए घर-घर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

(v) डी० टी० सी० स्टाफ, एसोसिएशनो, कालेजों, स्कूलों को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया है।

(vi) जनता को दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से सावधानी बरतने तथा संदिग्ध वस्तुओं के प्रति सतर्क रहने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को सूचित करने के बारे में शिक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्ति

9306. **श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्ति के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) इन पदों पर वर्तमान पदाधिकारी कब नियुक्त किए गए थे;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में दो प्रबन्ध निदेशक हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम में नियुक्तियों का प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की नामजदगी/नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा 5-11-1989 से की गई है। यह नामजदगी/नियुक्ति ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित पद्धतियों का पालन करने के बाद राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 8(2) और (3) के अनुसार की गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 8(2) के अनुसार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशक-मण्डल में, अन्यों के साथ-साथ, उच्चतम ग्रेड के कार्यपालकों में से पूर्णकालिक निदेशक भी होंगे, जो संख्या में तीन से अधिक नहीं होंगे। इस अधिनियम की धारा 9(4) के तहत निदेशक मण्डल के इन कार्यपालकों को नियुक्ति, बिना किसी पूर्वाग्रह के राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में उनकी कार्यपालकों के रूप में अवस्थिति के अनुसार की जाएगी। इन प्रावधानों के

अनुसरण और इस अधिनियम की धारा 18 के आधार पर भूतपूर्व भारतीय डेरी निगम के भूतपूर्व निदेशक और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (समिति) के भूतपूर्व सचिव को नए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निकाय) के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था। इन पदों के लिए बाद में दिए गए प्रबन्ध निदेशकों के पदनाम उनके कार्यमूलक पदनामों को देखते हुए दिए गए थे।

पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में बंगलादेश वासियों का आगमन

9307. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में बंगलादेश वासियों का निरंतर आगमन हो रहा है;

(ख) बंगलादेश वासियों का भारी संख्या में आगमन किन-किन जिलों में सबसे अधिक हुआ है;

(ग) ऐसे बंगलादेश वासियों की संख्या क्या है जो भारतीय सीमा में घुस आए हैं और अनाधिकृत रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना, नादिया, माल्दा, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिले अधिक प्रभावित हैं।

(ग) ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस समस्या पर काबू पाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य एजेंसियों द्वारा गश्त में वृद्धि किए जाने सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। जब कभी भी घुसपैठिये पकड़े जाते हैं, तो उन्हें वापस बंगलादेश भेज दिया जाता है। बेहतर आवागमन के लिए सीमा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। घुसपैठियों का पता लगाने के लिए मोबाइल टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

भारत-बंगलादेश सीमा से घुसपैठियों द्वारा अपराध

9308. श्री मनोरंजन सुर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बशीरहाट, पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेश सीमा की ओर से आने वाले घुसपैठी बड़ी संख्या में डकैतियां, चोरियां, कत्ल की वारदातें करते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के कैम्पों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या-क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) सीमा सुरक्षा बल के लिए वर्ष 1985-86 में एक पंचवर्षीय विस्तार कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था तथा उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसार, और अधिक सीमा चौकियां स्थापित की जा रही हैं, निगरानी बुर्जों का निर्माण किया जा रहा है, अधिक प्रभावकारी ढंग से गश्त लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को अधिक संवेदनशील उपकरण तथा अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कृषि वस्तुओं के मूल्य

9309. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में समर्थन मूल्यों में वृद्धि के बावजूद, वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट के परिणामस्वरूप कृषि और गैर-कृषि वस्तुओं के मूल्यों के बीच अन्तर बढ़ा है;

(ख) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों द्वारा कृषि व्यापार में उदारता के परिणामस्वरूप कृषि मूल्यों में गिरावट आने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की भारतीय कृषि में ऐसी कटु प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए क्या योजनाएं हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कृषि और गैर-कृषि जिन्सों के लिए मूल्यों का संचालन संबंधित जिन्सों की मांग और सप्लाई को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के पश्चात कृषि जिन्सों के मूल्यों में गैर-कृषि जिन्सों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी 1990-91 के केन्द्रीय बजट के रुख को इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराना अभी उचित नहीं होगा।

(ख) और (ग) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों द्वारा कृषि व्यापार में उदारता से कृषि की अर्थव्यवस्था के छोटे आकार और इन देशों से कृषि आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए भारत में कृषि जिन्सों के घरेलू मूल्य कम नहीं हो सकते।

मद्रास पत्तन न्यास की कन्टेनर बर्थ आरक्षण योजना

9310. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने कन्टेनर बर्थ आरक्षण योजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न वर्गों ने इसका विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कारणों की जांच की है; और

(घ) योजना के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) मद्रास पत्तन न्यास ने मदर/

मेन लाइन कन्टेनर जहाजों के लिए कुछेक शर्तों पर, कन्टेनर बर्थ के आरक्षण हेतु एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव से जुड़े सभी विषयों पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

भूमि राजस्व तथा प्रशासन से संबंधित राष्ट्रीय आयोग

9311. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि, राजस्व तथा प्रशासन से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है, तथा क्या इस आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक बनाने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने भूमि राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

आयोग के प्रस्तावित विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) राजस्व प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उद्देश्यों को परिभाषित करना और ऐसे आधार सुझाना जिन पर राजस्व प्रशासन को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पुनर्गठित किया जा सके।

(2) उन समस्याओं का अध्ययन करना जो उत्तर पूर्वी राज्यों में भूमि रिकार्ड प्रणाली स्थापित करने के रास्ते में आड़े आई हैं और आदिवासी समुदायों की प्रथाओं और आकांक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कार्यवाही कार्यक्रम का सुझाव देना।

(3) भूमि रिकार्ड प्रणाली की स्थापना करके आदिवासी समुदायों की भूमि पर उनके परम्परागत अधिकारों को खोये जाने के बारे में उनकी आशंकाओं की विशेष रूप से जांच करना और अध्ययन करना और इस बात का अध्ययन करना कि उन्हें किस प्रकार संरक्षण दिया जा सकता है और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए राजस्व की पुनर्गठित प्रणाली और भूमि रिकार्ड प्रबंध में मान्यता दी जा सकती है।

(4) विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठित राजस्व प्रशासन के लिए आधारभूत सुविधाओं के नमूने सुझाना।

(5) राजस्व प्रशासन के विभिन्न कार्यों और भूमि रिकार्ड प्रणाली में होने वाली देरी को कम करने तथा लागत में कटौती करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण और नई टेक्नालाजी को अपनाने के क्षेत्र सुझाना।

(6) प्रबन्ध व्यवस्था की नई पद्धति विकसित करने के लिए ऐसे आवश्यक उपायों का सुझाव

देना जो नई टेक्नोलाजी को अपना सकें और इसके अनुकूल नई कार्य-पद्धति प्रदान कर सकें।

(7) राजस्व प्रशासन के कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने/उनका विकास करने के लिए और गरीब तथा कमजोर लोगों के पक्ष में कर्मचारियों के रुख को बदलने हेतु कार्यक्रमों का सुझाव देना।

(8) राजस्व प्रशासन की लोगों तक आसानी से पहुंच को सुनिश्चित करने तथा भूमि से संबंधित विवादों को तेजी से निपटाने के लिए अधिकाधिक समन्वय तथा तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से विद्यमान रेग्यूलेटरी तथा विकास प्रशासन में सही तालमेल का सुझाव देना।

(9) कमजोर वर्गों के समक्ष आ रही समस्याओं के संदर्भ में ऐसे आम सिद्धांत निर्धारित करना जिन पर न्याय प्रशासन की प्रणाली को पुनर्गठित किया जा सके और उनके लिए न्याय प्रशासन हेतु एक उपयुक्त विधि शास्त्र तैयार किया जा सके।

(10) राजस्व प्रशासन के ऊपर सामाजिक नियंत्रण रखने की एक प्रभावी पद्धति का सुझाव देना ताकि उसे लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके ?

(11) मुकदमेबाजी को कम करने और भूमि लेनदेनों में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में "भूमि पर अधिकार की गारंटी" देने की राज्य की पद्धति की वांछनीयता तथा संभाव्यता की जांच करना।

आयोग में एक अध्यक्ष सहित छह सदस्य शामिल किये जाने का प्रस्ताव है, इन सदस्यों में विशेषज्ञ, व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्रों में काफी अनुभव रखने वाले लोग होंगे।

प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत

9312. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत क्या है;

(ख) अन्य विकासशील देशों में इसकी खपत की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक योजना में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति कितनी खपत रही है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) खपत का स्तर किसी निश्चित समय पर जनसंख्या, उत्पादन और उपलब्धता उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के भण्डारों में परिवर्तन, आय का संवितरण, खपत का प्रतिमान आदि पर निर्भर करता है। 1988-89 और 1989 के लिए खाद्यान्नों की खपत की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता के अनन्तिम अनुमान क्रमश: 446.5 ग्राम और 496.6 ग्राम प्रतिदिन है।

(ख) खाद्यान्नों सहित आहार आपूर्ति संबंधी उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में खाद्यान्नों की उपलब्धता कुछ महत्वपूर्ण विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

(ग) पिछली तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति औसत निवल उपलब्धता निम्न प्रकार है :

पंचवर्षीय योजना	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता
पांचवीं	441.8
छठी	455.1
सातवीं	472.8

छोटे किसानों को पेड़ों के पट्टे जारी करना

9313. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों को पेड़ों के पट्टे जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों को भेजे गए केन्द्रीय दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) 1986 में शुरू की गई वृक्ष पट्टा योजना में सामान्यत: स्थानीय भूमिहीन ग्रामीण गरीबों जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, को पट्टा/लीज मंजूर करने का प्रावधान है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। जिन जमीनों पर यह योजना लागू होती है, वे सरकारी/पंचायत/सामुदायिक बंजर भूमि, भूदान भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि हैं लेकिन इसमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत कवर की गई जमीनें शामिल नहीं हैं। योजना के अन्तर्गत सबसे पहले एक वृक्षारोपण परमिट लागू किया जाता है। यदि वृक्ष संतोषजनक रूप से पनपता है तो 2 वर्ष के बाद वृक्ष पट्टा जारी किया जाता है। योजना में लाभार्थी को वृक्ष उठाने के लिए निर्धारित की गई भूमि पर चाहे जो भी हो, कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसमें लाभार्थी को निर्धारित की गई भूमि पर लगाये/उठाए गये वृक्षों और वृक्षों पर आधारित गतिविधियों से होने वाले लाभों को प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इस योजना में मुख्य बल ईंधन की लकड़ी, चारा तथा फल वाले वृक्ष उगाने पर दिया जाता है। वृक्षों से होने वाले लाभों को प्राप्त करने के अधिकारों के बारे में वृक्ष पट्टा का एक कानूनी महत्व होता है। ये अधिकार इन पर लागू होते हैं :—

(1) सूखी शाखायें, टहनियां और शाखाओं के टुकड़े एकत्र करना,

(2) फल, फूल, बीज, पत्तियां, राल/गोंद आदि का तरल पदार्थ एकत्र करना,

(3) मधुमक्खी पालन, मोगा अथवा टसर रेशम के कीड़े पालने, लाख का उत्पादन करने आदि जैसे वृक्षों पर आधारित कार्य करना,

(4) वृक्षों के ठूंठ/वृक्षों के गूल्मी एकत्र करना।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों ने भारत सरकार द्वारा परिचालित वृक्ष पट्टा योजना के मॉडल के आधार पर वृक्ष पट्टा योजनाएं शुरू की हैं। आंध्र प्रदेश में "पारिवारिक सहायता से निम्नीकृत वन वनों में वृक्षारोपण" नामक अपनी निजी योजना है जिसे केवल निम्नीकृत क्षेत्रों में ही चलाया जाता है जो कि वृक्ष पट्टा योजना से भिन्न है। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने पट्टे पर भूमि देने की योजनाएं शुरू की हैं जिसके अन्तर्गत लाभार्थी को कुछेक वृक्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है।

(2) केन्द्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी के पास एक वृक्ष पट्टा योजना है जो भारत सरकार द्वारा मॉडल वृक्ष पट्टा योजना शुरू करने से पहले आरम्भ की गई थी।

(3) 10 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तथा चार केन्द्र शासित क्षेत्र अर्थात दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, दमन व दीव यथा लक्षद्वीप ने मुख्यतः सरकारी जमीनों पर अनाधिकृत कब्जे की आशंका के कारण तथा व्यक्तिगत स्वामित्व की अपेक्षा सामुदायिक स्वामित्व को वरीयता देने आदि की वजह से वृक्ष पट्टा योजना को लागू करने में संकोच व्यक्त किया है।

(4) 6 राज्यों अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम और सिक्किम से सूचित किया है कि वृक्ष पट्टा योजना के जरिए वन रोपण का मामला उनके विचाराधीन है। केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अभी तक अपने विचार नहीं भेजे हैं।

(5) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में जारी किए गये पट्टों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

सातवीं योजना के दौरान जारी किए गए वृक्षों के पट्टे

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2790	3659
2.	बिहार	92913	30337
3.	गुजरात	771	6745.70
4.	कर्नाटक	1095	2050
5.	मध्य प्रदेश	4331	3322
6.	महाराष्ट्र	709	852
7.	राजस्थान	—	62456

1	2	3	4
8.	तमिलनाडु	72130	15466.65
9.	उत्तर प्रदेश	93542	30586
10.	पांडिचेरी	6068	—

पांडिचेरी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनायें

9314. **श्री डी० पंडियन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग पेंशन योजनाएं लागू हैं, और जिन्होंने भारतीय पेंशन योजनाओं को अपनाया है वे फ्रेंच पेंशन योजना अपनाने वालों की तुलना में कम धनराशि की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों के लिए समान पेंशन योजना लागू करने और इस विसंगति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) पांडिचेरी के भारत में विलय के समय संघ शासित क्षेत्र की भूतपूर्व फ्रेंच सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन योग्य सेवाओं के सम्बन्ध में विकल्प देने की अनुमति दी गई थी। जिन्होंने फ्रेंच सरकार के अधीन पेंशन योग्य सेवा का विकल्प दिया था उन्हें सत्तान्तरण संधि की व्यवस्थाओं के अनुसार फ्रांस सरकार द्वारा महानगरीय पेंशन दी जाती है और जिन्होंने भारत संघ के पांडिचेरी प्रशासन में बने रहने का विकल्प दिया, उन्हें केन्द्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन दी जाती है। इन दो पेंशनों को समान मानना उचित नहीं होगा क्योंकि ये भिन्न-भिन्न पेंशन नियमों तथा दो प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा प्रशासित की जाती है।

नागरिक सुरक्षा

9315. **श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा नागरिकों को हवाई हमलों से बचाने के लिए एक संगठन बनाने एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, पुलों तथा संचार व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक अन्य संगठन बनाने और उसे इस हेतु प्रशिक्षित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, प्रस्तावित संगठनों की रूपरेखा तथा इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) 105 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों में नागरिक सुरक्षा संगठन पहले से ही विद्यमान हैं। नागरिक सुरक्षा एक सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है। धमकी के अनुसार इस संगठन को बढ़ाना तथा सशक्त करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को जान और माल की रक्षा करने हेतु निजी-सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के इर्द-गिर्द सहित कुछ वर्गीकृत शहरों के लिए नागरिक सुरक्षा योजनाएं पहले से ही विद्यमान हैं और अन्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

परती भूमि का विकास

9316. श्री पी० पंचालैया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बेल्लोर जिले में कमजोर वर्गों की सहकारी कृषि समितियों के माध्यम से परती भूमि का विकास करने के लिए कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल नागालैंड के हालात के बारे में आपको बताया था कि वहां एक अवैध सरकार चल रही है । मेरा अनुरोध था कि इस बारे में सभा में एक चर्चा की अनुमति दी जाए । आपने कहा है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और फिर अपना निर्णय देंगे । महोदय, आपसे अनुरोध है कि हमें नियम 184 के तहत आज चर्चा करने की अनुमति दें । जैसा कि मैंने कल कहा था, नागालैंड में जितने अधिक समय तक एक अवैध सरकार कार्यरत रहेगी उतनी ही अधिक कठिनाई बढ़ेगी । नागालैंड बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है । नम नागालैंड में शांति स्थापित करने में सफल रहे हैं । वे भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप पर निर्भर हैं । यदि लोकतांत्रिक स्वरूप से उनका विश्वास उठ गया तो वे उन गतिविधियों को फिर से अपना सकते हैं जो देश के हित में नहीं होगा । महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चर्चा की अनुमति दें ताकि कम से कम इस बारे में स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी और इसके बाद यह आपको निर्णय लेना है कि हमें इस समस्या को किस प्रकार से सुलझाना है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिकिहो सेमा बोलें ।

(व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि नागालैंड विधानसभा में 12 विधायकों द्वारा दलबदल कराया गया । यह दलबदल जनता दल के एक आदमी द्वारा रचा गया था । यह वस्तुतः दलबदल ही है, न कि दल में विघटन । इसलिए अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य करार दिया था । दोनों तरफ 24-24 विधायक थे । इसलिए मुख्यमंत्री श्री एस० सी० जमीर ने विधान सभा में शक्ति परीक्षण की मांग की थी । लेकिन राज्यपाल ने उनको यह अवसर

नहीं दिया। राज्यपाल ने अध्यक्ष को बुलाया और 10 विधायकों को अयोग्य करार देने के उनके निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए कहा। राज्यपाल को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे के गुण-दोष पर मत बोलिए।

(**व्यवधान**)

श्री शिकिहो सेमा : 12 सदस्यों का अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती एक बंगले में रखा गया।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ भी पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा। इस मामले के गुण-दोष पर मत बोलिए।

श्री शिकिहो सेमा : मैं भी इस विषय पर चर्चा करने की मांग का समर्थन करता हूं। महोदय, यदि आप आज यह अवसर नहीं देते तो मैं आपको भी उत्तरदायी ठहराऊंगा। (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : कल नियम 184 के तहत सूचना दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कल बताया था। मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। मैं तो आपको केवल एक क्षण के लिए सुनना चाहता था।

श्री जनार्दन पुजारी : नियमानुसार, एक प्रस्ताव में एक निश्चित मुद्दा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है।

श्री जनार्दन पुजारी : कल एक निश्चित मुद्दा उठाया गया था। हमारे सारे तर्क नियम 186 के तहत निर्धारित सीमाओं के अन्दर थे। महोदय, अब मैं नहीं जानता कि आपने इसकी अनुमति क्यों नहीं दी है। आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय बता रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक संवैधानिक मुद्दे का सम्बन्ध है तो वे संविधान के सभी मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं। संवैधानिक संकट आया हुआ है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। अवैध सरकार जारी नहीं रह सकती। (**व्यवधान**) अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लोकतन्त्र की उच्च परम्पराओं का पालन करते हुए अवैध सरकार को हटा देना चाहिए। (**व्यवधान**) यह तो संवैधानिक संकट है। अतः कृपया निर्णय दीजिए।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : यह मुद्दा कल भी उठाया गया था। आपने कहा था कि आप इस पर विचार कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप इस मामले पर कितनी गहराई तक गए हैं। लेकिन यह प्रश्न सिर्फ नागालैंड तक ही सीमित नहीं है। जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी और इन्द्रजीत गुप्त ने कल कहा, इससे अन्य अनेक मुद्दे उत्पन्न होते हैं। यहां अध्यक्ष की भूमिका का प्रश्न है। लोक सभा के अध्यक्ष के नाते आपको राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे अवगत रहना चाहिए। अतः यह टाला जाने वाला मामला नहीं है। (**व्यवधान**)

क्या आप अपना निर्णय देंगे ? हम आज ही इस पर यहां चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सभा का यह पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष से श्री

इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य सदस्य भी चर्चा चाहते थे। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आपने गृह मन्त्रालय के माध्यम से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है। महोदय, आपने कल कहा था कि आप रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहने वाला हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुरियन को पुकारा है।

(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं नहीं जानता कि श्री इन्द्रजीत गुप्त क्यों नाराज हो रहे हैं। जब गत वर्ष ऐसी ही घटना घटी थी तब सभा की कार्यवाही को एक घंटे तक रोके रखा गया था। हम ऐसा नहीं कर रहे। (**व्यवधान**) हम तो केवल अपना मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। (**व्यवधान**) सभा के सभी पक्ष चर्चा चाहते हैं। हम तो कल ही चर्चा चाहते थे। हम आज भी इसकी मांग कर रहे हैं। मैं तो आपसे केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस बारे में अब अपना निर्णय दें। हम आज ही चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मन्त्री को कहा है कि आज 1.00 बजे म० प० तक इस बारे में तथ्य मेरे पास भेज दें। ये तथ्य मिलने के बाद यदि मैं संतुष्ट हुआ तो मैं इस पर कल वाद-विवाद करने की अनुमति दे दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : आप इस देश में कब तक महिलाओं से बलात्कार तथा उन्हें जलाने का तमाशा देखते रहेंगे और वह भी एक ही निर्वाचन क्षेत्र में ? यह दुःख की बात है कि सिर्फ एक पखबाड़े में ऐसा बार-बार हुआ है। आज एक रिपोर्ट है कि फतेहपुर में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसे जला दिया गया। फतेहपुर में ऐसा क्यों हो रहा है ? (**व्यवधान**) आप कितने हरिजन लोगों को जला हुआ और बलात्कार हुआ देखना चाहते हैं और वह भी फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में ? सरकार द्वारा इस मालले को गंभीरतापूर्वक लेने से पूर्व हमें बताइए कि आपने इस को रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाए हैं। मैं इस बारे में गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं···· (**व्यवधान**) क्या अब आप पर किसी भी भावना का बिलकुल असर नहीं होता ? ऐसा कब तक चलेगा ? वास्तव में प्रधानमन्त्री को, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में यह हुआ, यहां सभा में आकर हमें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या उपाय किए हैं। क्या वह वहां पर गए हैं ? क्या आप इतना सब हो जाने के बाद वहां पर गए हैं··· (**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। गृह मन्त्री ने सभा को वचन दिया है कि वह सभा में एक वक्तव्य देंगे। उन्होंने चार सप्ताह पहले यह वचन दिया था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार कहा था कि वह फतेहपुर की घटना पर एक वक्तव्य देंगे, वह जांच करेंगे और रिपोर्ट···· (**व्यवधान**) हम जानना चाहते हैं कि क्या वह समझते हैं कि हरिजनों

पर अत्याचारों का गृह मन्त्रालय से कोई सरोकार नहीं है, विशेषकर तब जबकि ऐसा प्रधान मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र में होता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर आपसे कहना चाहूंगा कि हम सबके लिए यह बड़े दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आये दिन ऐसी वाकयात हो रही हैं। इससे पहले भी धर्मचन्द्र नाम के एक हरिजन को वहां जिन्दा जलाया गया था। प्रधानमन्त्री जी ने जुर्म कम करने के उद्देश्य से यह कहा कि उस हरिजन ने शराब पी हुई थी इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब फिर दरियापुर गांव में, जो फतेहपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, एक शादीशुदा औरत के साथ तीन लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसे जिन्दा जला दिया गया। पुलिस में इस मामले की एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी है परन्तु वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन अधिकारियों ने वी० पी० सिंह साहब की चुनावों के दिनों में मदद की थी, इसलिए वे उनके करीब हैं और यही कारण है कि उनके विरुद्ध किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह कितने शर्म की बात है। पहले एक हरिजन को जिन्दा जलाया गया, अब एक शादीशुदा औरत के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे जिन्दा जला दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी की कान्स्टीटूऐंसी में ही ऐसी वाकयात क्यों हो रही हैं और किसी को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। कुछ समय पहले धर्मचन्द के केस में पासवान जी ने इस हाउस में बयान दिया था, उस समय गृह मन्त्री जी मौजूद नहीं थे। आज होम मिनिस्टर साहब स्वयं मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वे तुरन्त सदन में घटना का बयान दें। यह गंभीर घटना है। अतः मेरी मांग है कि नियम 193 के अन्तर्गत इस सवाल पर सदन में बहस करायी जाए। आखिर क्या वजह है कि आये दिन हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है।

(व्यवधान) *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, आप क्या चाहते हैं ? वह गृह मन्त्री हैं। पहले हम उनकी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम माननीय गृह मन्त्री जी की बातों को सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि गृह मन्त्री उत्तर देने के लिए सहमत हो गए हैं अतः हम उनकी बात सुनें।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उनके वायदों का कोई अर्थ नहीं है । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या इस दल का कोई नेता है ? क्या उनका कोई प्रवक्ता है जिसकी बात हम सुन सकें ? (व्यवधान) महोदय, हम गृह मन्त्री की बात सुनना चाहते हैं । वे मन्त्री महोदय को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए । आप कैसे जानते हैं कि वह क्या कहने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं । पहले हम गृह मन्त्री की बात सुन लें, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह गृह मन्त्री हैं और उनका यह कर्त्तव्य है । यह उनका कार्य है कि वह गृह मन्त्रालय से संबंधित मामलों का उत्तर सदन में दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश बाबू, मैं आपकी बात तभी सुन सकता हूं जब वे अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, समस्या यह है कि गृह मन्त्री ने पहले ही वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की जानकारी प्राप्त करने के बाद वह अपना वक्तव्य देंगे, परन्तु, अभी तक उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले हम उनकी बात सुन लें ।

श्री दिनेश सिंह : इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि वह फिर वायदे करेंगे और उसे निभाएंगे नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे जानते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : चूंकि उन्होंने पहले ऐसा किया है । इसलिए हम यह निवेदन करते हैं कि आप प्रधानमन्त्री को निर्देश दें कि वह यहां आएं और वक्तव्य दें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं और वह उत्तर देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामला गंभीर है । गृह मन्त्री यहां हैं और वे उत्तर देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें जानकारी चाहिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, शास्त्री के चुनाव में इनवल्व थे जिन लोगों ने हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम गृह मन्त्री की बात सुनें कि वह कहना क्या चाहते हैं । वे यहां उपस्थित हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : महिला के बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, यह क्या है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है । इस मुद्दे पर मेरी बात सुनी जानी चाहिए और इसलिए आप कृपया मुझे बुलाएं । मैं इस बारे में कहना चाहती हूं । यह आज के टाइम्स आफ इण्डिया में छपा है । यह बहुत ही गंभीर बात है । यह प्रधान मन्त्री का नहीं, एक महिला का बलात्कार हुआ है । आपको दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए । इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्या मन्त्री यह बताएंगे कि सरकार क्या करने जा रही है ? हम यह जानना चाहते हैं । गृह मन्त्री इसके लिए उत्तर-दायी हैं । (व्यवधान) चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है, हम यह आशा करते हैं कि सदन को आश्वासन मिलना चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी और अपराधी को सजा मिलेगी । (व्यवधान)

प्रधानमन्त्री का बलात्कार नहीं हुआ है, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, और इस बात पर उसी तरह गौर किया जाना चाहिए । इसलिए हम इसकी मांग करते हैं । मुफ्ती साहब यहां हैं । हम उनसे जानना चाहते हैं । इस जघन्य अपराध के संबंध में क्या स्थिति है ? क्या कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्या वे शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएंगे ? हम यह जानकारी भारत सरकार से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार सदन को आश्वासन दे कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन जानता है ? गृह मन्त्री ही आपको संतुष्ट कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गंभीर मामला है ।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हों ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : प्रधानमन्त्री को यहां बुलाएं । (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : यदि प्रधानमन्त्री यहां उत्तर देने नहीं आते हैं तो हम इसके विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं ।

12.29½ म० प०

तत्पश्चात श्री वसन्त साठे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए ।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : केरल कांग्रेस की ओर से मेरा भी यह विचार है और मैं विरोध में बहिर्गमन करता हूं ।

12.30¼ म० प०

तत्पश्चात श्री पी० सी० थामस सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम) : महोदय, हम अ० भा० अ० द्र० मु० क० (ए० आई० ए० डी० एम० के०) के सदस्य भी इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

12.30½ म० प०

तत्पश्चात श्री आर० मुथिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया। कोई भी इस मामले की गंभीरता को कम करके नहीं आंक रहा है। लेकिन, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग केवल फतेहपुर में हुई बलात्कार की घटना के बारे में जानकारी लेने आए थे। वे कहीं भी ऐसी किसी घटना के विरोध में आवाज नही उठा सकते हैं। जहां कहीं भी ऐसी घटना घटती है हम उसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार को इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि वे फतेहपुर की घटना को अलग करके क्यों देख रहे हैं ? इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।

जब माननीय गृह मन्त्री इस संबंध में उत्तर देना चाह रहे थे—मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कहना था—हम उनकी बात को इसलिए भी सुनना चाहते थे क्योंकि यह एक गंभीर मामला था। इस मामले का राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं था जैसाकि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टत: किया। केवल प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए ही फतेहपुर की घटना को अलग करके देखने की कोशिश की है। यदि ऐसी घटना हमारे निर्वाचन क्षेत्र में घटे—मैं आशा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा—तो क्या मैं दिल्ली में होकर भी इसके लिए उत्तरदायी हूं ? सरकार को वहां कार्रवाई करनी है। (व्यवधान) जहां सरकार नहीं है वहां प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए सांसद विशेष को क्यों अलग किया जाए—मात्र इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र प्रधानमंत्री का है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि इसका उत्तर दें। हमें उनकी बात सुननी चाहिए जो कुछ भी उन्हें कहना है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया दृढ़तापूर्वक व्यक्त करेगी और इस घटना पर कठोर कार्रवाई करेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपाल जी, आप बैठ जाएं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : एक बार फिर हमने ऐसा दृश्य देखा जो इस सदन

के लिए प्रतिदिन की गलत परिपाटी बन गयी है। मैं वह बात दोहराने के लिए मजबूर हूं जो मैंने कल कहा था। जहां तक कांग्रेस पार्टी का संबंध है, जो कि इस सदन में मुख्य विपक्षी दल भी है, मुझे अफसोस है कि यदि यह सरकार चलाने में अक्षम थीं तो यह विपक्षी के रूप में और भी ग़ैर-जिम्मेदार है। आखिरकार, इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति फतेहपुर में हुई घृणित घटना से चिंतित है। हममें से सभी ने निरपवाद रूप से निस्संकोच इसकी निंदा की; और फिर भी हम देख रहे हैं कि यहां एक ऐसा दल है जिसमें अब एक भी प्रवक्ता नहीं है; यह एक ऐसा दल है जो प्रधान मंत्री की एक दिन की अनुपस्थिति पर आपत्ति कर रहा था जब वह अस्वस्थ होने के कारण सभा में उपस्थित नहीं हो सके और उसी दिन इन्होंने कोलाहाल और शोर गुल मचा दिया। मैंने देखा है कि विपक्ष के नेता वास्तव में पूरे सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

मैं रावत जी की मजबूरी जानता हूं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोडा) : क्या हम विपक्ष के नेता के संबंध में या फतेहपुर की घटना के संबंध में चर्चा कर रहे हैं? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं रावत जी की मजबूरी जानता हूं। रावत जी, बाहर क्या बोलते हैं और हाउस के अन्दर क्या बोलते हैं—मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।...

(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, आपने उनको क्या कहने के लिए इजाजत दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपनी बात कही है इसके साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर जोर दीजिए कि उनके दल का प्रवक्ता भी यहां पर होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नेता भी अनुपस्थिति में इस दल का प्रत्येक सदस्य अपने आपको प्रवक्ता समझकर बार-बार खड़ा हो जाता है। शांति बहाल करने के लिए आपको चाहिए कि कोई एक व्यक्ति पर आप जोर दें कि वह ही वक्ता हो, चाहे श्री साठे हों, या श्री नरसिंह राव, श्री कुरियन या श्री कुमारमंगलम, चाहे कोई भी हो, किन्तु एक ही वक्ता होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि श्री पुजारी तो नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दल छाया-मंत्रिमण्डल की

घोषणा करती है। आखिर छाया-मंत्रिमंडल की धारणा यह है कि प्रत्येक मुद्दे के लिए एक वक्ता होना चाहिए और यहां एक वक्ता के बदले आपके 190 वक्ता हैं, जो सभी एक साथ बोलते हैं और परिणाम यह निकलता है कि कांग्रेस दल द्वारा शून्य काल के स्थान पर हुल्लड़ काल होता है···

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : श्री पुजारी को रोज-रोज अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि इस प्रकार का गंभीर समाचार प्रकाशित हुआ है और इस पर अत्यन्त गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, और जहां कहीं भी इस प्रकार की घटना हो उन दोषियों के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। मैं यही सूचना दे रही हूं और यह काम करने का कोई ढंग नहीं है। संकुलयुद्ध में इस प्रकार के मामले अथवा मामलों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यह प्रधान मंत्री की उपस्थिति और उनके मामले के बीच का वाद-विवाद होगा। अतः मैं पुनः एक बार सभा से अपील करती हूं कि इस मामले की ओर अधिक गंभीरता से और पूरी तरह निर्दलीय रूप से ध्यान दें ताकि हम सभी अपनी ओर से इस बात का पूरा-पूरा प्रयास करें कि इस प्रकार की घटना पुनः न होने पाये। इस प्रकार इसमें कोई सहायता नहीं हो सकती है। अतः मैं मुफ्ती साहब से निवेदन करती हूं कि यह राज्य का विषय है जिसका संबंध कानून और व्यवस्था से है। फिर भी, चूंकि पूरे राष्ट्र को इस बात की चिंता है, अतः मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि नवीनतम जानकारी प्राप्त करें और सभा को जानकारी दें और इस सभा के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जानकारी दें कि भारत की संसद को भारी चिंता है और एकमत होकर इस प्रकार के सभी मामलों के खिलाफ उपाय करना चाहती है। मैं आशा करती हूं कि इस संबंध में कुछ सुनने को मिलेगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, फतेहपुर में हरिजन महिला के साथ बलात्कार करके जलाए जाने की घटना उस प्रवृत्ति की द्योतक है, जिस प्रवृत्ति की सरकार इस समय देश के कई राज्यों में स्थापित है, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। यह घटना एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि इसको हरिजनों के ऊपर और महिला के ऊपर अत्याचार की घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। यही कारण था कि कांग्रेस पक्ष के लोग इस मामले को लेकर इतने उद्वेलित थे कि हम लोग माननीय गृह मंत्री जी···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आपका नेता कहां है? वह इस अधिवेशन में नहीं आए हैं। वह पिछले सत्र में केवल तीन या चार दिन ही आए थे।··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सर माननीय गृह मंत्री जी···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैंने आडवाणी जी को सुना है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : माननीय गृह मंत्री जी से, पिछली बार जब इसी घटना के क्रम में फतेहपुर में एक हरिजन को जलाया गया था और हमने सदन के पटल पर बयान रखने की बात कही थी, उसी घटना के क्रम में माननीय गृह मंत्री जी खुद कहते कि पिछली बार मैं समय पर बयान नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं और हरिजन महिला के साथ इस बार जो बलात्कार की घटना हुई है उसके विषय में वक्तव्य देते। लेकिन हमें दुःख इस बात का है कि गृह मंत्री जी सदन में मौजूद होते हुए भी उन्होंने एक शब्द भी इस घटना के विषय में तब तक कहना गवारा नहीं किया जब तक कि सारे कांग्रेस पक्ष के लोग उद्वेलित नहीं हो गया। (व्यवधान) और जब वे बयान देने के लिए उठे तो हमने सोचा कि हमारे सामने ऐसे गृह मंत्री हैं जो पहले बयान नहीं कर पाए थे (व्यवधान) इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह ठीक समझा यह कहना कि हम माननीय गृह मंत्री जी के बयान को नहीं सुनेंगे क्योंकि इसके पहले वे वादा खिलाफी कर चुके हैं फतेहपुर के विषय में बयान देने की। (व्यवधान)

बड़े दुःख की बात है कि माननीय आडवाणी साहब जिनका कि मैं बहुत सम्मान करता हूं उन्होंने इस बार की घटना को उस क्रम में देखने की कोशिश की जिसमें कि अपोजीशन पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को एक गर-जिम्मेदाराना पार्टी के रूप में दिखाया जाता है। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, इस सदन के रिकार्ड बता सकते हैं कि इससे पहले पिछले 5-10 सालों में उधर बैठने वाले लोगों ने कितने गैर-जिम्मेदाराना ढंग से इस सदन में खड़े होकर के इस सारे सदन के समय को जाया किया है। हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार के विषय में केवल 10 मिनट तक आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और माननीय प्रधान मंत्री जी से बयान देने की मांग की है। लेकिन इन लोगों ने केवल मनगढ़न्त आरोपों को ले कर के सदन के समय को जाया किया है। (व्यवधान) आज उधर बैठने वाले लोगों का इस सदन में पहले से जो व्यवहार रहा है, वह व्यवहार कई गुना ज्यादा निन्दनीय रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री हरीश रावत : जिस तरीके से अपोजीशन के नेता में विषय में कहा गया है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे कल भी आए थे। मैं समझता हूं कि माननीय आडवाणी साहब कितने दिन यहां बैठे हैं उससे कम दिन नेता अपोजीशन यहां नहीं बैठे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जितना समय आडवाणी जी यहां रहे हैं, उससे ज्यादा समय राजीव जी इस सदन में रहे हैं, कम समय नहीं रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, हम इस विषय में राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है और कौन-कौन से उपाय किए गए हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इसका उत्तर दें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ज़ी० एम० बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, यह घटना बहुत गंभीर है। इसकी सभी ओर से निंदा की जानी चाहिए। इस संबंध में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे सत्ता-रूढ़ दल से हो या विपक्ष से, एकमत होकर इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करता है और प्रत्येक व्यक्ति इस स्थिति की गंभीरता को समझता है। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह टिप्पणी

करने की कृपा की कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और चूंकि शराब की स्थिति उत्पन्न की जा रही है क्योंकि इस घटना का संबंध हमारे प्रधान मंत्री के चुनाव-क्षेत्र से है। यह सच्ची बात है कि इसका संबंध प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र से है, अतः इस घटना को और अधिक गंभीरता से लिया गया है। प्रधान मत्री का चुनाव क्षेत्र सभी चुनाव क्षेत्रों के लिए आदर्श होना चाहिए और यहां इसी सदन की स्थिति को देखते हुए पिछली लोक सभा में हमने प्रायः यह देखा कि विपक्ष की ओर से प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र का उल्लेख किया गया··· (**व्यवधान**) वे धैर्य से सुन भी नहीं सकते हैं। जब इस प्रकार की गंभीर घटना होती है तो प्रधान मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नही होते हैं। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं। किन्तु प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र में हुई इस गंभीर घटना को देखते हुए यही उचित होता कि प्रधान मंत्री स्वतः आ जाते और वक्तव्य दे देते ताकि अधिकारी वर्ग और प्रशासन इस घटना की गंभीरता को समझ जाते। अतः विपक्ष की यह मांग कि प्रधान मंत्री सभा के समक्ष आए एक उचित मांग थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं। मैं समझता हूं कि अब गृह मंत्री को सुनें।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : मान्यववर, गांव दरियापुर, थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर में जो घटना घटी है, वहां पर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह सारी कांग्रेस की साजिश है और इसमें एक कांग्रेस का कार्यकर्त्ता भी शामिल है। इसमें मैंने जो यह कहा है कि एक हरिजन की हत्या हुई है उसमें भी कांग्रेस के लोगों का ही हाथ है, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। प्रधान मंत्री जी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस के लोग दिल्ली के इशारों पर, यह हत्यायें कर रहे हैं और हरिजनों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। फतेहपुर की एक विधान सभा सीट, जो जहानाबाद के नाम से है, वह लोक सभा घाटमपुर का एक हिस्सा है, जहां से मैं चुन कर आया हूं, इस तरह के उत्पीड़न आए दिन वहां पर हरिजनों के साथ हो रहे हैं। किसी भी दल से संबंधित चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे उसको फांसी ही क्यों न देनी पड़े, वह भी उसके लिए कम है। (**व्यवधान**)

यह सब इसलिए किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हो, लेकिन प्रधान मंत्री जी की छवि नहीं बिगड़ेगी, बल्कि हत्या करने वाले लोगों को फांसी देनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। हम आपके माध्यम से सभा और पूरे राष्ट्र का ध्यान देश में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं की ओर दिलाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचंद्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय गृह मन्त्री महोदय को बोलने के लिए कहा, लेकिन माननीय

सदस्य संसद के समय पर बलात्कार कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी भी उतने ही माननीय सदस्य हैं जितने आप हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : आप को याद होगा कि इससे पहले की घटना हम ही ने यहां पर उठाई थी और यह दूसरे सदन में भी उठाई गई थी। गृह मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि उन दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने उस हरिजन महिला के पति की हत्या की जिसने समझौते का पालन करने का विरोध किया···· (व्यवधान)

डा० विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : हम उस विषय पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं जिस पर दूसरे सदन में चर्चा हुई है।···· (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय प्रधान मन्त्री ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी जाएगी और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिन्होंने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया है। प्रधान मंत्री महोदय अपने चुनाव क्षेत्र में इस घटना के पश्चात गए और वहां भी उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी चुनाव क्षेत्र में और एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसको जला दिया गया। हमने इस मामले में भी यहां अपने माननीय सदस्यों का योगदान देखा है। आज हमने आदरणीय सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके लिए मेरे हृदय में बहुत आदर है, का प्रवचन सुना। उन्होंने कहा कि हम इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। (व्यवधान) महोदय, आपनी जानकारी के लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि वे आठवीं लोकसभा में क्या किया करते थे। महोदय, उस समय आप यहां नहीं थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, ये साम्यवादी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उन दिनों इस सदन में मनमानी करते थे। वे उन दिनों अध्यक्ष के पास गए थे और सभा के बीचों-बीच आकर बैठ गए और सदन की कार्यवाही रोक दी थी। किन्तु अब, महोदय, हम एक सभ्य तरीके से आचरण कर रहे हैं ताकि सदन की गरिया और मर्यादा बनी रही और संसद की उच्च परम्पराओं का पालन कर रहे हैं। वे अब हमें उपदेश दे रहे हैं। (व्यवधान) महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हमें गृह मन्त्री के वक्तव्य पर विश्वास नहीं। अतः, प्रधान मन्त्री को आना पड़ेगा और यहां एक वक्तव्य देना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार यदि मैंने गृह मन्त्री को बोलने के लिए नहीं बुलाया, तो मैं कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से मैं अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहूंगा। सदन उन्हें सुनने के लिए उत्सुक है। गृह मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, इससे पहले कि आप गृह मन्त्री को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दें, क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इससे पहले कि वे अपना वक्तव्य दें···।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (**व्यवधान**)

1.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपने स्थान ग्रहण करेंगे ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सिर्फ गृह मन्त्री बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैं समझता हूं, प्रो० कुरियन को गृह मन्त्री को सुनने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं सोचता हूं कि वे गृह मन्त्री और उनके साथियों को भी ध्यान से सुनेंगे। वे गृह मन्त्री के बोलने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। हां, प्रो० कुरियन।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे कृपया सदन की कार्यवाही चलाने देंगे ? हां, प्रो० कुरियन।

(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपने गृह मन्त्री को बुलाया है। हम हमेशा आपकी व्यवस्था का पालन करते हैं। किन्तु इससे पहले कि वे वक्तव्य दें, मैं आपके द्वारा, माननीय मन्त्री और इस सदन को सिर्फ इस बारे में सूचित करना चाहूंगा कि वे सदन में दिए गए वादे को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। (**व्यवधान**) मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। मैंने कहा "इससे पहले कि वे वक्तव्य दें।" अर्थात वह वक्तव्य देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्री राम विलास पासवान ने वक्तव्य दिया था। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यही मैं कह रहा था। (**व्यवधान**) महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी कह रही हैं कि राम विलास पासवान ने वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वक्तव्य से संतुष्ट हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं, नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। (**व्यवधान**) महोदय, यह हरिजनों पर अत्याचार का प्रश्न है। (**व्यवधान**) श्री मुफ्ती साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि वह सदन में गृह मंत्री के रूप में एक वक्तव्य देंगे। किन्तु, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले सप्ताह उन्होंने वक्तव्य क्यों नहीं दिया। प्रधान मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र में यह पांचवीं घटना है। हम अभी भी अनुभव करते हैं कि यह प्रधानमन्त्री की जिम्मेवारी है कि वे यहां आएं और वक्तव्य दें। किन्तु आपकी व्यवस्था के कारण, पूरा विरोध करते हुए, प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में, हम उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति देते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम गृह मन्त्री को सुनें।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक हरिजन मारा गया और····(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे सदन में इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मन्त्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : प्रधानमन्त्री यहां हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं एक वक्तव्य दूंगा।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : क्या श्री कुरियन इस सदन के महा-अध्यक्ष हैं?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, उन्होंने (ब्लडी फैलो) शब्द कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं। मैंने कुछ नहीं सुना। कार्यवाही वृतान्त में कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : वह एक वरिष्ठ सांसद हैं। उन्हें ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना। गृह मंत्री और प्रधानमन्त्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री एन० सुंदरराज (पुडुकोट्टाई) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दें।

श्री एन० सुंदरराज : महोदय, हमने प्रो० मधु दण्डवते को हमारे एक सदस्य को 'ब्लडी फैलो' कहते हुए सुना।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आडवाणी जी की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, आपने निर्णय सही दिया। आपने इस बारे में अपना निर्णय दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने दे दिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने कुछ सुना ही नहीं, और कुछ रिकार्ड पर भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ सुना ही नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को सोचना चाहिए कि दण्डवते जी जैसे बहुत संतुलित और संयमित व्यक्ति के लिए क्या ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है। हो सकता है, आपको गलत सुनायी दिया हो। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नो प्वाइंट ऑफ आर्डर, आप बैठिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, अब सारा सदन माननीय गृह मन्त्री जी को सुनने का इच्छुक है। (**व्यवधान**) आप गृह मन्त्री जी को कहिए।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : प्रो० मधु दण्डवते को खुद कहने दीजिए कि उन्होंने क्या कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने अब गृह मन्त्री को बोलने की अनुमति दी है।

(**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह जबान की फिसलन हो सकती है पर यह असंसदीय है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस माहौल को देखते हुए मैंने अपने साथी से यह जरूर कहा था "सदन में यह कैसा गंदा माहौल है।" मैंने यह कहा था। किन्तु मैं सोचता हूं, यह शब्द भी संसद की गरिमा के खिलाफ है।

उच्च संसदीय परम्परा का पालन करते हुए मैं गलती से बोले गए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शांत रहें।

गृह मंत्री।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : प्रधान मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें एक हरिजन मारा गया। यह बात सरकार के ध्यान में लाई गयी और प्रधानमन्त्री के निर्देश से—वह भी इतने ही चिंतित हैं—फरार अपराधियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और धारा 302 के अन्तर्गत उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। निर्वाचन क्षेत्र में विशेष बल तैनात किए गए। मृत व्यक्ति की विधवा को राज्य सरकार ने कुछ हद तक, मुआवजा दिया। (**व्यवधान**) कृपया मुझे सुनें। प्रधानमन्त्री ने अपने राहत कोष से भी परिवार को 20,000 रुपए दिए।

मैं यह कहूंगा कि वर्तमान सरकार हरिजनों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार से चिन्तित है। मैं नहीं जानता कि क्यों विपक्ष के माननीय सदस्य—कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिनमें पंजाब में भी कुछ हरिजन मारे गए हैं—वे सिर्फ फतेहपुर पर ही उंगली क्यों उठा रहे हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : क्योंकि यह प्रधानमन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र है।

(**व्यवधान**)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जब आप फतेहपुर की घटना पर चिन्तित हैं तो, आपको भागलपुर के हत्याकांड पर भी समान रूप से भी चिन्तित होना चाहिए जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। (**व्यवधान**) कृपया उन्हें मेरी बात सुनने दें। (**व्यवधान**) यह सरकार भी उतनी ही चिन्तित है। यह उन स्थितियों को सुलझाने में बड़ी तत्पर है जहां हरिजनों पर अत्याचार हुआ है। (**व्यवधान**)। मैं यह कहूंगा कि हमने वर्तमान सरकार के निर्देश में विशेष उपाय किए हैं। अगर लोग हरिजनों पर अत्याचार में शामिल हैं तो, अपराधियों को विशेष अदालतों द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। विशेष अदालतें बनाई जा रही हैं। (**व्यवधान**)। हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक अधिकार दिए हैं। हम स्थिति से सख्ती से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। अगर फतेहपुर में एक घटना हुई है, तो उससे निपटना चाहिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : एक?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं नहीं जानता। यह दूसरी घटना जिसमें एक व्यक्ति की पत्नी की हत्या की गई···

एक माननीय सदस्य : बलात्कार किया गया और हत्या की गई।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं नहीं जानता। मुझे जांच-पड़ताल करनी है। इसमें कौन व्यक्ति शामिल है और वह किस दल से सम्बन्धित है इस बारे में शीघ्र जांच की जाएगी। हम निष्पक्ष हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री बोल रहे हैं। कृपया उन्हें सुनें। उन्होंने खत्म नहीं किया है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक दूसरी घटना का संबंध है, हम उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री के लगातार सम्पर्क में हैं। तथ्य सामने आने पर हम आगे कार्यवाही की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। (**व्यवधान**) मैं माननीय विपक्षी सदस्यों को यह अवश्य कहूंगा कि आपके पास कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपने इस सभा का बहुत समय बर्बाद किया है। आप इस मामले में गंभीर नहीं हैं। कल, भारत सरकार के बड़े विभागों की मांगों के चर्चा किए बिना ही स्वीकार कर लिया गया। हमारे पास सरकार के व्यवस्थित कार्यक्रम और मंत्रालयों के कार्यकलाप पर चर्चा करने का समय नहीं था। यह सब आपके ध्यान दूसरी तरफ खींचने के तरीकों की वजह से है। आप बेकार की बातें पर जोर दे रहे हैं जैसे अपने मंत्रिमंडल के मन्त्रियों का परिचय कराते समय प्रधान मन्त्री को उपस्थित रहना चाहिए था। कृपया सदन की कार्यवाही के प्रति गंभीर रहें। फतेहपुर में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इस घटना की सबसे अधिक निंदा की जानी चाहिए। दूसरी घटना के बारे में जो भी तथ्य इकट्ठे हुए हैं उन्हें सदन के सामने लाया जाएगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री।

श्री वसंत साठे : उनके बोलने से पहले क्या मैं कुछ कह सकता हूं? प्रधान मन्त्री को यह बताते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है—यदि उन्हें ठीक याद हो, तो आरम्भ में, हमने सरकार को रचनात्मक सहयोग देने का वायदा किया था। (**व्यवधान**) हमने वायदा नहीं किया था। हमारे नेता ने प्रधान मत्री से वायदा किया था, किसी अन्य से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष से बात करें।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय प्रधाम मन्त्री से यह जानमा चाहूंगा कि क्या फिर बदला लेने की

भावना से कुछ चुने हुए लोगों पर जुल्म शुरू किया जाएगा जैसे कि 42 चुने हुए लोगों पर और राज्य सभा के कुछ सदस्यों पर भी किया गया है, क्या वह उम्मीद करते हैं···(**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यहां क्या हो रहा है ? हमें उस दुर्घटना के तथ्य प्राप्त करने चाहिएं जो एक हरिजन महिला के बलात्कार और उसे जलाये जाने के बारे में है। वह अधिक महत्वपूर्ण है न कि यह जो हो रहा है। (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : अब जब वे यहां हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस सरकार का क्या रवैया है ताकि हम भी कोई कार्यवाही कर सकें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम प्रधान मन्त्री की सुनेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं सोचता हूं यह अभिशंसी चिन्हों का मुद्दा नहीं है। मैं विपक्षी सदस्यों के गुस्से में भागीदार हूं। मेरे विचार से, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस ओर बैठे सभी सदस्य इस गुस्से में भागीदार हैं। और इस पर, हमारे दिमाग और दिल साफ हैं। मैं जब यहां हूं, मेरा उत्तरदायित्व केवल फतेहपुर तक ही नहीं है अपितु भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना के लिए मैं उत्तरदायी हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के रूप में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या के कारण हीं मैंने अपना पद-त्याग किया था और इसको रचनात्मक उत्तरदायित्व का प्रश्न माना था। इसलिए, वे लोग जो उच्च पदों पर हैं, ऐसा नहीं है कि वे स्वयं अपराध करते हैं किन्तु रचनात्मक उत्तरदायित्व के सार्वजनिक जीवन के मूल तत्व को बनाना है और इसे मजबूत रखना है। इसमें, मैं आपके साथ हूं। यह केवल मेरा दृष्टिकोण ही नहीं है अपितु मैंने इसे कार्यान्वित भी किया है। (**व्यवधान**)

इसलिए, जैसे ही इस विषय की मुझे जानकारी मिली, गृह मन्त्री ने यह पहले ही कह दिया है, मैंने तुरन्त शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की और उन्होंने उसका ब्यौरा दे दिया है और मैं इसे पुनः नहीं दोहराऊंगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि जैसे ही यह विषय मेरे ध्यान में लाया गया, मेरी तथा सरकार की ओर से तुरन्त कार्यवाही करने में कोई देरी नहीं हुई है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा और कोई भी इस प्रकार बच नहीं पाएगा। ऊपर से नीचे तक सभी अफसरों को किसी भी गलती को बारीकी से ढूंढने की लिए कहा है और उन अफसरों को भी माफ नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : प्रधान मन्त्री महोदय, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है ? मैं जानना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : किन्तु आपने उस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कुरियन जी, मैं एक अन्य कहानी सुनाना चाहूंगा। कृपया इसे ध्यान से सुनें। हमें निर्दोष और दलित लोगों का खून नहीं बहाना है; जो खून बह चुका है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यदि यह ऐसा है, तो बहुत दुःख और दर्द के साथ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। फतेहपुर में दुगाराई एक गांव है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान, जब हम जा रहे थे, अन्तर्राष्ट्रीय प्रैस भी वहां उपस्थित थी, हम पर गोलियां चलाई गई। उस दल में मैं भी था। उसके पश्चात, चुनावों के बाद, जब आप इस ओर बैठे थे, हम दूसरी ओर थे··· (**व्यवधान**) मैं अपनी बात पूरा करूंगा। आपने इस पर एक घंटा ले लिया है। अब मुझे अपनी बात कहने दें। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानता। किन्तु मैं एक कहानी भी सुना

रहा हूं। दुगाराई गांव में अगले ही दिन मेरे हरिजन एजेंट की हत्या कर दी गई क्योंकि वह केवल एक एजेंट था। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या यह इसका औचित्य है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसमें एक फर्क है। जब नई सरकार आई तब तक हत्यारों को खुला छोड़ा हुआ था। फर्क यह है कि जैसे ही हम सत्ता में आए, उन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यही फर्क है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान न हो।

श्री वसंत साठे : उन्हें तीन वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तीन वर्ष नहीं। नवम्बर, 1989 में, लोक सभा चुनावों के प्रचार के समय। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : क्या यह बचाव के लिए तर्क है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बचाव नहीं है। यह एक दुःखद घटना है। तो भी, आप कह सकते हैं कि मैं उत्तरदायी हूं। ठीक है। मैंने एक हरिजन एजेंट क्यों रखा? यह मेरी जिम्मेवारी पर था। मुझे यह सोचना चाहिए था कि उसकी हत्या की जा सकती है और मुझे यह एहतियात बरतना चाहिए था कि वहां किसी हरिजम एजेंट को नहीं भेजूं। मुझे अफसोस है। (व्यवधान) मैं किसी सरकार को दोष-मुक्त नहीं करता और मैंने आपको बताया था कि वे आदमी जेल में हैं, जिन्होंने एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आदमी की हत्या की थी और मैं यह आश्वासन देता हूं कि पूरी कार्यवाही की जाएगी, और यदि किसी प्रकार की गलती है तो अफसरों समेत, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। मैंने मुख्य मन्त्री को पूरी कार्यवाही करने के लिए कहा है। इस सन्दर्भ में मुख्य बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग केवल आर्थिक रूप से ही पिछड़े नहीं, वे सामाजिक अभिशाप भी सहन करते हैं; और कई बार ऐसा होता है कि जो सामाजिक तौर पर ऊंचे स्तर पर हैं वे इन्हें ऊपर उठता हुआ नहीं देख पाते हैं और ऐसी स्थितियां के पश्चात सामाजिक टकराव उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिगत मामले अलग हैं। मुझे बताया गया है, जो व्यक्ति दोषी घोषित किया गया है उस पर पहले भी किसी हत्या के मामले में अभियोग चलाया जा चुका है। यह अलग बात है। मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बिहार में देखा है—जहां भूमि सुधार कार्यक्रम बिल्कुल शुरू नहीं हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं दिया गया है और वास्तव में पिछली भूमि व्यवस्था ही चली आ रही है। सामन्ती प्रथा यथा-स्थान है। वहां, ये टकराव बहुत तीव्रवार होते हैं और इनके शिकार पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, इसलिए, इस सन्दर्भ में, पहले सामाजिक और आर्थिक स्तर पर और फिर भूमि सुधारों के बारे में कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान सरकार भूमि सुधार को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखने के लिए वचनबद्ध है। और अधिसूचना भी···

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : कृपया एक मिनट के लिए मुझे बोलने दें। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरी बात पूरी होने के बाद आप पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधानमन्त्री को बोलने की अनुमति दी है। और श्री शंकरानन्द, प्रधान

मन्त्री ने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। हां, प्रधान मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं हर वाक्य के बाद जवाब नहीं दे सकता। मुझे समाप्त करने दें।

और पिछली सरकार द्वारा अत्याचारों पर एक कानून भी पारित किया गया था किन्तु राज्यों के अलग-अलग विचारों के कारण इसे अधिसूचित नहीं किया गया था। हमने देखा कि यह आवश्यक नहीं है, केवल परामर्श पर्याप्त है, सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं है। अब हमने विशेष अदालतें नियुक्त करने के बारे में 30 जनवरी को अधिसूचना जारी की है। आपको यह जानकर प्रसनता होगी कि अधिकतर राज्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ नृशंसताओं के संबंध में विशेष न्यायालय स्थापित करना स्वीकार किया है।

इस वर्ग के लिए हमारी चिंता के कारण हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी सांविधिक दर्जा दे रहे हैं। इस संबंध में भी निर्णय आने वाला है।

सामान्य संदर्भ में जब ऐसा हो रहा है, विशेष मुद्दे पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं यह आश्वासन सभा में गंभीरतापूर्वक दे रहा हूं कि न केवल फतेहपुर में ही परन्तु देश में कहीं पर भी जहां कहीं ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शंकरानन्द का नाम पुकारा है क्योंकि प्रधान मन्त्री महोदय ने उनकी बात सुनने का आश्वासन दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया शांत रहेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : पी० एम० के बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, मैं इसलिए मौका दे रहा हूं वरना नहीं देता।

श्री मदन लाल खुराना : इनसे तो बोफोर्स सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्राइम मिनिस्टर राजी हो गए थे इसलिए मैं मौका दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : कल मुझे श्रीमती रावत मिलीं, जिन्होंने उस हरिजन, जिसे मार दिया गया था, की पत्नी को आश्रय दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि उसको सुरक्षा नहीं दी गई है और उन्हें भी धमकाया जा रहा है। क्या प्रधान मंत्री इस बात से अवगत हैं कि यह लोग संरक्षण के लिए मारे-मारे फिरते हैं और दोषी लोग इस समय भी मुक्त छोड़ दिए गए हैं और उस क्षेत्र के हरिजनों को आतंकित कर रहे हैं ?

क्या प्रधान मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि वह इन इलाकों में जाकर जनता को विश्वास दिलाएंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने पहले ही कल वहां जाने का निश्चय किया है ।

1.31 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं मन्त्री की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 846/90]

सीमा सुरक्षा बल (सहायक कमाण्डेंट) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (सहायक कमाण्डेंट) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 जो 20 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 35 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 847/90]

भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार वाणिज्यिक—पवन हंस लिमिटेड

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : ऊर्जा

मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 5 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1989 का संख्या 12)-वाणिज्यिक, पवन हंस लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 848/90]

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण; पासपोर्ट कार्यालयों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2885 के 25 नवम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : महोदय, श्री इन्द्र कुमार गुजराल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 35 के अन्तर्गत अधिसूचना सं० सा० का० नि० 721(अ) जो 31 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें ऐसा आदेश दिया हुआ है जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, अध्याय 3 को छोड़कर 31 जुलाई, 1989 से नीदरलैंड्स पर लागू होंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 849/90]

(3) (एक) पासपोर्ट कार्यालयों के बारे में श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2885 के 25 नवम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 850/90]

1.32 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, मारमुगाओ डाक श्रम बोर्ड, कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 68 (अ) जो 8 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 82 (अ) जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 851/90]

(2) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मारमुगाओ डाक श्रम बोर्ड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगाओ डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 852/90]

(ख) (एक) कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 853/90]

(ग) (एक) विशाखापत्तनत डाक श्रम बोर्ड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 854/90]

(घ) (एक) कोचीन डाक श्रम बोर्ड, कोचीन का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन डाक श्रम बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 855/90]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 852/90 से 855/90]

(4) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 856/90]

(6) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 857/90]

(8) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 858/90]

(10) (एक) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त 10 में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 859/90]

(12) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) बंबई पत्तन न्यास, बंबई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) बंबई पत्तन न्यास, बंबई के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 860/90]

(ख) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 861/90]

(ग) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकारा द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 862/90]

(घ) (एक) न्यू मंगलौर न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 863/90]

(ङ) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 864/90]

(च) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 865/90]

(छ) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 866/90]

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 860/90 से 866]

(14) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल टी० 867/90]

(16) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 868/90]

(18) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 869/90]

(20) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 870/90]

(22) (एक) मारमुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 871/90]

(24) (एक) विशाखापत्तन पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 872/90]

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1990; और टेलीफोन अभिदान दरों में वृद्धि के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 262 के 29 मार्च, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[हिन्दी]

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1990, जो 29 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 873/90]

(2) (एक) टेलीफोन अभिदान दरों में वृद्धि के बारे में श्री गुलाब चन्द कटारिया द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 262 के 29 मार्च, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 874/90]

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 875/90]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन—संघ सरकार (दिल्ली प्रशासन), संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय), संघ सरकार और वर्ष 1988-89 के संघ सरकार विनियोग लेखे और वित्त लेखे

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, श्री अनिल शास्त्री की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 3)—संघ सरकार (दिल्ली प्रशासन)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 876/90]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 8)—संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 877/90]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का सं० 13)—संघ सरकार—सिविल।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 878/90]

(2) वर्ष 1988-89 के संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए सं० एल० टी० 879/90]

(3) वर्ष 1988-89 के संघ सरकार, वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए सं० एल० टी० 880/90]

1.33 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य के रूप में, श्री राम धन, जिन्होंने इस समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, समिति की शेष अवधि तक कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में, श्री राम धन, जिन्होंने इस समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, समिति की शेष अवधि तक कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.34 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

भारत-पाक सीमा के निकट छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों का जमाव

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैं रक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"छम्ब क्षेत्र में भारत-पाक सीमा के निकट पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों के कथित जमाव तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : श्रीमन, सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपनी संक्रियात्मक तैयारी और बेहतर बनाने के लिए सभी उपाय किए हैं। पाकिस्तान, खासतौर पर, पाक-अधिकृत कश्मीर में अपनी विरचनाओं को अत्यधिक रूप से चौकन्ना रख रहा है। यह देखा गया है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्रों को संक्रियात्मक रूप से तैयार कर दिया है और राडार की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सरकार ने, पाकिस्तान द्वारा छम्ब क्षेत्र में टैंक लाये जाने, विरचनाओं एवं यूनिटों की अपने-अपने संक्रियात्मक दायित्व के क्षेत्र में आवाजाही के बारे में समाचार पत्रों में भी रिपोर्टें देखी हैं। भारत-पाक सीमा के साथ लगे अन्य क्षेत्रों में उनकी यूनिटें और विरचनाएं सतत् तैयार स्थिति में रहती हैं और इस समय ग्रीष्मकालीन सामूहिक प्रशिक्षण अभ्यास कर रही हैं।

2. सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठा रही है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने अपना उत्तर बहुत संक्षेप में दिया है। उन्होंने कुछ भी बात विस्तार से नहीं की है जिससे कि स्थिति बिगड़े नहीं। लेकिन, मेरे विचार से यह मेरा कर्त्तव्य है कि यह बात मैं उनके ध्यान में लाऊं कि उनका वक्तव्य वास्तव में स्पष्ट नहीं है इससे बात स्पष्ट नहीं होती। पूरा राष्ट्र चिन्तित है। हम सब इस तथ्य से अवगत हूं कि पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री श्रीमती भुट्टो ने केवल एक सार्वजनिक सभा में नहीं बल्कि बहुत-सी सार्वजनिक सभाओं में इतना उग्र भाषण दिया है और उन्होंने अपने भाषण में कठोर शब्दावली का इस्तेमाल किया है और उन्होंने 'जेहाद' अर्थात एक हजार वर्ष युद्ध की घोषणा की थी। मुझे याद है कि इस सदन में, प्रधानमन्त्री जो हमारे रक्षा मन्त्री हैं, ने कहा था कि वे केवल एक हजार घंटे युद्ध नहीं कर सकते, एक हजार वर्ष की बात छोड़िए, लेकिन मेरे विचार से आज के संदर्भ में यह उत्तर पर्याप्त नहीं है। यह रक्षा मन्त्री के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई राडार गतिविधियां और एयर फील्ड गतिविधियों को हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं की उपस्थिति को भी हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। मेरे विचार से हमें इस वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि आप रक्षा तैयारी के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं। हम इस मुद्दे के बारे में थोड़ी अधिक स्पष्टता चाहते हैं। हम प्रधानमन्त्री और रक्षा मन्त्री से राष्ट्र को और हमें विश्वास में लेने का अनुरोध करते हैं क्योंकि युद्ध हिस्टीरिया केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुर्भाग्य से भारत में भी इसका असर पड़ रहा है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं बल्कि मेरे विचार से भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का हक है कि हमारी रक्षा तैयारी कितनी है, हम कितने सचेत हैं, क्या हमारी सेनाएं और रसद सीमा पर पहुंच गए हैं अथवा नहीं, क्या हम अपने दुश्मन का सामना कर सकते हैं। वर्षाकाल में हमारी स्थिति क्या है, जब बर्फ पिघलेगी और रास्ते खुल जायेंगे तब क्या होगा। हमारी तुलनात्मक शक्ति कितनी है जिससे कि इस 'हिस्टीरिया' को रोका जा सके। अचानक स्थिति असुरक्षित होने का प्रश्न नहीं उठता। मैं प्रधानमन्त्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि कश्मीर में उत्पन्न स्थिति से यह पता चलता है कि पाकिस्तान किस प्रकार चोरी छिपे सीमा पार करने की कोशिशें कर रहा है, विद्रोहियों को हथियार, आतंकवाद को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है और कश्मीर में आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न कर रहा है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमाओं को बढ़ाने की योजना का एक हिस्सा है। मुझे याद है कि सरकार की सहयोगी पार्टियों या समर्थनकारी पार्टियों में से एक, भारतीय जनता पार्टी ने यह वक्तव्य दिया था कि हमें कैंपों पर हमला या छापा मारना चाहिए, मैं पुनः दोहराता हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर में जहां आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां कैंपों में छापा मारने और हमले के लिए कहा गया था। बाद में इसमें इस आशय का संशोधन किया था कि 'यदि आवश्यक हुआ तो'। मुझे याद है कि यह संशोधन प्रधानमन्त्री के वक्तव्य देने के बाद हुआ था कि 'यदि आवश्यक हुआ तो हम ऐसा करेंगे।' मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी है या नहीं ? क्या ऐसा किया जा रहा है या नहीं ? यह आवश्यक नहीं है कि आप स्पष्ट उत्तर दें लेकिन, मैं साधारणतया जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह राय है कि आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है—वहां ऐसे कैंप हैं या क्या वे ऐसा महसूस करते हैं कि ये सभी समाचार जो हम समाचारपत्रों में पढ़ते हैं, वह विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि आपके गुप्तचर विभाग ने आपको सूचित किया है कि ये केवल कहानियां हैं, जो युद्ध 'हिस्टीरिया' बनाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वास्तव में पाक

अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं कम से कम केवल इतना जानना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त, दूसरा बहुत ही मौलिक प्रश्न भी है। आज सुबह 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में मैंने पढा है—कि कल हमारी पुंछ सैक्टर स्थित चौकी पर पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से कुछ गोली-बारी की गई थी और मैं समझता हूं कि हमें भी बदले की कार्रवाई करनी पड़ी और दूसरी तरफ के भवन ध्वस्त हो गए थे। सौभाग्यवश इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस प्रकार की कितनी झड़पें अब तक हो चुकी हैं? क्या ऐसी झड़प की यह एकमात्र घटना है या ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं।

जैसा कि माननीय रक्षा राज्य मन्त्री ने बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना को पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि हमने सेना को किस स्तर तक सतर्क किया है? क्या हमने अपनी सेना को आरम्भिक स्तर पर सतर्क किया है या मध्यम स्तर तक सतर्क किया है या 'रेड एलर्ट' पूरी तरह से सतर्क या 'ग्रीन एलर्ट' किया है? तथा इस सदन के सदस्य होने के नाते तथा राष्ट्र के नागरिक होने के नाते भी हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हम अनुमान ही क्यों लगाते रहें? क्या पाकिस्तानियों के लिए इनके पास उपलब्ध उपग्रह-निगरानी व्यवस्था और 'अवाक्स' विमानों के रहते यह सब पता लगाना अधिक कठिन है? मुझे विश्वास है कि अपनी निगरानी प्रणाली की सहायता से वे सैनिकों की तैनाती की पूरी जानकारी का सही-सही पता लगा सकते हैं। आधुनिक तकनीकी के होते हुए यह जानना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन केवल हमारे लिए ही यह जानना कठिन है क्योंकि दुर्भाग्यवश हमें इस सम्बन्ध में जानकारी प्रेस एवं दूरदर्शन से और जब सरकार स्थिति की जानकारी देना इस सदन में उचित समझे, तभी प्राप्त होती है—अन्यथा, हमें जानकारी नहीं मिलती है। या, यदि हम बहुत भाग्यशाली रहें तो जब सदन में किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होती है या यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमें जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दें तभी हमें जानकारी मिलती है, अन्यथा हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हम आपकी प्रजा हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारा क्या स्थान है। लेकिन फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और आपने उन्हें कितना सुरक्षित रखा है। वे जानते हैं कि आपने इसे कितना सुरक्षित रखा है इसलिए हमें भी यह जानकारी मिलनी चाहिए।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरा यह कर्तव्य है कि मैं माननीय रक्षा मन्त्री को यह बताऊं कि उनका हमारी अखंडता और सुरक्षा पर उनका आक्रमण एकतरफा नहीं बल्कि चौतरफा है। पाकिस्तान ऐसा बहुत ही परिष्कृत स्तर पर कर रहा है। एक तरफ तो वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार रहे। यह पता करने के लिए कि हमारी सेना—थल सेना, वायु सेना और नौ सेना—पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं, वे ऐसी झड़पें तथा उकसाने वाले छोटी-मोटी वारदातें कर रहे हैं। दूसरे यह मानी हुई बात है—सरकार और पूरी दुनिया जानती है—कि वे आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और छिपे तौर पर और भूमिगत तरीके से कश्मीर में विद्रोह फैला रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युद्ध की स्थिति में हमारे स्थानीय बलों को स्थानीय लोगों का उतना सहयोग नहीं मिल सके जितना मिलना चाहिए और इस प्रकार वे छिपे तौर पर अपनी खुफिया गतिविधियां जारी रख सकें। मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि आतंकवादियों के भेष में या उनकी वेशभूषा में उनके एजेंट कश्मीर में नहीं हैं, लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार, इतना

निश्चित है कि वे वहां हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा कदम उठाया जा रहा है कि अपनी सीमा के अन्दर के उस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए।

तीसरी बात, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है काहिरा में आयोजित होने वाला इस्लामी शिखर सम्मेलन। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और श्रीमती भुट्टो ने अपने विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा आठ अन्य मन्त्रियों को सभी 30 इस्लामी देशों में इस बात का प्रचार करने के लिए भेजा था कि कश्मीर के मामले में आत्म निर्णय के मुद्दे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वे कश्मीर को कश्मीर के रूप में ही नहीं देख रहे हैं। वे कश्मीर के मामले को मुसलमानों के आत्म निर्णय की दृष्टि से सोवियत संघ के कॉकेशियन क्षेत्र के पार एशिया के दूसरे भाग का क्षेत्र मानते हैं। यदि यह विचार राष्ट्र संघ की सभा में रखा जाए तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि इसके गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं।

प्रधानमन्त्री ने आश्वासन दिया है कि कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि किस तरह के कूटनीतिक प्रयास किए गए हैं। जब प्रधानमन्त्री सऊदी अरब के राजनयिकों और राजा से मिलते हैं तथा बातचीत करते हैं तो यह खबर समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि वहां जाते हैं तो हमें उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि इससे हमारा आत्म-विश्वास बढ़ता है। आखिरकार राष्ट्र का मनोबल उसके आत्म-विश्वास में निहित होता है और यह आत्म-विश्वास पैदा करने का कार्य उनका है जो सत्ता में हैं।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय विदेश मंत्री जी ने यहां पर वक्तव्य दिया है, वह बहुत संक्षेप में दिया है लेकिन सारगर्भित है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से जो हमें खतरा है उसको स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है और साथ ही उन्होंने हमको यह भी विश्वास दिलाया है कि इस खतरे का सामना करने के लिए, सफलतापूर्वक इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हमारी सेनाएं सक्षम हैं। इसके बावजूद भी कुछ बातों की तरफ इस देश का ध्यान, इस समय भी बहुत चिंता के साथ लगा हुआ है। खास तौर से पाकिस्तान की सेनाएं आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों के साथ बड़े ही नाजुक क्षेत्र में आ गई हैं। ये जम्मू जिले का जो छम्ब सैक्टर है, चिकन नैक एरिया है, यह बहुत ही नाजुक और खतरनाक एरिया है और पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट है, उनकी सप्लाई लाईन के निकट है, उनकी सेना की छावनी के भी बहुत निकट है, उनकी सेनाएं बहुत आसानी से और जल्दी से वहां आ सकती हैं और आ भी गई हैं, इससे वे अपने राडार सिस्टम को आगे ला सके हैं। इसके अलावा, जितने उनके वायु सेना के अड्डे हैं उनको आपरेशन के लिए सक्षम बना दिया गया है, कहीं से भी वे आ सकते हैं। इतना बड़ा खतरा आज हमारे सामने हैं।

सन् 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस समय चिकन नैक ऐरिया से होकर हमारी सेनाएं 10 कि० मी० तक पाकिस्तान में चली गई थी, लेकिन छम्ब में हमको कुछ असफलता का सामना करना पड़ा था—जो हमारे लिए शर्म की बात है। लाईन आफ ऐक्चुअल कंट्रोल कुछ हमारे एरिया के अन्दर आ गई थी। इस बात को देखते हुए हम माननीय रक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि इस खतरे को देखते हुए क्या हमने पूर्ण रूप से साव-

धानी बरती है ? क्या हमारी सेनाएं आज अपने आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों के साथ ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी है, जहां से एक इंच भी हम उनकी सेना को आगे नहीं बढ़ने देंगे ।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जबकि सारी दुनिया में शस्त्रास्त्रों को कम करने की बात की जा रही है, जहां पर युद्ध की आशंकाएं थीं, जहां पर शीत युद्ध चल रहा था, वहां पर शस्त्रास्त्रों की कमी हो रही है, रूस, अमरीका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनमें आपस में सौहार्द बन रहा है, टकराव की आशंका समाप्त हो रही है, समूचे विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण बन रहा है, लेकिन ऐसे समय में इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जा रहे हैं और हिन्दुस्तान के साथ युद्ध का उन्माद जागृत किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी विश्वास है कि पाकिस्तान की जनता युद्ध नहीं चाहती और हमको भी युद्ध टालने के प्रयास करने की आवश्यकता है । सुरक्षा की तैयारी तो आवश्यक है, लेकिन युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि युद्ध को टालने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए । इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि युद्ध केवल सेना के द्वारा ही नहीं जीता जा सकता, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री चर्चिल थे, वे सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन युद्ध जीतने के लिए उन्होंने तीन कदम उठाए थे । हालांकि सेना तैयार थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ कदम उठाए थे। सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया कि देश में एक भी आदमी को बेकार नहीं रहने दिया, ताकि जनता पूर्ण मनोबल के साथ अपने देश की रक्षा के लिए जुट जाए । उनको लगे कि हम जिस व्यवस्था के अन्तर्गत रह रहे हैं. उस व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हमको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए । एक-एक बच्चे को अपना जीवन दे देना चाहिए । इसलिए उन्होने एक-एक बेकार को काम दिया । दूसरा काम उन्होंने भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त करने का किया । तीसरा काम उन्होंने किया कि जो असमानता थी, आर्थिक असमानता थी, उसको दूर किया । आज हम जानना चाहते हैं कि जब हमारे सामने इतना बड़ा खतरा है, इसको देखते हुए हम अपने भूभाग कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं । कश्मीर और पंजाब एक दूसरे से लगे हुए हैं और दोनों जगहों पर हमको खतरे का सामना करना पड़ रहा है । आज हमको इन प्रदेशों की तरफ ध्यान देने की सबसे अधिक आवश्यकता है । कश्मीर और पंजाब के एक-एक बालक को देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की एक-एक इन्च भूमि की रक्षा के लिए तैयार करना होगा, उनका मनोबल बढ़ाना होगा । इन कामों के लिए हम कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो तय है कि कश्मीर की जनता यह जानती है कि भारत में रहते हुए उनकी आर्थिक प्रगति अधिक हुई है । तीन साल पहले एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे जानकारी मिली थी कि भारतीय कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 2100 रुपए है, जबकि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, उसमें प्रति व्यक्ति आय 1800 रुपए है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप विषय से अलग जा रहे हैं, आर्थिक विषय पर जा रहे हैं ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : बस मैं समाप्त कर रहा हूं । पाक आकूपाइड कश्मीर की सूचना यह है कि पाकिस्तान वहां पर सेनाएं जमा कर रहा है, लेकिन वहां के नवयुवकों के दो दलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे । इसी तरह से 21 मई को पाक आकूपाइड कश्मीर

में चुनाव करने की बात है, उसमें भी वहां के नवयुवकों ने भाग न लेने का निश्चय किया है, उसका बहिष्कार किया है । युद्धोन्माद का वहां पर विरोध हो रहा है ।

इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सरकार से जानना चाहूंगा कि कश्मीर में जहां सांप्रदायिकता का जहर बोया गया है, हालत ठीक नहीं है, यद्यपि पिछले कुछ दिनों में अब हालात कुछ अच्छे हुए हैं, ऐसी स्थिति में उस साम्प्रदायिकता के जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्या किया जा रहा है । वहां की जनता की अपने देश के प्रति आस्था जागृत करने के लिए, निष्ठा जागृत करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मन्त्री महोदय से इस देश के हित में, देश की एकता और सुरक्षा के हित में इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फंलीरो (मारमागाओ) : मैं माननीय प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि वे इस सदन में अभी उपस्थित हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा इस चर्चा में हस्तक्षेप से ऐसे अनेक मुद्दों को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी जिनके प्रति देश के लोग वस्तुत: चिंतित हैं और जिन पर अभी तक अत्यन्त भ्रामक उत्तर दिए गए हैं ।

मैं अपनी बात यह कह कर शुरू कर रहा हूं कि रक्षा राज्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है, वह प्रधानमन्त्री द्वारा अब तक कही गई बातों से सार और तथ्य दोनों ही दृष्टियों से भिन्न है । मैं अपनी बात का अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं । माननीय मन्त्री ने पैरा 1 में कहा है कि 'पाकिस्तानी यूनिटें और विरचनाएं सतत तैयार स्थिति में रहती हैं और इस समय ग्रीष्मकालीन सामूहिक प्रशिक्षण अभ्यास कर रही हैं ।' यह सामान्य प्रकार का प्रशिक्षण है—प्रत्येक ग्रीष्मकाल में इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए इस वर्ष भी यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि युद्ध की सन्निकटता से बहुत ही भिन्न है, इस मुद्दे पर मैं अभी बात करूंगा ।

पैरा 2 में घिसा पिटा जवाब दिया गया है । मैं कुछ वर्षों से यहां हूं । भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों पर अथवा रक्षा स्थिति के बारे में किए गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब यही होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वास्तविक अर्थ समझना होगा ।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : विगत तेरह वर्षों से, जब से मैं संसद में हूं, इसका यही अर्थ चला आ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उससे भी 30 वर्ष पूर्व भी यह अर्थ रहा होगा और सदैव यही कहा गया है :—

"सरकार इन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है····।"

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय सदस्य इसके पीछे निहित अर्थ को भी समझ रहे होंगे—चूंकि वे यह जानते हैं ।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि प्रधानमन्त्री यहां हैं और मैं उनकी कही गई हर बात को मान लूंगा । मेरा यह कहना है कि इस उत्तर से स्थिति के सम्बन्ध में हमारी धारणा में कोई परिवर्तन नहीं आया है या पाकिस्तान के मामले में हमारी धारणा में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है । यह विचार प्रधानमन्त्री द्वारा कही गई बातों के पूरी तरह से विपरीत है ।

प्रधान मन्त्री यह नहीं कहते रहे हैं कि वे ग्रीष्मकालीन सामूहिक प्रशिक्षण में लगे हैं, कि यह पाकिस्तानियों का सामान्य अभ्यास है जिसमें वे इस समय लगे हैं बल्कि प्रधान मन्त्री ने कई शब्दों में यह कहा है : 'पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है'। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधान मन्त्री ने ऐसा कहा हो। मैं 15 अप्रैल, 1990 के राष्ट्रीय समाचार पत्रों से उद्धृत कर रहा हूं। इससे पूर्व प्रधान मन्त्री ने हवाई यात्रा के दौरान एक साक्षात्कार दिया था। उन बातों को उन्होंने लोक सभा में भी कहा था।

मैं चाहूंगा सदन इस बात को समझे कि इस देश में प्रधान मन्त्री के शब्दों का अर्थ किस तरह से लगाया जाता है, उस तरह से नहीं जैसे कि पाकिस्तानियों द्वारा किया जाने वाला सामान्य अभ्यास। देश के प्रसिद्ध राजनीतिक टीकाकार ने 19 अप्रैल, 1990 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में यह कहा था, और यह इस बात को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य मन्त्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उतर में कही गई बात प्रधानमन्त्री के वक्तव्यों से कितनी अधिक भिन्न है। यह कथन राजनीतिक टीकाकार का है और देश में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य को इसी प्रकार समझा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि :—

> "प्रधान मन्त्री द्वारा पिछले से पिछले मंगलवार को लोक सभा में दिए गए भाषण और दूसरे दिन सुबह के समाचार पत्रों में उसे पढ़ने में बहुत अन्तर था। निश्चित तौर पर उनमें से अधिकांश तौर पर वे लोग भी, जिन्होंने सभा में उनका भाषण सुना था उनके द्वारा पाकिस्तान को दी गई कड़ी चेतावनी से हैरान थे और यह सोच रहे थे कि शायद उन्होंने इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। जो भी हो, प्रेस दीर्घा और लाबियों में तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई थी, वह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाषण के बाद दूरदर्शन पर सुनकर तथा समाचार पत्रों में पढ़कर होने वाली युद्ध सम्बन्धी आशंका की तुलना में कुछ भी नहीं थी।
>
> भारत-पाकिस्तान के बीच चौथे युद्ध की आशंका से ग्रस्त लोग कई घंटों तक समाचार एजेन्सी और समाचार पत्रों के कार्यालयों में टेलीफोन के द्वारा इस विषय के पूछताछ करते रहे थे।"

प्रधान मन्त्री महोदय, आपके कथनों का लोग इस प्रकार से गलत अर्थ समझ लेते हैं। वे इसे साधारण ग्रीष्मकालीन अभ्यास या साधारण स्थिति के रूप में नहीं समझ पाए। उन्होंने यह समझा कि प्रधान मन्त्री का कहना है कि युद्ध की स्थिति सन्निकट है क्योंकि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है।

2.00 म० प०

क्या माननीय प्रधान मन्त्री इस विषय में अद्यतन स्थिति स्पष्ट करेंगे? क्या युद्ध होने वाला है। क्या आप विश्व को यही बताना चाहते हैं? यदि हां, तो आपके मूल्यांकन का आधार क्या है? यदि मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं तो कृपया इस बारे में स्पष्ट करें, क्योंकि एक असमंजस में डाल देने वाला वक्तव्य इस देश के उच्चतम स्तर से दिया गया है। कृपया इस असमंजस की स्थिति को समाप्त करें और देश को भी इसके बारे में बताएं।

इस प्रकार के वक्तव्य वास्तव में खतरनाक हैं। हम पाकिस्तान के साथ तीन बार युद्ध कर चुके हैं। तथ्य यह है कि इन युद्धों से पहले या वैसे भी, पहले किसी प्रधान मन्त्री ने यह नहीं कहा कि युद्ध होने वाला है। इस प्रकार के वक्तव्यों से देश से बाहर यह प्रभाव पड़ता है कि हम धमकी दे

रहे हैं, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हम इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय मत का प्रश्न क्यों उठा रहा हूं ? वह इसलिए कि पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री ने हाल ही में विश्व को गुमराह करने का अभियान आरम्भ किया है, क्योंकि दोषी पाकिस्तान है। वे घुस-पैठियों को हथियारों से सुसज्जित कर रहे हैं। वे उन्हें काश्मीर में हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। परन्तु उनका राजनयिक अभियान अब भी जारी है, जिसमें श्रीमती भुट्टो और पाकिस्तान सांसदों के प्रतिनिधिमण्डल भी शामिल हैं। अपने उत्तर में आपको इसे स्पष्ट करना है। अब मेरा विशेष प्रश्न यह है कि हमारे राजनयिक प्रयत्नों का क्या हुआ ? श्री एस० के० सिंह हमारे विदेश सचिव थे। वे विशेष रूप से पाकिस्तान के मामले से सम्बन्धित थे। हमारा दृष्टिकोण समझाने के लिए वे कई दूसरे देशों में भी गये। वे एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति हैं, इतने योग्य कि वर्तमान सरकार ने उन्हें असम जैसी जटिल स्थिति वाले राज्य के राज्यपाल का पद देने की पेशकश की। इससे प्रशासन में उनकी प्रतिष्ठा का पता चलता है। अब इन्हें त्याग पत्र देने के लिए कहा गया, जो पाकिस्तान में हमारे राजदूत थे और इससे पूर्व विदेश सचिव थे, वे इस प्रक्रिया में शामिल थे। क्या उन्हें इसलिए त्याग पत्र देने को कहा गया क्योंकि उस विशेष समय पर काश्मीर और भारत-पाक स्थिति पर हमारे राज-नयिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया था ? यदि नहीं, तो फिर उन्हें त्याग पत्र देने के लिए क्यों कहा गया ? ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब किसी विदेश सचिव को त्याग पत्र देने के लिए कहा गया। पहली बार श्री वेंकटेश्वरन को त्याग पत्र के लिए कहा गया था। तत्पश्चात प्रधानमन्त्री ने स्थिति को स्पष्ट किया। अतः यह दूसरी बार है। परन्तु हमें विदेश कार्यालय या शीर्षस्थ स्तर द्वारा यह नहीं बताया गया कि इतने महत्वपूर्ण समय पर ऐसा क्यों किया गया ? विदेश सचिव को त्याग पत्र देने के लिए क्यों कहा गया ? क्योंकि आपके मूल्यांकन के अनुसार वे सबसे अधिक जानकार और योग्य व्यक्ति हैं और आपने उन्हें असम जैसे जटिल परिस्थितियों वाले राज्य के राज्यपाल का पद देने की भी पेशकश की। आप यह स्पष्ट करेंगे कि क्या भारत-पाक युद्ध के सम्बन्ध में इससे हमारी कूटनीति पर प्रभाव पड़ेगा।

'फार इस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू' के 17 मई, 1990 के अंक में प्रधान मन्त्री ने बहुत अच्छा साक्षात्कार दिया है। यह इसका ताजा अंक है। इसमें प्रधान मन्त्री से एक विशेष प्रश्न पूछा गया जो इस प्रकार है :—

> "यदि युद्ध हुआ तो क्या आपको आणविक हथियारों के प्रयोग की सम्भावना का डर है।"

प्रधान मन्त्री ने इसका उत्तर नहीं दिया। परन्तु इस प्रकार कहा :

> "हम युद्ध से बचना चाहते हैं परन्तु यदि युद्ध हुआ तो डरने की कोई बात नहीं है।"

जहां तक इस महत्वपूर्ण विषय का सम्बन्ध है, यह असमन्जस में डालने वाला है। इसे मैं महत्वपूर्ण विषय इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मैं पहली बार राज्य मन्त्री महोदय से मिला हूं। शायद परमाणु ऊर्जा मन्त्रालय की सलाहकार समिति में इस विषय पर लम्बे समय से विचार-विमर्श चल रहा है। अतः हम सब यह जानते हैं कि पाकिस्तान के 'काहूटा' में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी किस प्रकार बम के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की तस्करी कर रहे हैं ? किस प्रकार वे तैयारी कर रहे हैं। क्या इस बात पर विचार किया गया है कि हथियारों में हमारी पारम्परिक श्रेष्ठता के कारण भी युद्ध हो सकता है ? जहां तक पाकिस्तान में सैनिक ठिकानों का सम्बन्ध है, इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते

हुए इस बात की वास्तव में बहुत अधिक सम्भावना है। विश्व में केवल पाकिस्तान में ऐसी असैनिक सरकार है, जिसे सेना के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के बारे में कहा गया है। सेना के निर्णय स्वयं अकेले सेना द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में जहां प्रधान मन्त्री है भी और नहीं भी आणविक हथियारों का प्रयोग सम्भव है। क्या आप इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं ? कृपया हमें एक प्रकार के उत्तर बार-बार न दें कि "आणविक विकल्प सदा हमारे सामने है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।" यदि इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं यह कहूं कि वह समय जा चुका है और हम स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं न कि आणविक हथियारों के बारे अस्पष्ट वक्तव्य।

मेरा अन्तिम बात और अन्तिम प्रश्न यह है। यदि मैं गलत नहीं तो अमेरिकी विदेश विभाग के सर्वश्री गेट्स और केली मास्को की यात्रा पर जा रहे हैं। तत्पश्चात वे मास्को से इस्लामाबाद जाएंगे। इसमें ध्यान देने सम्बन्धी बात यह है कि जब वे रविवार को इस्लामाबाद जाएंगे तो पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री वहां नहीं होगी। और उसके बाद वे यहां आ रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि उनके इस दौरे की पृष्ठभूमि क्या है ? 'व्हाईट हाऊस' के प्रवक्ता के वक्तव्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे लोग कश्मीर स्थिति के सम्बन्ध में यहां आ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उनकी इस यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है ? यदि अमेरिका और सोवियत संघ इस विषय में रुचि ले रहे हैं तो किस सीमा तक ? सबसे पहला प्रश्न तो यही है।

दूसरे, सर्वश्री केली और गेट्स की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है ? तीसरे, सरकार को उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता दिया जाना चाहिए कि भारत के कुछ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पाकिस्तान को यह बताना चाहिए कि वह घुसपैठ रोके और हमारे विरुद्ध आतंकवादियों की आड़ लेकर चलाए जा रहे युद्ध को उन्हें बंद करना चाहिए।

अमेरिका अत्यधिक शक्तिशाली है। अमेरिका ने ही उन्हें यह हथियार दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों से लैस किया है और उनके पास कई प्रकार की अत्यधिक शक्तियां हैं, जिसका वे इस उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। स्पष्टतः इसका उद्देश्य पाकिस्तान को यह बताना है कि वह शांत रहे और उसे यह बताना है कि :

"जो तुम करते रहे हो, वह मत करो।"

मैं एक अन्तिम प्रश्न पूछूंगा। क्या अमेरिका प्रशासन से पहले ही कोई समझौता हो चुका है कि वे सीमा पर व्याप्त स्थिति पर हमें दिशा निर्देश देने के लिए आ रहे हैं ? क्या हम कुछ घटों की सोच रहे हैं या हमें नरम किया जा रहा है, चाहे यह सुपर 301 पर हो या व्यापारिक एवं आर्थिक लाभों पर ?

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों से जो रवैया अपना रखा है, उसको देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि यह सरकार जिस तरीके से चल रही है, बहुत ही सब्र से काम ले रही है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर श्री अब्दुल सत्तार यहां पर जनवरी, 1990 में आए। जहां तक मेरा ख्याल है हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा नर्मी से और सौजन्यता का स्वरूप दिखाकर "रैड कारपेट वैलकम" किया। उसके बाद वहां के प्राईम मिनिस्टर के एम्वॉय भेजे गये, उनके साथ भी हमारी

फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा बर्ताव किया। इस सम्बन्ध में काफी बातें की गयीं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब भी शिमला एग्रीमेंट की बात कही गयी, उसको फाड़कर उसकी धज्जियां उड़ा दी गयीं और उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी ताजा वस्तुस्थिति तो यह है कि पाकिस्तान कश्मीर की जनता को भड़काने में कोई भी कमी नहीं रख रहा है। हर लेवल पर और यहां तक कि पाकिस्तान की प्राईम मिनिस्टर पब्लिकली यह बोलती है कि एक हजार वर्ष तक हम हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे। कश्मीर की जनता को यह कह कर भड़काया जा रहा है कि स्वतन्त्रता के लिए लड़ना तो शहीद होने के बराबर है, उसके लिए जो कुछ करना होगा, करेंगे। यहां तक कि उसके लिए दस करोड़ रुपये का फण्ड भी दिया और फिर दूसरा फण्ड पांच करोड़ रुपये का दिया गया। वहां की कई जमातें एडवरटाईजमेंट्स देकर चन्दा इकट्ठा करती हैं। हमने इस सम्बन्ध में आपको चिट्ठी लिखी कि आप भी कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कुछ करें तो हिंदुस्तान की जनता हजारों-लाखों रुपये देगी लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अलग बात है। परन्तु आज प्रश्न हमारे सामने दूसरा खड़ा हो गया है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की सेनाएं कई जगह फेल हो गयी हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा जिस तरह का प्रॉपेगंडा अमेरिका में और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में हो रहा है और जिस तरह से वहां काम हो रहा है, उससे हमको लगता है कि पाकिस्तान एकतरफा प्रयास और प्रचार कर रहा है। इसमें हमारी तरफ से काफी कुछ कमजोरी आ रही है। आज के अखबार के एक बयान से चिंता हो गयी है कि ईरान और सऊदी अरब ने ऐसी एमरजंसी में एअरक्राफ्ठ देने की पेशकश की है। वे देश अपने एअर-स्पेस या हवाई अड्डे पाकिस्तान को वापरने के लिए देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वह तैयारी हमारे लिए चिंता की बात है। दूसरी तरफ हम अखबारों में रोजाना पढ़ते हैं कि पाकिस्तान जहां तैयारी कर रहा है, वहीं हमारे अपने एअर-क्राफ्टस ही तैयार नहीं हैं, उनमें युद्ध के लिए जो सामग्री होनी चाहिए, वह अभी तक लग नहीं पायी है। कई बार अखबारों में यह भी आता है कि हमारी बोफोर्स गंस में जो एलाइनमैंट होना चाहिए, जो एम्यूनिशन होने चाहिए, उसका अभाव है। कुल मिलाकर बड़ी चिंताजनक स्थिति देश के सामने है। माननीय प्रधान मन्त्री जी, इन सारी परिस्थितियों को हम नैग्लैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूरे राष्ट्र का सवाल है। यदि निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ लड़ाई की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, वैसे कोई देश नहीं चाहता कि युद्ध हो क्योंकि युद्ध होने से उस देश की इकॉनोमी पर दुष्प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह मानकर यदि चला जाये कि लड़ाई की परिस्थिति का निर्माण हो गया, आपको लड़ाई करनी पड़े तो पूरे देश की जनता आपके साथ रहेगी, इसमें किसी तरह की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यदि लड़ाई की परिस्थितियां बन जाती हैं तो जहां हमें उससे निपटना होगा वहीं भारत के गौरव को बचाने के लिए, यहां का हर नागरिक, हर कीमत पर, हर बलिदान पर, भारत का गौरव कायम रखना चाहेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारत की जनता का मनोबल कायम रखिए, जनता के सामने वस्तुस्थिति समय-समय पर रखते रहिए। कई बार अखबारों में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनसे इस देश की जनता का मनोबल गिरता है और उन चीजों का सरकार की तरफ से किसी तरह का क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आता। यह भी ठीक है, मैं मानता हूं कि डिफेंस के मामले में, रक्षा तैयारियों सम्बन्धी कोई वाइटल इन्फोर्मेशन जनता के सामने नहीं रखी जा सकती परन्तु जो गलत चीजें सामने आती हैं, सरकार की तरफ से उनका कन्ट्राडिक्शन तो आना चाहिए। मैं इसकी कमी महसूस कर रहा हूं। नेवी के बारे में, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पास जितने एअरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनकी हालत क्या है। कहीं वे रिपेयर में तो नहीं पड़े हैं। हमारी

नेवी को जो कुछ नई पन्डुब्बियां मिली हैं, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े-बड़े मिसाइल हैं। उन्हें देखते हुए, हमारे एअरक्राफ्ट कैरियन उनको किस सीमा तक काउन्टर कर सकेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। हाई सी में हमारा तेल का एक बहुत बड़ा इंसटालेशन है, जिस पर हमारे देश की इकॉनोमी बहुत हद तक डिपेंड करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य थोड़ा मर्यादित रूप से कहें क्योंकि डिफेंस बजट पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। आप प्रिपेयर्डनैस पर कहें तो अच्छा होगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष जी, जहां तक प्रिपेयर्डनैस का मतलब है, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो वह केवल छंब या कश्मीर के किसी छोटे भाग तक सीमित होकर नहीं रहेगा, पाकिस्तान के साथ समुद्र में भी युद्ध होगा, हवा में भी युद्ध होगा और थल पर भी युद्ध होगा, इसलिए हमें पहले से पूरी तैयारी करनी होगी। उसी सिलसिले में मैंने पूछा कि हमारी नेवी, हमारी एअरफोर्स और हमारी इन्फेंट्री के पास गोलाबारूद की क्या स्थिति है, उसे सरकार स्पष्ट रूप से जनता के सामने बताए। पाकिस्तान की तैयारी के बारे में भी बताये क्योंकि आज बोर्डर पर उनकी सेनाएं आ गयी हैं। उन्हें काउन्टर करने के लिए हमारी सेनाएं कितनी सक्षम हैं, हमने क्या-क्या तैयारी कर ली है, वह भी जनता को पता चलना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने 10 हजार आदमियों को ट्रेंड करके हमारे यहां भेजा है, कश्मीर में जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी सरकार की नीति क्या है, उन्हें रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुस्थिति से हमें अवगत कराया जाये। आपकी चिंता से हम सहमत हैं और इस मामले में कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। पार्टी का सवाल तो इसमें आता ही नहीं, हम सब पार्लियामेंटरियन हैं। यदि युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होता है तो निश्चित तौर से देश का हर नागरिक आपके साथ रहेगा परन्तु मैं प्रधान मन्त्री जी से इतना खुलासा अवश्य चाहूंगा कि आप डिफेंस की माइन्यूट डिटेल्स न दें, मैं उन्हें मांगता भी नहीं, परन्तु हमारी तीनों सेनाओं की तैयारी क्या है, उसकी कुछ जानकारी तो हमें मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं, टैंक, आर्म्स, एम्यूनिशन्स, आर्मरी सब बोर्डर पर लाकर जमा कर दिया है, फिर हम किस बात का इन्तजार कर रहे हैं। बोर्डर पर कुछ रेगिस्तान का इलाका है, उसमें हमारे टैंकों की क्या स्थिति रहेगी, उस इलाके में हम कितने एफीशियेंट सिद्ध होंगे, यदि इन सारी चीजों पर आप प्रकाश डाल सकें तो हम आभारी होंगे।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी सरकार द्वारा बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि शांति हमारा लक्ष्य है। हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। परन्तु हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि वे कौन से कारक हैं, जो पाकिस्तान को टकराव इत्यादि का तरीका अपनाने को ललचा रहे हैं। क्या वे यह समझते हैं कि सरकार में शामिल न होने वाले राजनीतिक दलों से समर्थित हमारी अल्पमत सरकार है और हमने सबसे बड़े दल को विपक्ष के रूप में स्थापित किया हुआ है ? क्या यह एक कारक है ? यदि यह ऐसा है, और बिल्कुल संभवतः ऐसा हो सकता है, तब इस सभा को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने यह विचार व्यक्त करने चाहिए कि यहां कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, इस विषय पर हम संगठित हैं और 82 करोड़ भारतीय लोग एक आवाज से संगठित हैं कि हम सब एक हैं और यहां सरकार अथवा विपक्ष, यह अथवा वह का कोई प्रश्न नहीं है। क्या यह भी सच है पाकिस्तान यह विचार कर रहा है कि गत कुछ वर्षों के दौरान सांप्रदायिक तनाव की यहां समस्याएं रही हैं कभी-कभी यह व्यक्तिगत कानून विधेयक के बारे में समस्या रही है जहां इस सरकार ने सांप्रदायिकों के

आगे हथियार डाल दिए और कभी इस तरफ और उस तरफ सांप्रदायवाद की तीक्ष्ण प्रतिक्रिया रही है? दूसरे बार-बार यहां मस्जिद को गिराने अथवा वहां मन्दिर के निर्माण की मांगें की जा रही हैं और जब हम कहते हैं, अयोध्या से यह मस्जिद गिरा दी जाए, तो इससे कश्मीरी लोगों में 'भारत छोड़ो' की प्रतिक्रिया नहीं होगी? उससे प्रोत्साहन पाकर, क्या पाकिस्तान यह नहीं सोच रहा कि इस समय उसे स्वयं कश्मीर में लोगों से बेहतर वातावरण मिलेगा? और उसे पंजाब में, पश्चिमी भाग में उससे थोड़ा बेहतर वातावरण मिलेगा? यदि ऐसा है, तब मेरे विचार में सभी देशभक्त शक्तियों से, उनका मन्दिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे से जिस किसी से भी लगाव हो—राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर यह कहा जाना चाहिए कि देश की खातिर इन चीजों को छोड़ दें। हमें पाकिस्तान को ऐसा कोई अवसर नहीं देना जिससे वह इन चीजों का उपयोग हमारे लोगों में विभाजन के लिए करे। इसके अलावा क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान अवश्य यह सोच रहा होगा कि अमरीका चाहे वह कुछ भी कहे, उसके साथ रहना चाहिए यहां तक कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हों? विगत में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें तथा भारत सरकार को यह वचन दिया गया था कि अमरीकी हथियारों का भारत के विरुद्ध कभी भी उपयोग नहीं किया जाएगा और वे केवल साम्यवादी देश के लिए हैं। उस वचनबद्धता के उल्लंघन में, उनका केवल हमारे विरुद्ध उपयोग किया गया था और उनका किसी साम्यवादी देश के विरुद्ध उपयोग नहीं किया गया था। इस समय यहां तक कि हमें वह वचन भी नहीं दिया गया कि उन हथियारों का भारत के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जाएगा? इनका किसके विरुद्ध उपयोग किया जाएगा। साहस नहीं कर पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार किया है कि वह अफगानिस्तान में किसी प्रकार भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। चीन के विरुद्ध तो वह सोचने का भी सकता। सोवियत संघ के विरुद्ध तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब हम ही केवल लक्ष्य हैं। ऐसी स्थिति में, पाकिस्तान को अतिआधुनिक आक्रामक हथियारों की नियमित रूप से अमरीकी सप्लाई एक गैर-दोस्ताना कार्य है। न केवल अमरीका बल्कि ऐसे अन्य पश्चिमी देश हैं जोकि इस प्रकार के हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। अभी कल ही, इस सभा ने आस्ट्रेलिया द्वारा की गई सप्लाई पर चर्चा की थी। कभी-कभी, कुछ अन्य देश भी वही बात करते हैं। क्या हमारी सरकार उन्हें यह स्पष्ट करने का दृढ़ निश्चय करेगी कि ये गैर-दोस्ताना कार्य है न केवल युद्ध की दृष्टि से बल्कि हमें उनकी बराबरी करने के लिए विवश किया जाता है, तो उससे हमारे विकासात्मक कार्य को नुकसान पहुंचता है और पाकिस्तान के विकास को नुकसान पहुंचता है और पूर्वी उप-महाद्वीप विकासोन्मुख नहीं बल्कि रक्षोन्मुख बन जाता है। उस दृष्टिकोण से, क्या यह सरकार इतना साहस कर सकती है अथवा सम्पूर्ण सभा सरकार को यह कहने का निर्देश दे सकती है कि पाकिस्तान को आक्रामक शस्त्र-सामग्री की किसी सप्लाई को हम भारत के विरुद्ध, इस उप-महाद्वीप में शांति के विरुद्ध और दक्षिण एशिया में एक गैर-दोस्ताना कार्य मानते हैं? तब वहां और क्या अन्य बातें हो सकती हैं? राजनयिक सम्बन्धों के बारे में पाकिस्तान ने हमेशा आक्रामक रुख अपनाया है और अमरीका भी इससे कभी पीछे नहीं रहा। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण इस प्रकार का है जहां विश्व इतिहास में पहली बार, युद्ध सामग्री के बहुत ही आक्रामक भागों को नष्ट कर दिया गया है। अमरीका और सोवियत संघ के पास 5000 किलोमीटर की रेंज के जो राकेट थे उन्हें एक-दूसरे की सन्तुष्टि के लिए नष्ट कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, अमरीका को भी विवश होकर यह कहना पड़ा कि इन दो देशों को शिमला समझौते के अनुरूप इन विवादों को हल करना चाहिए। यह स्वाभाविक है, उस समझौते में जोकि उन परिस्थितियों में किया गया था, हम पाकिस्तान के दोस्त साबित हुए। 93,000 युद्ध बन्दियों को बिना शर्त रिहा किया गया था। जिन भागों को हमने अपने कब्जे में लिया था वहां हमने अपना

अधिकार छोड़ दिया। अतः हमने अपनी दोस्ती दिखायी। अभी भी पाकिस्तानी सरकार चुप नहीं बैठी है। अब यहां तक कि सरकारी तौर पर ये आवाजें उठाई गई हैं, बिलकुल, शिमला समझौता बल्कि उसके बाहर अन्तर्राष्ट्रीय मंच, उससे भी बाहर त्रिपक्षीय वार्ता और उससे भी बढ़कर युद्ध की बात उठाई गई है। अतः यह शिमला समझौते तक ही सीमित नहीं है। अब हमारी सरकार इस बात पर जोर दे रही है, लेकिन प्रश्न यह है क्या हम इसे एक शर्त बनाने जा रहे हैं, अन्यथा भावी समझौतों की क्या कीमत होगी। शिमला समझौते पर वर्तमान प्रधानमन्त्री के पिता ने हस्ताक्षर किए थे और वह भी शिमला में उपस्थित थीं और पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि हमने कहां किस पर बर्ताव किया, हमने किस प्रकार एक जैसा बर्ताव किया। ऐसी स्थिति में, क्या हम शिमला समझौते और द्विपक्षीय बातचीत के अलावा किसी बात पर बल नहीं देंगे। मैं सन्तुष्ट हो सकता हूं, आप सन्तुष्ट हो सकते हैं अथवा असन्तुष्ट हो सकते हैं और मेरे विचार में यह सन्तोष जारी रहेगा। इसका बीज 1947 में बो दिया गया था। मैं यहां उसके लिए किसी को दोष देने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं उनमें से एक था। 15 अगस्त, 1947 को जब हम स्वतन्त्रता मना रहे थे, मैं उस रात भोजन नहीं कर सका क्योंकि बचपन से, मैं संघर्ष करता रहा हूं, क्योंकि मैं धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ था, अथवा खुशहाल परिवार में पैदा नहीं हुआ था। अतः मैंने उस रात को भोजन नहीं किया केवल कुछ कांग्रेस-जन इस बात को जानते हैं अन्य इस बात को नहीं जानते।

अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे परिस्थितियां जो भी हों, न तो हम और न ही पाकिस्तान शिलमा समझौते का उल्लंघन कर सकता है न ही इसके बाहर जा सकता है। ऐसी परि-स्थिति में हमने कहा कोई मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए लेकिन उच्च स्तर पर अमरीकी प्रतिनिधि आ रहा है। वे पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत आ रहे हैं, केवल कश्मीर मामले के लिए और इसके अलावा वे नियमित रूप से अति आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इन सम्बन्धों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे मन्त्री यहां तक कि हमारे प्रधान मन्त्री अमरीका सहित विश्व के किसी भी देश में जा सकते हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। हम अमरीका के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में क्या हमारी सरकार अमरीका से यह कहने का इतना साहस कर सकती है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, केवल कश्मीर के लिए, आपका उससे क्या लेना देना है? कश्मीर हमारा अन्दरूनी मामला है। और मैं चाहता हूं, आज प्रधान मन्त्री को उन्हें यह बता देना चाहिए। हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई मध्यस्थता नहीं चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार ऐसा हमारे साथ हुआ था, जब हम 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे और वह युद्ध विराम रेखा अभी भी हमारे सिर के ऊपर लटकी हुई है। अतः हम जानते हैं कि वे किस प्रकार के चालाक मध्यस्थ हैं। जब दो बिल्लियों के बीच झगड़ा हुआ था, और एक बंदर निर्णायक बना और पूरी रोटी खा गया था। अब यही बात हमें ब्रिटिश लोगों से, अमरीकी लोगों से मिली है। अब, अमरीकी बार-बार मैत्री भाषण में एक के बाद एक प्रहार करते रहे हैं।

अतः, वर्तमान परिस्थितियों में, मेरे विचार में माननीय प्रधान मन्त्री को पूर्ण मर्यादा से, जो कि भारतीय लोगों में है, मधुर शब्दों में, लेकिन फिर भी कड़े शब्दों में, अमरीका को बताना होगा कि हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए और यह और कुछ नहीं बल्कि मध्यस्थता है, पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना और हमारे पास केवल कश्मीर मामले के लिए जाना। उन्हें यह सब स्पष्ट रूप से बताना होगा।

महोदय, राजनयिक सम्बन्धों के बारे में हाल ही में निकोसिया में साइप्रस में अन्तर संसदीय सम्मेलन हुआ था और हमारे देश से दोनों सदनों से एक 7 सदस्यीय शिष्टमंडल वहां गया था और मैं भी वहां था। वहां भी पाकिस्तान के शिष्टमंडल ने कश्मीर को एक गंभीर मामला बनाया था।

लेकिन वहां अधिकतर फलीस्तीनी लोगों का मामला छाया रहा। स्वाभाविक है कि भारत ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां निकोसिया में उपस्थित 107 देशों के संसदीय शिष्टमंडलों में से पाकिस्तान को किसी भी देश में कोई समर्थन नहीं मिल सका। और एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो अरब देशों में जाती रही है जबकि हम अरब देशों से कुछ नहीं चाहते। हम फलीस्तीनी लोगों के उद्देश्य का सिद्धांत पर समर्थन कर रहे हैं और हम बहुत ही दृढ़ रहे हैं। यहां सरकारे बदलती रही है, मंत्री, प्रधान मंत्री यहां बदलते रहे हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है कि हमें लोगों को मैत्री भाव से बताना होगा, यहां तक कि हमारे अरब मित्रों को और अन्य देशों को, उनके वहां मजहबी अथवा किसी और तरह की सरकार हो, कि कश्मीर के अन्दरूनी मामलों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप विपरीत पड़ सकता है। यह केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं हो सकता, स्वाभाविक है इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हो सकती है यहां तक कि यदि हम उसके लिए कोई प्रयास न करें। ऐसा इसलिए कि विश्व आज छोटा बन गया है और वैज्ञानिक विकास की वजह से छोटा बन रहा है। हमें अपने पड़ोसियों विशेषकर पाकिस्तान के लोगों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने की नीति को जारी रखना चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। मैं कश्मीर के बारे में प्रचार सुनता रहा हूं। मेरे विचार में हमारे विचारों तथा पाकिस्तान की सम्पूर्ण जनता के सम्बन्ध में हमारे प्रचार में अवश्य सुधार होना चाहिए और हमें उन्हें बताना चाहिए कि अमरीकी हथियार और अमरीकी सैनिक सप्लाई किस प्रकार पाकिस्तान और भारत दोनों के विकास में बाधा डालेगी। यह बात हमें अपने पाकिस्तान के मित्र लोगों को न कि पाकिस्तान सरकार को बतानी चाहिए। हमें पाकिस्तान के मित्र लोगों को बतानी चाहिए कि वह युद्ध अथवा रक्षा तैयारियों में न उलझें, अन्यथा यह स्वाभाविक है कि इससे विकास तो कम होगा और आर्थिक उन्नति भी कम होगी। अतः हमारे प्रचार में भी कुछ सुधार होना चाहिए। हमें पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सैनिकों से, पाकिस्तान के शासकों से अपील करनी चाहिए कि हमने अपनी इच्छा से पाकिस्तान को स्वीकार किया था। यदि आप भारत से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, तो भारतीय धर्म निरपेक्षवाद दांव पर होगा। यही वजह है कि कश्मीर, भारतीय राष्ट्र के परम्परागत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का एक प्रतीक बन गया है। अतः उस पर बातचीत नहीं हो सकती है, उस पर सौदेबाजी नहीं हो सकती। उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठ सकता और कोई भी सरकार उसके बारे में बातचीत सहन नहीं कर सकती। वे धर्म पर आधारित अन्धा प्रचार कर रहे हैं और यहां कुछ दंगे और वहां कुछ दंगे कर रहे हैं। वास्तव में, अयोध्या का विषय यहां है। यह एक प्रमुख विषय है जोकि भारत के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि मेरी ओर बैठे मेरे सहयोगी इसकी ओर ध्यान देंगे क्योंकि मेरा विश्वास है कि हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं। उस मुद्दे पर हम सभी एक हैं।

महोदय, जहां तक युद्ध के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार से 1971 की तुलना में इस समय पाकिस्तान ने अत्यधिक आधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं। परन्तु वे अब उससे अधिक हथियार प्राप्त कर रहे हैं। वे हमारे आंतरिक महत्वपूर्ण स्थानों पर आक्रमण करना चाहेंगे, केवल हमारी सीमाओं पर ही नहीं बल्कि दूसरे स्थानों पर भी। मैं गोपनीय बातों के बारे में कोई बात जानना नहीं चाहता हूं परन्तु प्रधान मंत्री जी इस सदन, इस देश को कुछ बताएं कि इसका मुकाबला करने के लिए हमने अत्यधिक आधुनिकतम विकसित राडार, राकेट, आधुनिकतम टैंकों, वायुयानों और आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण कर लिया है ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर हम इसका मुकाबला कर सकें और अपनी शांति की सुरक्षा कर सकें। शांति बनाए रखने के लिए भी हममें शक्ति,

व्यापक आसूचना तंत्र होना चाहिए ताकि हम अपनी सेनाओं और संसाधनों का पूरा उपयोग कर सकें।

महोदय, दूसरा खतरा चिकन-नैक पर है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसे तोड़ना चाहता है ताकि जम्मू-कश्मीर को देश के शेष भाग से अलग किया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि उस 'नैक' की रक्षा के लिए क्या कोई आसाधारण प्रयास किया गया है क्योंकि आखिरकार वह किसी अन्य 'नैक' के समान ही है। उस मामले में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशेष प्रयास किए गए हैं अथवा नहीं, यदि देश पर आक्रमण होता है तो क्या हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। यदि देश पर आक्रमण होता है तो यह एक ओर से नहीं होगा परन्तु यह पूरी शक्ति का युद्ध होगा। यदि ऐसा होता है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य कोई हमला पुनः उस तरफ से न हो। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के एक वाक्य से निराश हूं। इसमें यह कहा गया है :

"सरकार को छम्ब क्षेत्र में टैंकों का आना जाना और अपने-अपने क्षेत्रों में इकाईयों की रचना एवं आवागमन का पता चला है···।"

महोदय, हमने ये रिपोर्ट समाचार पत्र में देखी हैं। हमने यह प्रश्न उठाया और सरकार ने भी रिपोर्ट देख ली है। सरकार ने इस रिपोर्ट के अलावा क्या सूचना प्राप्त की है ? यदि सरकार केवल इन रिपोर्टों पर ही निर्भर रहेगी तो उसने अपने स्वयं के सूत्रों से क्या सूचना प्राप्त की है, सदन इसे जानना चाहता है। सरकार को बताना चाहिए कि ये सूचनाएं वास्तव में सही हैं अथवा नहीं। यदि ये वास्तव में सही हैं तो हम सरकार से यह आशा नहीं करते कि वह हमें बताए कि सरकार ने भी रिपोर्ट देख ली है।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्तव्य का समर्थन करता हूं जो मैंने ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में दिया था। आपने ठीक ही कहा है कि ऐसे मामलों में हमें आशय समझना चाहिए। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि कुछ लोगों द्वारा पंक्तियों को स्वयं पढ़े जाने पर भी उन्हें समझ नहीं आता है। अतः मैं इसे उनको बताना चाहता हूं, फिर भी, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के वर्णन से आरम्भ करना चाहता हूं और अपने को केवल सैन्य स्थिति तक ही सीमित रखूंगा। माननीय सदस्यों ने अनेक दूसरे पहलुओं के बारे में भी कहा है, मैं उन पहलुओं पर इतना अधिक ध्यान नहीं दूंगा।

मैं प्रधान मंत्री महोदय के उस अत्यधिक सूझबूझ पूर्ण और गहन भाषण से अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं जो उन्होंने इस सदन में कुछ सप्ताह पहले दिया था। काफी समय पहले छम्ब में टैंक देखे गए थे और तब आपने समाचार-पत्रों में अनेक समाचार पढ़े थे जिन्हें सरकार ने भी जानकारी के लिए अलग से प्राप्त कर लिया था। अतः यह रिपोर्ट सत्य होनी चाहिए क्योंकि समाचार पत्र और सूचना जो सरकार को प्राप्त हुई, दोनों एक ही बात के बारे में बताते हैं। प्रधान मन्त्री ने देश को युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी और यदि मैं पुनः याद दिलाऊं तो यह एक दुख की बात है। उन्होंने कहा था कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब लोग समाचार-पत्रों की इस सूचना के आधार पर सरकार की आलोचना करते हैं कि एक आशंका की स्थिति पैदा कर दी गयी है। यह एक विपरीत बात है जिसे मैं अपने माननीय मित्र को स्पष्ट करना चाहता हूं जोकि मेरे वक्तव्य के विपरीत बात कह रहे हैं। एक तो "चेतावनी दी गयी" को "हिस्टीरिया" कहा गया है। यदि आपको चेतावनी नहीं दी जाए तो आप कहते हैं, 'आप क्या कर रहे हैं ? आप हमें वास्तविक स्थिति के बारे में कोई बात नहीं बता

रहे हैं।' अब, वर्तमान में स्थिति यह है कि वास्तव में पाकिस्तान ने अपनी फौजें सीमा के साथ के कुछ ठिकानों की तरफ विशेषकर कुछ क्षेत्रों में भेज दी हैं। जब मैंने कहा था 'समर कलेक्टिव ट्रेनिंग' में व्यस्त, हां, वास्तव में सीमा के दूसरे भागों में 'समर कलेक्टिव ट्रेनिंग' हो रही है। अतः, आपको जानकारी देने का यह तीव्र तरीका है कि पूरी सीमा की सुरक्षा की जाए। यह सीमा का केवल एक छोटा भाग ही नहीं है परन्तु 'रन आफ कच्छ' से सियाचिन तक का क्षेत्र है। अतः आप देखते हैं कि सैन्य स्थिति को उसी जागरूकता की जरूरत है जिसके बारे में प्रधान मन्त्री ने कुछ सप्ताह पूर्व कहा था। यहां, उन्होंने यह भी कहा था कि राजनयिक प्रयास जारी हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे देशों को हम यह बता रहे हैं कि कश्मीर के सम्बन्ध में क्या स्थिति है। अब, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है परन्तु बाहर के लोगों को अभी भी यह बताने की जरूरत है और मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि संसार के अधिकांश देशों ने हमारे तर्कों को किस प्रकार स्वीकार कर लिया है।

माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा और उन द्वारा वहां वक्तव्य देने के बारे में कहा है, परन्तु मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री द्वारा लाहौर और दूसरे स्थानों पर ऐसे भाषण, जोकि टेप के रूप में हमारे पास हैं, देने से उनकी विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है। मुझे कहना चाहिए कि यह एक पागलपन ही है। अब, जबकि उस देश में ऐसा पागलपन फैला हुआ है तो निश्चय ही हमारा रक्षा मंत्रालय इतना मूर्ख नहीं है कि इस पर ध्यान भी न दे। परन्तु रक्षा मंत्रालय का यह भरसक प्रयास होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में हमारे दुश्मन को पता न चले। मैं आपको अपनी शक्ति के बारे में सभी जानकारी दे सकता हूं परन्तु आप अनुभव करेंगे कि विवरणों को उजागर करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हैं क्योंकि क्या हो जाए इसका भय बन्दूक की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मुझे इस बात पर अत्यधिक प्रसन्नता है कि श्री कल्पनाथ राय सहमति में अपना सिर हिला रहे हैं क्योंकि यह मामला दल में चर्चा का नहीं है जैसा कि सुबह हुई वाद विवाद के मामले में था। यह ऐसा मामला है जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रक्षा का तात्पर्य केवल उसमें सेनाओं का होना ही नहीं है। इसमें प्रत्येक नागरिक एवं प्रत्येक उद्योग शामिल है। सौभाग्य से भारत अब एक औद्योगिक देश है। यह अब पूर्णतः ग्रामीण अथवा कृषि पर आधारित देश भी नहीं है जो कि वास्तव में एक अच्छी बात है क्योंकि हम अपना भरण-पोषण स्वयं कर सकते हैं। परन्तु अब हमारा देश एक औद्योगिक देश भी है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है हम यहां अनेक वस्तुएं स्वयं बना लेते हैं जो रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इस बात का इतना अधिक प्रचार नहीं करते हैं परन्तु मेरे विचार से हमारे दुश्मन इस बात को जानते हैं। यह रक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम स्वयं अतिरिक्त हिस्से पुर्जे बना सकते हैं और मूल रक्षा के लिए जो अनेक चीजें चाहिएं वे देश में ही उपलब्ध हैं। रक्षा तैयारी के रूप में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

आन्तरिक स्थिति के बारे में भी कुछ वक्तव्य दिए गए थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब सरकार वास्तव में कठिनाई में होती है तो देश का प्रत्येक नागरिक सहयोग देता है। मेरा यह विचार है कि कश्मीर घाटी में भ्रमित कुछ नवयुवक भी बदलेंगे। वहां पहले ही ऐसे संकेत हैं कि सरकार के विरोध का पहले जैसा आसर वहां नहीं है। जनसंख्या का केवल एक वर्ग ऐसा है, जिसे शिक्षा की जरूरत है। ये ऐसी बातें हैं जिनकी वर्षों से उपेक्षा होती रही है और मैं समझता हूं कि इस समय वहां शासक वर्ग वहां की जनता यह समझाने की जरूरत समझ रहा है। मुझे यकीन है कि वे मुख्य धारा में शामिल होंगे और ऐसा ही पंजाब में भी होगा। यह कहना कि आंतरिक स्थिति से युद्ध के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रभाव पड़ेगा, एक ऐसी बात है, जिसे सरकार गंभीरता से लेगी परन्तु

इससे हमारे रक्षा प्रयासों में बाधा नहीं पड़ेगी।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बनाए गए प्रशिक्षण शिविरों के बारे में कहा गया था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री पी० कुमारमंगलम ने यह प्रश्न पूछा था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने दिखावे के लिए प्रश्न पूछा है अथवा वे वास्तव में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वे अति बुद्धिमान व्यक्ति हैं और विश्वास दिलायेंगे कि यह केवल एक सामान्य प्रश्न था। वास्तव में, वहां प्रशिक्षण शिविर हैं। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य है और सरकार उचित समय पर विचार करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति तब तक सीधे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को तोड़ने की नहीं है, जब तक कि इसके लिए उचित कारण न हों।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या आपका तात्पर्य युद्ध विराम रेखा अथवा अन्तराष्ट्रीय सीमा से है?

डा० राजा रमन्ना : मैं कश्मीर सीमा की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु देश की यह नीति रही है कि बिना किसी कारण किसी अन्तराष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया जाए। हमने यहां भाषण सुने हैं कि पाकिस्तान के पास भारी मात्रा में हथियार हैं। कुछ लोगों ने पूछा था: क्या ये हमारे हथियारों से भी अच्छे हैं? जनता में भी कुछ भय व्यक्त किया गया है। मैं इस बारे में कुछ वक्तव्य देना चाहता हूं। किसी न किसी बहाने विदेशों से भारी संख्या में हथियार प्राप्त होने से पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर अपनी संघर्ष करने की क्षमता में वृद्धि की है। लेकिन हम भी इन सब घटनाओं पर नजर ही नहीं रखे हुए हैं अपितु कुछ हद तक हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे देश का एक मजबूत औद्योगिक आधार है जिसका मैंने विशेष तौर पर उल्लेख किया था। हमारे पास अतिरिक्त कल-पुर्जों का कितना ही बड़ा भंडार क्यों न हो फिर भी युद्ध के समय जब इन्हें विदेशों में मंगाना पड़ता है तब हमेशा ही कुछ न कुछ कठिनाई आती है। कल पुर्जों की उपलब्धता के सम्बन्ध में आप पर हमेशा ही नियंत्रण बना रहता है। इस स्थिति को उस देश को ध्यान में रखना होता है जो पूर्णतया: आयात पर निर्भर है। किसी ने पूछा था, कि क्या पाक के पास 'अवाक्स' है? जहां तक मुझे मालूम है उनके पास 'अवाक्स' नहीं है। हमारे पास यही जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। अन्ततः कूटनीतिक पहल का प्रश्न है—रक्षा के क्षेत्र में मेरे वरिष्ठ होने के नाते यदि प्रधान मन्त्री मुझे अनुमति दें तो मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को श्रेय देना चाहता हूं जिन्होंने कई राष्ट्रों को इस बात पर संतुष्ट किया कि वास्तव में कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को कोई दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और सभी इस बात पर सहमत हैं कि उस राष्ट्र के साथ भावी सम्बन्धों का आधार शिमला समझौता ही होना चाहिए। श्री गुजराल ने इस सम्बन्ध में कड़ा वक्तव्य दिया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था कि क्या हमने अन्य राष्ट्रों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। मैं जोर देकर यह कहूंगा कि हमें इस सम्बन्ध में भारी सफलता मिली है।

अपने भाषण की समाप्ति के पहले मैं आणविक प्रश्न पर टिप्पणी करना चाहूंगा। श्री फैलीरो ने कई वर्षों पहले मेरे साथ सदन के सदस्य और माननीय मन्त्री के नाते हुए विचार-विमर्श का उल्लेख किया है क्योंकि उन्होंने बातचीत का उल्लेख किया है इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा लोग पूरी तरह से आणविक हथियारों की विनाश की क्षमता को नहीं समझ पाते हैं। वह समझते हैं कि यह एक और बड़े हथियार की तरह हैं और समय आने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यदि आणविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसका सबसे अधिक प्रभाव पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण के रूप में संपूर्ण क्षेत्र पर होगा और यह इतने लंबे समय तक पर्यावरण को

नष्ट कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहां तक कि हिरोशिमा में भी बहुत विनाश हुआ था। आधुनिकीकरण के साथ इस तरह के हथियारों का उल्लेख तो किया जा सकता है, लेकिन यह मानना कि लोग इसका इस्तेमाल उस उप महाद्वीप में जो भूमि हम सबकी है और एक समय हम एक राष्ट्र थे, कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मानवता की भावना के प्रति यह एक बहुत बड़ा धोखा होगा। लेकिन यदि हमारे पड़ोसी ऐसा रास्ता चुनते हैं तब जो उत्तर प्रधानमन्त्री ने पिछली बार अपने भाषण में दिया था पूर्णतया लागू होता है।

मुझे इस बात से हैरानी हुई कि किसी ने यह सुझाव दिया कि दोनों राष्ट्रों के बीच प्रतिकार की भावना होनी चाहिए जिससे यहां शांति बनायी रखी जा सकें। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन यह उन लोगों के लिए एक रोचक वक्तव्य है जो रक्षा पत्रिकाओं में हमारे और संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में प्रतिकार के संबंध में उल्लेख करते रहते हैं।

लेकिन यह बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी।

उपाध्यक्ष महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व रक्षा मन्त्रालय में होने के नाते मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी रक्षा तैयारियां अपने उच्चतम शिखर पर है। हम चुपचाप नहीं बैठे हैं। मुझे इस विषय में आपको ज्यादा जानकारी देते हुए प्रसन्नता होती लेकिन विषय की गोपनीयता मुझे ऐसा करने से रोकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि चाहे वह थल सेना, या वायुसेना या नौसेना, तीनों सेनाएं अपनी अधिकतम तैयारी में हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। मैं सेनाओं के लोगों को इस तैयारी की स्थिति में रहने के लिए उनकी प्रशंसा करूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रधानमन्त्री यहां मौजूद हैं। राष्ट्र के लिए वह ऐसा करेंगे।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 197 में ध्यानाकर्षण में स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न का उल्लेख हैं। संबंधित भाग इस प्रकार है :

> "प्रत्येक सदस्य स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा।"

यह नियम 197 का उपनियम (2) है। इसमें कहा गया है कि मन्त्री महोदय ऐसा करेंगे—जो कि अनिवार्य है ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में उत्तर देंगे। यही बात श्री भोगेन्द्र झा ने भी कही है।

मंत्री महोदय के प्रति मैं अत्यधिक सम्मान और सहानुभूति रखता हूं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए। मेरे जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है वह इस प्रकार है :

पहला प्रश्न सैनिक टुकड़ियों का इस प्रकार जमाव जो कि पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण की तैयारी को दर्शाता हो जिसका ध्यानाकर्षण में भी उल्लेख किया गया है? यह पहला प्रश्न है। जो विशिष्ट है।

दूसरा श्री एस० के० सिंह को त्यागपत्र देने को कहा गया। क्या उन्हें पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति में आए किसी परिवर्तन के कारण त्यागपत्र देने का कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त बोलें।

श्री एडुआर्डो फलीरो : कृपया इसे छोटा न करें। मैं अपनी खुशी के लिए नहीं बोल रहा हूं। हम देश के लिए बोल रहे हैं। हम इन मामलों पर राष्ट्र के हित में उत्तर चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा धैर्य से करें।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं अध्यक्ष पीठ का सम्मान करता हूं और उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं। लेकिन सदस्यों के भाषण के बीच में हस्तक्षेप करना, बाधा पहुंचाना जब वह कोई मुद्दा उठा रहे हों ठीक नहीं है।

तीसरी बात इन अमरीकी प्रतिनिधियों की यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है जो कि राष्ट्रपति श्री बुश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है। क्या संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ इसके समाधान की कोशिश कर रहे है? यह एक स्पष्ट प्रश्न है। यदि वह उत्तर नहीं देंगे तो भी मैं आभारी होऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहूंगा कि जब स्थिति कठिन और गंभीर हो तब हमें इस पर विचार करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए और स्थिति का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए न कि रक्षा संबंधी मामलों पर बात ही करते रहना चाहिए। जहां तक आपके व्यवस्था के प्रश्न का संबंध है। आपने सरकार का ध्यान एक विशेष स्थिति की ओर दिलाया था। उस स्थिति विशेष के संदर्भ में सरकार ने एक वक्तव्य दिया था। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में ही स्पष्टीकरण हो सकते हैं। आप इसे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की चर्चा बना रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से संबंधित है। आपने यह जानना चाहा था कि कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा तैयारी करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है क्या सरकार उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि बहुत सही और सुरक्षित उत्तर दे दिया गया है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मुझे अफसोस है। आपने इस प्रश्न की अनुमति ही क्यों दी। जब मैंने यह प्रश्न पूछा तब आपने इसकी अनुमति क्यों दी?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैंने आपको उस समय रोका होता तब आप हो सकता है आपत्ति करते।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमें इस विषय पर ध्यानाकर्षण नहीं उठाना चाहिए था। हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास ऐसा प्रश्न है जिससे समूचा राष्ट्र परेशान हो सकता है। मैंने इन मामलों पर विशिष्ट प्रश्नों का उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके जोश का सम्मान करते हुए मैंने आपको यह प्रश्न करने की अनुमति दी थी। लेकिन आप अध्यक्ष पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर आपत्ति नहीं करेंगे। दूसरा, आप विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के संबंध में वाद-विवाद नहीं कर सकते। आपने प्रश्न पूछे थे। वे कुछ मामलों में प्रासंगिक थे। लेकिन आप इस प्रकार सभा पर किसी चीज का दबाव नहीं डाल सकते। यह बात श्री भोगेन्द्र झा पर भी लागू होती है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं, वास्तव में, आपके निर्णय पर नहीं, बल्कि एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने अनुरोध किया था। मैं नहीं जानता शायद आपने इसे गलत समझा है। लोग आमतौर पर बहुत ही चिंतित हैं। मैं तथा और बहुत से सदस्य आशा कर रहे थे कि कुछ कहा जाएगा और मेरा अर्थ बिल्कुल भी किसी बुरी भावना के नहीं था और न ही मैं राज्य मन्त्री की सूझबूझ

और योग्यता को चुनौती दे रहा हूं। हम सभी सामान्य व्यक्ति को रूप में प्रधान मन्त्री की ओर देखते हैं। यह एक गंभीर मामला है और हम प्रधान मन्त्री की ओर देख रहे हैं कि वह कुछ शब्द कहें।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे इस वक्तव्य से एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी ने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए हैं। मैं नहीं समझता कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मंत्रियों को इन सभी बातों के स्पष्टीकरण के लिए अनुमति दी जा सकती है क्योंकि यह पूरी तरह से वाद-विवाद बन जाता है। अब माननीय प्रधान मंत्री।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यहां कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने पर नियंत्रण रखेंगे और इस तरह का आचरण नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह करने से रोक सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, यह मामला यहीं समाप्त होता है। अब हमें इसे और नहीं खींचना चाहिए। अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, आपने पहले ही अपना निर्णय दे दिया था कि राज्य मंत्री ने इस प्रश्न के मुख्य भाग का पूरी तरह उत्तर दे दिया था। लेकिन माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि कुछ पहलुओं पर, वे और स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि अब यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान, हथियारों की सप्लाई करके, अलगाववाद फलाकर तथा युद्ध का उन्माद पैदा करके हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और जैसाकि उल्लेख किया गया है, हमने गोवा से माननीय सदस्य श्री फैलीरो से भी सुना है, हम युद्ध का उन्माद पैदा नहीं कर रहे थे, जैसाकि पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री ने कुछ वक्तव्य दिया था। हजार वर्षों तक युद्ध हमारा संवाद नहीं था। और जब मोर्चे पर आगे बढ़ने की सूचना है, तो हमें पूर्ण स्थिति पर विचार करना होगा। और रक्षा तैयारी में हर समय ऐसा नहीं होता कि आप धारणाओं का विश्लेषण ही करते रहे हैं। ठीक है, धारणाएं, विश्लेषण का हिस्सा है। लेकिन वास्तविक स्थिति का भी अनुमान लगाना होगा और वास्तविक स्थिति से जो संभावना पैदा हो सकती है, उसके संबंध में सभी सावधानियां बरतनी होंगी। लेकिन जब इसमें भी अलगाववाद फैलाने की मंशा भी शामिल हों और वास्तव में बातचीत से जिसे हमने पूरा किया है, जबकि हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं और हमने सही गंभीरता से नेपाल, चीन और श्रीलंका से शुरू किया है। चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, चीन के साथ हमारी समस्या है। चीन के साथ भी क्षेत्रीय विवाद है। लेकिन इन जटिल मामलों के होते हुए भी, सक्रिय रूप से चेष्टा की गई है। मैं यह नहीं कहता कि हमने इस समस्या को हल कर लिया है। लेकिन फिर भी हम दोनों पक्षों ने सक्रिय प्रयास किए हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि इसके बावजूद, आप यह एकरूपता देखिए। यद्यपि हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ, यद्यपि हमारी सीमा की समस्या है, यद्यपि हमारी उसके साथ क्षेत्रीय समस्या है, फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि यह हमारे देश के अन्दर विद्रोह फैलाना नहीं है। यह अपने द्विपक्षीय संबंधों के अन्तर्गत पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है। और इसी बात को लेकर हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। और जब हमारा यह आशय था, तो ऐसी कोई धारणा नहीं थी कि इस सरकार ने पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के

लिए उसी प्रकार की शुरूआत क्यों नहीं की। मेरे विचार में, पाकिस्तान सरकार ने इस सरकार के साथ, जोकि इस आशय के साथ आई थी, एक बहुत ही अच्छा अवसर खो दिया है। यह बात हमने उन्हें बता दी थी। अब, सीमा पार जमीन की भाषा टैंक-विरोधी और विस्फोटक है। यही बात सीमा पार से आ रही है, और वही वास्तविक भाषा है। आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के पार जमीन की वास्तविक भाषा क्या है। हमारे लिए जमीन पर वास्तविक भाषा टैंक-विरोधी मिसाइल, सब-मशीन गंस, राकेट लांचर्स, ए० के० 47, और कुछ सूचना के अनुसार, संभवतः जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र। हमारे नेक इरादों के बावजूद, हमें इन सब बातों का सामना करना पड़ा है और अब जन उन्माद उकसाने के साथ-साथ सेनाओं को आगे भेजने का काम जारी है। कोई भी देश इस स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता और मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं, हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, कि हमारे मोर्चे खुले न रहें, मोर्चों की रक्षा करते हुए, हमने सभी सावधानियां बरती हैं। मेरे विचार में यह हमारा कर्त्तव्य है। कोई भी हमें यह नहीं कह सकता कि हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। और हमने जो कदम उठाए हैं वह हमारी जानकारी के अनुसार हैं। प्रत्येक देश स्वतन्त्र है।

अब विदेश मन्त्रालय की ओर आते हुए, राजनयिक दबाव के बारे में, मेरे विचार में मुझे विदेश मंत्रालय को बधाई देनी चाहिए, कि उसने वास्तव में विभिन्न राजधानियों में भारतीय दृष्टिकोण को पहुंचाया और बहुत से देशों ने शिमला समझौते, जिसे संदर्भहीन समझा जा रहा था, का समर्थन किया है। और मैंने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि यदि यह संदर्भ से बाहर है तो यह केवल एकतरफा संदर्भ से बाहर नहीं होगा। अतः जब आप इसे संदर्भ से बाहर कहते हैं तो कृपया यह गंभीर होकर कहें। यह वही आधारभूत ढांचा है जिसमे 18 वर्षों तक शांति कायम रही। शिमला समझौता, इतिहास की एक प्रक्रिया है। कई संघर्षों के बाद, दोनों देश शिमला समझौते के लिए सहमत हुए थे। यह केवल ऐसी बात नहीं थी कि विदेश मंत्रालयों से कागज आए और दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और इससे कई वर्षों तक शांति कायम रही। इसे जारी क्यों नहीं रखा जा सकता? पाकिस्तान यह बात क्यों नहीं समझता कि 15 वर्षों के दौरान नहीं बल्कि पिछले वर्ष के दौरान, यहां कठिनाई पैदा हुई और विद्रोह तथा सभी बातें हुईं। वे वर्ष हमारे संबंधों के लिए बुरे क्यों नहीं थे? मेरे विचार में उस तरफ से कुछ आत्मविश्लेषण आवश्यक है। मैंने विभिन्न माध्यमों से भी उन्हें यह बताया है कि अच्छे संबंध, अच्छे तर्कों से नहीं बनते, अच्छे संबंध विश्वास से बनते है और मैं सभा को यह बताता हूं कि मैंने यह बात भी उनसे कही है कि यदि पाकिस्तान अच्छे विश्वास का एक कार्य करता है, तो हम दो करके दिखायेंगे। लेकिन केवल मना करते जाना, जब आप इसे कर रहे हैं, यह ऐसी बात है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान की प्रधान मंत्री को बाहर जाना पड़ा, हमारी राजनयिक सफलता का एक सबूत है। वास्तव में, उन पर अपने ही क्षेत्रों में दबाव था कि भारतीय राजनयिक दबाव इतना सफल रहा वे वस्तुतः कुछ देशों से अलग-थलग पड़ गए थे। अतः अब उन्हें स्वयं यात्रा शुरू करनी पड़ी। यह हमारी सफलता का सबूत है और हम आत्म संतुष्ट नहीं हैं। हमने बहुत से अरब देशों से बातचीत की और असल में वे चाहते हैं कि कोई भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। और बहुत से देशों ने शिमला समझौते के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

3.00 म० प०

क्या मैं इस अवसर पर यह कह सकता हूं—जोकि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं—मैं माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं कि इस विषय पर, उन्होंने कहा, "सभी एक हैं। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के इस विषय पर आते हैं हम यहां सभी भारतीयों के रूप

से बैठे हैं, न कि पार्टी सदस्यों के रूप में।" मैं इस सभा के प्रति कृतज्ञ हूं और आज इस सभा से यह जो संदेश आ रहा है इसे मजबूत करने से उसका दूरगामी परिणाम रहेगा क्योंकि केवल सेना नहीं है बल्कि यह लोग और उनका मनोबल है।

इसमें, मैं यह कह सकता हूं—इसके साथ ही, यह बहुत ही आवश्यक है—जैसाकि मैंने ठीक ही कहा है—सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सेना की ही नहीं बल्कि लोगों की भी है। और लोगों में—यदि वे बहुत ही शक्तिशाली हैं—सदभाव होना चाहिए। लोगों का सदभाव और एकता ही इसकी महान शक्ति है। कोई भी बात जो इस समय न केवल इस समय बल्कि आने वाले किसी भी समय में लोगों के मस्तिष्कों और दिलों को बांटेगी अथवा बांट सकती है—वह एक ऐसी बात है जोकि हमारे सुरक्षा वातावरण पर भी प्रभाव डालेगी।

मैंने यह बात बहुत ही दृढ़ विश्वास से उन्हें बताई है कि इस विषय पर यदि पाकिस्तान यह सोचता है कि भारत के लोग विभाजित हैं तो वे गलती पर है। चाहे वे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे वे हमारे सिख भाई हों, चाहे वे हमारे ईसाई भाई हों, चाहे वे किसी भी धर्म जाति अथवा दल के हों, वे सभी एक हैं और यही हमारी शक्ति है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मेरे पास यही संदेश है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेरे पास यही विश्वास है? इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है? हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं··· (**व्यवधान**) अब, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने प्रायः यही कहा है और हमने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विषय होगा उसे द्विपक्षीय तरीके से हल किया जाएगा और हम इन मामलों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि, यहां तक कि अपने विचार को रखने में और अपने विचार को बताने में यह आवश्यक है कि संचार माध्यमों को खुला रखा जाए। यदि हम अपने संचार माध्यमों को बंद करते हैं, तो हमारा अपने विचारों को व्यक्त करना भी बन्द हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि हमें संचार माध्यमों को रोक देना चाहिए लेकिन हमने मध्यस्थतः के बारे में दृढ़ता से 'इन्कार' किया है।

———

3.04 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा दिनांक 16 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 16 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.05 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए।]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मिन्जुर रेलवे स्टेशन पर छोटे विक्रेताओं को वैकल्पिक भूमि स्थायी तौर पर आवंटित किए जाने की मांग

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, नई दिल्ली-मद्रास रेलवे लाइन पर मद्रास सेंट्रल स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मिन्जुर रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 64 छोटे विक्रेताओं को रेलवे की भूमि पर अपना सामान बेचने की अनुमति दी गई है। कमजोर वर्गों से संबंधित ये गरीब विक्रेता गत अनेक वर्गों से यह छोटा-सा व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर है।

दिनांक 22-1-1990 को प्रशासन ने अचानक न सिर्फ बल प्रयोग कर इन विक्रेताओं को हटाया और उनकी सम्पूर्ण विक्रय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई बलिक रेलवे की सीमा चौकी को हटा दिया और उनकी भूमि राज्य सरकार के 'हाई वे' विभाग द्वारा बलपूर्वक अधिग्रहित कर ली गई। रेलवे अधिकारियों को यह जानकारी दिए जाने पर उन्होंने तत्काल इस स्थान का दौरा किया और उन्होंने फिर से वह भूमि उन्हें दे दी और रेलवे की सीमा चौकी को पहले की तरह स्थापित कर दिया गया।

महोदय, इन विक्रेताओं को स्थानीय अधिकारियों द्वारा वहां से हटाये जाने का हमेशा डर रहता है। इसलिए मैं रेल अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे मिन्जुर रेलवे स्टेशन के इन विक्रेताओं को किसी अन्य स्थान पर स्थायी तौर पर जमीन आवंटित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें ताकि इनके मन से बार-बार हटाए जाने का डर समाप्त हो जाए।

(दो) मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की कमी दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलालगंज) : श्रीमान जल की आवश्यकता मनुष्य एवं अन्य प्राणियों सभी को है। गर्मी में ये आवश्यकता अधिक प्रबल हो जाती है पिछले 40 साल से ज्यादा योजनाबद्ध विकास होने के बावजूद ये समस्या ऐसी की ऐसी ही है। आसपास के कुएं, तालाब, नदियां आदि सब सूख रहे हैं और अगर तुरन्त आवश्यक कदम नहीं उठाये गए तो सब जगह त्राहि-त्राहि मच जाएगी। इस समस्या का तुरन्त निदान आवश्यक है। श्रीमान, पीने के पानी के अलावा कृषि के लिए भी पानी की उतनी ही आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज में कोई ऐसी योजना विश्व बैंक की मदद से तुरन्त शुरू की जाए जिससे कि भविष्य में यह समस्या न आए। तुरन्त कार्यवाही हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को इतनी राशि दे जिससे कि तुरन्त ट्यूबवैल लगवाए जा सकें, खराब ट्यूबवैलों को सही किया जा सके। हैंडपम्प लगवाये जा सकें और कुओं आदि की मरम्मत करवाई जा सके।

(तीन) चित्तौड़गढ जिले में भूपालसागर में रुग्ण मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड को किसी उपयुक्त संप्रवर्तक को सौंपे जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : महोदय, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र में मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ एकमात्र कृषि पर आधारित उद्योग है। यह इकाई रुग्ण हो गई है जिसके कारण सैंकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। उपरोक्त जिलों के गन्ना उत्पादक किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है। औद्योगिक वित्तीय पुनर्वास बोर्ड द्वारा इस मिल को एक उपयुक्त प्रवर्तक को सौंपने के लिए की जाने वाली कार्यवाही में विलम्ब से मिल-मजदूरों और किसानों की कठिनाइयां दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस चीनी मिल को एक उपयुक्त प्रवर्तक को सौंपने के लिए औद्योगिक वित्तीय पुनर्वास बोर्ड को निदेश दे।

(चार) भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : यह बहुत चिन्ता का विषय है कि गैस अथारिटी आफ इण्डिया को प्रतिवर्ष लगभग 70 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है। इस प्रकार के घाटे के कई कारण हैं लेकिन मैं दो विषयों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाल ही में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने के लिए गैस अथारिटी आफ इण्डिया ने रंगीन कलैंडर छपवाये और इसके एवज में एच० बी० जे० एक्सटेंशन पाईप लाइन के लिए 20 करोड़ रुपयों का अनुबन्ध बिना निविदा के दिया गया।

मैं कम्पनी को हो रहे घाटों की एक और वजह की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्नैम इटालियन कम्पनी को त्रिपुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट का ठेका देकर लाभ पहुंचाया गया। अनेक अन्य कम्पनियों ने इस कार्य के लिए टेंडर दिया था उसके बावजूद भी स्नैम का अन्य कम्पनियों की तुलना में इस कार्य के लिए टेंडर दुगना व महंगा था एवं दो महीने विलम्ब से प्राप्त हुआ था फिर भी नियम तोड़कर स्नैम को ही इस कार्य के लिए चुना गया।

गैस अथारिटी आफ इण्डिया के उच्चाधिकारियों द्वारा पद का पूर्णतया दुरुपयोग किया गया है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसी अनियमितताओं की एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और सम्बन्धित उच्चाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए।

(पांच) पश्चिम बंगाल में पान के पत्तों के लिए द्रुत रेल परिवहन सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, पश्चिम बंगाल में पान के पत्ते के उत्पादकों तथा व्यापारियों को पान के पत्ते की टोकरियों के भेजे जाने के लिए रेलवे द्वारा पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से बड़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल में देश का दो-तिहाई पान का पत्ता पैदा होता है। पान का पत्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसकी शीघ्र ढुलाई के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के मेचेड़ा, पांसकुरा और

बगनान रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है। बगनान तथा श्रीरामपुर रेलवे स्टेशनों पर पान की टोकरियों के परिवहन की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि वहां पर कोई भ। मुख्य रेलगाड़ी नहीं रुकती तथा अन्य स्टेशनों पर या तो सुविधाएं अपर्याप्त हैं अथवा गाड़ियां पान की टोकरियों के लदान के लिए नियमित रूप से खाली वी० पो० एस० माल डिब्बे नहीं लाती हैं।

इसलिए, मैं रेल मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से देश के अन्य भागों में पान की टोकरियों के शीघ्र तथा नियमित रूप से ले जाए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय करें :

(1) हावड़ा और सियालदाह रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर दक्षिण पूर्व रेलवे की 8034 अप, 8005 अप, 8030 अप, 8002 अप, 8015 अप तथा पूर्व रेलवे की 2311 अप, 2303 अप, 2381 अप, 3007 अप, 3005 अप, 3009 अप गाड़ियों में पान की टोकरियो के ले जाए जाने की नियमित रूप से निगरानी की जाए।

(2) 8030 अप गाड़ी को बगनान स्टेशन पर, 3009 अप गाड़ी को श्रीरामपुर स्टेशन पर तथा 8002 अप गाड़ी को मेचेड़ा स्टेशन पर रोका जाए।

(3) 8030 अप तथा 7034 अप गाड़ियों में नियमित रूप से वी० पी० एस० माल डिब्बे लगाए जायें।

(छः) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में सागरदीघी और बजबज में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को तथा पुरूलिया पंप स्टोरेज और बालागढ़ ताप विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल और विशेषकर कलकत्ता को जो किसी समय औद्योगिक गतिविधि का केन्द्र था, इस समय बिजली के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी भी चरम सीमा पर है। अब समय आ गया है कि विद्युत की कमी वाले इस राज्य में बिजली की सप्लाई में सुधार के लिए कुछ किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने सागरहीघी तथा बजबज में दो ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास भेजे थे। राज्य सरकार इन दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति सुनिश्चित कराने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही है।

2000 मेगावाट बिजली क्षमता की सागरहीघी परियोजना वर्ष 1985 से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है तथा 500 मेगावाट क्षमता की बजबज परियोजना चार महीने पूर्व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसके विपरीत यह तर्क दिया कि राज्य में प्रस्तावित 2500 मेगावाट तापीय क्षमता का उपयोग नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार तो इस बारे में चिन्तित है कि जब शताब्दी के अन्त तक मांग और सप्लाई के बीच अन्तर बढ़कर 2870 मेगावाट हो जाएगा तब बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा किया जाएगा। वास्तव में यह अन्तर और भी अधिक हो सकता है क्योंकि पुरानी इकाइयां और अधिक पुरानी होने पर और भी कम बिजली पैदा करेंगी। इसलिए, मैं राज्य सरकार की इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को न केवल सागरडिही और बजबज परियोजना को मंजूरी देनी चाहिए, बल्कि आठवीं योजना में ही पुरुलिया पम्प भंडारण और बालागढ़ ताप विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी देनी चाहिए।

(सात) केरल के इडुक्की जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, केरल के इडुक्की जिले में लगभग तीन दर्जन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

केरल का इडुक्की जिला परिवहन तथा संचार के मामले में सम्भवतः सबसे अधिक अविकसित जिला है। मुख्यत: गहन भू-भाग तथा घाटियों के इस पहाड़ी जिले के लिए संचार सुविधाओं की जरूरत पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। इस जिले में काफी मात्रा में नकदी फसलों का उत्पादन होता है, जिनसे विदेशी मुद्रा की आय होती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अविकसित इडुक्की जिले के हित के उच्च प्राथमिकता के आधार पर इन विस्तार प्रस्तावों को तुरन्त मंजूरी दे।

3.15 म० प०

वित्त विधेयक, 1990—(जारी)

सभापति महोदय : अब हम प्रो० मधु दंडवते द्वारा 16 मई, 1990 को प्रस्तुत वित्त विधेयक, 1990 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे, श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ?

सभापति महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्त विधेयक इस सभा में स्वीकार किए जाने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करना है तो मैं सुझाव दूंगा कि हमें लम्बे समय तक सभा की बैठक जारी रखनी होगी। मैं उत्तर शाम देर तक भी दे सकता हूं लेकिन वित्त विधेयक पर आज ही चर्चा पूरी की जानी चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से समूचे सदन से यह मेरा अनुरोध है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : जी हां, यह एक छोटी-सी समस्या है और मैं इससे सहमत हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समय को इस तरीके से समायोजित किया जाना चाहिए जिससे कि उत्तर 8 बजे से पहले पूरा हो जाए क्योंकि लगभग सौ सदस्य आठ बजे जाना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कि मेरा काम अन्त में समाप्त हो जाए।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वित्त मन्त्री को इतना विश्वास है कि वह हर बात को मजाक में ही लेते हैं। यह उनकी आदत है। हर समय वह मजाक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें इतना अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। यह उत्तर देने का तरीका नहीं है। प्रश्न का उत्तर देते समय आप सदस्यों को मूर्ख···

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : आप इस समय भले ही इस बात को न मानें।

मैं यहां अपनी योग्यता के आधार पर आया हूं। आप इस तरह उत्तर नहीं दे सकते। मैंने

केवल यह कहा है कि लगभग सौ सदस्यों को आठ बजे जाना है, इसलिए इस तरह से समय निर्धारित किया जाए जिससे कि चर्चा 8 बजे से पहले समाप्त हो जाए। अन्यथा हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आठ बजे के बाद बैठने के लिए न कहा जाए। यही मैंने कहा है। मेरा यह बताना जरूरी नहीं है कि हमें कहां जाना है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सुझाव का पूर्णतया समर्थन करता हूं। यदि कुछ सदस्यों को आठ बजे जाना है तो आप समय निर्धारित कर सकते हैं और मैं स्वयं भी कम से कम समय में उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, हमारे सब मेम्बर्स को एक मीटिंग में जाना है। हम 6 बजे जाकर 8 बजे आ जायेंगे। आठ बजे ये चले जायेंगे तो फिर दस बजे रख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप हमें आठ बजे जाने की अनुमति दें तो हम 9 बजे वापिस आ जायेंगे और फिर हम बारह बजे तक भी बैठ जायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने प्रयत्क्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में जिन छूटों और राहतों की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि वे बहुत ही निराशाजनक है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वित्त विधेयक का जो रूप अब हमारे सामने है, इसको हमारी स्वीकृति तो नहीं है इसे समर्थन देने की हमारी मजबूरी हो सकती है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हम इसे कोई बहुत अच्छा बजट या जनहित का बजट नहीं समझते हैं।

सभापति महोदय, यह बजट मध्यम वर्ग पर, गरीबों पर और जो बंधी हुई आय के लोग हैं उन पर बहुत कुठाराघात करता है। हमें समझ नहीं आया और मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था कि हमें आशा थी कि वित्त मंत्री महोदय कोई न्यायपूर्ण बजट बनाएंगे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों बिग बिजनैस सेंटर्स, बिग जाइन्ट्स जो हैं, उनको उन्होंने जो राहत दी है, वह राहत उन्होंने पार्टनरशिप फर्म्स को, सैल्फ एम्पलॉयड को और व्यक्तिगत लोगों को राहत देने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वाइडली हैल्ड कम्पनीज बड़े उद्योगों को आपने कर की दर में दस प्रतिशत की छूट दी है, यानी कर के अन्दर बीस प्रतिशत की छूट हो गई। दर में दस प्रतिशत और कर में 20 प्रतिशत छूट है, क्लोजली हैल्ड कम्पनीज हैं, उनको 5 प्रतिशत कम दर में है और 10 प्रतिशत कर की छूट दी गई है। परन्तु जो सैल्फ एंपलॉयड लोग हैं, जो अपने आप में या पार्टनर फर्म में हैं, उनको कोई राहत नहीं दी है। बड़ी कम्पनियों को इतनी छूट देना और आम आदमियों को कोई छूट नहीं देना, कम से कम दंडवते जी से हम इसकी उम्मीद नहीं करते थे। कौरपोरेट सैक्टर को दूसरे कौरपोरेट सैक्टर से जो डिवीडेंड मिलेगा वह 100 प्रतिशत ऐगजैम्प्ट कर दिया गया है परन्तु जो एक आदमी को डिवीडेंड मिलता है उसके ऊपर कोई ऐगजैम्प्शन नहीं है, उसे उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। यह सुविधा व्यक्तिगत आय पर क्यों नहीं दी गई? मैं चेतावनी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मधु दंडवते जी ने इसका जिक्र किया है कि 800 करोड़ रुपये वे कौरपोरेट सैक्टर से और वसूल करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है उनका गणित का हिसाब कैसे लगाया गया क्योंकि पिछली दर के

कुल मिलाकर कौरपोरेट सैक्टर से 5289 रु० का टैक्स अपेक्षित होना चाहिए। अगर उसमें 20% भी कमी हो गई तो करीबन एक हजार करोड़ रुपये की कमी उसमें से हो जाती है। उसमें और जो राहत दी हैं, वह मिलाकर उसमें जो लाभ इनवैस्टमैंट ऐलाउन्स जो खत्म करना होगा, वह निकाल भी दिया जाए तो मेरे हिसाब से 7-8 सौ करोड़ रुपए का नैट घाटा होना चाहिए बजाए 800 करोड़ रुपए मुनाफे के। यह कहने से कि 800 करोड़ रुपया ज्यादा आएगा और बाद में जब न आए, किसी और तरह से इसको पूरा किया जाए, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। कौरपोरेट सैक्टर को जितनी सहूलियत दी गई है उसको देखना चाहिए, उसको स्पष्ट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत आय के, बंधी इनकम के जो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इन्होंने 18 हजार से 22 हजार रुपए ऐगजैम्पशन लिमिट करके कुल मिलाकर 800 रु० का साल भर का फायदा पहुंचाया है। यह बहुत कम है, आयकर छूट सीमा कम से कम 30 हजार रुपए जरूर करनी चाहिए। इन्होंने दूसरे तरीके से जो बजट के ऊपर छूट थी उसे एक तरह से छीन लिया है। दंडवते जी गणित के प्राध्यापक हैं इसलिए उन्होंने एक रकम निकाल ली कि 42 हजार रुपए जिसकी आय होगी और वह उस पर 8000 रुपए बचत करता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं उनके सामने दूसरे आंकड़े रख सकता हूं जिस आदमी का 48 हजार रुपए कुल वेतन है और वह छः हजार रुपए की बचत करता है, उसे नये फार्मूले से 600 रुपया टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, 800 रुपए की जो राहत मिली, उसमें 600 रुपया उन्होंने इस प्रकार छीन लिया। जो सैल्फ इम्प्लायड हैं और 36000 रुपए उसकी कुल आय है, उसको भी नए फार्मूले से 6000 रुपए की बचत करने पर 600 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। क्या 36000 रुपए आय वाला कोई कैपिटलिस्ट है, कोई बड़ा अमीर आदमी है। यह जो कहते हैं कि मैंने नया तरीका निकाला है वह ज्यादा न्यायपूर्ण है। 800 रुपए की राहत देकर 600 रुपए छीन लेना बहुत बड़ी बेइंसाफी की है। बहुत सीधी बात है कि 30% की रेंज में जिसकी इनकम होगी उसको 600 रुपए का नुकसान होगा, जिसकी 40% की रेंज में होगी उसको 1200 रुपए का नुकसान होगा और जिसकी रेंज 50 प्रतिशत की होगी उसे 1800 रुपए का नुकसान होगा अगर वह 6000 रुपये की बचत करता है। यदि मैं गलत आंकड़े पेश कर रहा हूं तो वित्त मंत्री इसके बारे में बताएं। परन्तु यह आंकड़े निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर एक और बड़ी ऐनोमली है। 75 हजार रुपए जिसकी आय होगी उसको 17600 रुपए टैक्स के देने पड़ेंगे। यदि उसकी आय 75010 रुपए हो जाए, केवल 10 रुपए बढ़ जाए तो उसे 1408 रुपए और देने पड़ेंगे। 10 रुपए की आमदनी पर 1408 रुपये टैक्स लेना, यह कहां का न्याय है। आगे हमेशा कभी सरचार्ज लगता था तो उसके ऊपर मारजीनल रीलीफ दिया जाता था, इन्होंने यह मारजीनल रीलीफ नहीं रखा। 10 रुपए की इनकम के ऊपर 1408 रुपए का टैक्स देना पड़े, तो आप इसकी न्यायपूर्णता समझ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो कौरपोरेट टैक्स में छूट दी है उसी तरह से अधिकतम इनकम टैक्स को भी 40% किया जाए और 30 हजार तक ऐगजैम्पशन लिमिट की जाए और बचत पर राहत का पुराना फार्मूला कायम रखा जाए।

वैल्थ टैक्स के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। इसमें जो नोशनल इनक्रीज वैल्थ के अन्दर हुआ है, उस पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। एक रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आया था या गरीब आदमी ने तब मकान लिया, उस समय 6000 रुपए में मकान मिला था और उस मकान में वह खुद रह रहा है, वह चाहे विधवा हो या कोई और भी है। कल को बाजार में उसकी नोशनल वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई, तो वह 20 लाख रुपए पर वैल्थ टैक्स कहां से अदा करे। वह गरीब आदमी उसमें खुद रह रहा है, उसे बेचना नहीं चाहता। वैल्थ टैक्स का जो तरीका निकाला गया है

कि बाजार में उसकी संपत्ति की नोशनल वैल्यू बढ़ गई, उसके हिसाब से वह कहां से अदा कर सकता है। उनकी इनकम नहीं बढ़ी और उसकी संपत्ति नहीं बढ़ी। वैल्थ टैक्स में यह देखा जाए कि इसमें जो खुले बाजार में भी कीमत ब्लेकमनी बढ़ गई है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए।

इसके मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना सदन में नहीं रखी है। आठवी पंचवर्षीय योजना का असली रूप कुछ पता नहीं है। दो महीने ऊपर हो गए हैं। आठवीं योजना के अन्तिम रूप के बिना मालूम नहीं हो सकता है कि वास्तव में स्थिति क्या है? इस वर्ष के प्लान के अन्दर जो कुल इनक्रिज हुआ है वह पिछले रिवाइज्ड एस्टिमेट से केवल दस परसेंट ज्यादा हुआ है। मधु दंडवते जी ने घाटा 7200 करोड़ दिखाया है। उन्होंने प्लान को इतना कम कर दिया है कि घाटा तो कम होना ही था। प्लान में इनक्रीज केवल 10 परसेंट दिखाया गया है। ऐसे में घाटा 7200 करोड़ से कम रखने से इसलिए काम नहीं चलेगा क्योंकि यह बजट विकास में वृद्धि नहीं करेगा।

सभी मिनिस्ट्रीज को आपने कहा है कि वे अपने सब खर्चे कम कर दें और महंगाई भत्ते की वृद्धि को अपनी बचत से निकालें। यह खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है या प्लान में है? अगर आप प्लान में से रुपया निकालेंगे और प्लान को अपने यहां कम कर देंगे तो आप यह समझिए कि प्लान पिछले साल से भी नीचे चला जाएगा और विकास रुक जाएगा।

आपने दो बातें कही थीं कि इस बजट का उद्देश्य यह है कि एक महंगाई कम करना और महंगाई कम करने के साथ बेकारी दूर करना। महंगाई पिछले पांच महीने में 5% बढ़ गई है। इस जनवरी की पहली तारीख को होल-सेल प्राइस इंडेक्स 165 था लेकिन अब वह 173 हो गया है यानी कि 5% बढ़ गया है। रिटेल कीमतें 8% बढ़ गयी हैं। आप इसको देखें। रेवेन्यू कहां से आ सकता है, इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने पब्लिक सेक्टर की तरफ भी तवज्जह नहीं दी। पब्लिक सेक्टर में हमारा 70 हजार करोड़ रुपया इस साल के आखिर में लग जाएगा और उसमें से प्राफिट 3-4 परसेंट हो रहा है। यह बात कही है कि वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के विस्तार के लिए 48% इन्ट्रनल रिसोर्सिज से पैदा किया जाएगा। यह 48% प्लान के लिए और इनवेस्टमेंट के लिए कहां से पैदा करेंगे सारे बजट में किसी स्थान पर भी उसका उल्लेख नहीं है।

कोल इण्डिया में घाटे का भी जिक्र हुआ है। चाहे कोल इंडिया हो या अन्य कोई सेक्टर पावर जैनरेशन अपनी क्षमता के 40 परसेंट पर रुकी हुई है। 'सेल' के अन्दर अपनी क्षमता से कहीं कम उसका उत्पादन हो रहा है। अगर पूरी क्षमता से इसमें उत्पादन किया जाए तो बहुत ज्यादा सरप्लस हो सकता है। क्षमता से कम उत्पादन होने के लिए केवल इतना कह दिया जाता है कि वहां पर मजदूर कम काम करते हैं। केवल इतनी ही बात नहीं है। वहां पर मैनेजमेंट, अफसरशाही और आफिसर जो लगाए जाते हैं, उनको भी जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है। ऐसे में पब्लिक सेक्टर इतना सरप्लस पैदा कर सकता है कि हम उसको बहुत अच्छे ढंग से जनकल्याण के कामों में लगा सकते हैं।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। आप ब्लैकमनी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको कैसे निकाल रहे हैं और क्या उसको निकालने का तरीका होना चाहिए, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ भेदभाव न हो, इसका आप ख्याल रखें। ब्लैकमनी को बेकारी दूर करने के लिए और स्लम के लिए कोई योजना लानी चाहिए। इसके साथ ही यह स्पष्ट

होना चाहिए कि किस तरीके से ब्लैकमनी को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ? सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर जो बैन लगा हुआ है, मैं उसको हटाने पर बहुत जोर देना चाहता हूं और इस संबंध में अपील करना चाहता हूं। "राइट टू वर्क" को तो आप कर नहीं पाए हैं। इस कारण से कम से कम आप भर्ती पर लगे बैन को हटाएं। ऐसे में लाखों-करोड़ों लोग जो सरकारी नौकरियों में नहीं आ सकते वे नौकरी की उम्र को पार कर रहे हैं। आप बेकारी की समस्या को दूर करें जिससे देश की तरक्की हो सके। इसके लिए इस बजट में कुछ रुपया इसके लिए रखा जा सकता है। आपने अपने मैनिफैस्टो में जो वायदा किया था कि हम सरकारी नौकरियों में लगे बैन को हटाएंगे, कम से कम उसे तो पूरा करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, शुरू में, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद हमने केवल नौ मन्त्रालयों पर चर्चा की है। हमने वास्तव में क्या किया है। 37 प्रतिशत अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो चुकी है और 63 प्रतिशत मांगों को बिना चर्चा किए पारित किया जा चुका है। जो मुद्दा मैं बताना चाहता हूं वह संक्षेप में यह है। बजट व्यय बढ़ रहा है और 1950 से बढ़ता रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 1950 से इसमें तीन सौ गुना वृद्धि हुई है। बजट पर होने वाली चर्चा की अवधि निरन्तर घटती जा रही है। वास्तव में 1950 के बाद से संसद के सत्र छोटे होते जा रहे हैं और संसद की बैठकों की संख्या भी कम होती जा रही है इतने थोड़े समय में, बजट सम्बन्धी चर्चा का दिया जाने वाला समय कम होता जा रहा है। शायद कोई सोच सकता है कि सरकार का कार्य बढ़ रहा है और इतना जटिल होता जा रहा है कि संसद को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जैसाकि पहले संसद को उत्तरदायी ठहराया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ऐसे देशों को जानता हूं जोकि इस विषय में उल्लेखनीय हैं। भारत केवल ऐसा देश है जहां संसद के प्रति सरकार की जिम्मेदारी घटती जा रही है। तथाकथित सभी राष्ट्रमंडलीय देशों में, उन देशों में जहां संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति प्रणाली है, वहां सरकार की संसद के प्रति जिम्मेदारी बढ़ रही है; और समितियों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ रही है जिनकी बैठकें वर्ष भर होती रहती हैं तथा अनुदानों की मांगों पर विस्तार से संवीक्षा करती है। सदन में केवल सामान्य मसलों पर ही चर्चा की जाती है। मैं इस समस्या की गम्भीरता को बताना चाहता हूं ताकि सदन इन मामलों पर कुछ निर्णय ले। हमारा देश ही केवल ऐसा देश है जहां संसद की प्रभावशीलता प्रति वर्ष कम होती जा रही है। इस वर्ष 37% अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई है और 63 प्रतिशत अनुदानों की मांगें बिना चर्चा किए पारित कर दी गई। भारत सरकार के वर्ष 1950-51 के बजट में व्यय 337.88 करोड़ रुपए था और इस बजट में 94,706.54 करोड़ रुपए है। यह वृद्धि तीन सौ गुणा के लगभग है। इसके विपरीत, संसद की बैठकों की संख्या में कमी हो रही है। प्रथम संसद में, 1950-51 में संसद की बैठक 677 दिन हुई पिछली संसद में 465 दिन। इस प्रकार बैठकों की संख्या में काफी कमी हुई है। अनेक पूर्ववर्ती संसदों की तुलना में पिछली संसद में इस दिशा में सुधार हुआ था। इस संसद का कार्यकाल बहुत कम था। इसमें संसद की बैठकें केवल 200 दिन हुई। सातवीं संसद की बैठकें 400 दिन हुई। संसद की बैठकों की संख्या कम होती जा रही है। संसद की बैठकों के दौरान बजट पर चर्चा के लिए कम समय दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, दूसरी लोक सभा में बजट सम्बन्धी चर्चा के लिए दिया गया समय कुल समय का 2.9 प्रतिशत था। पिछली संसद में यह 16.9 प्रतिशत था। इस प्रकार संसद सत्र छोटे होते जा रहे हैं। संसद के कार्य में वृद्धि हो रही है। सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है।

संसद के छोटे सत्रों में बजट सम्बन्धी चर्चा को कम समय दिया जा रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम सब इसके लिए दोषी हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह विषय केवल सरकार के लिए चिन्ता का नहीं है, हम सबके लिए चिन्ता का है और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। 4 अप्रैल, 1990 को सभा पटल पर रखे गए नियम समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। इसमें सिफारिश की गई है कि प्रत्येक संसदीय लोकतन्त्र में, राष्ट्रमंडल के देशों में, यूरोप में, एशिया में तथा अन्य देशों में जैसे स्थायी समितियां हैं, उसी तरह की यहां पर भी कुछ और स्थायी समितियां होनी चाहिए। उनमें से एक वित्त एवं योजना समिति है जो बजट पर विचार करेगी। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि अब तक यह समिति क्यों नहीं गठित की गई ? यह प्रतिवेदन 4 अप्रैल को सभा पटल पर रखा गया था। अब मई का महीना आधा बीत चुका है। इस समिति की अभी तक घोषणा नहीं की गई। यदि इन समितियों की घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं है तो इन समितियों की अध्यक्ष द्वारा घोषणा कर दी जानी चाहिए थी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है तथा मैं समझता हूं कि मैं समूची सभा की भावना व्यक्त कर रहा हूं कि इसी सत्र के दौरान स्थायी समितियों की घोषणा की जाए ताकि हम दूसरे देशों की संसदों की तरह अन्तः सत्रावधि से प्रभावी ढंग से कार्य शुरू कर दें। इसलिए अन्य देशों, जो उल्लेख करने योग्य हैं, की तरह इन समितियों का गठन किया जाए—अपर रोल्टा अथवा टोगो की घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है—परन्तु मैं ब्रिटेन, कनाडा अथवा आस्ट्रेलिया की घटनाओं के सम्बन्ध में जानता हूं। यह स्थिति देखकर सभी को बहुत आश्चर्य होता है कि ब्रिटेन, जो अत्यधिक रूढ़िवादी है, में भी ये समितियां बनायी जाती हैं।

सभापति महोदय : कुछ राज्यों में भी इसका कार्यान्वयन होता है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : जी हां, वहां भी ऐसा होता है। मुझे यह जानकर खुशी है। केवल यही एक तरीका है। यह बड़ी परेशानी की बात है कि हमारी संसद में यह व्यवस्था नहीं है इसके बिना बजट चर्चा का कोई महत्व नहीं है।

कृपया ध्यान दीजिए कि मांगों की चर्चा में व्यतीत इस थोड़े से समय का क्या परिणाम निकला ? वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में उचित कहा है कि उनके और देश के सामने दो प्रमुख समस्याएं हैं, वित्त मन्त्रालय को उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता की भावना से बता देना चाहिए।

पहला प्रश्न बजट घाटे के सम्बन्ध में है तथा दूसरा विशेष प्रश्न भुगतान संतुलन के बारे में है। बुनियादी तौर पर भुगतान संतुलन की क्षतिपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा की जानी है। इसलिए बजट चर्चा में भुगतान संतुलन की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, वाणिज्य मन्त्रालय भुगतान संतुलन की क्षतिपूर्ति का मुख्य साधन है। परन्तु इस वर्ष की मांगों में वाणिज्य मन्त्रालय की चर्चा नहीं की गई है।

इस प्रकार की स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कितनी निरर्थक रही है। जो कुछ मैंने कुछ समय पहले शान्त वातावरण में कहा था उसी को दोहराना चाहता हूं कि हम यहां केवल इस भावना से उपस्थित नहीं हैं—मेरा अभिप्राय उन बातों से है जो मैंने कही हैं—कि अवसर मिलने पर किसी मामले के बारे में बोलने लगें। हम जनता की शिकायतें दूर करने के लिए हैं, केवल भाषण देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब समितियां बनाई जाएंगी, जिनकी पूरे वर्ष बैठक होंगी और कुछ

सीमाओं तक विशिष्टीकरण की भावना पैदा होगी केवल तब ही बजट का बारीकी से अवलोकन होगा, अन्यथा यह मात्र भाषणबाजी है।

जहां तक बजट घाटे का सम्बन्ध है, वित्त मन्त्री महोदय के विचार से यह मुख्य समस्या है। जितनी सहानुभूति और सम्मान सभा का है उतना ही मैं व्यक्तिगत रूप से वित्त मन्त्री महोदय का करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह मुख्य समस्या है परन्तु उन्होंने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है, कोई विशेष उपाय नहीं किया है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे बजट घाटे पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

इसमें उनका दोष नहीं है। इसमें उनकी सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार की ऐसी स्थिति ही है। अल्पमत सरकार को अपने अस्तित्व के लिए विरोधी ताकतों पर निर्भर रहना पड़ता है, वे क्या कर सकते हैं ?

परन्तु वित्त मंत्री महोदय इस प्रकार के लोकप्रिय उपायों जिनकी सभा में चर्चा की गई है, बजट में उल्लेख किया गया तथा समय-समय पर प्रशंसा की गई है, की घोषणा निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं। वित्त मंत्री महोदय को स्वयं कहना चाहिए कि ऐसी बातें न हों।

अब मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। यह नयी बात है। बजट घाटा वित्त मंत्री महोदय ने उत्पन्न नहीं किया है। उन्हें यह हमसे विरासत में मिला है इसके साथ-साथ समृद्ध और गतिशील अर्थव्यवस्था भी विरासत में मिली है। आपको दोनों चीजें, अर्थात गतिशील अर्थव्यवस्था, जिसमें औद्योगिक विकास की दर सर्वाधिक थी जो इस में कभी नहीं रही तथा बजट घाटा विरासत में मिले हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार अर्थात विगत सरकार इस समस्या से परिचित थी और बजट घाटे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहती थी।

नवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में किए गए अनुरोध के बारे में भी कार्यवाही की गई। नवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के पैरा 4 को पढ़िए। इसमें कहा गया है :

> "सरकार चाहती थी कि वित्त आयोग को राज्यों और केन्द्र के राजस्व खाते की प्राप्तियां और व्यय के सम्बन्ध में आदर्श दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"

जहां तक राज्यों का संबंध है, आपने अपने की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के पैरा, जिसे आपने स्वीकार किया है, में वित्त आयोग की इस आदर्श दृष्टिकोण की सिफारिश को स्वीकार किया है। परन्तु जहां तक केन्द्र का संबंध है, आपने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है। आपने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया ? रिपोर्ट के पैरा 10 में कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "मोटे तौर पर इसके आधार पर आदर्श दृष्टिकोण अपनाया गया है।"
>
> वित्तीय अनुशासन के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को एक समान समझा जाना चाहिए, हम सिफारिश करते हैं कि किसी विशेष वर्ष में आर्थिक मानदंडों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की सलाह से केन्द्र सरकार के वित्तीय घाटे को एक सीमा तक निर्धारित करने की परिपाटी विकसित की जानी चाहिए...."

सभापति महोदय : श्री फलीरो, आपकी पार्टी ने लिखा है कि कांग्रेस के सदस्यों को दस मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : आपकी और मेरी पार्टी एक है। यह प्रारम्भिक भाषण है। मैं अपने पक्ष की ओर से वित्त विधेयक के सम्बन्ध में बोलने वाला पहला वक्ता हूं। कृपया मुझे अधिक समय तक बोलने की अनुमति दीजिए।

क्या सरकार आदर्श दृष्टिकोण जिसकी वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, को स्वीकार करेगी ? हम वित्त मन्त्री महोदय से यही जानना चाहते हैं। क्या सरकार अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत संसद के माध्यम से ऋण की सीमा निर्धारित करेगी ? क्या सरकार इसके लिए अनुच्छेद 292 के अंतर्गत कोई कानून बनाएगी ? अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है। इन सीमाओं को निर्धारित करना आवश्यक है क्योंकि यदि आप इस सीमा को बढ़ाते हैं तो आपको संसद में यह बताना होगा कि आप इस सीमा को क्यों बढ़ाना चाहते हैं तथा और अधिक ऋण क्यों चाहते है। इस सरकार के बजट घाटे तथा ऋण को नियन्त्रित करना आवश्यक है। क्या आप कोई कानून बनायेंगे ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जहां तक भुगतान संतुलन का प्रश्न है, मैं स्थिति, जिससे हम सब परिचित हैं, के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। परन्तु हमें व्यापार के मामलों, रियायती ऋण तथा सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण, जो हमारे विपरीत है, के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। 1992 तक यूरोप को एक बाजार के रूप में एकीकृत किया जा रहा है। इसलिए व्यापार सहायता और रियायती ऋण दक्षिण, जैसी कि पहले व्यवस्था की गई थी, के बजाय दक्षिणी यूरोप के पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीक जैसे विकासशील देशों को दिया जाएगा, व्यापार के संदर्भ में हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। रियायती ऋण भी इन्हीं देशों को दिया जाएगा। मेरा यह प्रश्न है। नए औद्योगिक देश इन देशों के बाजारों तक पहुंचने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है। क्या सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही कर रही है ? क्या उन्होंने इनके बाजारों तक पहुंचने के लिए ई० ई० सी० के साथ विचार-विमर्श किया है अथवा नहीं और इसकी क्या स्थिति है ?

रूबल की परिवर्तनशीलता के कारण हमें सोवियत रूस के साथ समस्याओं का सामना करना पडता है। हमारा व्यापार रुपए के आधार पर होता है। दुर्लभ मुद्रा में व्यापार की अधिक संभावना है। मास्को में क्रेमलिन में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसा बाजार में किया गया है। हमें प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। सोवियत संघ में प्रेस्त्रोइका से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उस देश में अपने बाजार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? मैं जानता हूं कि वाणिज्य मन्त्री इस समय मास्को में हैं। हमें बाजार के सम्बन्ध में एक नीति बनानी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? बताया गया है कि ये निर्णय विकासशील देशों के प्रतिकूल हैं। कोटा में शत-प्रतिशत वृद्धि, जिसकी कोष के प्रबन्ध निदेशक ने सिफारिश की थी और विकासशील देशों ने समर्थन किया था, के बजाए पचास प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इसमें बुरा क्या होगा ? एक नयी शर्त लगायी गयी है वह यह है कि कोष से चूक किसी भी देश को सहायता नहीं मिलेगी और न ही रियायती दर पर पूंजी दी जाएगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। यह नयी शर्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा

कोष के मूलभूत चार्टर के खिलाफ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक सूदखोर की तरह प्रस्तुत करती है, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा सिर्फ वापस लेने के लिए ही देता है न कि एक विकास बैंक के रूप में जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य था। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चार्टर का उल्लंघन है। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है? जहां तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सम्बन्ध है, हम सुपर 301 पर इस सरकार द्वारा किए गए निर्णय से प्रसन्न हैं। हमारी अपनी कांग्रेस सरकार की भी बिल्कुल यही स्थिति थी। अमेरिका और विकसित देशों को और भी ज्यादा दृढ़ता से यह जता देना चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे कि मल्टीफाइबर समझौतों में हुआ है, और जहां तक विकासशील देशों का सम्बन्ध है। खुले व्यापार और खुले बाजारों में उन्हें लादने की कोशिश नहीं कर सकते।

हमें उत्तर-दक्षिण वार्ता फिर शुरू करनी चाहिए, अगर विश्व में सभी मुद्दों पर वार्ता सम्भव नहीं है तो कम से कम एक-एक मुद्दे पर चरण दर चरण वार्ता शुरू कर सकते हैं। हम उत्तर-दक्षिण वार्ता को दोबारा शुरू करने के लिए क्या कर रहे हैं? दक्षिण-दक्षिण सहयोग अनिवार्य है। विकसित देशों की बजाय विकासशील देशों से आयात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जैसे कि विकासशील देशों से आयात के लिए प्राधिकृत शुल्क को कम कर दिया जाए और उन्हें एक अधिकृत छूट जैसे कि 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दीजिए। कुछ विकासशील देशों के साथ, ऐसे विकासशील देश जो ज्यादा विकसित हैं, के साथ वाणिज्य मंडल (चेम्बर्स ऑफ कामर्स) स्थापित कीजिए। जब आप अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस के साथ वाणिज्य मण्डल बना सकते हैं तो विकासशील देशों में ज्यादा विकसित देशों के साथ क्यों नहीं बना सकते?

हमें अपना तकनीकी सहयोग बढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी ही सफलता की कुन्जी है। प्रौद्योगिकी के द्वारा ही पश्चिमी देशों ने शेष विश्व को उपनिवेश बनाया था। और इस समय जैविक-रसायन और कई अन्य क्षेत्रों में तकनीक के अभूतपूर्व विकास के द्वारा ही अब नया-उपनिवेशवाद पैदा होने वाला है, अन्यथा हमें अपनी प्रौद्योगिकी में सुधार करना होगा। दक्षिण देशों में तकनीक का विनिमय अनिवार्य है। अतः, एक प्रमुख विकासशील देश होने के नाते हम तकनीकी सहयोग और अन्य विकासशील देशों के साथ उचित तकनीक के विनिमय के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जैसा मैंने कहा, यह इस प्रकार है। हमें प्रत्येक स्तर पर इन चीजों से गुजरना होगा। यहां पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं किन्तु मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए इन विशेष मुद्दों पर वे उत्तर देंगे।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : दो मोर्चों पर प्रो० मधु दण्डवते बधाई के पात्र हैं। पहला यह है कि यह पहला बजट है जिसकी प्रशंसा मुम्बई में श्री नानी पालकीवाला और श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे व्यक्तियों द्वारा की गई है। जनता के ऐसे वर्ग द्वारा प्रशंसित ऐसे और बजट में कुछ और कुछ संशोधन की गुंजाइश बहुत कम है। मुझे दो या तीन दिन लाइब्रेरी में जानेका सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि प्रो० मधु दंडवते चार-पांच वर्षों से क्या कह रहे थे, बजट पर, महंगाई पर, पेट्रोल की कीमतों की वृद्धि पर जब श्री वी० पी० सिंह ने खुद शाम को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की थी। यह देखकर आघात पहुंचता है कि पांच सालों से उन्होंने जो भी टिप्पणियां कीं, उनमें से एक पर भी उन्होंने अमल नहीं किया। बी० ओ० पी०, घाटे की वित्त-व्यवस्था, भारत पर कर्ज, भारत का विदेश व्यापार, इन पर प्रो० मधु दंडवते अब तक जो भी उपदेश देते रहे हैं, उनमें से एक भी पंक्ति वे अपने बजट में नहीं रख पाए। जब मैं कारण पूछूंगा तो वे कहेंगे, "हमें एक मौका दीजिए, हम वहां पांच वर्षों तक हैं, अभी सिर्फ छः महीने हुए हैं।" मैं सिर्फ उन्हें शुभ-

कामना ही दे सकता हूं। मैं उन्हें सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी सत्रावसान के समय कुछ वक्त निकाल कर अपने कुछ भाषणों को देखें।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे अपने सभी भाषण याद हैं, क्योंकि उन्हें किसी और ने नहीं, मैंने ही लिखा है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, हमारा देश बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। हमारे हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे देश में 15-29 आयु वर्ग में वर्ष 1980 से 2000 तक 110 मिलियन युवा श्रमिक बल होगा जबकि पिछले 20 वर्षों में यह संख्या 69 मिलियन थी तथा संगठित क्षेत्र में 610 लाख के जनसंख्या विकास के मुकाबले पिछले चार वर्षों में कुल रोजगार 12 लाख बढ़ा है। सरकार ने बार-बार ठीक ही कहा है कि सरकार रोजगार पर अधिक बल देगी और यदि माननीय मन्त्री विचार करें तो मैं उन्हें कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यदि वे सोचते हैं कि ये सुझाव अच्छे हैं, तो वे उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। हमें शीघ्र औद्योगीकरण करने पर अवश्य जोर देते रहना चाहिए जो और अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।

महोदय, पहला सुझाव, जिसके बारे में श्री निर्मल कांत चटर्जी, वित्त सलाहकार समिति के सदस्य जानते हैं, वह है निवेश भत्ता, धारा 115 अ की समाप्ति। अब, सरकार ने इसको समाप्त करने का कई बार प्रयास किया है। इसे चार वर्ष पहले भी समाप्त किया गया था, किन्तु फिर से आरम्भ कर दिया गया। यह व्यवस्था अच्छी रही और इससे औद्योगीकरण में मदद मिली। सरकार के अनुसार इसकी समाप्ति का उद्देश्य श्रम प्रधान उद्योगों की मदद करना था। निवेश भत्ते की समाप्ति से सरकार को 800 करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है। वास्तव में इस धन का दो-तिहाई भाग मूलभूत गतिविधियों जैसे आई० पी० सी० एल०, एम० टी० एन० एल०, आई० ओ० सी०, ओ० एन० जी० सी०, इत्यादि में लगी हुई सार्वजनिक क्षेत्र निगम से प्राप्त होगा। यह योग्यता पर कर है। मैं माननीय मन्त्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि मूलभूत उद्योगों जैसे विद्युत, दूरसंचार, पेट्रोलियम और अन्य उद्योगों, जिन्हें सरकार प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता देना चाहती है, में पुनः निवेश भता आरम्भ किया जाए।

रोजगार उत्पत्ति का बेहतरीन उपाय मकान निर्माण गतिविधियां हैं। निर्माण कार्यों में प्रति एक लाख निवेश से अकुशल मजदूरों को 3100 कार्यदिवस और तकनीकी तथा प्रशिक्षित मजदूरों को 1300 कार्यदिवस के लिए रोजगार मिलता है। आज हमारे देश के कुल रोजगार का '6 प्रतिशत निर्माण कार्यों में लगा है और सरकार को चाहिए कि वह मकान और निर्माण कार्यों को अवश्य मदद दे।

शहरी आवास की बहुत कमी है और सबसे बड़ी रुकावट 1976 के नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम की है जो 74 राज्यों और शहरों पर लागू होता है। इस अधिनियम ने, जो 1976 में पारित हुआ था, अभी अपने उद्देश्य का आधा प्रतिशत भी प्राप्त नहीं किया है। आज शहरी राज्यों में नगर-भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम के कारण मकानों की भारी कमी है और दूसरी ओर अप्राधिकृत लोगों द्वारा भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। इसका विकास भवन निर्माण गतिविधियों के रूप में होना चाहिए, इससे केवल मकान और रोजगार ही नहीं मिलेगा अपितु उन उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा जो लोहे से निर्मित वस्तुओं, स्टील, सीमेंट आदि के उत्पादन में लगी हैं, इस कच्चे माल की भवन निर्माण में आवश्यकता होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे अधिनियम की क्या आवश्यकता है जिसे 1976 से 1990, 14

वर्षों तक, लागू ही नहीं कर सकते। मैं सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। प्रो० दंडवते ने अपने बजट में आवास योजना का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने उस रोजगार का उल्लेख नहीं किया है जो आप मकान निर्माण के द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। आपने शहरी आवास-योजना का उल्लेख नहीं किया है जिसकी अति आवश्यकता है और मेरा सुझाव यह है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम की धारा 20 और 21, जिसने बड़े महानगरीय शहरों जैसे बम्बई और कलकत्ता में आवास योजना विकास को पूरी तरह से अपंग बना दिया है, के स्थान पर खाली शहरी भूमि पर कर के रूप में आर्थिक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि किसी बड़े शहरों, बम्बई और कलकत्ता, में खाली जमीन है, तो उसे विकसित नहीं होने दिया जाता। तब क्या होता है झोंपड़ियां बन जाती हैं और अपराधों की शुरुआत होती है। इसलिए यह अच्छा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस भूमि का विकास होने दिया जाए और अधिक आय प्राप्त की जाए। इसके द्वारा हमें अधिक आवास मिलेगा और अधिक रोजगार मिलेगा। यह लोगों को केवल अधिक रोजगार ही नहीं देगा अपितु अधिक लोहपात्र, सीमेंट और स्टील और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी जिससे हमारे सामान्य उद्योगों से भी वृद्धि होगी।

महोदय, कई प्रवासी भारतीयों ने एफ० सी० एन० आर० और भारत सरकार की अप्रवासी जमा योजना में 10,000 करोड़ से भी अधिक रुपये जमा किए हैं और प्रो० मधु दंडवते को यह मालूम होना चाहिए कि विदेशों में कई अप्रवासी संस्थाएं हैं और वे वापस आना चाहते हैं। डाक्टर और इंजीनियर वापिस आना चाहते हैं और विदेशी धन को, जिसे उन्होंने जमाराशि में रखा है, देश में मकान निर्माण गतिविधियों में लगाने को तैयार हैं। इसलिए, कुछ सीमा तक, यह भुगतान की बाकी रकम को चुकाने में मददगार सिद्ध होगा।

महोदय, वर्तमान में आय-कर अधिनियम में एक धारा है। यह धारा 24(14) है जहां केवल 5000 रु० तक कर में कटौती की जा सकती है। यह लोगों को अपना घर बनाने में हतोत्साहित करता है। 5,000 की इस सीमा को 10,000 रु० या 15,000 रु० तक बढ़ाया जाना चाहिए। एक अन्य सुझाव जो मैं सरकार को देना चाहूंगा वह यह है कि वे अवश्य उदार लाइसेंस नीति और उदार आर्थिक नीतियों का पालन करें। सीमेंट के सम्बन्ध में, 1979-90 में उत्पादित 20 मिलियन टन से आज उत्पादन 45 या 46 मिलियन टन तक पहुंच गया है। जब आप सीमेंट के उत्पादन को पूर्णतया लाइसेंस से मुक्त करते हैं, तो आप किसी बड़े घराने को सीमेंट के उत्पादन की अनुमति दे देते हैं। आज सीमेंट की कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूं कि सीमेन्ट की कीमत में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है। किन्तु आज हम 46 मिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन कर रहे हैं। 1980-81 में सीमेंट का द्वारा हमें 169 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा था। आज, जो भी छूट और लाभ हमें दिए जा रहे हैं, उसके कारण सरकार 1085 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क के रूप में सीमेंट से ही एकत्र कर रही है। यह एक उदाहरण है कि छूट किस प्रकार सहायक हो सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी नीतियां इस प्रकार की हों कि जो लोगों और उद्योगों को, संविधान स्थान, भागीदारी, छोटे या बड़े घरानों की परवाह न करके अधिक उत्पादन करने और अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में मददगार हों। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एक मिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन करने के लिए आपको लगभग 145 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है। 145 करोड़ रुपए कौन खर्च कर सकता है? अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त करने और उदार वित्तीय नीतियों की प्रक्रिया को जारी रखे। एम० आर० टी० पी० से सम्बन्धित एक मामला

है। आज सौ करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति वाली कम्पनियां एम० आर० टी० कम्पनियां है। कुछ वर्ष पूर्व यह कहा गया था कि रुपये की कीमत कम हो गयी है। श्री एडुआर्डो फलीरो ने सही कहा है कि विश्व भर में उद्योग बड़े से बड़े होते जा रहे हैं; उनके एकीकरण हो रहे हैं और हम अपने उद्योगों को टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उपयुक्त समय आ गया है, जब सरकार या तो एम० आर० टी० पी० को पूर्णतः समाप्त करे या इसकी परिभाषा को सीमित करे। सौ करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति की अपेक्षा यह 500 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। इससे विभाग को वास्तव में सहायता मिलेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एम० आर० टी० पी० विभाग दूसरा लाइसेन्स जारी करने वाला विभाग बन जाएगा।

4.00 म० प०

मुझे आशा है कि प्रो० मधु दंडवते अपनी पुरानी सामाजिक सोच को बदलने में नहीं झिझकेंगे। जैसा कि आपने सही कहा है और मुझे यह बताया गया है कि इन्होंने मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों, पूर्वी व अन्य देशों से सीखना आरम्भ कर दिया है (व्यवधान) मैं सीखने को तैयार हूं। मैं केवल वित्त मन्त्री जी को सचेत करने का प्रयास कर रहा हूं कि ···· के लिए एक मापदंड···

प्रो० मधु दण्डवते : पूर्वी यूरोप में समाजवाद का त्याग नहीं किया गया है।

श्री मुरली देवरा : उन्होंने त्याग नहीं किया है। मुझे आशा है कि जो भी व्यवस्था वहां है, आप उसकी नकल नहीं करेंगे।

श्री एडुआर्डो फलीरो : इन्होंने केवल समाजवादियों का त्याग किया है।

श्री मुरली देवरा : जो भी व्यवस्था वहां है, मैं भी उसकी नकल नहीं करना चाहता।

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता) : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बेकार की बातों में मत पड़िये। अपने कहे पर दृढ़ रहें। (**व्यवधान**)

श्री मुरली देवरा : एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों का मापदंड उसकी 100 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां नहीं होना चाहिए, यह उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बाजार में भागीदारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा ही पश्चिमी जर्मनी में हो रहा है। एम० आर० टी० पी० के ऐसे मामले हैं जिसमें वे उस वस्तु विशेष के कुछ निर्धारित प्रतिशत से अधिक उत्पादन की भी स्वीकृति नहीं देते। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि 100 करोड़ रुपये की यह कीमत 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जाये और ऐसा उनकी सम्पत्ति के मूल्य की अपेक्षा बाजार में उनकी भागीदारी के अनुपात में होना चाहिए। इससे हमारे उद्योगों को बढ़ने, उनका विस्तार होने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। अन्यथा जब समस्त पश्चिमी यूरोप, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बन जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे।

महोदय, पूंजी बाजार के बारे में, उद्योग के अधिकतर धन स्टाक एक्सचेंज या पूंजी बाजार से उपलब्ध होता है। प्रो० दण्डवते के पास एक जैसा ही उत्तर है कि हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था स्टाक बाजार और शेयर बाजार पर निर्भर नहीं करती। मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु आप भी वर्तमान पूंजी बाजार को बढ़ावा देने की आवश्यकता से सहमत होंगे और हाल में ही में यहां तक कि नई सरकार के आने से पहले और बाद में भी पूंजी बाजार अच्छा चल रहा है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय को मैं एक छोटा-सा सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि जिनके पास शेयर और ऋणपत्र

हैं, उन्हें धारा 80-ठ के अन्तर्गत 'दोहरा कर' देना पड़ता है। एक कम्पनी अपनी आय पर कर देती है परन्तु साथ ही शेयर धारक और ऋणपत्र धारक को भी शेयर और ऋणपत्र की आय पर कर देना पड़ता है। यह सही नहीं है। यह सही क्यों नहीं है ? वह इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत करने वाले लोग कर अदा करने के लिए तैयार हैं, परन्तु वे खाता इत्यादि और आयकर का खाता नहीं रखते। वे प्रतिदिन आयकर कार्यालय नहीं जाना चाहते। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह जो 10,000 रुपयों की कर मुक्त सीमा है··· (व्यवधान) दंडवते महोदय, परन्तु इन 10,000 रुपयों में से केवल 3000 रु० शेयरों के लाभांश ही कर मुक्त हैं। इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे आपको हजारों ऐसे ग्रामीण लोग मिलेंगे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते विभिन्न उद्योगों के स्टाक और शेयर खरीदने को तैयार हैं; अभी वे झिझक रहे हैं, और वे निवेश करने को तैयार हैं परन्तु वे कोई खाता इत्यादि नहीं रखना चाहते। इससे उनके इसमें शामिल होने में सहायता गिलेगी।

महोदय, प्रो० दंडवते, जो कि मुम्बई में आणविक भौतिकी के प्रोफेसर थे, ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमें उन पर गर्व है। वे सदा सरकार के घाटे और ऋण के बारे में काफी बोले हैं। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने क्या कहा था क्योंकि उस समय उन्होंने जो कहा था, वे उस पर विश्वास नहीं करते। अतः मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि इस सरकार पर ऋण 2,60,000 करोड़ रुपए है और यदि हम अपने विदेशी कर्ज को देखें तो जब ऋण सेवा अनुपात 24, 25 से 28, 29 और यहां तक कि 30 तक बढ़ रहा था तो आज हमारा उधार लगभग पचपन मिलियन डालर है। (व्यवधान) परन्तु हमारे उद्योग में इक्विटी निवेश प्रतिवर्ष 150 मिलियन डालर भी नहीं है। अतः उधार लेना जारी रखने की अपेक्षा विदेशी कम्पनियों की इक्विटी में हिस्सेदारी रखना ज्यादा अच्छा है।

4.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

हम ब्याज की अधिक दर दे रहे हैं। कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, उनकी वचनबद्धता नहीं है और यदि कम्पनी के स्वामित्व में उन्होंने निवेश किया है तो कम्पनी में उनका अधिकार है। उन्हें निर्यात को बनाए रखने तथा प्रौद्योगिकी के लगातार आगमन पर ध्यान देना है। अतः सरकार को चाहिए कि वह विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाए। हाल ही में, राष्टमंडल सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था जिसमें श्री वी० पी० सिंह, प्रो० दंडवते, श्री अजित सिंह और श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने भाग लिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रो० दंडवते ने 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' और 'इण्डियन एक्सप्रेस' के सम्पादकीय को अवश्य पढ़ा होगा। जिन लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था वे इतने भ्रमित हुए कि वे पहले तीन वक्ताओं के भाषण सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने विदेशी भागेदारी के विचार का स्वागत किया। लेकिन, जब श्री जार्ज फर्नाण्डीस, जो कि अपने नजरिए के लिए प्रसिद्ध हैं ने कहा कि "हम विदेशी निवेश नहीं चाहते", इससे सभी दुविधा में पड़ गए। आप विगत छह माह से सत्ता में हैं और आप हम पर हर बात के लिए आरोप नहीं लगा सकते। अन्यथा, समय गुजर जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि संसद के इस सत्रावसान से पूर्व वह स्पष्ट करे कि विदेशी निवेश के बारे में सरकार की नीति क्या है। आज विदेशी निवेश में इक्विटी भागेदारी में 1 और 35 का अनुपात है। यदि एक डालर का निवेश होता है तो वे 35 डालर का ऋण लेते हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री इस मामले की जांच करेंगे। हाल ही में, प्रो० दंडवते ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लिया था और मैंने उनका भाषण पढ़ा जिसमें कहा

गया था कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं लेना चाह रही है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब विश्व बैंक के अध्यक्ष दो माह पूर्व यहां आए हुए थे तो उन्होंने कहा थ कि विश्व बैंक के ऋण का अधिकांश भाग भारत द्वारा लिया गया है। लेकिन मन्त्री का कहना है कि विदेशी निवेश में 'समझौता शुल्क' (कमिटमेंट चार्जेज) सम्मिलत हैं। इस विभाग में भी, जहां वे ऋण प्राप्त कर रहे हैं, यदि उन्होंने उसका उपयोग तीन, चार या पांच वर्षों तक नहीं किया है, तब भी उन्हें समझौता शुल्क का भुगतान जारी रखना पड़ता है। उपका उपयोग कही और होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समय बीतता जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि ऋण लाभार्थियों के बीच शीघ्र वितरित हों। विश्व बैंक जल परियोजना के लिए बंबई नगर निगम को 19.5 करोड़ डालर के ऋण दिए गए थे। कई बार यह पैसा वापस लेने में ढाई वर्ष का समय लगा। यद्यपि विश्व बैंक और वित्त मन्त्रालय के सहयोग से प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं पारित की गयीं परन्तु इसके बावजूद पैसों का वास्तविक वितरण नहीं हो सका। अतः मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह पैसों के शीघ्र वितरण पर ध्यान दें।

महोदय, प्रतिदिन हम समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं कि सरकार विद्युत जैसे मुख्य क्षेत्र को निजी क्षेत्र में लाना चाह रही है। मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि बंबई जैसे शहर में जहां विद्युत कंपनियां चल रही हैं, वे वास्तव में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं। उदाहरणार्थ, बम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति निगम एल० आई० सी० के अन्तर्गत है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार के अन्तर्गत जो वित्तीय संस्थान हैं उनके पास कितने प्रतिशत शेयर हैं। इस प्रकार, तकनीकी तौर पर आप उसे निजी क्षेत्र कह सकते हैं लेकिन वास्तव में वह सार्वजनिक क्षेत्र में ही है। वास्तव में, उन्हें अपने विद्युत परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कुछ न कुछ बाधाएं आती ही रहती हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह स्पष्ट करे कि कौन-कौन सी मदें वह निजी क्षेत्र को देने जा रही है। अत, श्री दिनेश गोस्वामी ने कहा कि निजी क्षेत्र को स्टील उत्पादन की अनुमति दी जाएगी। सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिए ताकि कोई समस्या पैदा नहीं हो। एक समय था जब हम कहते थे कि हमारा देश गांवों में निवास करता है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है जबकि हमारी पूरी आबादी का एक चौथाई शहरों में रहता है। इस शताब्दी के अन्त तक हमारी आबादी का एक तिहाई भाग शहरों में रहने लगेगा। गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी सभी कार्यक्रम जैसे आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० इत्यादि गांवों के लिए ही हैं। शहर के गरीबों के लिए शायद ही कोई कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में है। जब तक कोई व्यक्ति बम्बई शहर से बाहर रह रहा है तो वह वास्तव में गरीब है परन्तु ज्यों ही वह बम्बई में रहने लगता है, वह शहरी अमीर व्यक्ति हो जाता है। हम जानते हैं कि वे बहुत समस्या पैदा करते हैं जब वे बम्बई या कलकत्ता जैसे शहरों में आकर रहने लगते हैं। पहले, शहरी गरीबों के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम था। इसे युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। इसे दोबारा बनाया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह शुरू किया जाना चाहिए।

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही बहुत ही अफसोस के साथ, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री द्वारा कर छूट सम्बन्धी घोषणा से हमें बहुत निराशा हुई है। वित्त मन्त्री से हम यह आशा तो करते थे कि यदि पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क हटाया नहीं गया तो कम कम से कम घटाया जरूर जाएगा। यह यह वस्तुएं हैं जो अर्थव्यवस्था

पर कीमतों द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी असर डालती है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। यह सही है कि कुछ छूटों की घोषणा की गई है। लेकिन यह सब ज्यादा नहीं है। मन्त्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि यह छूटें इतनी थोड़ी और कम महत्वपूर्ण हैं कि राजस्व में थोड़े से परिवर्तन के अलावा ज्यादा कुछ असर नहीं दिखाई पड़ता और इसको पूरा करने के लिए वह प्रशासन से कहेंगे कि वह ज्यादा सख्ती बरतें।

एक और कारण से भी हम निराशा महसूस कर रहे हैं। हम वामपंथी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम इस सरकार को चला नहीं रहे हैं लेकिन इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन जहां तक सरकार की कार्यशीलता का सम्बन्ध है हमारा उस ओर भी कुछ उत्तरदायित्व है। दुर्भाग्यवश हम यह पाते हैं कि हमने अनेक मुद्दों पर सरकार से निवेदन किया लेकिन इसे पूर्णतया अनदेखा कर दिया गया। वामपंथियों का एक शिष्टमंडल प्रधानमन्त्री से मिला था जहां हमने इन मुद्दों को स्पष्ट कर दिया था। हमने महसूस किया कि कीमतों की स्थिति बहुत खराब है। लोग हताश हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि सरकार पिछली कांग्रेस सरकार से हटकर काम करे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। अतः लोग निराश हो रहे हैं। अतः कीमतों पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए। एक रास्ता यह भी है कि जहां शुल्कों के कारण कीमतों में वृद्धि होती है वहां उन मामलों में छूट दी जानी चाहिए। दुर्भाग्य-वश शिष्टमंडल द्वारा किए गए निवेदन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कल सारे भारत में हम वामपंथियों ने कीमतों की स्थिति पर और सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनता निराश हो रही है। यह इस कारण है कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से हटने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहूंगा। वर्ष 1981 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में वापिस आयी थीं तब उनके चुनाव अभियानों में मुख्य मुद्दा प्याज की कीमतें था। कीमतें एव अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। साथ ही, मैं अफसोस के साथ यह भी कहूंगा कि यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी प्रत्येक नीति से सहमत होंगे। हम इस सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यह नहीं चाहते कि वह (कांग्रेस) फिर सत्ता में आएं। हम उनको सत्ता सत्ता में वापिस आने से रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हम यह भी नहीं चाहेंगे कि महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बन्ध में हमारी सलाह अनदेखा किया जाए।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जो दूसरी छूट प्रो० मधु दंडवते ने घोषित की है वह संतोष-जनक नहीं है। ऋण राहत का मामला लीजिए। जहां तक केन्द्रीय बैंकों क्षेत्रीय बैंकों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने पूरी राशि चुका देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब यही बात सह-कारी बैंकों पर लागू की जाती है तो यह प्रतिबद्धता मात्र 50 प्रतिशत की है। बाकी 50 प्रतिशत राज्य सरकारों को देना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारें यह अदायगी क्यों करें। हमने कभी भी सभी कर्जदारों के लिए राहत की मांग नहीं की है। जहां तक वामपंथियों का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि यह राहत सीमांत किसानों, छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों, भूमिहीनों और दस्तकारों को दी जाए। हमने यह कभी नहीं कहा कि प्रत्येक को यह छूट दी जानी चाहिए। यह जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा का वायदा है। यह वामपंथियों का वायदा नहीं है। अब केरल और पश्चिम बंगाल में हमारी सरकारें हैं। अतः हमें अपने आपको जनता दल के वायदों से मुक्त करना होगा। यह हमारा वायदा नहीं है।

अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह हमारी भावनाओं को भी ध्यान में रखें।

अपने वायदे को हम पर थोपना गलत होगा। हमने सभी को राहत देने का कभी वायदा नहीं किया। आप राहत देना चाहते हैं पर हम कुछ विशेष प्रयोजन के लिए राहत देना चाहते थे। मैं यह भी कहूंगा बजट पर बहस के दौरान हमने यह सुझाव दिया था कि किसानों को राहत उनकी भूमि की जोत के आधार पर दी जाए। अन्यथा यह संभावना है कि अधिकांश राहत उन लोगों को मिल जाएगी जो इसके सही अधिकारी नहीं हैं। यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे के सहयोग से किए गए ऋण और निवेश सर्वेक्षण की हाल ही में तैयार की गई रिपोर्ट को देखें तो उसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया है कि राष्ट्र के अनेकों भागों विशेषकर पंजाब और हरियाणा में कुल ऋण का 80 प्रतिशत उन किसानों द्वारा लिया गया है जिनके पास तीन एकड़ से ज्यादा भूमि है। हम समझते हैं कि यह राहत उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। यही बात मैं कहना चाहूंगा। यह बहुत जरूरी है कि इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाए.... (व्यवधान) क्यों ? आपको कुछ हताशा हुई ? मैं प्रो० मधु दंडवते की सीमाओं को समझता हूं। विपक्ष के मेरे मित्र ने समृद्ध व्यवस्था की बात की थी जो उन्होंने नयी सरकार को सौंपी थी। किस तरह की समृद्ध अर्थव्यवस्था ? उस ओर से एक दूसरे सदस्य को यह कहते सुना था कि इस समृद्ध अर्थव्यवस्था ने राष्ट्र को भारी विदेशी ऋण में फंसा दिया। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था जिसने हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था को पूर्णतया खोखला कर दिया। एक समृद्ध अर्थ-व्यवस्था जिसने राष्ट्र के आर्थिक आधार को नष्ट कर दिया।

मैं उनकी संतुष्टि के लिए और आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। उदाहरणार्थ यदि आप विकास सम्बन्धी विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट देखें तो आप पायेंगे कि भारत विश्व का 21वां सबसे गरीब राष्ट्र है। 120 राष्ट्रों की सूची में भारत का स्थान नीचे से 21वां है। वह ऐसे कौन से 20 राष्ट्र हैं जो भारत से भी ज्यादा गरीब हैं ? साहेल क्षेत्र में सहारा के आस-पास छह राष्ट्र हैं जो कि सूखे और अकाल से ग्रस्त हैं। अफ्रीका के 50 एक राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र रारत से भी ज्यादा निर्धन हैं। हम इस पर कुछ संतोष कर सकते हैं कि एशिया में 5 राष्ट्र भारत से भी ज्यादा निर्धन हैं। विश्व के बाकी सभी राष्ट्र हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। बंगलादेश की स्थिति भारत से भी ज्यादा खराब है। यह सही हैं कि आपको इससे कुछ सांत्वना मिल सकती है। लेकिन साक्षरता, मृत्यु-दर और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रीलंका हमसे कहीं आगे है। क्यों ? चालीस वर्ष के कांग्रेस कुशासन में हमने नुक-सान उठाया। हमारे प्राकृतिक और मानव संसाधनों को देखते हुए हमारे राष्ट्र को विश्व के सबसे समृद्ध राष्ट्रों में से होना चाहिए था। लेकिन इसे सबसे निर्धन राष्ट्रों में से एक बना दिया गया है।

हम यह आशा कर रहे थे कि आपका बजट कांग्रेस पार्टी के बजट से कुछ भिन्न होगा। संरचनात्मक रूप से हमें कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण के रूप में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भी अप्रत्यक्ष करों की अधिक मात्रा है। इस बजट में केवल 1% अधिक है। कुल निवल कर राजस्व का 16% प्रत्यक्ष कर से 17% प्रत्यक्ष कर की वृद्धि को मैं अधिक वृद्धि नहीं मानता हूं। निगमित क्षेत्र के मामले में सरकार ने अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए ले लिए हैं। वह ठीक है। परन्तु यह प्रतिशतता की दृष्टि से यह अधिक नहीं है। हम यह आशा करते थे कि प्रत्यक्ष कर अधिक अनुपात में लगाए जायेंगे। वह मुद्रा-स्फीति अवरोधक एवं अधिक न्यायोचित होता और हमें विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाते। इससे मुद्रा-स्फीति एवं घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के आधार में भी कमी नहीं आती। आपका क्या विचार है ? कभी-कभी जब आप उच्च प्रत्यक्ष करों की बात करते हैं तो इसका विरोध होता है। मुम्बई के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने लाइसेंस देने की प्रणाली को उदार न बनाने और एकाधिकार पर नियंत्रण न करने की बात कही थी तो उनकी आवाज पूंजीवाद के समर्थन में थी। यह बात सत्य है कि कम्पनियों पर

किसी प्रकार का कर लगाने का पूर्ण विरोध करते हैं। यह बात सत्य है। वे भारत में पूंजीवाद चाहते हैं। परन्तु बात यह है कि संचार के कुछ अत्यधिक विकसित देशों में भी भारत की तुलना में प्रत्यक्ष करों की मात्रा अधिक है। हम संयुक्त राज्य अमरीका को लेते हैं। उनके लाभ, आय और सम्पत्ति की मात्रा कुल करों से प्राप्त आय के 50 प्रतिशत से अधिक है। ब्रिटेन जोकि दूसरा पूंजीवादी देश है, वहां भी यह 45 प्रतिशत से अधिक है। अधिकांश देशों के यह 17 प्रतिशत से अधिक है। मान लीजिए, वहां एक दीर्घकालीन राजकोषीय नीति थी। मैं जानता हूं कि कांग्रेस सरकार की पिछले दिनों एक दीर्घकालीन राजकोषीय नीति थी। परन्तु वह एक सही राजकोषीय नीति नहीं थी क्योंकि इस राजकोषीय नीति के अन्त में अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। हम ऐसा नहीं चाहते थे। शायद यह विचार अच्छा होता कि आधार 16 प्रतिशत का लिया जाए और इसे 30 प्रतिशत तक कर दिया जाए। पांच वर्ष की अवधि के अन्त में—इस वर्ष 20 प्रतिशत हो सकता है, अगले वर्ष 24 प्रतिशत और अन्त में 30 प्रतिशत तक कर दिया जाए। उस प्रकार से हमारे बजट में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता। ऐसा नहीं किया गया।

हम 7,200 करोड़ रुपये के घाटे के मुद्दे को लेते हैं। प्रो० दंडवते इस बात के प्रति आशावादी हैं कि वे इसे और अधिक नहीं बढ़ने देंगे। यदि आप इसे बरकरार रखते हैं। हम आपके साथ रहेंगे और हम आपका समर्थन करेंगे। हमें चिंता है क्योंकि गत वर्षों में हमारा यह अनुभव रहा है कि पिछले वित्त मंत्री कभी भी इसे बरकरार रखने में सफल नहीं हुए हैं। यहां तक कि वह 7,200 करोड़ रुपये का घाटा भी अत्यधिक संतोषजनक नहीं है क्योंकि यदि आप समायोजित की गयी पूंजी प्राप्तियों को देखें तो पाएंगे कि वे भी लिए गए ऋण हैं। सभी पूंजी प्राप्तियां ऋण हैं। वे भी स्वयं अर्थव्यवस्था पर एक दीर्घकालीन दायित्व थोप रही हैं। विभिन्न मदों के आनुपातिक खर्च को देखने से पता लगता है कि उसमें अधिक अन्तर नहीं है। वास्तविक आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिशतता से फर्क पड़ता है। मैंने प्रत्येक मद के मामले में इसका निरीक्षण किया है और पाया है कि वहां अधिक अन्तर नहीं है। उदाहरण के रूप में कृषि के क्षेत्र में गत वर्ष यह 3.84 प्रतिशत था और इस वर्ष 4.03 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गत वर्ष यह 7.54 प्रतिशत था और इस वर्ष यह 6.77 प्रतिशत है। उसी प्रकार मैं पूरी सूची पढ़ सकता हूं। उनमें अधिक अन्तर नहीं है। यहां तक कि योजना खर्च और गैर-योजना खर्च के बीच का अनुपात भी अधिक नहीं है। यह गत वर्ष 32.14 प्रतिशत था और इस वर्ष 31.94 प्रतिशत है। उसमें अधिक अन्तर नहीं है। यहां तक कि रक्षा छूट और ब्याज की अदायगी, जोकि गैर-योजना खर्च का समानुपात है, के मामले में यह गत वर्ष 72.93 प्रतिशत था और इस वर्ष 73.27 प्रतिशत है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि हम इस प्रकार के बजट से आमूल परिवर्तन की आशा करते थे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। क्या उसने ऐसा नहीं किया है? मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमने जनता को आश्वासन ही दिया होता कि यह सरकार भी कम से कम आर्थिक क्षेत्र में गरीबी दूर करने और असमानता कम करने आदि के संबंध में अत्यधिक तेजी से कार्य कर रही है। वर्तमान पद्धति को लोकतांत्रिक बनाने, लोकपाल विधेयक और पराशर भारतीय विधेयक के संबंध में जो कुछ किया गया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ये सभी बहुत अच्छे विधेयक हैं। परन्तु जहां तक आर्थिक नीति का संबंध है, जहां तक इस सरकार का संबंध है, हमने अब तक अधिक परिवर्तन नहीं देखा है।

अब भुगतान शेष को लेते हैं। भुगतान शेष एवं आयातों के बारे में जिक्र किया गया है। मैंने नयी आयात-निर्यात नीति का अध्ययन किया है। उसमें नई प्रौद्योगिकी के बारे में एक अध्याय है। इसका क्या तात्पर्य है? इसमें बताया गया है कि आपको केवल उस प्रौद्योगिकी का आयात करना

चाहिए जिसकी जरूरत है, जो देश में प्राप्त नहीं है और जो अर्थव्यवस्था के विकास आदि के लिए बाहर से शीघ्र आयात की जा सकती है। लेकिन यह क्या हो रहा है? हमारे पास पेपसिको प्रौद्योगिकी है। कल जब प्रो० दंडवते बोल रहे थे, उन्होंने पेपसिको का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा : वे इस वचनबद्धता का पालन करेंगे क्योंकि यह एक विदेशी कम्पनी के साथ की गयी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता है। "हमें पेपसिको के साथ किए गए समझौते को अवश्य पूरा करना चाहिए। हम इससे मुकर नहीं सकते हैं।" हम इस समझौते को रद्द क्यों नहीं कर सकते हैं? हम बोफोर्स कम्पनी के साथ किए गए समझौते को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में चर्चा हुई है। लेकिन इस समझौते को भी रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या हमें पेपसिको द्वारा तैयार किए गए साफ्ट ड्रिंक्स की आवश्यकता है? क्या हमें आलूओं के कुरकुरे चिप्स की आवश्यकता है? मैं जानता हूं कि पेपसिको कम्पनी द्वारा तैयार किए गए आलू के चिप्स श्रीमती दंडवते द्वारा तैयार किए गए आलूओं के चिप्स की अपेक्षा अधिक कुरकुरे होंगे। प्रश्न यह है कि क्या हमें इन चीजों की आवश्यकता है? हमें अन्य चीजों की आवश्यकता है और उन पर ध्यान देना चाहिए। हम समझते हैं कि पेपसिको हमारी आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस प्रकार की नीति कुछ अन्य उद्योगों के मूल्य पर की लागू की जाएगी। उदाहरण के लिए खादी उद्योग, ग्राम उद्योग, जो कि विभिन्न प्रकार के फलों के रसों का उत्पादन करते हैं, अचारों का उत्पादन करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इन सब उद्योगों को हमारी अर्थव्यवस्था में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें इन उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए इन समझौतों को बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सरकार द्वारा निर्धारित नई आयात-निर्यात नीति के मानदंडों के संदर्भ में भी यह उचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर बीजों के आयात की चर्चा करते हैं। मेरे पास इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। यह बीज आयात क्या है? बीजों का आयात किया जा रहा है जो कि आवश्यक नहीं है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें बीजों के आयात की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाहर से मादा-बीजों को प्राप्त कर भारतीय वैज्ञानिक आवश्यक बीजों का विकास कर सकते हैं। आपको सिर्फ मादा-बीजों को लाने की आवश्यकता है, उससे अधिक कुछ नहीं। स्थानीय परिस्थितियों में उन पर प्रयोग किया जा सकता है और फिर उन बीजों की मदद से उन्हें बढ़ाया जा सकता है। दो वर्षों पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा एक बीज नीति लागू की गयी थी। आप उस नीति पर क्यों अटल हैं? मैंने कृषि विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन किया है? मैं देखता हूं कि हमारे देश में कृषि वैज्ञानिकों ने जिस नीति को दोषपूर्ण बताया है वे उसी को उचित बता रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि विगत में उन्होने जितने भी अनुसंधान किए हैं इस नीति द्वारा उन सबका महत्व कम हो गया है। सिर्फ यही नहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बीजों का आयात बहुत ही घातक हो सकता है। इससे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, महामारी आ जाएगी। जहां तक वातावरण का संबंध है हमारी युवा मंत्री महोदया इस बारे में बहुत ही अधिक चिंतित हैं। मैं समझता हूं उन्हें इस बीज आयात जो कि हमारे देश के कृषि वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। किसी भी तरह से बहुराष्ट्रीय निगमों, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हमारे ऊपर दबाव डालने के सिवाए मैं इन नीतियों में कोई औचित्य नहीं पाता हूं। वे हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से उपनिवेशिक बनाना चाहते हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश हमारी सरकार उनके दबाव के आगे झुक रही है। पिछली सरकार भी उनकी बात मान गयी थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह सरकार अपने में आत्मविश्वास पैदा करे और इस प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुके। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार से हमने जो इस नीति परिवर्तन की आशाएं की थीं वे पूरी नहीं हुई हैं।

निर्यात का मामला लीजिए। कुछ दिनों पूर्व मैंने अपने माननीय वाणिज्य मन्त्री जी से प्रश्न किया था कि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन इतना खराब क्यों हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद विश्व व्यापार में हमारे निर्याति का भाग लगभग दो प्रतिशत था। अब यह आधा प्रतिशत है। अन्य सभी देश इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं हमारे निर्यात से कमी आ रही है। यद्यपि चीजों की मात्रायें बढ़ रही हैं लेकिन विश्व बाजार में हमारे कुल प्रतिशत भाग में कमी आ रही है। इसमें कमी क्यों आनी चाहिए ? हमारे माननीय वाणिज्य मन्त्री जी ने क्या कहा ? उन्होंने कहा, शायद उन्होंने मजाक के तौर पर कहा, "नहीं, नहीं। यह 0.5% नहीं है, यह 0.6% है।" मैं समझता हूं कि वे इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं।

हमारे निर्यात की एकमात्र मुख्य वस्तु क्या है ? हीरे-जवाहरात। हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हम आद्योगिक विकास आदि की बात क्यों करते हैं ? हम हीरों का निर्यात कर रहे हैं जो कि हमारे निर्यात सामग्री में एकमात्र सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा० बिप्लव दासगुप्त : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

यदि हम मुख्य निर्यात वस्तु के रूप में हीरे का उत्पादन करते हैं तो स्पष्ट है कि यह वैसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो किसी के साथ स्पर्धा कर सके। सिंगापुर का उदाहरण लीजिए। इसका निर्यात भारत द्वारा किए जा रहे निर्यात का दुगना है। सिंगापुर क्या है—विश्व मानचित्र में एक बिन्दु की तरह है ? इसका कुल निर्यात भारत के निर्यात के दुगने से अधिक है। हांगकांग का उदाहरण लीजिए। इसका निर्यात भारत के निर्यात का चार गुना है। विगत में हमारे वाणिज्य मन्त्रालय क्या करते रहे हैं ? मैं यह नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी सरकार को निश्चित रूप से आयात और निर्यात संबंधी एक उचित नीति अपनानी चाहिए।

मुख्य बात यह है कि किसी भी तरह से विगत में अपनायी जा रही नीतियों को हमें छोड़ना होगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले में दो बातें कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा, इस बात को पहले भी कोई कह चुका है और यह सत्य है कि अब तक आठवीं योजना पर एक प्रस्ताव पत्र तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि जब भी आप बजट तैयार करते हैं, यह एक वर्ष के लिए होता है। इस बजट को पांच वर्षीय योजना अवधि के संदर्भ में देखा जाता है। दुर्भाग्यवश अभी तक वह प्रस्ताव पत्र तैयार नहीं हो पाया है, अभी तक हम आठवीं योजना तैयार करने में पीछे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे ? दुर्भाग्यवश सातवीं योजना की अवधि की समाप्ति और नयी सरकार की शुरूआत एक साथ ही हुई थी। अतः चंद सप्ताहों में आप एक विस्तृत प्रस्ताव पत्र तैयार हो जाने की आशा नहीं कर सकते हैं।

श्री बिलप्ब दासगुप्त : हम यह कठिनाई समझते हैं। हम इस बात को भी समझते हैं कि आपका कार्य अधिक कठिन क्यों है। आपको बगैर पूरी बातों को समझे हुए जो कि एक वर्ष के लिए बजट बनाने हेतु बहुत ही आवश्यक है, आपको एक वर्ष का बजट तैयार करना है। यही मुख्य समस्या है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : पहले यह प्रथा थी कि बजट चर्चा समाप्त हो जाने के पश्चात वार्षिक योजना भी प्रस्तुत की जाती थी।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं अभी यह बात कह रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि नई योजना का प्रारूप क्या होगा लेकिन इसे पुरानी योजनाओं की भांति नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**)

इन योजनाओं द्वारा आंकड़ों का इस्तेमाल कर गरीबी कम करने का प्रयास किया गया। इन आंकड़ों के अनुसार हमारी जनसंख्या का सिर्फ 25% ही अब गरीब हैं जबकि 1972-7 में यह आंकड़ा 51% था। इस प्रकार के आंकड़े किसी भी आलोचनात्मक परीक्षण पर खरे नहीं उतरेंगे। किसी भी योजना में इस प्रकार के काल्पनिक आंकड़े नहीं होने चाहिए। इससे मुझे एक चुटकुले की याद आती है कि झूठ तीन प्रकार के होते हैं—झूठ, महाझूठ और आंकड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० बिप्लव दासगुप्त जी, कृपया यह चुटकुले सुनाने का समय नहीं है।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं सिर्फ अन्तिम बात कहूंगा। आज सुबह हमने हरिजनों, अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा की थी। पहले हमने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा की थी। मैं समझता हूं यह सब भूमि सुधार के प्रश्न से सम्बन्धित हैं। जब तक भूमि सुधार नहीं होते तब तक महिलाओं पर अत्याचार जारी रहेंगे, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार होते रहेंगे, समाज के अन्य वर्गों जैसे आदिवासियों आदि पर अत्याचार होते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। सिर्फ इस वर्ष ही नहीं और सिर्फ फतेहपुर में ही नहीं, आप विगत 20 वर्षों के आंकड़ों को देखिए, अनुसूचित जाति आयुक्त की रिपोर्ट को देखिए। पूरे देश में होने वाले अत्याचारों का 80 प्रतिशत हमेशा से इन चार राज्यों में होता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन राज्यों में भूमि सुधार है ही नहीं। भूमि सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आज सुबह इस बात पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी ध्यान दिया है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस बजट में भी भूमि पर कुछ जोर दिया जाना चाहिए। भूमि सुधार से लाभान्वित होने वालों को अधिक सहायता दी जानी चाहिए। सरकार को एक स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। इन चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। यहां या तो जनता सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूमि के बारे में निष्पक्ष वचनबद्धता होनी चाहिए। भूमि सुधार के बिना कोई भी आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। कोई आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री ब्रज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्त विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कंसेशंस दिए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं।

परन्तु मुझे निवेदन करना है कि आज जो सबसे बड़ा संकट है और जो सबसे खतरनाक स्थिति अपने देश की अर्थव्यवस्था के सामने है, वह बढ़ता हुआ सरकारी खर्च और हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडीचर है। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में मूल्यों की वृद्धि की चर्चा करते हुए यह बात स्वीकार की कि हमको अपने बजट में संतुलन लाने के लिए कराधान करना पड़ा, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ाना पड़ा और जिसका नतीजा मूल्य वृद्धि पर पड़ा है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान और हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान उन अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों की तरफ जाता, जिनको कम किया जा सकता था तो मैं यह समझता हूं कि इन कराधानों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक तरीका बन गया कि आखिर हम अपने

खर्चे को कम नहीं करें और लगातार करों का बोझ जनता के ऊपर डालें तो उसकी भी एक सीमा होती है। मैं यहां पर कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा कि सन् 1990-91 में गैर-योजना व्यय जो 64343 करोड़ रुपये है जो कि कुल खर्चे 945.5 करोड़ रुपये का 68.7 परसेण्ट है। यही 1988-89 मे 65.8 परसेंट था, 1989-90 में एस्टीमेट्स में 66.1 प्रतिशत था और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में 67.5 परसेण्ट आया। लगातार यह खर्चा बढ़ता जा रहा है इस मेरा यह सुझाव है कि इस सरकार को इस मुद्दे पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और जैसे कि हमारी जनता पार्टी की सरकार ने एक एक्सपेण्डीचर कमीशन गठित किया था ऐसा ही कमीशन गठित करें और इस पर सन 1953 में मुथायी कमीशन बना था, जो टै सेशन के सिलसिले में था उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी मगर 1953-54 की संस्तुति के बाद कांग्रेस सरकार ने उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उस रिकमेडेशन को अमली-जामा पहनाया। सन 1980 में पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई, उसी दौरान उस कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी और उसके वरिष्ठ सदस्य हस्ताक्षर भी करने वाले थे, मगर उसी समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने उस कमीशन को ही निरस्त कर दिया। आप सदस्यों को बदल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि करों के भुगतान की भी एक सीमा होती है, करों के बोझ की सीमा होती है, और जब जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उसका ध्यान प्रशासनिक खर्चों की तरफ जाता है। बहुत सी मदें हैं। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई है और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है, वह तर्क यह दिया गया है कि चूंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है और हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम इस बिल को और बढ़ायें। इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि आपको पेट्रोल की कीमत पर रोक लगानी पड़ेगी और उसकी कीमत को कम करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पेट्रोल की सबसे ज्यादा खपत करने वाला सरकारी विभाग है और उस पर कोई रोक नहीं है। आज राशनिंग की भी बात चल रही है। यदि राशनिंग होगा तो उसका सबसे ज्यादा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि आप कम से कम एक काम करें कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको पेट्रोल का भत्ता दें और जो सरकारी गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके लिए इनसे कह दें कि वे सरकारी गाड़ियों का उपयोग न करें और जो उनकी अपनी गाड़ी है, उसी से वे दफ्तर आयें। जिस प्रकार दरोगा को मोटर-साइकिल भत्ता या दूसरे भत्ते दिए जाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी दें। उनको निजी मोटर खरीदने के लिए ब्याज-मुक्त कर्जे दिए जाते हैं, यदि वह मोटर खरीदी गई है तो जो कि सरकारी मोटर है, उसको आप नीलाम कर दें, तो उससे एक बड़ी भारी बचत हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो मोटर के उत्पादन हैं, उस उत्पादन पर भी हमको सोचना पड़ेगा और उसको भी रोकना पड़ेगा। हमें बसों की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी और जो निजी कारों की खपत है, उस खपत पर भी आज अंकुश लगाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं लघु उद्योगों की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो अधिकारी हैं, उनके गलत आचरण के कारण और बैंकों में भ्रष्टाचार के कारण हमारे जो छोटे उद्योग हैं, वे रुग्ण हो गए हैं। आप यह देखिए कि एक वर्ष में रुग्ण इकाइयों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि समय से उनको कर्जा नहीं मिलता है। जगह-जगह उनको भटकना पड़ता है और यदि किसी तरीके से ये छोटी लघु इकाइयां या बड़ी लघु इकाइयां खड़ी भी हो गई तो ये वायबल नहीं हैं, लाभदायक नहीं है। इसी वजह से अभी जो रुग्ण लघु इकाइयां हैं, [illegible] पर बकाया राशि उसकी कुल राशि की करीब 1797 करोड़ रुपए है। यह राशि लघु इकाइयों [illegible] है और मध्यम तथा बड़ी इकाइयां हैं, उन पर करीब 4500 करोड़ रुपए है। इसलिए [illegible] इकाइयों

केवल प्रोत्साहन देने या उसका प्रावधान करने की आवश्यकता से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको लघु इकाइयों को बढ़ावा देने के बारे में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके क्रियाकलापों पर भी आपको दृष्टि डालनी पड़ेगी। जब यह कहा जाता है कि पूंजीनिवेश का वातावरण अच्छा रहा तो इसका तात्पर्य यह है कि जो पिछली सरकार द्वारा घोषित उद्योग समूहों को शेयर बाजार में भारी पूंजी उगाने के लिए जो छूट दी गई है, हम उसका समर्थन करते हैं। मगर आप जानते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं उन्होंने पूरा योगदान दिया है। उनका इस्तेमाल जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, बड़े घराने हैं उन्होंने अपने हित में किया है। इसलिए आज यह चिंता का विषय है कि आज वही अधिकारी वित्त मंत्रालय में तमाम संवेदनशील पदों पर आसीन हैं। हमारी सरकार ने उनको दंडित नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जोकाई टी के शेयर कम मूल्य पर बेचे जाने का मामला मैं इस सदन में उठा चुका हूं। वित्त मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद बैंक की नौकरशाही देश को करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा से धोखाधड़ी करके वंचित रखने पर तत्पर है। इस प्रकार से इन बैंकों के भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है। हमारे बैंक आज दिवालिए हैं। यह समाचार पत्रों में छप चुका है। उनमें फ्राड है। जब तक इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाते, जब तक हम के रुपये का सही इस्तेमाल नहीं करते तब तक सही मायनों में जो उत्पादकता का, प्रोडक्टीविटी का वातावरण हम पैदा करना चाहते हैं वह संभव नहीं हो सकेगा।

बेरोजगारी की चर्चा हुई। इसको दूर करने के लिए ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो ज्यादा से ज्यागा लोगों को काम दें। इसमें जो खेती का क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा उपेक्षित हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर भी जोर दिया जाए तभी जा करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे।

अब मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उपेक्षित है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके विकास पर भी आप ध्यान दें। यह सही है कि उत्तर प्रदेश ने देश को प्रधान मंत्री दिए, मगर विकास के नाम पर, कारखानों के नाम पर, बिजली के नाम पर हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। यहां तक कि आपकी मातृ भाषा के नाम पर भी। हमें अपनी बात कहने में भी संकोच होता है। इसलिए मैं सदन में यह मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश की अनपरा ताप विद्युत गृह योजना का शतप्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे। सलेमपुर रसायन योजना को पूरा किया जाए। औरैया में पेट्रो रसायन की जो वहां योजना है उसको भी पूरा किया जाए।

मान्यवर मैं जिस क्षेत्र से आता हूं सिद्धार्थनगर वहां बाढ़ के स्थायी हल के लिए वहां की पहाड़ी नदियों को बांधने की योजनाओं और सरयू-नहर योजना को पूरा करने का फैसला केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए। कपिलवस्तु महायोजना को पूरा करने का काम भी केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए। ताकि वहां के अविकसित क्षेत्र को विकास करने का मौका मिले और उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है उससे हमको निजात मिले। इससे देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको भी कम किया जा सकेगा।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वित्त विधेयक के जरिए छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, बीवर्स इन सभी लोगों को राहत देने की घोषणा की है।

मान्यवर, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की बात है, जो हाई स्पीड डीजल है उस पर जो ड्यूटी लगती है और जो भी रोजमर्रा के काम हैं उनमें बाधा आती है, उसके लिए अब रिप्रेजेंटेशन

किया गया तो उस पर भी एक्साईज ड्यूटी माफ करने की माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। वह सराहनीय है। इसके साथ-साथ यह जो 10 हजार रुपये तक मूलधन या सूद है, इसमें भी जो इन्होंने 10 हजार रुपये का ऋण माफ करने की घोषणा की है वह भी सराहनीय है। मान्यवर, मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह जो रिलेकसेशन दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है, बजट के बाद एक इम्प्रेशन लोगों में ऐसा बना था कि गवर्नमेंट कुछ और रिलेकसेशन देगी, जिससे ऐसेंशल कमोडिटी में जो मूल्य वृद्धि हो रही है, वह मूल्य वृद्धि कुछ कम होगी, लेकिन आज जिस तरह से मूल्य वृद्धि हो रही है—इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल में जो मूल्य वृद्धि की गई है वह एक्साइज ड्यूटी की वजह से हो रही है तो उसमें भी रिलेकसेशन देना चाहिए।

मैं जानता हूं कि गत सरकार जिन्होंने दो लाख 60 हजार करोड़ रु० का ऋण हमारे ऊपर रखा और 11 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा डेफीसिट फाइनेन्स रखे थे यह हमारे लिए भारी बोझा है, लेकिन कहीं भी ज्यादा उत्साह में आकर एक साथ करों का भार, अगर लोगों के ऊपर लाद दिया तो उसमें हम जल्दी स्थिति सुधार नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा रिलेकसेशन देना चाहिए। वित्त मंत्री जी को इसकी घोषणा करनी चाहिए। मान्यवर, इन्कम टैक्स के बारे में जो एगृजेम्प्शन लिमिट थी, वह 18 हजार रुपए से 22 हजार रुपए कर दी गई, लेकिन जिस तरह से इनफ्लेशन रेट बढ़ते जा रहे हैं, रुपए-मूल्य में जिस तरह से गिरावट आ रही है, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो वह 22 हजार रु० की एग्जेम्प्शन लिमिट कम लगेगी। इसलिए इसकी लिमिट बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक छोटे आदमी के लिए, वर्कर के लिए, कारीगर के लिए और एम्पलायज के लिए, इस सरकार ने जो बार-बार घोषणा की है, इसके लिए यह करना बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, ये 22 हजार रुपए से लेकर 30 हजार रुपए की घोषणा वित्त मंत्री जी करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ एक सुझाव भी देना चाहता था कि इन्कम टैक्स ऐक्ट में 35 सी० सी० ए० का जो प्रोविजन था, जो 1978 में लगाया गया था, उसको रैस्टीकेशन कर जो कंपनियों बैकवर्ड एरिया में अगर विकास के लिए उसे अडाप्ट करती हैं कि 35 सी० सी० ए० अन्दर राहत दी जाती थी और उनके पैसे विकास के काम में लगाए जाते थे। ये स्कीम फिर इंट्रोड्यूस होती तो मुझे आशा है कि जो सरकार अपने रेवेन्यू का पचास प्रतिशत गांव के विकास के लिए खर्च करने की घोषणा करती है तो ये प्रोविजन भी इसमें लाभदायक होता। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे। इतना ही नहीं बैकवर्ड एरिया के डेवेलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लामेंट जेनरेशन के लिए भी जो काम करें, जो इंस्टीच्यूशन और कंपनियां हैं, उसके लिए जो भी कार्यक्रम बनायें इसमें भी प्रोविजन के जरिए राहत देनी चाहिए।

मान्यवर, इन्कम टैक्स के बारे में एक बार वित्त मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था, अगर एक हजार रुपए की भी एगजम्प्शन लिमिट हम बढ़ाते हैं तो एक सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्कम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में जो करप्शन हो रही है, इसमें आफिसर्स भी शामिल हैं, इससे ऐसा लगता है कि करोड़ रुपए जो बचाने की बात है इसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। अगर हम इन्कम टैक्स के उपरि स्लैब को कुछ कम कर दें तो मुझे उम्मीद है कि इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है।

मान्यवर, मैं सूरत से आता हूं, मेरा क्षेत्र है, इसलिए उस क्षेत्र की समस्या के बारे में 2-3

मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। छोटे वीवर्स को एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में कुछ रिलेक्सेशन देने की बात कही गई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी मैनमेड कपड़े पर नहीं बल्कि यार्न पर लगाई जाएगी, इस चीज को प्रिंसीपली उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि कंसर्न्ड चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठकर इस बात को तय किया जाएगा, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं, अभी तक इसको नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी कंसर्न्ड चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठकर फैबरिक्स के बदले यार्न पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात पर कार्यवाही करें।

एडीशनल एक्साइज ड्यूटी जो कपड़े पर लगाई गई है, इसमें छोटे वीवर्स, छोटे कंज्यूमर्स पर यह ज्यादा लगाई गई है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 10-15 रुपए प्रति मीटर की जो साड़ी है, उस पर एडीशन एक्साइज ड्यूटी पहले 79 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर थी, जो अब लगभग सवा रुपया प्रति स्क्वायर मीटर हो गई है। जिस साड़ी का मूल्य 40 रुपए प्रति मीटर है, उस पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 20 पैसे के बदले अब 2 रुपए 50 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर हो गई है। इस तरह से जो छोटे वीवर्स हैं, गरीब कंज्यूमर्स हैं, गांव के लोग जिस कपड़े को लेते हैं, उन पर 47 परसेंट एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोत्तरी की गई है। जो 40-50 रु० प्रति मीटर की साड़ी है, उसमें 8 परसेंट एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि स्माल वीवर्स और गरीब कंज्यूमर्स वर्तमान स्थिति में बहुत दुखी है, परिणामस्वरूप छोटे-छोटे कारखाने

[हिन्दी]

बंद हो रहे हैं। छोटे कंज्यूमर्स, खेतिहर मजदूर इस सस्ते कपड़े का उपयोग करते हैं और छोटे वीवर्स को रोजी मिलती है। इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी कम करके सस्ते दाम पर कपड़ा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा बोलें। सात घंटों में से आपकी पार्टी के केवल नौ मिनट दिए बचे हैं। आप अपनी कुशलता का उपयोग यथा सम्भव कम समय में अधिक बातें कहने के लिए कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, समय कम करने के लिए कुछ भाषणों को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह बातें नहीं दोहराएं तो वह समय बचा सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैंने अपने जीवन में कभी भी अध्यक्षपीठ की अवहेलना नहीं की है।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक के सार, नीतियों तथा देश की जनता और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के कारण इसका समर्थन नहीं करना चाहता बल्कि सरकार का समर्थन करने के कारण इसका समर्थन करता हूं। इन सब बातों के बावजूद भी मैं इस विधेयक और इसके प्रस्तावक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे इस पक्ष में सम्मिलित हों इसलिए मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष के 11,000 करोड़ रु० के वित्तीय घाटे की उचित पृष्ठभूमि

तैयार की थी। एक लाख करोड़ रुपए का विदेशी ऋण, दो लाख करोड़ रुपए का स्वदेशी ऋण, मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति और दबाव इस सरकार को विगत सरकार से विरासत में मिले हैं। परन्तु हमारा प्रश्न है कि क्या इस वित्त विधेयक से इस प्रवृति और बोझ में कमी आएगी अथवा बढ़ोत्तरी होगी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। श्री दण्डवते द्वारा विश्वास व्यक्त किए जाने के बावजूद भी मुझे इसके बारे में सन्देह है कि क्या तिमाही समीक्षा के बाद वह वित्तीय घाटे में कमी कर सकते हैं—मुझे इसके बारे में बड़ी शंका है क्योंकि हमारा विगत अनेक वर्षों का अनुभव है। यह सच है कि वह इसके बारे में भी तर्क करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे संदेह है कि क्या वह उस पर डटे रह सकते हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं है इसके लिए मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु क्या निर्देश दिए गए हैं ? कम से कम इस बजट को दिशा प्रदान की जानी चाहिए। हमारे देश में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली अपनायी गई है। परन्तु आयोजन के शुरू से सरकारी क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र तत्पश्चात् मध्यम, छोटे तथा हमारी अधिक जनसंख्या के कारण कुटीर उद्योगों को अधिक महत्व देने का उद्देश्य था। कुछ लोग मजाक के तौर पर सोवियत संघ या पूर्वी यूरोप की बात करते हैं। वहां जनशक्ति कम है। हमारे यहां जनशक्ति अधिक है। सरकारी क्षेत्र अथवा बड़े उद्योगों को महत्व दिए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कुटीर उद्योगों के विकास के बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान)

उन्होंने चीन का उल्लेख नहीं किया है, यदि वे करते तो मैं इसका उल्लेख करूंगा। चीन इन्हें मिलाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में चीन कुटीर उद्योगों को बड़े उद्योगों में मिलाने का सही प्रयास कर रहा है।

इस बजट तथा वित्त विधेयक में 70 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर और 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर से धन जुटाने का प्रावधान है। हम सब जानते हैं कि अप्रत्यक्ष करों का भार आम आदमी पर पड़ता है। इससे इस सरकार की आर्थिक नीति की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। यह प्रवृत्ति जनता पर अधिक बोझ डालने की है। हम इस सरकार का बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं। केवल एक शर्त है कि उन्हें अपने वायदों को, जो उन्होंने मतदाताओं को दिए हैं, पूरे करने चाहिए, यह वायदा किया गया था :

> "राष्ट्रीय मोर्चा अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास और गरीबी हटाने के लिए मूल्य स्थिरता को महत्वपूर्ण समझता है। समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाया जाएगा ताकि अनाज, चीनी, खाद्य तेल, मानक कपड़ा तथा दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा सके।"

क्या इस वित्त विधेयक से इस उद्देश्य की पूर्ति होगी अथवा नहीं ? मुझे इस बात की आशंका है कि यह विपरीत दिशा में है। यदि मतदाता इस स्थिति का अध्ययन करेंगे कि उन्हें अनुभव होगा कि राष्ट्रीय मोर्चा ने विगत लोक सभा के चुनावों दिए गए चुनावी वायदों का पूर्णतः उल्लंघन किया है। यह बड़ी बुरी बात है। वायदा मत कीजिए। वायदा तोड़ने से जनता में संदेह पैदा होता है तथा विश्वास समाप्त हो जाता हैं। इस तरीके से यह हानिकारक है। कृपया स्थिति सुधारने का प्रयास कीजिए। (व्यवधान)

मेरा सुझाव है कि उनके पांच वर्षों के प्रशिक्षणकाल के दौरान विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए और अपने आप सुधार करें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब दूसरे बदल रहे हैं तो वे भी बदल सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी हां, परन्तु वे इससे भी बदतर हो सकते हैं। (व्यवधान)

5.00 म० प०

श्री भोगेन्द्र झा : इसी प्रकार आर्थिक विषमता के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने स्पष्ट वायदा किया था। यह निम्नलिखित है :

"आय और धन में बढ़ती हुई विषमता के कारण नियोजित आर्थिक विकास में विकृति पैदा कर दी है जिससे गरीबी, अज्ञान और दरिद्रता पैदा हो गई तथा भारतीयों के बड़े वर्ग को अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन विषमताओं को स्वामित्व के, चाहे वह उद्योग में हो, वाणिज्य में हो अथवा व्यापार में हो, विभाजन तथा शहरी सम्पत्ति, भूमि अथवा कृषि सम्पदा, जोत तथा आय की हदबन्दी करके कम किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को न्यायसंगत बनाना दूसरा उपाय है।"

हमें इस वित्त विधेयक में यह बात न्यायसंगत प्रतीत हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें इस विधेयक के कम से कम इस वर्ष के दौरान परिणामों के बारे में आशा नहीं है। यदि इसमें परिवर्तन नहीं किया गया कम से कम इस सत्र के दौरान इसकी शुरुआत नहीं की गई तो मैं नहीं सोचता कि कोई प्रमुख परिवर्तन संभव है। परन्तु कुछ परिवर्तन किए जाने होंगे ताकि आंशिक रूप से जनता की राय और बाहर के लोगों की भावनाओं को इस वित्त विधेयक में व्यक्त किया जा सके। यह बताया गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर मूल्य वृद्धि हुई है, यह वृद्धि कहीं 50 प्रतिशत है और कहीं 100 प्रतिशत। अन्य वस्तुओं के मामलों में भी हमें यह संदेह है कि जमाखोरों और कालाबाजारियों को सरकार से भी भय नहीं लगता है जैसाकि उन्हें पूर्व सरकार से भी भय नहीं था। उन्हें यह लगता है कि उनके संबंधी सत्ता में हैं जैसाकि उनके संबंधी पूर्व सरकार में भी थे। इसलिए उन्होंने उन वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि कर दी है जिन पर कर नहीं लगाया जाता। यह एक सच्चाई है।

डीजल के मामले, मेरे मित्र श्री दंडवते ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि अमीर लोग पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं, गरीबों पर कर नहीं लगाया गया है। हमारे देश में क्या होगा, विशेषकर बिहार और ऐसे ही कई राज्यों में जहां बिजली उपलब्ध नहीं है? यहां तक कि छोटी-मोटी वस्तुओं जैसे चावल, दाल इत्यादि के मूल्य में वृद्धि हुई है। यहां तक कि बस का भाड़ा भी बढ़ गया है। यह सारा भार गरीबों पर ही पड़ने वाला है। यहां तक कि अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफों के मूल्य में भी वृद्धि हो गयी है। केवल पोस्टकार्ड को छोड़ दिया गया है। कई जगहों पर इस बारे में मजाक किया जाता है। जन सभाओं में लोगों ने मुझे कहा है कि कम्युनिस्टों के हिस्से में पोस्ट कार्ड छोड़ दिया गया है और दूसरे सहयोगी दलों के हिस्सों में, जो व्यापारी वर्ग के हैं, जमाखोर हैं, कालाबाजारी हैं—उन्हें खुली छूट दे दी गई है। यह मजाक लोगों में चल रहा है। इसलिए मैंने अपने मतदाताओं से कहना शुरू कर दिया है, कि यदि सरकार की यही नीति है तो पति-पत्नी भी अपने पत्र पोस्टकार्ड पर ही लिखें न कि अन्तर्देशीय पत्र या लिफाफों पर। यह दुखद स्थिति हमारी सरकार ने पैदा की है और यही हमारी समस्या है। (व्यवधान) हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आपने कृषि आदानों को भी महंगा कर दिया है तथा कृषि का उत्पादन दर को भी महंगा कर दिया है। गेहूं और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है जिससे कि आप मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा रहे हैं। आप खाद्य सामग्री पर राज्य सहायता क्यों नहीं दे रहे हैं। आप कृषि आदानों के मूल्य में कमी क्यों नहीं लाते, चाहे वह डीजल हो या उर्वरक, जिससे कि मुद्रास्फीति पर दबाव न बढ़े। मैं समझता हूं कि यहां नीति का प्रश्न उठता है।

जहां तक ऋण का मामला है, मैं पुनः कहता हूं कि आपने वादा किया था कि लघु और सीमांत किसानों के ऋणों को माफ कर देंगे। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल अमीर लोगों का वर्चस्व रहेगा और प्रो० मधु दंडवते के स्पष्टीकरण के बावजूद अमीर लोग ही लाभान्वित होंगे। यही मैं कहना चाहता था। लेकिन गरीब लोग चुप नहीं बैठेंगे, वे इस मामले को उठाएंगे। मैं पुनः कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। जो छूट उन्हें दी जा रही है, वह अमीरों को हमेशा प्राप्त होती रही है और गरीब व्यक्ति ही जानबूझ कर ऋण की अदायगी न करने वाले माने जाएंगे। उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे रोकना होगा। सीमान्त एवं लघु किसानों के लिए कोई आर्थिक मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए। मेरा यह कहना है कि अमीरो को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। वित्त मन्त्री ने कहा है कि उनसे 2,000 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हम भी आपका समर्थन करते हैं। यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने बहुत-सी बातों को स्वीकार किया है। अब, तस्करी के सम्बन्ध में मैं प्रो० दंडवते को कहना चाहता हूं कि नेपाल की तरफ से हमारी ओर यानि जिस क्षेत्र का मैं हूं वहां बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और बम्बई के तरफ से भी होती है, जहां से माननीय उपाध्यक्ष महोदय हैं और हाल ही में मैं सऊदी अरब में था जहां मुझे जानकारी मिली कि कुछ बड़े धंधे सैकड़ों युवकों के झूठे नामों पर किए गए थे। वे माल भारत भेजते हैं और मेरे विचार से सरकार में इतना साहस होना चाहिए कि वे उन्हें जब्त करें। बिहारियों को पता ही नहीं होता कि उनके नामों पर माल भेजा गया है। इतनी अधिक तस्करी वहां होती है। अब तक कोई भी ऐसी आर्थिक नीति तैयार नहीं की गई है जिससे तस्करी अथवा जमाखोरी को रोका जा सके।

मैं वित्त मन्त्री से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जमाखोरों तथा कालेबाजारियों को नहीं रोक सकते। यदि संसद का गठन आपके हित में नहीं है तो यह अलग बात है। लेकिन कृपया कालेबाजारियों को सहायता न दें। जमाखोरों को पैसे नहीं दें। वे आपके ही पैसे का उपयोग करते हैं। इसलिए, उपभोक्ता न तो बैंक और न गोदामों में जाते हैं, वे बाहर ही रहते हैं और माल गोदामों में चला जाता है। इसलिए एक अलग तरह की आर्थिक नीति कार्य करती है, माल कम होगा, उपभोक्ता अधिक होंगे और परिणामतः मूल्य वृद्धि होगी। पूरी जवाबदेही सरकार पर है। मेरा सीधे तौर पर यह कहना है कि 'आप उन्हें दंडित न करें, उन्हें पैसे नहीं दें। आप अपना पैसा निकाल लें।' थोक व्यापारियों को पैसे नहीं दें। खुदरा विक्रेताओं तथा स्वरोजगार व्यापारियों को पैसे दें ताकि माल देश में पहुंचे। कलकत्ता से बम्बई और हमारा क्षेत्र जयनगर से त्रिवेन्द्रम तक सभी थोक व्यापारी आपके पैसों से ही थोक व्यापार करते हैं। ऐसा कोई भी थोक व्यापारी नहीं है जो पूरा व्यापार अपने ही पैसे से चला रहा हो। वे जनता और सरकार के पैसों से ही व्यापार करते हैं। अतः इस प्रकार हम स्वयं अपने ही हाथों से अपने घरों को जला रहे हैं। तत्पश्चात् हम शोर मचाते हैं कि जमाखोर तथा व्यापारी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त ही थोक व्यापारियों को यह बता दें कि वे उन्हें पैसा नहीं दे सकते तथा उन्हें अपने पैसे से अपना व्यवसाय करना चाहिए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि इससे काले धन का पता लगेगा अथवा काला धन सफेद धन में परिवर्तित हो जाएगा। तब दूसरे पदों के लोग सरकार के पास जायेंगे। अतएव कुछ कदम शीघ्र ही उठाने होंगे।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : वे थोक व्यापारी हैं। उनकी पहचान की जा सकती है।

श्री एस० बी० सिदनाल : वे तस्करी भी कर रहे हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, आप थोक व्यापारी को बता दीजिए कि वह अपना व्यवसाय अपने धन से ही चलाएं । (**व्यवधान**)

प्रौद्योगिकी तथा आयात के सम्बन्ध में भी आपकी नीति अत्यन्त अव्यवस्थित तथा अनिश्चित है । इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि हमारे देश में जो कुछ भी उत्पादन होता है उसका आयात नहीं किया जाएगा । उसके लिए कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जानी चाहिए । हमें अपने उद्यमियों, वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों की सहायता करनी होगी ताकि वह उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकें, ऐसी वित्तीय नीति हमें अपनानी होगी ।

जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, कई व्यक्ति यह पूछ रहे हैं कि "यह बजट किसके लिए है ?" क्या यह वर्ष 1985-86 के वित्त मंत्री श्री राजीव गांधी का बजट है अथवा उस सरकार का बजट है जिसने श्री राजीव गांधी को हराया था तथा जन समर्थन के साथ सत्ता में आयी थी ? यही मुख्य प्रश्न है । मैं समझता हूं कि इस पक्ष के मेरे मित्र अत्यन्त खुश हैं । श्री राजीव गांधी भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि कीमतें बढ़ रही हैं तथा स्थिति बदतर होती जा रही है ।

(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : हम सभी इससे चिन्तित हैं । वास्तव में, हमने इस मामले को सदन में उठाया था··· (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने कहा है कि आप अपनी प्रसन्नता को छुपा नहीं सकते । आपने इसे छिपाने का प्रयत्न किया था परन्तु आप इसे छुपा नहीं सकते··· (**व्यवधान**)

प्रयत्यक्ष करों में वृद्धि कर दीजिए तथा अप्रत्यक्ष करों को कम कर दीजिए । आप सुख-साधन की वस्तुओं तथा शराब, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर कर बढ़ा सकते हैं ।

मेरा आखिरी अनुरोध यह है कि कम से कम लिफाफों तथा अन्तर्देशीय पत्रों को इस वृद्धि से मुक्त रखा जाए । यथावत् स्थिति बनायी जानी चाहिए । मैंने इस सम्बन्ध में अध्ययन किया है तथा पाया है कि सरकार को इस सम्बन्ध में नुकसान नहीं होगा । इसी प्रकार डीजल तेल को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए । कृषक तथा स्व-नियोजित उद्यमी डीजल तेल का प्रयोग छोटे इंजनों में कर रहे हैं ।

मैं भारी मन से वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन किए जायेंगे ।

डा० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । समान प्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे आयकर अधिनियम में वित्त विधेयक के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं । हमारे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इन सब का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । परन्तु उन मुद्दों पर केवल थोड़ी-सी ही चर्चा शुरू की गई थी । मैं देख रहा हूं कि अभी चर्चा शुरू ही हुई है । वामपंथी मोर्चा सरकार, भारतीय कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवाद) के प्रवक्ता डा० बिप्लव दासगुप्ता द्वारा कांग्रेस दल की जो भर्त्सनाएं की गयी हैं, मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार पिछले तेरह वर्षों के दौरान तथा अभी तक आम आदमी के लिए बजट प्रस्तुत करने में सफल नहीं रही है । परन्तु मैं यह अवश्य

कहूंगा कि हम इन सब बातों से संबंध नहीं हैं क्योंकि वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण के पैरा 13 में उल्लेख किया है "कि हमारे देश में आर्थिक असंतुलन कीमतों में वृद्धि तथा भुगतान राशि में घाटे पर निर्भर है।"

विन मन्त्री जी ने उस उद्देश्य को दृष्टिकोण में रखते हुए वित्त विधेयक में कुछेक परिवर्तन करने की कोशिश की है। आम व्यक्ति के लिए उन्होंने कर-छूट सीमा 18,000 रु० से बढ़ाकर 22,000 रु० कर दी है।

5.14 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

आम वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि से थोड़ी बहुत राहत देने का जो उन्होंने वादा किया था वह भी समाप्त हो गयी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान मूल्यों में हुई वृद्धि की तुलना केवल वर्ष 1977 की अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि से ही की जा सकती है जब जनता सरकार सत्ता में आयी थी। इतने से ही समय में कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई थी।

आम व्यक्ति को जीवन बीमा निगम तथा सार्वजनिक भविष्य निधि में राशि जमा करने से कर में कुछेक राहत दी गई है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो प्रक्रिया कई वर्षों से अपनाई जा रही थी कि व्यक्ति की कुल आय में से कुछ प्रतिशत काट लिया जाता था जिससे उसे कर अदायगी में आसानी हो जाए, अब इसे समाप्त किया जा रहा है तथा जटिल प्रक्रिया को आरम्भ किया जा रहा है। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह विचार करें कि क्या पुरानी योजना ही सही नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप यदि एक व्यक्ति जीवन बीमा निगम अथवा भविष्य निधि में कुछ राशि जमा करना चाहता है तो उसकी कुल आय से ही कुछ निश्चित प्रतिशत काट लिया जाता है।

वर्तमान वित्त विधेयक में जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह काफी जटिल है तथा उसकी अपेक्षा उसकी कर-देयताओं की गणना करना वैसे अधिक आसान है।

निगमित क्षेत्र के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी ग्रामीण विकास के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश भूतपूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में नए पूंजीनिवेश पर 20% का कर प्रोत्साहन दिया गया था, उसे पूरी तरह से इसमें समाप्त कर दिया गया है। पूर्व सरकार ने इन वर्षों में जो प्रोत्साहन दिया था अर्थात लघु कुटीर उद्योगों में पूंजीनिवेश पर जो बीस प्रतिशत कर प्रोत्साहन दिया गया था उसे भी समाप्त कर दिया है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इसी प्रकार को प्रोत्साहन देने का वित्त मन्त्री जी वादा कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि संभव हो तो ग्रामीण क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्रों में दिए गए कर प्रोत्साहन को वापस लाने पर विचार करें।

निगमित क्षेत्र के सम्बन्ध में हमें विश्वास है कि निगमित क्षेत्र को पचास प्रतिशत से लेकर चालीस प्रतिशत तक की कर राहत प्रदान की गई है। इस समय उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी बढ़ाये जाने के लिए, जो मुख्य प्रोत्साहन दिया गया है, वह है आय कर अधिनियम की धारा 32ए के अन्तर्गत निवेश भत्ता। केवल बारह दिन को नोटिस देकर उसे वापस ले लिया गया है। वर्ष 1986 में विभिन्न उद्योगों तथा वाणिज्य मंडलों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर यह निवेश भत्ता भी वापस ले लिया गया था। तब सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया था कि जिन व्यक्तियों ने वर्ष 1987 से 1988 के दौरान मुख्य संयंत्र तथा मशीनरी आयात करने का ठेका लिया था वे

धारा 32 ए के अन्तर्गत कर निवेश भत्ता पाने के अधिकारी होंगे। इस समय पूंजी के आधुनिक निवेश में काफी समय लगता है। अतएव उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों का क्या होगा जिन्होंने विदेशी सहयोग के अन्तर्गत यह समझौते किए हैं कि इससे वे इन वर्षों के लिए निवेश भत्ता पाने के अधिकारी होंगे। इससे उन्हें नुकसान होगा तथा आधुनिक उद्योगों के विकास पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा, यदि आप कम से कम ऐसे प्रोत्साहन उस प्रकार के उद्योगों को भी नहीं देते हैं, जिन्होंने बजट के प्रस्तुत होने से पूर्व ही विदेशी ठेके ले लिए थे। अत: मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर पुर्नविचार करें कि कम से कम वे उद्योग जिन्होंने 19 मार्च, 1990 से पूर्व, जब इस बजट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, नये संयंत्र तथा मशीनरी प्राप्ति हेतु विदेशों के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे उद्योगों को निवेश भत्ते से वंचित नहीं रखना चाहिए जिसे पाने के वे अधिकारी थे तथा उसी आश्वासन के आधार पर उन्होंने भी ठेके लिए थे। पूंजी विकास तथा उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में यह निवेश भत्ता एक बड़ा प्रोत्साहन है। इसे एक ही बार में वापस ले लिया गया है तथा इसी प्रकार से निवेश जमा खाते को भी निकाल लिया गया है जिसमें बीस प्रतिशत लाभ को उन व्यक्तियों की आय में से काट लिया जाता है जो औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त अपने लाभ में से धन जमा करते हैं अथवा संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद में अपना पैसा लगाते हैं। अब इन्हें भी निकाल लिया गया है। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि यदि वह वास्तव में चाहते है कि उद्योगों का विकास हो तथा संयंत्र तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण हो, तब उन्हें इस पर पुर्नविचार करना चाहिए कि क्या इस निवेश भत्ते को इसी रूप में अथवा अन्य किसी रूप में बनाये रखना उचित है।

उन्होंने कुछेक राहत भी प्रदान की है जो अत्यन्त स्वागत योग्य हैं। अन्तर निगमों से दिए गए लाभांश के सम्बन्ध में जो कम्पनियां अन्य कंपनियों के अंशधार के रूप में लाभांश लेती हैं, उन्हें अब 100% छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपना सारा लाभांश अंशधारियों में बांट दें। परन्तु इस विधेयक में इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया गया है कि कम्पनियों के लिए यह संभव नहीं है कि जो लाभांश उन्हें अन्य कम्पनियों से मिलता है, उसकी सारी राशि वे बांट दें क्योंकि इससे अनेक कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा। उदाहरण के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 205 के अन्तर्गत कंपनी को अपने लाभांश के रूप में अपना लाभ वितरित करने से पूर्व अवमूल्यन के लिए राशि का निर्धारण भी करना होता है। इसी प्रकार कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत यदि वह एक निश्चित प्रतिशत राशि लाभांश के रूप में वितरित करती हैं तब उन्हें लाभ की एक निश्चित राशि 'रिजर्व' के रूप में रखनी होती है। अत:, जो राशि उन्हें मिलती है उसका सारा लाभ वे वितरित नहीं कर सकतीं। इस प्रकार से प्राइवेट कम्पनियों को सम्पत्ति कर भी देना होना है। फिर किसी कम्पनी के लिए यह कैसे संभव है कि वह अपने अंशधारियों में सौ प्रतिशत लाभांश बांट दे और यदि वे ऐसा नहीं करती तब वे सौ प्रतिशत छूट पाने की अधिकार नहीं होंगी। इसका परिणाम यह है कि धारा 80 (ड) के अन्तर्गत छूट पाने के लिए इस धारा विशेष 80(ड) में अपने अंशधारियों में सौ प्रतिशत लाभांश वितरित करने की कानूनी रूप से असंभाव्यता पर विचार नहीं किया गया है। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उस बारे में विचार करें क्योंकि इससे कानून के प्रावधानो का उल्लंघन होगा। अत: यदि यह संभव हो तो बिना किसी नियम व शर्त के सौ प्रतिशत अन्तर निगमों द्वारा लाभांश देने की अनुमति दी जाए। कई अनेक बड़े आधुनिक विकसित देशों में एक कम्पनी जो दूसरी कम्पनी से लाभांश अर्जित करती है, उस पर कर नहीं लगाया जाता है। अतएव अन्तर निगमों द्वारा दिए गए लाभांश पर पूरी छूट प्रदान करने के लिए कोई शर्त नहीं लगायी जानी चाहिए।

निर्यात पर आते हुए, माननीय वित्त मन्त्री ने निर्यात को कुछ प्रोत्साहन दिया है। परन्तु, उसमें एक प्रावधान है जैसे नकद आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो निर्यात करने वाले को दी जाती हैं तथा जिसे अभी ही आरम्भ किया गया हैं। निर्यात क्षेत्र तथा उसके महत्व के कारण उसे वह आर्थिक सहायता मिलती है। उसे निर्यात के काम के लिए आयात करने की अनुमति मिल जाती है तथा उसमें कई खामियां हो जाती हैं। अब वित्त विधेयक में संशोधन करके इन्हें राजस्व प्राप्ति, आय प्राप्ति के रूप में समझा जाता है। परन्तु इन्हें निर्यात के ही एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। इसका परिणाम यह है कि जो निर्यातक माल का निर्यात कर रहे हैं, उन्हें इन प्राप्तियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। धारा 80 ज ज ग का उद्देश्य देश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर लाभ देना है। इस समय आप इन नकद प्राप्तियों को, बिक्री आयात प्राप्तियों को आय के रूप में मान रहे हैं जबकि निर्यात के कारण ही यह आयात किया गया था तथा आय भूतलक्षी प्रभाव से इस संशोधन को लाये हैं। वर्तमान सरकार की यह नीति है कि इन कानूनों को यथासंभव भूतलक्षी प्रभाव से अलग रखा जाना चाहिए। अब इन प्राप्तियों को वर्ष 1971 अथवा 967 से आय के रूप में माना जाएगा। जिन व्यक्तियों ने पहले ही निर्यात के कारण धन अर्जित किया है, इस प्रकार की प्राप्तियों पर अब वर्ष 1971 अथवा 1967 से भूतलक्षी प्रभाव से कर लगाया जाएगा। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि ऐसा संभव हो तो वह इस कानून को किसी आगे की तारीख से पारित करवाएं, न कि भूतलक्षी प्रभाव से।

इसी प्रकार, तकनीकी जानकारी के मामले में, व्याख्याताओं, तकनीशियनों, नाटककारों और कलाकारों को जो विदेश जाकर अपने वेतन या पारिश्रमिक से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, उन्हें वित्त विधेयक में संशोधन करके राहत दी गई है। यदि वे विदेशी मुद्रा देश में नहीं लाते हैं तो भी उन्हें पचास प्रतिशत कर में छूट दी जाएगी और यदि वे विदेशी मुद्रा देश में लाते हैं, तो 75% कर में छूट या दोनों में जो छूट अधिक हो, दी जाएगी। अब मैं वित्त मन्त्री से अपील करता हूं कि जो तकनीकी विशेषज्ञ, व्याख्याता, नाटककार और कलाकार भारत में ही रह कर दूसरे देश को अपनी तकनीकी जानकारी या तकनीकी ज्ञान देता है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, उन पर विचार करें। उदाहरणार्थ, यदि एक वैज्ञानिक भारत में रह कर किसी विदेशी फर्म को अपनी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराता है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तो आप उन्हें किसी भी तरह कर में छूट नहीं देते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों जबकि वह भी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? इस श्रेणी में नाटककार, वकील, तकनीकी विशेषज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भी शामिल है जो विदेशी फर्मों को अपनी सलाह देकर भारत में रहते हुए विदेशी मुद्रा उपार्जित करते हैं। उदाहरणार्थ एक वैज्ञानिक जो दूसरे देशों को सलाह देकर भारत में रहते हुए विदेशी मुद्रा उपार्जित कर रहा उनके साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए और यदि इस तरह का भेदभाव किया जाता है तो ये तकनीकी विशेषज्ञ भारत से बाहर चले जाएंगे और इस देश से प्रतिभा-पलायन शुरू हो जाएगा। इस पर वित्त मन्त्री गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और मेरे विचार से कोई कारण नहीं है कि उन भारतीयों को भी क्यों नहीं कर माफी का लाभ दिया जाए।

दूसरी बात जो मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करने जा रहा हूं कि वह विधेयक के एक महत्वपूर्ण अंश पर गौर करें। यदि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और वकील जैसे व्यवसायी लोग, जो व्यवसाय संबंधी मूल्यांकन में अपनी आय का गलत ब्यौरा प्रस्तुत करने के कारण दंडित किया जाता है, तो दंडस्वरूप उस अवधि के लिए व्यवसाय से वंचित कर दिया जाता है जितना आयकर आयुक्त उचित समझता है। इससे पहले ऐसा कानून नहीं था। यदि एक एकाउन्टेन्ट या वकील पर व्यक्तिगत मूल्यांकन का

गलत ब्यौरा देने के कारण आयकर अधिकारी द्वारा 50 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाता है तो उसे उस अवधि तक के लिए व्यवसाय चलाने से वंचित कर दिया जाता है जब तक आयकर आयुक्त उसे माफ न कर दे। ऐसे मामलों में क्या होगा? उदाहरणार्थ, यदि किसी न्यायाधिकरण या उच्च अधिकारी द्वारा पूरा दंड माफ कर दिया जाता है तो भी इस अवधि के दौरान वह व्यवसाय नहीं कर सकेगा। यह इतना गंभीर मामला है कि इस ओर वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया जाए क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं था। मेरी समझ में कोई कारण नहीं दिखाई देता कि क्यों एक ऐसे वकील या एकाउन्टेन्ट या किसी व्यवसायी पर व्यवसाय न करने का अंकुश लगाया जाए जिसे कि 50 रुपये का दंड देना पड़ता और आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक वह व्यवसाय नहीं कर सकता है। अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री ने कहा था कि वे विवेकाधिकार को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने व्यापक विवेकाधिकार इन अधिकारियों को दे रखा है कि वे किसी व्यक्ति विशेष के व्यवसाय पर मनचाहे अवधिक के लिए रोक लगा सकता है यदि वह 50 या 100 रुपये का दंड भुगतता है अपने आय के गलत ब्यौरा प्रस्तुत करने के कारण। महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस वित्त विधेयक पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय दिया गया है। हम अपने उन लोगों के समक्ष उत्तरदायी होंगे जिनका हम इस सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कानून जल्दबाजी में लाया गया है और सदस्यों को वित्त विधेयक में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है जिसका घातक प्रभाव हो सकता है। सदस्यों को कुछ समय सोचने के लिए मिलना चाहिए था।

मैं समझता हूं कि इस बजट में कोई नई दिशा प्रदान नहीं की गई है और जो दो दलों से समर्थन प्राप्त हुआ है उसकी तुलना दो बैसाखियों से की जा सकती है, एक दल है सी० पी०आई० (एम०) और वाम मोर्चा, इससे स्पष्ट है कि कम से कम वे विधेयक का समर्थन बिना किसी मनोबल या नैतिक बल के कर रहे हैं। वे नैतिक रूप से आश्वस्त होकर समर्थन दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है बल्कि वे समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस पुनः सत्ता में न आ जाए। यदि उनके समर्थन का यही वैज्ञारिक आधार है तो वे जनता के समक्ष जवाबदेह होंगे क्योंकि इस बजट को जैसाकि वाम मोर्चा के सुप्रसिद्ध सदस्यों के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि वे बजट का समर्थन श्रेष्ठता के आधार पर नहीं कर रहे बल्कि उनका समर्थन कांग्रेस को निकालने के लिए है। यह कैसा समर्थन है, मेरी समझ में नहीं आता? यदि वे नैतिक तौर पर आश्वस्त हैं कि यह बजट गरीबों के लिए तथा आम लोगों के लिए नहीं है फिर भी वे अपना समर्थन दे रहे हैं तो वे स्वयं भी ईमानदार नहीं हैं। अब यह जनता को सोचना है कि वे उन्हें कैसा समर्थन दे रहे हैं जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे वित्त विधेयक की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की दोषपूर्ण करारोपण नीति के कारण मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। इसे नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। योजना व्यय में 18.5% की कमी की गयी है जबकि गैर-योजना व्यय में विगत वर्ष से अधिक वृद्धि की गयी है। गैर-योजना व्यय में वृद्धि से मुद्रास्फीति और बढ़ेगी तथा योजना व्यय की कमी से अर्थव्यवस्था में विकास रुक जाएगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों, रेल माल भाड़ों तथा यात्री किराए और डाक सामग्री में वृद्धि का आम आदमी पर प्रभाव पड़ा है तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयीं है। वित्त मन्त्री महोदय को इन

वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव वापस कर लेना चाहिए ।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ करने का वायदा किया था । परन्तु इस वायदे को पूरा नहीं किया गया है । उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 1000 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं । अधिकांश किसानों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिए हैं । वित्त मन्त्री महोदय ने राज्य सरकारों से किसानों के सहकारी ऋण माफ करने का अनुरोध किया था । परन्तु तमिलनाडु की सरकार किसानों के ये ऋण माफ नहीं करना चाहती है । इसलिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का यह वायदा एक धोखा है ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है । कृषि लाभदायक व्यवसाय नहीं है, किसानों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं उन्हें उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिलते हैं । सरकार को कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए । जोतदार किसानों को भूमि का मालिक होना चाहिए तथा सम्पत्ति और भूमि संबंधी अधिकतम सीमा कानूनों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची तथा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित करना एक स्वागत योग्य बात है । सरकार को किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, हमारा कर्नाटक के साथ विगत 25 वर्षों से कावेरी जल विवाद चल रहा है । हमने सरकार से न्यायालय के निदेश के अनुसार एक न्यायाधिकरण गठित करने का अनुरोध किया था तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हित में मामला शीघ्रता से निपटाया जाए ।

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है, यह बड़ी विकट समस्या है । इसे कुछ सीमा तक हल करने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं । हमारी देश में प्राकृतिक संसाधन तथा जल शक्ति बहुत अधिक मात्रा में है । दोषपूर्ण आयोजन के कारण हम बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते । रोजगारोन्मुखी परियोजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है । छोटे पैमाने का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत हम कम पूंजी निवेश के द्वारा अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं । सरकार को ब्लाक स्तर पर छोटे पैमाने के उद्योग, जो रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं । इससे ग्रामीण जनता का शहरों में पलायन रोकने में सहायता मिलेगी । सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी का आश्वासन दिया था परन्तु इसे अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है । इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर बात है ।

हथकरघा तथा खादी और ग्रामीण उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण जनता को पर्याप्त रोजगार मिल सके । तमिलनाडु के हथकरघा बुनकर खुश नहीं है क्योंकि उनके सामने अनेक समस्याएं हैं । तमिलनाडु की सरकार बुनकरों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर रही है । सहकारी समितियों में बुनकरों का प्रतिनिधित्व नहीं है । समितियों का प्रशासन सरकारी अधिकारी चलाते है जो बुनकरों की समस्याएं नहीं समझते हैं । केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु की सहकारी समितियों के शीघ्रतापूर्वक चुनाव कराने के लिए राजी करना चाहिए । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भवानी स्थान कालीनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है । यहां के बनाए हुए कालीन प्रसिद्ध हैं । भवानी के एक तिहाई लोग कालीन बुनकर हैं । वे सूती और रेशमी दोनों प्रकार की कालीन बनाते हैं । जिला मुख्यालय इरोड भवानी के बहुत निकट है । कालीन बुनकरों के हित में पेरियार जिलों के भवानी में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए ।

महोदय, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आएगी तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मंडल आयोग की सिफारिशों को तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आयकर से छूट की सीमा ?0,000 रुपए तक बढ़ा दी जानी चाहिए। निजी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। निजी वित्तीय संस्थाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण राष्ट्रीकृत बैंकों को खतरा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आम आदमी की सहायता के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ऐसी अनेक निजी वित्तीय संस्थायें हैं जो लोगों विशेषतः किसानों से करोड़ों रुपये एकत्रित कर रही हैं। वे लोगों को उनकी जमा धनराशि पर अधिक ब्याज देकर उन्हें आकर्षित करती हैं। इसलिए लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों के बजाए निजी वित्तीय संस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं। जमा धनराशि की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वे किसी भी समय जनता का धन ऐंठने के बाद वित्तीय संस्थायें बंद कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि आम जनता के हित में बैंकिंग प्रणाली को नियमित करने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

तत्पश्चात मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान वर्तमान कराधान की कुछ विषमताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरणार्थ ट्रकों पर उत्पाद शुल्क चेसिस खरीदते समय लगाया जाता है परन्तु जब इसे पानी और तेल के टैंकों की बॉडी के निर्माण में लगाया जाता है। तो निर्माताओं को एक बार फिर 20% कर अग्रिम रूप से कर देना पड़ता है। ये बॉडी निर्माता छोटे कारीगर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। यह एल० जी० पी० की तरह बड़ा उद्योग नहीं है जो संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। पानी अथवा तेल के टैंक की लागत 25,000 रुपये है जबकि एल० जी० पी० उद्योग की लागत सात लाख रुपये है। इसलिए ट्रकों के लिए पानी और तेल के टैंकों के बॉडी निर्माताओं को बॉडी निर्माण के समय उत्पाद शुल्क से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि यह दोहरा करारोपण है।

महोदय, तमिलनाडु में पेरियार जिले के अधिकांश क्षेत्र भीषण सूखाग्रस्त हैं तथा गोबिचेट्टियालयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के समय पेयजल की बड़ी समस्या है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को निदेश दे और ग्रामीण जल आपूर्ति तथा इस क्षेत्र के मेहनती कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तुरंत धनराशि प्रदान करें। तमिलनाडु की विगत सरकार, जिसका नेतृत्व पुराचं थालैवर डा० एम० जी० आर० ने किया था, के समय में इस जल की समस्या का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया गया था। परन्तु डी० एम० के० सरकार इस समस्या की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि यह जन-विरोधी नीतियों का पालन कर रही है। तमिलनाडु की जनता पुराचं थालैवी सेल्वी जयललिता के गतिशील नेतृत्व में पुनः डा० एम० जी० आर० का शासन चाहती है।

महोदय, प्रधानमन्त्री मूल्यों पर आधारित राजनीति की बातें कर रहे हैं। परन्तु रिश्वत और प्रलोभन के द्वारा दल-बदल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागालैंड में अवैध तरीकों से गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाया गया। हाल ही के चुनावों में मेहम और बिहार में बड़ा रक्तपात हुआ था। ऐसी स्थिति में सरकार मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात किस प्रकार कर सकती है?

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं इस वित्त विधेयक के पक्ष में बोलने के

लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे समाजवादी मित्र श्री मधु दंडवते जी ने इस वित्त विधेयक को रखा है। इसको मैं कुछ अंशों में समाजवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम मानूंगा। हिन्दुस्तान गांवों का देश है। वित्त मन्त्री जी ने गांवों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया है। यह उन्होंने गांवों को बसाने का काम किया है।

लेकिन इस बजट में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की कोई गुंजाइश दिखायी नहीं देती। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो देश के राज्यों में दसवें स्थान पर आता है, मगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा स्थान आता है और हिंदुस्तान की पूरी आबादी का 10वां भाग है, यानी 10% बिहार की आबादी है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक जनसंख्या के अनुपात में उसको न ऋण मिला है और न केन्द्र से अनुदान ही मिला है। इसलिए बिहार की योजना दिनों-दिन छोटी होती चली गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बिहार से देश का लोहा, बाक्साइट लगभग 50% भेजा जाता है, ताम्बा और अभ्रक क्रमश: 100 से 80% हम वहां से भेजते हैं और सारे देश का खपत का लगभग आधा, यानी 43.5% खनिज हम हिसाब से देते हैं, पर हमें रायल्टी के रूप में कुछ नहीं मिलता है। वजन के हिसाब से कोयले पर जो रायल्टी दी जाती है वह हमको मात्र 30 करोड़ रुपए ही मिलती है, पर हम कीमत के तौर पर रायल्टी उस पर देखें तो हमें 208 करोड़ रुपया मिलेगा। हमारे यहां 50% खनिज हैं और उसका एक भी मुख्यालय बिहार में नहीं है, सारे मुख्यालय बिहार के बाहर है। इसलिए रायल्टी का पूरा पैसा नहीं मिलता है और जो बिहार के रहने वाले हैं, आदिवासी लोग हैं उनको काम करने का, उन्हें सेवा करने का, नौकरी पाने का कोई मौका नहीं मिलता है। मैं सोचता था कि आप बजट में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए इसमें सब प्रावधान होगा। इसमें बिहार के जो खनिज हैं उसका मुख्यालय बिहार में बनाने का प्रावधान होगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय विषमता के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में 82% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, 8% लोग उद्योग में लगे हुए हैं और 10% लोग अन्य कामों में लगे हुए हैं। वहां पर देखेंगे—सेंसर्स रिपोर्ट में जहां पर 1951 में प्रति व्यक्ति 0.51 एकड़ जमीन उपलब्ध थी, आज जाकर 0.30 एकड़ प्रति व्यक्ति हो गई है। हमारे यहां जो छोटे किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, उनकी संख्या इन दस वर्षों में दिनोंदिन (खेतीहर मजदूरों की संख्या) बढ़ती ही जा रही है। छोटे किसान, सीमांत किसान शादी-विवाह में, बीमारी में, पढ़ाई-लिखाई में, दवाई में अपने खेत को बेच करके, खेतीहर मजदूर होते चले जा रहे हैं, पर उनके लिए कोई प्रावधान वहां पर नहीं किया गया है। आज महंगाई के जमाने में खेती की जो हालत है उसमें सारा बिहार तीन माह बाढ़ से घिरा रहता है और नौ माह सुखाड़ से दबा रहता है। मैं इसे बिहार पर विदेशी आक्रमण मानता हूं। देश के किसी भी भाग पर कोई विदेशी आक्रमण करे तो केन्द्र की तरफ से उसका मुकाबला किया जाता है। मैं बाढ़ को भी विदेशी आक्रमण की तरह ही मानता हूं क्योंकि हमारे यहां जो बाढ़ आती है वह बिहार की बाढ़ नहीं है, बिहार में जो वाटर केचमेंट एरिया है, वह एक-तिहाई है और बाकी नेपाल में है जो विदेशी है, तो विदेशों का पानी आ करके बिहार को डुबोने का काम करता है। मैं चाहता हूं कि उन सारी नदियों को जोड़ करके केन्द्र सरकार को एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए।

आपको नेपाल से बात करके, दूसरे देशों से बात करके राष्ट्रीय योजना में गंगा को भी लेना चाहिए और जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं उनको राष्ट्रीय योजना में रख करके बिहार को

बचाने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बजट के समय में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है इसको देखते हुई मैं चाहता हूं कि महंगाई पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर बिहार में अजीब परिस्थिति है, आज भी बन्धुआ मजदूरों जैसी हालत है और मैं चाहूंगा कि इसलिए बन्धुआ मजदूरी को दूर करने के लिए, उनको यहां पर सरकार की ओर से काम करना चाहिए। आज सारे देश की आबादी बढ़ रही है और बिहार में पहाड़ी जाति है, वहां पर आदिवासियों के नाम पर बहुत खर्च करने की व्यवस्था की गई है। सेंसस की रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगेगा कि पहाड़ी जातियों में जनसंख्या दिनों-दिन कम होती जा रही है। ये जातियां बिहार से लुप्त होती जा रही हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय, बिहार में आई०पी०एफ० और नक्सलाइट्स की बात की जाती है। कहा जाता है कि वहां पर बहुत खून-खराबा होता है, पंजाब और कश्मीर से भी ज्यादा वहां पर खून-खराबा होता है। लेकिन यह आई०पी०एफ० में और नक्सलाइट्स कौन लोग हैं? यह लोग वही हैं जिनके मां-बाप के साथ हजारों वर्षों से अन्याय होता आया है, जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, जिनको मजदूरी नहीं दी जाती रही है, जो पसीने की रोटी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको इससे वंचित किया जाता रहा है, आज जब वे अपना अधिकार मांगते हैं तो उनको नक्सलाइट कह कर, आई० पी० एफ० का कह कर जेल भेज दिया जाता है, और उन्हें गोली का शिकार बनाया जाता है। उनको तबाह कर दिया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में भी ध्यान दिया जाए।

बिजली की बिहार में इतनी कमी है कि इसका प्रभाव वहां पर लगे हुए और लगने वाले उद्योगों पर पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति वहां पर बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बिहार की स्थिति में सुधार हो सके।

माननीय दंडवते जी समाजवादी नेता हैं और हमको उम्मीद थी कि बजट में आयकर की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ खर्च की सीमा भी बांधी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब तक खर्च की सीमा नहीं बांधी जाएगी, तब तक ब्लैक-मार्केट नहीं रुक सकती, चोर बाजारी नहीं रुक सकती।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल है जो कि केन्द्र सरकार और असम सरकार के कोलाबरेशन से चलती थी, वर्षों से बंद पड़ी है। मेरा निवेदन है कि इस मिल को खुलवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समय के मामले में मुझे थोड़ी ढील दें।

सभापति महोदय : आपने केवल पांच मिनट के लिए कहा था।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : मैं गत कुछ दिनों से सामान्य बजट से संबंधित चर्चाएं सुन रहा हूं कि किस प्रकार सदस्यगण वित्त मंत्री से कह रहे हैं कि बजट में मूलत: प्रस्तुत कुछ अति महत्वपूर्ण पहलुओं पर कुछ किया जाए। एक मुद्दा पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि के बारे में था और दूसरा आयकर से छूट की सीमा के बारे में था।

दुर्भाग्य से, हम सभी को अत्यन्त निराशा हुई कि वित्त मंत्री इस मामले पर टस से मस नहीं हुए। पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि में थोड़ी भी कमी नहीं की गई तथा आयकर से छूट की सीमा में वृद्धि नहीं की गई।

जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हम वास्तव में यह महसूस करते हैं कि जब वित्त मंत्री एक भी भाषण को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए।

जनता दल छः महीने पहले सत्ता में आया था। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहूंगा कि किस प्रकार राज्य के अधिकांश लोगों ने सरकार के विरुद्ध मत दिया। संभवतः एक या दो राज्य इसके अपवाद रहे। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि कुछ पार्टियों ने किस प्रकार से सांप्रदायिकता का सहारा लिया। मैं मतदान के किसी अन्य पहलू अथवा मतदाता के रवैये पर भी नहीं बोल रहा हूं।

मैं यह कहूंगा कि लोगों ने देश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए मत दिया है। लेकिन लोगों ने जनता दल को सत्ता में लाने के पक्ष भी मत नहीं दिया है। मुझे विश्वास है कि जनता दल ने यह जान लिया है क्योंकि वे पूर्णतया दो बैशाखियों पर निर्भर हैं। एक तो वाममंथी और दूसरे दक्षिणपंथी हैं। दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे कम्युनिस्ट हैं। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन उन्हें यह बात तो महसूस करनी ही चाहिए कि वे सत्ता में हैं इसलिए उन्हें लोगों के हित में कुछ तो करना ही होगा। लोग यह याद रखें कि जब श्री वी० पी० सिंह प्रधानमंत्री अथवा श्री दंडवते वित्त मंत्री थे तब उन्होंने कुछ किया था। वे सत्ता खो देने के बावजूद इस कार्य के लिए याद किए जायेंगे। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि जनता दल सत्ता में है। मैंने यह बात अपने राज्य में भी कही थी। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में कांग्रेस तेलुगु देशम शासन के सात वर्षों के बाद वापस सत्ता में आई है। हम आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के शासनकाल को भगवान शनि की अवधि कहा करते थे। यदि भगवान शनि किसी को पकड़ लेते हैं तो उस व्यक्ति को भगवान शनि के प्रभाव से छुटकारा पाने में सात वर्ष लग जाते।

सब कुछ कहने और करने के बाद मैंने आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि वे एन० टी० आर० के शासन, तेलुगु देशम पार्टी के शासन के बारे में न बोलें और इसकी आलोचना न करें। हमें वास्तव में लोगों के लिए कुछ करने से लिए शुरूआत करनी चाहिए, हम कैसे उनकी सहायता करें और अंततः उन्हें किस प्रकार लाभांवित करें। एन० टी० आर० ने आंध्र में कार्य नहीं किए वह वायदों को पूरा करने में असफल रहे। इसलिए उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। दुर्भाग्य से, जब हम राष्ट्रीय मोर्चे को देखते हैं तो पाते हैं कि एन० टी० आर० इसके अध्यक्ष हैं। हम तो यही अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार एन० टी० आर० के चिह्नों पर न चले। एन० टी० आर० की निष्क्रियता का अनुसरण न करें। एन० टी० आर० ने ऊंचे तर्क देने और प्रति-दिन हर तरीके से नाटकबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया। आंध्र प्रदेश में श्री रामाराव के 7 वर्षों के शासन के बाद राज्य का पतन ही हुआ है। एन० टी० आर० के शासन से पहले आंध्र में बिजली की बहुत अधिकता होती थी। देश के हर कोने से, बल्कि देश के बाहर से अनिवासी भारतीय राज्य के औद्योगिक वातावरण तथा यहां प्राप्त बिजली की अधिकता के कारण आंध्र में आते थे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि हम राज्य के गत कुछ वर्षों पर गौर करें तो हमें शर्म आती है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : मैंने वास्तव में आपसे अनुरोध किया था। कृपया थोड़ी

छूट दें। आंध्र में उद्योगों में केवल 60% बिजली कटौती की जाती है। श्री रामाराव तो खैरात बांटने में विश्वास रखते हैं। वह तो लोगों को भिखारी बनाना चाहते थे। वह कभी भी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना नहीं चाहते थे। वह कभी भी उनके वास्तविक लाभ के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे। वह तो केन्द्र सरकार को काल्पनिक कहा करते थे। अब वह इस काल्पनिकता पर शासन कर रहे मोर्चे के अध्यक्ष हैं। यद्यपि उनकी पार्टी ने आंध्र में 42 में से केवल 2 स्थान जीते थे, उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी एक कल्पना ही है। मैं वर्तमान कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद आंध्र सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र में से कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र यह दर्शाता है कि 80 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है जो लगभग पांच प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। दुर्भाग्य से इस संबंध में आंध्र प्रदेश के आंकड़े दर्शाते हैं कि वहां पर यह वृद्धि कम अर्थात लगभग दो प्रतिशत रही है। जहां तक वृद्धि दर का संबंध है, 1983-88 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर स्थिर मूल्यों के अनुसार यह 1.78 रही है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह नकारात्मक अर्थात —1.41 रही है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब अखिल भारतीय स्तर पर उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लोगों की आय में कमी हुई है।

यह एक और छोटा-सा उद्धरण है। बिजली के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 1980-84 की अवधि के दौरान वृद्धि दर 15.56% हो गई। लेकिन बाद के पांच वर्षों में श्री रामाराव के शासन के दौरान यह वृद्धि दर कम होकर 5.15% रह गई। इस प्रकार यह 15.56% से कम होकर 5.15 प्रतिशत हो गई। मैं यह पूर्णतया मानता हूं कि यह संसद है और हमें यहां पर राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन पर नहीं बोलना चाहिए। इसके बावजूद मुझे ये तथ्य इस माननीय सभा को बताने हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश पर गत 7 वर्षों तक शासन करने वाले यह महानुभाव दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष हैं। गत चार दशकों और विशेषकर गत 5 वर्षों के दौरान बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद पूरे देश की उपलब्धियां असाधारण रही हैं। जब हमें आजादी मिली थी तब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी। अब यह 80 करोड़ हो गई है। लेकिन फिर भी हमने असाधारण उन्नति की है। अर्थव्यवस्था की विकास दर काफी अच्छी रही है। उद्योग के अंतर्गत दो पहिया वाहनों तथा कारों में तो वस्तुतः क्रांति आई है। आप पांच वर्ष पूर्व यह कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि मारुति तथा मारुति 118 इत्यादि इतनी अधिक कारें हमारी सड़कों पर चलेंगी। विशेषकर, दोपहिया वाहनों के संबंध में····

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : कृपया मुझे 5 मिनट और बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको केवल 1 मिनट देता हूं।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : आप संसद में एक नए सदस्य के प्रति तो उदार हो सकते हैं।

8वीं योजना के दौरान हमारी उपलब्धि 109% रही। हमने नवोदय स्कूल स्थापित किए हैं। हमने यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया है कि ग्रामीण जनता तथा ग्रामीण छात्रों को भी सर्वोत्तम शिक्षा मिले। निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। इस संबंध में विश्व बैंक तथा एशियाई

विकास बैंक ने भी हमारी प्रशंसा की है। गत एक वर्ष के दौरान ही सरकारी क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि हुई है जो कि दो गुनी है। अब, हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि खजाना खाली पड़ा है। इससे देश की विश्वसनीयता का पता लगता है। कृपया कांग्रेस को कमजोर करने के लिए देश को नीचा मत दिखाइए। कांग्रेस को भूल जाइए। आप सदैव ही कांग्रेस के बारे में क्यों बोलना चाहते हैं? आप देश के प्रति अपनी वचनबद्धता पर विचार करें। लोगों की आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं। दूसरे लोग यह सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं। विशेषकर, वित्तीय संस्थाओं ने हमारा शोषण करने का प्रयास किया है। विश्व बैंक ब्याज की दर में कम आधा प्रतिशत वृद्धि करना चाहता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अनेक सदस्यों को बोलना है।

(व्यवधान)

श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : मैं केवल एक या दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

6.00 म० प०

अन्त में, मेरा यह सुझाव है कि आप समस्याओं का पता लगाएं। आप इस अवसर पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। इस देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्षा इतनी कम और अनिश्चित होती है कि वहां पर लोग वर्षा पर निर्भर होते हैं और एक फसल भी अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी ओर अनेक लोग हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहने का लाभ उठाते हैं। गत वर्षों के दौरान, वे एक वर्ष में दो या तीन फसलें खाते रहे हैं। जबकि सूखा-प्रवण क्षेत्रों में लोगों को जल अथवा सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में कुछ करें। सरकार भारतीय सूखा-प्रवण क्षेत्र प्राधिकरण का गठन करें, इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें और और यह सुनिश्चित करें कि कम से कम सूखा-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भोजन मिले। उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए।

श्री के० मुरलीधरण (कालीकट) : महोदय, एक विख्यात समाजवादी, प्रो० मधु दंडवते ने सभा में एक पूंजीवादी बजट प्रस्तुत किया। हमारे प्रधानमन्त्री हर अवसर पर यही कहते हैं कि मूल्यों को नियंत्रित किया जाएगा। वित्त मन्त्री आग पर तेल छिड़कते हैं और वह भी यही कहते हैं।

वास्तविक मूल्य वृद्धि क्या है? मन्त्री को सच्चाई मालूम है। आजकल भारत में सभी लोग वित्त मन्त्री और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को दोष दे रहे हैं। आप और आपकी सरकार भूतपूर्व सरकार की आलोचना करते रहे हैं। मन्त्री, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के संसद-सदस्य सदैव कांग्रेस सरकार की आलोचना करते रहते हैं। आप 1985 और 1986 के बजट का विरोध कर रहे थे। उस समय कौन वित्त मन्त्री थे? उस समय आपके महान प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्री थे। किन्तु आप बजटों की आलोचना और विरोध कर रहे थे।

प्रधान मन्त्री यह दावा करते हैं कि आपकी सरकार वायदों को पूरा कर रही है। हमारे देश में खुले तौर पर चारों ओर यही चर्चा हो रही है कि आपकी प्रतिज्ञाओं से ही वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। मुझे इस सरकार पर दया आती है। पिछली सरकार मूल्य स्थिरता तथा आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यन्त उत्सुक और चिन्तित थी। यह सरकार कहती तो बहुत कुछ है

पर कुछ भी कर नहीं पाती है। आप निर्यात की अपेक्षा आयात को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। यह केरल की जनता के लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि आप अपने वायदों के बावजूद नारियल और रबड़ आयात कर रहे हैं। जन सामान्य को कुचलने के लिए लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं पर नए कर लगाए जा रहे हैं। क्या आपने काले धन का पता लगाने के लिए कुछ प्रयास किए ? क्या आपको हमारे लाखों शिक्षित युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर कोई विचार है ? आप केवल यह कहते हैं कि बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आपने किसानों को 10 हजार रुपए तक ऋण राहत देने का बड़ा वायदा किया है। किन्तु अब केरल सरकार किसानों को 10 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने का समर्थन नहीं कर रही है। केरल सरकार के वित्त मन्त्री, श्री विश्वनाथ मेनन ने कहा है कि वह किसानों को 10 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बजट के अनुसार इस कृषि ऋण माफ करने में 1000 करोड़ रुपए लगेंगे किंतु वास्तव में इसके लिए 14,000 करोड़ रु० चाहिए। आपने इस सम्बन्ध में कोई उचित प्रावधान नहीं किया है। इस बजट से जनसामान्य के प्रत्येक क्षेत्र में असन्तुलन हुआ है। आपने केरल की जनता को पूर्ण रूप से अलग फेंक रखा है। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत पिछले रेल बजट में नई रेल लाइनों का प्रावधान किया था। परन्तु इस रेल बजट में किसी भी नई लाइन का प्रावधान नहीं किया गया है। राजीव सरकार ने भारी वित्तीय सहायता देकर सच्चे मन से केरल राज्य की सहायता की थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने हिन्दुस्तान लेटेक्स के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया किंतु आपकी सरकार ने उस अनुदान को घटा कर दो लाख रुपए कर दिया। आपने केरल में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स, मसाला बोर्ड, शिपयार्ड तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वित्तीय सहायता में कमी की है। इससे पता चलता है कि आप केरल की जनता से राजनीतिक बदला लेना चाहते हैं। पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान कांग्रेस दल को 20 स्थानों में से 14 स्थान मिले, अन्य दलों को 3 स्थान मिले, मार्क्सवादियों को दो स्थान और कांग्रेस एस को एक स्थान मिला। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार केरल की जनता का समर्थन नहीं करती है। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं मार्क्सवादी दल और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही दोहरी नीति का उल्लेख करना चाहता हूं। कुल उन्होंने बजट के खिलाफ धरना दिया और यहां वे बजट और वित्त विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। सदन के बाहर वे सरकार के खिलाफ और मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही कर रही है। वे संसद के बाहर बजट का और मूल्य वृद्धि का विरोध कर रहे हैं परन्तु सदन में वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं।···(व्यवधान)···मार्क्सवादी दल और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की दोहरी नीति अपना रही है। किन्तु भारत की जनता के पास उचित शक्ति है और वह 1994 में काम करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि समय का अभाव है। अतः मैं आपके साथ समझौता करना चाहता हूं। जब भी आप घंटी बजाएंगे, मैं बोलना बन्द करूंगा किंतु जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया घंटी मत बजाइए।

आरम्भ में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। यदि वह प्रो० मधु दण्डवते होते तो मैंने निश्चयपूर्ण भाषण दिया होता। परन्तु मुझे वित्त मन्त्री के संबंध में इतना विश्वास नहीं है।

महोदय, ऐसी बात नहीं है कि विधेयक में समर्थन के योग्य कुछ भी नहीं है, जैसा वे कहना चाहते हैं। मैं वित्त मन्त्री के बचाव के लिए एक मुद्दा बता सकता हूं। लगभग दस वर्षों से हम।

परेषण कर के लिए लड़ते रहे थे, पिछली सरकार ने यह नहीं दिया । अब इस संबंध में वायदा किया गया है । मैं वित्त विधेयक के गुणों का वर्णन नहीं करूंगा, अपितु, मैं वित्त विधेयक की आलोचना करूंगा क्योंकि प्रशंसनीय अंशों का वर्णन हमने पहले ही अपने बजट भाषण में किया है।

हम जानते हैं कि वित्त विधेयक भी बजट तैयार करने में कुछ गम्भीर कठिनाइयां आड़े आती हैं । इनका उल्लेल भुगतान शेष स्थिति, घाटा मूल्य वृद्धि और बचत दर के रूप में किया गया है, किन्तु मैं आरम्भ में एक ऐसे तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं जिसकी संभवतः सदन को जानकारी है, किन्तु मैं इसको कुछ इस प्रकार से प्रतिपादित करूंगा कि यह चौंका देने वाला प्रतीत हो और वह ऐसा है । हमारे देश में कुल राष्ट्रीय आय में से दो प्रतिशन परिवारों को इतनी ही आय है जितनी कि शेष 98 प्रतिशत परिवारों की है । हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि केवल दो प्रतिशत को राष्ट्रीय आय पर इतना नियन्त्रण है जितना कि शेष 98 प्रतिशत को है । मैं इस तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं जो मेरे लिए भी चौंका देने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सभा में निरन्तर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रत्यक्ष करों को और अधिक घटाया जाना चाहिए, कि छूट की सीमा और अधिक बढ़ा दी जाए । मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हमारी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार असमान वितरण के सन्दर्भ में इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । मुझे खेद है कि मैं अपने पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर से अपने मित्रों से इस बात पर सहमत नहीं हूं ।

मैं इस बात पर उससे पूरी तरह सहमत हूं कि स्थिति बहुत खराब है । स्थिति इतनी खराब है कि वित्त मन्त्री वित्त विधेयक में राज्यों को वह नहीं बहालकर सकते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए । वह पारेषण कर का आश्वासन देते हैं, वह गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की भविष्य निधि छोटी बचत योजना में जमा करने से रोकते हैं, इसके बदले वह इसको पुरानी सरकार की विशेष बचत योजना में जमा करना चाहते हैं । स्थिति इतनी खराब है कि वह केन्द्रीय संसाधनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इतनी खराब स्थिति है कि वह निगमित कर को आयकर की भांति विभाज्य नहीं बना सकते हैं । स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें आयकर पर अधिशुल्क जारी रखना है जिसको प्रो० मधु दण्डवते निचश्य ही मूल आयकर के साथ मिलाना चाहेंगे । वह खनिज संसाधनों में समृद्ध राज्यों की मांग का उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि वसूली पर उपकर या रायल्टी को यथा मूल्य नहीं बनाएंगे जैसा कि थोड़ी कटुता के बाद असम के मामले में किया गया है, किंतु पुरानी प्रथा को ही जारी रखेंगे । इससे उनकी कठिनाइयों का पता चलता है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जब मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं किसी सिद्धांत के लिए उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं ।

यह मुद्दे उठाते समय मैं जानता हूं कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं । चूंकि अर्थव्यवस्था में कठिनाइयां हैं, यह आवश्यक नहीं है कि हम कुछ अन्य कठिनाइयां कहीं और खोज निकालें ? उन्होंने एक स्वागत योग्य राहत दी है । दूसरे पक्ष से कोई पूछ रहे थे : कर राहत का आपने क्या किया है ? बजट में हमारी दृष्टि से यह अत्यन्त स्वागत योग्य प्रस्ताव था । किन्तु यहीं तक क्यों देखें ? निगमित कर अथवा अन्य करों के मामले में दी जाने वाली इन सभी कटौतियों पर आप पुन. विचार कीजिए । आपने निगमित कर की दर घटा दी । ठीक है । आप समझते है कि आप इस प्रकार अधिक राशि इकट्ठी कर सकते हैं किन्तु मुझे विश्वास नहीं है । सभी कटौतियों और खर्चों का हिसाब लगाकर कर-योग्य आय की गणना की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद आप कटौतियों की अनुमति क्यों देते हैं और वह भी पूरे रेट पर । यह बात अपवर्ती प्रतीत होती है । निगमित क्षेत्र को दान हेतु प्रेरित करने के लिए आपको में छूट देनी पड़ती है तथा इस दान-राशि को देने में असमर्थ एककों से

इसके भुगतान हेतु खुशामद और अपील की जाती है। क्या यह प्रगतिशील विचार है? क्या यह समाजवादी विचार है? मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या है।

प्रो० दंडवते और वित्त मंत्री के बीच के अंतर को देखकर मैं हैरान हूं। रेलवे में भी श्री जार्ज फर्नान्डीज और रेल मंत्री के बीच अंतर था। उच्च श्रेणी की तुलना में द्वितीय श्रेणी के किरायों को बढ़ाने में इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी।

इसी प्रकार, महोदय, आप कृपया डाक संबंधी दरों को देखिए। मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने इसे गलती से बढ़ा दिया है; अन्तर्देशीय पत्र का मूल्य 35 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे कर दिया गया है। पहले 20 ग्राम तक के पत्र के लिए हमें 1 रुपया 15 पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब 20 ग्राम के लिए केवल एक रुपया देना होगा। मेरे विचार से उनका अपने विचारों से सामंजस्य नहीं है। आज-कल लोगों को 10 ग्राम के भार के पत्रों के बजाय 20 ग्राम के भार के बंद पत्र लिखने को प्रेरित किया जाना चाहिए। महोदय, यह सच है। अगर वह डाक संबंधी दरों में मूल्य वृद्धि को देखें तो वह पायेंगे कि केवल एक चीज को छोड़कर, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए—यह अपवर्ती है। सादे पोस्ट कार्ड के मूल्य में वृद्धि न कर के उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई है—सदन में प्रत्येक व्यक्ति को भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें इसके लिए बधाई देनी चाहिए। लेकिन अन्य के संबंध में आपको यह विचार करना चाहिए कि मूल्यों में वृद्धि अपवर्ती है या नहीं।

6.17 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बार फिर मैं कहूंगा कि इसमें कठिनाइयां हैं लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए कराधान में अन्य कठिनाइयों का समाधान करना होगा आपने निगमित कर में कमी क्यों की है? आपने 'स्लैब' क्यों नहीं शुरू किए। अगर आप किसी पिछड़े क्षेत्र या गरीब ग्रामीण या धर्मार्थ न्यास को देखें तो आपको पूरी कटौतियों की अनुमति नहीं है। मैं यह नहीं सोचता कि मंत्री जी को धर्मार्थ न्यासों के बारे में अनभिज्ञ हैं। हमने शुरू से कहा है कि ये कर अपवंचन के साधन हैं। आज भी वे कहते हैं कि ये धर्मार्थ न्यासों को धन दे रहे हैं और कटौतियां की जाती हैं। धर्मार्थ न्यासों की आय पर कुछ हद तक कर लगाया गया है। आप उनसे कठोरता से पेश आकर और अधिक कर एकत्र क्यों नहीं करते? समूचे बजट में सबसे मुख्य बात आन्तरिक घाटा और मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण करना है। अगर इन दो बातों पर नियन्त्रण किया जाए तो अन्य बातें उसी के अनुसार होंगी। लेकिन इसके लिए संसाधनों को जुटाना होगा। मैं जानना चाहता हूं आय कर के उद्देश्य से पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में मानने में आपको क्या कठिनाई है? जब आप दो कदम पहले ही उठा चुके हैं तो दस कदम लेने से कौन रोकता है? मैंने व्यय कर पर चर्चा की है, व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई है। व्यावहारिक कठिनाइयां जो अर्थव्यवस्था में हैं, का समाधान निकाला जा सकता है। इससे आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण में वृद्धि होती है। अतः वह इस कदम को उठाने से हिचकिचाते क्यों हैं? व्यापक कर-विवरणी के बारे में बात की गई थी। हम सबको कम्प्यूटर का शौक हो गया है। हमारे पास सी० पी० ए० वाई० कम्प्यूटर हैं जो प्राकृतिक आपदाओं और मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानों का पता लगाते हैं। हम उनका इस्तेमाल कुल जोड़ और व्यापक कर-विवरणी सम्बन्धी पूर्वानुमानों के लिए क्यों नहीं करते? आय कर, धन कर, दान कर, निगम कर और अन्य सभी विवरणियों को कम्प्यूटरीकृत क्यों नहीं करते?

जिस प्रकार आप चुनावों में परिचय पत्र जारी करने का सुझाव दे रहे थे, उसी प्रकार आप

इस सम्बन्ध में पहचान पत्र जारी करके अमीर व्यक्तियों से व्यापक कर विवरणी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते। हमने पूर्ण सरकार से चर्चा की थी। मैं इस सदन को बता सकता हूं कि मेरे इन्कार करने के बावजूद भी श्री राजीव गांधी ने मुझे प्रत्यक्ष कर समिति में रखा था। ऐसी सब समितियों में श्री एल० के० झा भी शामिल थे। व्यावहारिक कठिनाई की समस्या ही उठाई गई थी। क्या पिछली सरकार की व्यावहारिक कठिनाइयां इन व्यावहारिक कठिना-नाई से बड़ी हैं जिसके कारण वर्तमान वित्त मन्त्री को ये कदम उठाने पड़े? निगमित करों में कटौती हुई है। मैंने उस बारे हें बताया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं लेकिन मैं 50 प्रतिशत के पक्ष में हूं और तब आप कटौतियों के अपवर्ती स्वरूप को बदलें। मैं समझता हूं कि इस तरह से आप अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। मैंने दूसरे संदर्भ में मूल्यों पर नियन्त्रण का सुझाव दिया है। मैं एक या दो लाइनों में मूल्यों पर नियन्त्रण के महत्व का उल्लेख करना चाहता हूं चाहे ये श्रमिक वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या कृषक वर्ग हो, इन सबके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के बारे में भी बात की गई है। इस बारे में देहातों में लगातार चर्चा की जा रही है कि संगठित श्रमिकों के पास मूल्य वृद्धि को निष्प्रभावी करने के साधन हैं। इस प्रकार से देहातों में और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर पैदा करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि वे पर्याप्त रूप से संगठित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में वे इसमें सफल हो रहे हैं।

इसलिए मैं मूल्यों को नियन्त्रित करने का सुझाव देता हूं। यह बहुत कठिन नहीं है। वित्त मंत्री की कठिनाइयों को मैं समझता हूं। वास्तव में उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य पर दी जाने वाली राज सहायता में 234 करोड़ की कमी की है। उन्होंने उर्वरक संबंधी राजसहायता को भी पिछले वर्ष से कम कर दिया है। इसे अवश्य ही बढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं वे इन मदों पर ध्यान दें। यदि आप उपभोक्ता मूल्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप महंगाई भत्ते में भी बचत कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था में घाटा केवल केन्द्र से ही नहीं होता, राज्यों में भी होता है। मूल्यों में कमी करके आप राज्यों की भी सहायता कर सकते हैं।

आप प्रत्यक्ष करों के रूप में कठोर उपाय कर सकते हैं। डा० दासगुप्त ने अभी कहा है कि विकसित देशों में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत काफी अधिक है। विकासशील देशों में शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि कुल कर-राजस्व का 15 प्रतिशत ही प्रत्यक्ष करों से प्राप्त हो? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि आप खामियां दूर कीजिए। अगर आप मेरे सुझावों के अनुरूप कार्य करेंगे तो इससे कोई हल नहीं होगा। जब सांसद, व्यापारी और व्यावसायिक वर्ग हवाई जहाज से आते हैं तो उनके यात्री सामान को अभी तक कर मुक्त क्यों किया हुआ है? उन्हें बाहर से 1250 करोड़ रुपए की कीमत तक का सामान लाने और देश में उनके सुस्पष्ट उपयोग की अनुमति कौन देता है? अगर प्रो० मधु दंडवते का नहीं, तो कम से कम वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित क्यों नहीं किया गया है? हम मितव्ययता क्यों नहीं कर सकते? हम यह क्यों नहीं कह सकते कि निगम द्वारा पांचतारा होटल के सभी खर्चों पर कटौती की अनुमति नहीं दी जायेगी?

आप अर्थ व्यवस्था बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप इसे बदल नही सकते। आर्थिक दृष्टि से देश बरबाद हो रहा है; यही रूप होगा अगर हम खर्च में कमी नहीं करते और लोगों को यह बता नहीं देते कि हमने अमीरों पर इस प्रकार के कर लगाए हैं और आगे भी लगाएंगे, तो देश राजनीतिक रूप से विभक्त तथा आर्थिक रूप से बरबाद हो जाएगा। हम जो केवल 2 प्रतिशत

हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। हमें उन पर कर लगाने हैं। बिना उन पर कर लगाये हम अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकते। यही समय है कि हम इसे समझें। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या यह समझ से बाहर है कि भाड़े में वृद्धि के बाद हाई स्पीड डीजल में कमी ही लोगों को संतुष्ट कर सकती है? क्या सदन का कोई भी पक्ष इससे सहमत है। हाई स्पीड डीजल क्या है? आपको पेट्रोल पर कोई रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। हाई स्पीड डीजल क्या है और इसका क्या इस्तेमाल होता है? यह बसों द्वारा यात्रियों को ले जाने में प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा यात्रियों को और सामान को अधिक मात्रा में ले जाता है, देहातों में इसका प्रयोग डीजल इंजनों में किया जाता है। आप कह सकते हैं कि आप इसकी मूल्य वृद्धि में कुछ राहत देने में असमर्थ है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है आप यही कहेंगे। मेरा कहना है कि इन कठोर उपायों को अपना कर आप संसाधनों का सृजन कर सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपको आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी है। राज्य सरकार को राज्य परिवहन के लिए राज सहायता देनी है तथा इन सब चीजों से घाटा होगा। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव को कम कीजिए।

महोदय, आपका धन्यवाद कि आप यहां नहीं थे न तो आपने घंटी बजायी और न मैंने इसे सुना। आपके साथ समझौता नहीं हुआ था। पूर्व सभापति के साथ समझौता हुआ था कि जब वह घंटी बजाएंगे तो मैं रुक जाऊंगा और जब मैं बोलना जारी रखूंगा तो वह घंटी नहीं बजाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से 6.30 म० प० पर मन्त्री महोदय के बोलने की आशा थी परन्तु मेरे पास कुछ नाम हैं, मैं सोचता हूं कि उन्हें अनुमति दे दी जानी चाहिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : तय यह हुआ था कि 6.30 म० प० तक चर्चा पूरी हो जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु इस पक्ष के सदस्य नहीं बोल पाए हैं—यदि सभा की सहमति हो तो वे बोल सकते हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : हम इसमें सहायता नहीं कर सकते। हम चर्चा समाप्त कर देंगे। मन्त्री को जवाब देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा ही हो रहा है। कल मैं खड़ा तो आपने बोला कि·····

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको टाइम दूंगा, 5 मिनट बोलना आप।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : हमने बहुत से नाम दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम उन्हें थोड़ी देर तक बोलने दे सकते है। वित्त मन्त्री 7.00 म० प० पर बोलना शुरू कर सकते हैं। अन्यथा यदि वे राजी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० उपेन्द्र : यह तय हुआ था कि मन्त्री 6.30 म० प० पर जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें थोड़ी देर बोलने दीजिए। परन्तु सदस्यों को दिए हुए समय का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

अब तो सब लोगों ने एग्री कर लिया न।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री नरसा रेड्डी बोलें—केवल 5 मिनट।

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का यह अवसर प्रदान कर रहे हैं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कल ही मूल्य वृद्धि के संबंध में एक भाषण दिया था। उन्होंने बड़ी सावधानीपूर्वक विगत सरकार पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार के कारण ही इतना अधिक वित्तीय घाटा और व्यय हुआ था और वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। मैं इस तथ्य की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री महोदय टेलीफोन शुल्क में 600 करोड़ रुपए वृद्धि, जो उन्होंने विगत बजट में की थी, को जानबूझकर भूल गए। इससे पहले कांग्रेस सरकार की निंदा की गई थी कि उन्होंने इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले ही इसमे वृद्धि कर दी थी। अब संचार मंत्रालय द्वारा यही कार्य किया गया था। संसद को सूचित किए बिना उन्होंने इसमें वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त, रेल किराए में 800 करोड़ रुपये और डाक दरों में 207 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि पेट्रोल में 1 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 75 पैसे प्रति लीटर की दूसरी वृद्धि की गयी। इसका आम आदमी पर बोझ बढ़ गया। प्रत्यक्ष कर का बोझ बढ़ कर लगभग 3,480 करोड़ रुपए हो गया। परन्तु वित्त मन्त्री महोदय ने बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए जिन रियायतों की घोषणा की है वे पर्याप्त नहीं हैं। मैं श्री पालकीवाला को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने निम्नलिखित बात की है :

> "भारत के सार्वजनिक जीवन में वित्त मन्त्री प्रो० मधु दंडवते, जैसे लोग बहुत कम हैं। हमारे अधिकांश राजनीतिज्ञों की, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके दिमाग उनके प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के अर्धविकसित क्षेत्रों की तरह हैं, तुलना में अधिक विकसित है।"

इसलिए वित्त मन्त्री महोदय ने सभा को शब्द जाल द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यों के कारण ही आज मुद्रास्फीति बनी हुई है।

जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है, उनके सहयोगी दल वामपंथी मोर्चा को रैलियां करनी पड़ी थीं तथा उन्होंने आज के समाचार पत्रों में शिकायत की है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जहां तक वित्त मन्त्री महोदय का संबंध है, उन्होंने कहा कि वह कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके; इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी खर्च को कम करके अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा। वह सरकारी खर्च को किस प्रकार कम करेंगे ? उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह गैर योजना व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। उन्होंने कहा है कि

उन्होंने कठोर उपाय करने के निर्देश दे दिए हैं। जब वित्तीय परेशानी होती है तो प्रत्येक वित्त मंत्री इसी प्रकार के घिसे पिटे भाषण देते हैं कि कठोर कदम उठाये जायेंगे तथा गम्भीर उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय में वृद्धि न हो। हाल ही 'चेंबर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री' द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि रोजगार खोजने वालों की संख्या में प्रति वर्ष 4.3 प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई थी, बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए विकास दर 6 प्रतिशत हो। वित्त मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह क्या उपाय करेंगे ? इसलिए वर्तमान मुद्रास्फीति की वृद्धि का कोई अन्त दिखाई नहीं पड़ता। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।

लगभग दो लाख से अधिक रुग्ण एककों के बारे में वित्त मन्त्री का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बेरोजगारी न हो तो इन रुग्ण उद्योगों को पुन: चालू करना आवश्यक है।

हमने इस संसद में और इसके बाहर सरकार से यह नहीं सुना है कि वे क्या कार्यवाही करेंगे क्योंकि इन रुग्ण एककों में करोड़ों रुपये की राशि का निवेश करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ अन्य रुग्ण उद्योगों की तरफ ध्यान दिया है जिनमें कम राशि का निवेश अन्तर्ग्रस्त है। इसलिए जब तक वित्त मन्त्री और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार स्पष्ट रूप से कुछ उपाय नहीं करेगी तब तक मैं नहीं सोचता कि बेरोजगारी अथवा मुद्रास्फीति को कम नहीं किया जा सकेगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, समय की कमी को देखकर मैं दो-तीन बातें संक्षेप में कहना चाहूंगा कि दो दिसम्बर को जब नई सरकार गठित हुई और मधु दंडवते जी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन सरकार के बजट के बाद आज जब फाइनेंस बिल, इन वित्तीय प्रावधानों को अन्तिम रूप देने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए सदन के सम्मुख है, तो यकीनन न केवल हम दिक्कत में हैं बल्कि इस सरकार की मदद करने वाले लोग भी दिक्कत में हैं इस फाइनेंस बिल का समर्थन वे किस प्रकार करें।

इतिहास में ऐसे केवल दो मौके आये हैं अब न केवल रुपये का मूल्य बहुत तेजी से गिर रहा है बल्कि कीमतें भी तेजी के साथ आसमान छू रही हैं। ऐसे मौके 1967 और 1989 में आये और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय दंडवते जी जैसे व्यक्ति वित्त मंत्री हैं, तब भी ये दोनों स्थितियां हमारे देश में आने जा रही है। इसका कारण यह है कि माननीय दंडवते साहब ने उन चीजों के जरिए पैसा लेने की कोशिश की है, जिन पर टैक्स लगाने से, ड्यूटी रेट बढ़ाने की वजह से कीमतें निश्चित तौर पर प्रभावी हुई हैं। इनमें से डीजल, पैट्रोल और टायर का जिक्र हमारे मित्र ने किया। मैं माननीय दंडवते साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि आज आपके सामने यह अन्तिम मौका है कि आपने डीजल, पैट्रोल और टायर पर जो अनावश्यक रूप से टैक्सों की वृद्धि की है, उसको वापस लें और यदि आज आपने इस अन्तिम मौके को खो दिया तो यकीन कीजिए कि आपके ऊपर विश्वास रखने का भी इस जनता के लिए यह अन्तिम मौका है, जनता भी अपना विश्वास आप पर से खो देगी।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि डीजल, पैट्रोल और अन्तर्देशीय लिफाफों के दामों को घटाने के विषय में आप विचार करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं—एक तो यह है कि इन कम्पनियों के विषय में, प्राइवेट कम्पनियां जिस समय लाइसेंस लेती हैं उस समय अपना एक्सपोर्ट ओब्लीगेशन बहुत बढ़ा करके दिखाती हैं, लाइसेंस लेते वक्त ये प्ली दिया जाता है कि हम इतनी मात्रा अपने प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत कम कम्पनियां ऐसी हैं जो अपने इस एक्सपोर्ट ओब्लीगेशन को पूरा करती हैं। यदि सरकार कड़ाई के साथ ऐसी कम्पनियों को कहे कि वे अपने एक्सपोर्ट ओब्लीगेशन को पूरा करें तो बहुत हद तक हम विदेश मुद्रा कमा सकते हैं और हमारे पास इस समय जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इमबैलेन्स हैं, वह भी दूर हो सकता है।

दूसरा सुझाव मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सिगरेट इंडस्ट्री के विषय में देना चाहता हूं और सिगरेट पर जो ड्यूटी लगाई जाती है, उसके विषय में बताना चाहता हूं, जो लेंग्थ पर आधारित होती हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि चाहे सस्ती सिग्रेट हो या महंगी सिग्रेट हो, केवल लंबाई के आधार पर ड्यूटी चार्ज की जाती है। अच्छा होता यदि जहां पर स्पेसिफिक रेट आफ ड्यूटी लगाते हैं, वहां पर ड्यूटी सिग्रेट की कास्ट के आधार पर लगाएं। इस तरह से महंगी सिग्रेट जैसे विल्स नेवी कट, फोर स्क्वायर, इंडिया किंग्स, चांसलर आदि से आप करोड़ों रुपया ले सकते हैं, करोड़ों रुपया डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन दुख का विषय है कि केवल इसलिए इन पर ड्यूटी कास्ट के आधार पर नहीं लगाई जाती, क्योंकि बहुधा यह सुझाव दिया जाता है कि इसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें ड्यूटी डिटर माइन करने के विषय में खड़ी हो जाएंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जहां स्पेसिफिक रेट आफ ड्यूटीरखें वहां पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को भी इंपोज करें, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए मिल सकते हैं।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ऋण माफी के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। बहुत से साथियों ने खासकर कम्यूनिस्ट मित्रों ने इस विषय में बहुत अच्छी बातें कहीं हैं। एक तो यह कि ऋण माफी के लिए कौन क्वालीफाई करेगा, यह ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में छोड़ दिया गया है। अच्छा होता यदि वित्त मंत्री जी आर्थिक आधार पर, किसकी कितनी इनकम है, जमीन की कितनी होल्डिंग है, इस को ऋण माफी का आधार माना जाता। इसमें आई० आर० डी० पी० के बेनिफिशरीज, जिन्होंने रोजगार गारंटी योजना के तहत ऋण लिया है और उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता, छोटे-छोटे आर्टिजन्स जिन्होंने उद्योग विभाग और दूसरे विभागों से ऋण लिया है, उनको भी इसका लाभ मिलता, लेकिन दुख का विषय है कि यह सुझाव बजट पर चर्चा के समय भी दिया गया था, उस समय भी इसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन आज फाइनांस बिल पेश करते वक्त जिस तरीके से, जिस स्ट्रक्चर का यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है, उसके अंतर्गत मैं समझता हूं कि एक वर्ग ऐसा है जिसको छूट का लाभ मिलना चाहिए, ऋण माफी का लाभ मिलना चाहिए था, उसको यह लाभ नहीं मिल पाएगा।

अंत में एक बार फिर वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके लिए यह अंतिम मौका है इस बात का कि मूल्य वृद्धि पर कंट्रोल करने के विषय में इन्डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ रूझान पर कंट्रोल करें और पेट्रोल और डीजल पर जो दाम बढ़ाए गए हैं, उन दामों को घटाने की घोषणा करने का कष्ट करें।

.[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री जवाब देंगे।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार स्पष्टतः व्यक्त किए हैं ।

महोदय, आपको याद होगा कि मैंने अनेक बार बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में भाषण दिया है— पहली बार बजट प्रस्तुत करते समय, उसके बाद सामान्य चर्चा का जवाब देते समय मैंने हस्तक्षेप किया था और मूल्य वृद्धि के बारे में कहा था, और एक बार पुनः वित्त विधेयक सम्बन्धी चर्चा शुरू करते समय मैंने व्यापक वक्तव्य दिया था ।

मैं अपनी बात बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं । मैं इस सभा के दोनों पक्षों के अपने साथियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस चर्चा के दौरान उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें उनके साथी, जो सामान्य बजट और अन्य अवसरों पर, जैसे मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा के दौरान पहले भी उठा चुके हैं । अतः मैं उन बातों को पुनः कहना नहीं चाहता । परन्तु जिन्होंने इस सदन में हमारे समर्थकों की आलोचना करने तथा उनसे उपहासपूर्ण तरीके से यह कहने का प्रयत्न किया था कि आप बजट की आलोचना कर रहे हैं परन्तु इसी के साथ-साथ आप सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं, तो मैं विपक्ष के अपने सभी मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि वामपंथी सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी जो हमें समर्थन दे रही है, वे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समर्थक हैं, सरकार के चापलूस नहीं हैं । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा इस प्रकार यह उनका नैतिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व है कि वे अपनी आत्मा के अनुसार ही बात कहें और उन्होंने अपने अधिकार का ठीक ही प्रयोग किया है तथा इस बजट के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में ठीक आलोचनात्मक टिप्पणी की है ।

जिन व्यक्तियों ने मुझे समाजवादी बताया है तथा यह कहा है कि मैंने उनकी आशाओं के अनुरूप काम नहीं किया है, मैं उन्हें अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि केवल एक समाजवादी व्यक्ति का ही यह विश्वास तथा धारणा नहीं है कि वही केवल नीति तथा बजट को समाजवादी बना सकता है बल्कि उसे कुछेक निश्चित तरीके से कार्य करना होता है जिसमें न केवल वित्त संबंधी बाधाएं होती हैं बल्कि निश्चित पद्धति सम्बन्धी भी कुछेक बाधाएं होती हैं । उदाहरण के लिए, यदि मैंने बजट को एक पूरी समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा हमारी अर्थव्यवस्था को समाजवादी पद्धति में प्रस्तुत किया होता तो उस मामले में बजट पूर्णतः भिन्न होता । चाहे हम इसे पसन्द करें अथवा नहीं, हमारे पास एक पद्धति है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र हैं तथा इस प्रकार की मिश्रित व्यवस्था, जिसमें उस पद्धति की भी अपनी कठिनाइयां और बाधाएं हैं तथा जिसमें वित्त सम्बन्धी अड़चनें भी हैं, जो हमें पूर्व सरकार से पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई हैं; आप इन सब बातों को इकट्ठा जोड़कर यह सोचने का प्रयत्न कीजिए कि किन उत्तरदायित्वों तथा बाधाओं के अन्तर्गत मुझे यह बजट तैयार करना पड़ा था। अतएव उस पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

जहां तक प्रत्यक्ष कराधान का सम्बन्ध है, एक सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि हमने एक छोटे स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि प्रत्यक्ष क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रों पर कर अधिक बढ़ाया जाना चाहिए तथा अन्य उसी के अनुरूप होने चाहिए । यहां पर मैं अपने उन सहयोगियों को, जो यह चाहते थे कि कर-छूट सीमा को और बढ़ाया जाए, पुनः यह बताना चाहूंगा कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये गणितीय तथा वित्तीय तथ्य हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता कि आय कर से छूट की सीमा 18,000 रुपए थी । जिस क्षण हम 100 रुपए के हिसाब से इस सीमा को बढ़ाते हैं, तो राजकोष को होने वाला कुल नुकसान 105 करोड़ रुपए के हिसाब से होगा ।

अतः यदि हम यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दें तो उस मामले में हमारा नुकसान 7×105 के हिसाब से होगा तथा यदि हम यह 30,000 रुपए कर दें तो 12×105 करोड़ रुपए के हिसाब से नुकसान होगा। विश्व के सभी उदारवादियों तथा सभी अर्थशास्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि जहां तक प्रत्यक्ष कर का सम्बन्ध है, आधार को और बढ़ाया जाना चाहिए। देश की कुल 80 करोड़ जनसंख्या में से केवल 75 लाख व्यक्ति ही आयकर दाता हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नियंत्रक महालेखाकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 41 लाख व्यक्ति आयकर दाता हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं समग्र स्थिति की बात कर रहा हूं। इस प्रकार की छूट के परिणामस्वरूप यदि हमने 22,000 रुपए तक यह छूट प्रदान कर दी है तो आप देखेंगे कि इसके अन्तर्गत एक करोड़ व्यक्ति इससे मुक्त हो गए हैं। इस आधार को ही और बढ़ाने के स्थान पर यह आधार वास्तव में और सीमित होता जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में भी प्रसन्न नहीं हूं। अतएव इस पक्ष को भी ध्यान में रखना है।

मेरे मित्र श्री मल्होत्रा ने कहा था कि उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 38,000 रुपए है। मान लीजिए कि उसकी बचत 6,000 रुपए है तब इस पहले वाले मामले में उसे कितना कर अदा करना होगा ? कुल 36,000 रुपए की आय में से 12,000 रुपए की मानक कटौती की जाती है। अतः 26,000 रुपए बचते हैं, उसमें से 6,000 रुपए कम कर दीजिए तो 20,000 रुपए शेष बचते हैं। पहले कर-छूट सीमा 18,000 रुपए थी। अतएव ,000 रु० पर ही कर लगेगा। उसे 400 रुपए कर के रूप में देने पड़ते। नई स्थिति में 38,000 रुपए में से 12,000 रुपए मानकी कटौती घटाने पर 26,000 रुपए शेष बचते हैं। आठ सौ रुपए कर होगा, 1200 रुपए घटा दिया गया तो कराधान शून्य हो जाएगा। इसलिए जो वास्तव नौकरी में है···।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप विगत वर्ष की छूट की सीमा की चर्चा कर रहे थे जो कि 18,000 रुपए थी। यदि छूट की सीमा 22,000 रुपए रहती है और तब इसे जोड़ते हैं तो उसे 600 रुपए की हानि होती है। मेरा यह कहना कि आप छूट की सीमा बढ़ा दें और तब पिछले वर्ष के फार्मूला को लागू करें और इसकी तुलना इस वर्ष के फार्मूला से करें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी बात समझ गया। मैं केवल तुलना कर रहा हूं जो परिवर्तन पद्धति में बदलाव लाने के बाद होंगे।

मैं अपने मित्रों तथा विशेषकर विपक्ष में बैठे सदस्यों को यह बता दूं कि करारोपण तथा शुल्कों को लागू करते समय मैंने विशेषकर उन वस्तुओं को चुना है जिसकी अधिक खपत धनी वर्ग द्वारा की जाती है। उस पर हमें अधिक शुल्क लगाना है। चूंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं इसलिए मुझे कुछ छूट के साथ पेट्रोलियम उत्पादों पर भी कर लगाना पड़ा है। आपके सामने जो स्पष्ट है वह यह है कि पेट्रोलियम और डीजल पर शुल्क बढ़ने से केवल अमीरों की मोटर गाड़ियों पर ही शुल्क नहीं बढ़ेगा और न ही केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों और सरकारी वाहनों को यह खर्च बर्दाश्त करना होगा बल्कि समस्या यह है कि जब तक हम अपने संसाधनों को संकलित करने योग्य नहीं होते, घाटे की अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती थी, जैसाकि मैंने इस विशेष मामले में किया है। अगले बजट को प्रस्तुत करते समय, चाहे जो भी उसे प्रस्तुत करे—उन्हें निश्चय ही इस बात पर ध्यान देना होगा कि ऐसे प्रयास एक ही बार किए जा सकते हैं और यह बार-बार नहीं दुहराया जा

सकता । चाहे जो भी विकृति आयी हो, हमें दूसरी बार में उन खामियों और विकृतियों को दूर करना होगा निस्संदेह वित्त विधेयक को पेश करने के समय ऐसा करना जल्दबाजी है और इसलिए मुझे मजबूर होकर यह करना पड़ा ।

जहां तक विधेयक की विभिन्न विशिष्टताओं का प्रश्न है, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता फिर भी मैं कुछ विशिष्टताओं को आपके सामने रखना चाहता हूं । जहां तक सहकारिताओं का प्रश्न है चाहे वह उपभोक्ता सहकारिता हो या उत्पादक सहकारिता, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैं चाहूंगा कि हमारे मित्रों को विश्व में इसकी विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए । एक साम्यवादी प्रणाली और एक सामाजिक जनतांत्रिक प्रणाली है । एक पूंजीवादी प्रणाली है । कुछ स्कैन्डिनेवियन देशों में भी सहकारिता क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है । विश्व के विभिन्न हिस्सों में सहकारी अर्थव्यवस्था का एक लाभ है । विश्व में जहां कहीं भी सहकारी आंदोलन और सरकारी क्षेत्र सफल हुआ है वहां आप देखेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम के अंतर को न्यूनतम सीमा तक कम कर दिया गया है । यहां तक कि जो समानता पूंजीवादी समाज में नहीं होती यहां तक कि, यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो, साम्यवादी समाज में भी वैसी समानता नहीं होती है जैसाकि स्कॅंडिनेवियन देशों में समानता का स्तर है जहां कि वास्तव में सहकारिता आंदोलन सफल हुआ है । इसलिए मेरा यह मत है कि यदि समतावाद को इस देश में सफल होना है तो जीवन के हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना होगा और इसी विचार से सहकारिता आंदोलन से लाभ प्राप्त करने के लिए उसे हमने भी कुछ लाभ दिए हैं ।

जहां तक चाय का सवाल है, सदन के सभी लोगों की इस बारे में चिंता है । परिणामतः जहां एक तरफ हमने अपने मित्र देश सोवियत संघ को चाय निर्यात अवरुद्ध कर दिया है, और उन्होंने हमारी बात को मान लिया है, उसके साथ ही हम यह महसूस करते हैं कि चाय उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन देना होगा । चाय उद्योग पर केन्द्र और राज्य द्वारा निगम कर के अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है । चाय की खेती, उत्पादन और व्यापार के कर दाताओं की आय पर संबंधित राज्य द्वारा 60 प्रतिशत कृषि कर लगाया जाता है । अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए निवेश में प्रोत्साहन का लाभ जो अन्यों को नहीं मिला, आरम्भ में चाय को भी यह लाभ नहीं मिला । लेकिन हमने कुछ संशोधन किए हैं जिससे चाय के उत्पादन और उपभोक्ता चाय प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके ।

अब, मैं अन्तर्निगमित लाभांश पर कराधान की चर्चा कर रहा हूं । राज्य वित्तीय संस्थानों को राज्य वित्तीय निगमों और औद्योगिक निवेश निगमों के समतुल्य लाने के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत किया गया है ।

हमने उन लाभों को और भी उदार बनाने का प्रयास किया है जिससे शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति को वास्तव में लाभ मिल सके । सदन में उपस्थित कई लोगों ने उन कड़ी शर्तों की कटु आलोचना की है जिसका शारीरिक तौर पर विकलांग बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों को सामना करना पड़ता है । हमने उन शर्तों को हटा दिया है । हमारा यह भी प्रयास रहा कि लाभ के दायरे को व्यापक बनाया जाए । भारतीय शिपर्स ब्यूरो के साथ कुछ समस्याएं थीं और हमने उसे भी दूर करने का प्रयास किया है । ग्रामीण विकास कार्यों के लिए दान के संबंध में कानून में कुछ परिवर्तन किया जाना है । हम विभिन्न ग्रामीण संगठनों और कंपनियों से संपर्क करने वाले हैं ताकि यह देख सकें कि किस तरह क्रमिक परिवर्तन लाया जा सकता है और दी गई सहायता से ग्रामीण विकास के उद्देश्य को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं ।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस देश के मछेरे भी एक महत्वपूर्ण श्रमजीवी समुदाय है। जिस प्रकार कर माफी का लाभ किसानों, कारीगरों, बुनकरों को दिया गया है, हमने अपने अन्तिम मसौदे में मछेरों को भी उसी समुदाय का अभिन्न अंग मान लिया है और देश के लाखों-लाख मछेरों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्ज माफी कार्यक्रम का लाभ मिल सकेगा। हम अभी तक पेट्रोल और डीजल ढांचे में भी पूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। लेकिन वे मछेरे मछली पकड़ने के लिए छोटी नौकाओं का उपयोग करते हैं। उनके पास कम अश्व-शक्ति वाली छोटी नौकाएं हैं और इसके लिए वे डीजल हमेशा मछुआरा सहकारी समिति से प्राप्त करते हैं और यदि हम एक वर्ग विशेष के लिए डीडल पर शुल्क माफ कर दें तो सभी प्रकार के गोरखधंधों को बन्द किया जा सकता है लेकिन यह पता ही नहीं चल सका है कि क्या वह वर्ग डीजल खरीदता है। लेकिन जहां तक मछुआरों का सम्बन्ध है वे पेट्रोल और डीजल मछुआरा सरकारी समिति से खरीदता है और इसलिए हमारी व्यवस्था में यह स्पष्ट है कि वे मछुआरे जो मछुआरा सहकारी समिति से अपनी छोटी नौकाओं के लिए डीजल खरीदते हैं उन्हें शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

हमने कृषकों के लिए, कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमीनियम पात्रों पर भी राहत दी है पी० टी० ए० और डी० एम० टी० के उत्पाद शुल्क, जोकि समाचार पत्रों में एक मुद्दा बन गया था, उसके उत्पाद शुल्क को समान करने का प्रयास किया गया है। हमने पूंजीगत माल के निवेश को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अन्त में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब मैंने पहली बार किसानों के कर्ज माफी के बारे में कहा था तो कई माननीय सदस्यों ने विशेषकर विपक्ष के कुछ मित्रों ने आलोचना की थी। जबकि हम सीमांत किसानों और अन्यों के द्वारा लिए गए छोटे कर्जों का माफ करने का समर्थन करते हैं। हम 'कुलकों' को यह लाभ प्राप्त करने का मौका नहीं देते। मैं इस भावना से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन माननीय सदस्य ने उस तरीके का जिक्र किया है जिसके तहत हमने इस योजना को पुनः तैयार किया। हमने कहा है कि केवल 10,000 रुपए से कम का कर्ज ही माफ नहीं किया जाएगा बल्कि उस कर्ज की राशि भी 10,000 रुपए से कम की होनी चाहिए। यदि कोई किसान या जमींदार एक लाख रुपए का ऋणी है और यदि वह यह कहे कि उस राशि में उसे दस हजार रुपए माफ कर दिए जाएं तो यह नहीं हो सकता। कर्ज की सीमा 10,000 रुपए होगी और केवल उन्हीं को कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होने उससे कम राशि का कर्ज लिया है—मैं नहीं समझता कि 'कुलक' 2000 या 3000 रुपए का कर्ज लेता है—जो उसे माफ किया जाए। अतः अप्रत्यक्ष रूप से हमने 'कुलकों' को भी अलग कर दिया है। हमने वास्तव में मछुआरों को इसमें सम्मिलित कर किया और इसकी खामियों को दूर करने का प्रयास किया है। कई सदस्यों ने कहा है कि जानबूझ कर चूक करने वालों की पहचान का काम सरकारी कर्मचारियों पर न छोड़ें। इसलिए हमने "आनंदवारी" प्रणाली को स्वीकार किया है और जहां तक दूसरों का संबंध है, हम थोड़े भी विवाद में नहीं पड़े हैं और इस प्रकार कर्ज राहत के क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है। कर्ज माफी के द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त करना वह उद्देश्य पूरा हुआ है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सभी राज्यों, निगमों और केन्द्रीय क्षेत्र के बैंकों पर लागू होगा। मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह दावा करते हैं कि यह केन्द्र का उत्तरदायित्व है, मैं अपने मित्रों को बता दूं कि जब हम संसद का आम चुनाव जीते—तो कई राज्य विधान सभाओं ने हमसे मुकाबला करने के लिए संकल्प पारित किया था—हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि दस हजार रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। देश के कुछ विधान सभाओं ने घोषणा की थी कि 10,000, 13,000, 16,000 और इस प्रकार

और भी अधिक रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अब जब लागू करने का प्रश्न आता है, तो हमारा कहना है कि जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, हम उसकी शत प्रतिशत जिम्मेवारी लेते हैं। जहां तक राज्यों का संबंध है सहकारी ऋण में हम 50 प्रतिशत की जिम्मेवारी लेते हैं और 50 प्रतिशत की जिम्मेवारी राज्य पर है। मैं वादा करता हूं कि यदि सभी गैर-कांग्रेस सरकार वाले राज्य इस जिम्मेवारी को वहन करने को तैयार हैं तो उन्हें चुनौती का सामना करने दिया जाए—हम उनसे वार्ता करने का प्रयास करेंगे और उनकी सभी समस्याओं का समाधान का प्रयत्न करेंगे। हम उनकी हर संभव सहायता करेंगे लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए।

मैं इन सभी पहलुओं के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि अनेक मुद्दे जिन्हें इससे पूर्व उठाया गया था, उनका उत्तर भी सामान्य चर्चा में दिया जाना है। मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में हुई ये मैंने मूल्य-वृद्धि का बचाव करने का प्रयत्न किए बिना सरकार का पक्ष रखने का प्रयत्न किया था। मैंने कहा था कि मूल्य-वृद्धि से हम अपनी नीति से अलग हो गए हैं। (व्यवधान) कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

मैं नहीं चाहता कि मूल्य-वृद्धि से संबंधित प्रश्न पर ध्यान न दिया जाए तथा इसीलिए मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि जिन कठिनाइयों में इस बजट विशेष को तैयार किया गया है, इस बजट पर चर्चा के दौरान सदन के सभी सदस्यों ने काफी उदारता का व्यवहार किया था तथा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ मुद्दों पर आपको असहमति हो सकती है; तथा मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि कांग्रेस दल के एक सदस्य डा० देबी प्रसाद पाल ने यह सही कहा था कि अधिकांश सदस्यों ने सामान्य बजट के संबंध में चर्चा की है परन्तु वह वित्त विधेयक पर ध्यान देना पसन्द करेंगे तथा वह ऐसे सदस्य थे जिन्होंने वित्त विधेयक संबंधित चर्चा पर ध्यान दिया था। मेरा उनसे कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है परन्तु मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने विधेयक के प्रावधानों पर ध्यान दिया तथा कुछेक सुझाव भी दिए। हम सभी सुझावों को ध्यान में रखेंगे तथा संभवतः वर्ष के दौरान हम अधिसूचनाओं के माध्यम से कुछेक परिवर्तन कर सकते हैं तथा बाद में हम कुछेक नीति संबंधी निर्णय भी ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से सभी रचनात्मक आलोचना, जो दोनों पक्षों द्वारा की गई हैं, जो मेरे दल के सदस्यों तथा सरकार का समर्थन करने वाले दलों द्वारा की गई हैं, उनको ध्यान में रखेंगें तथा किसी दल के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखेंगे। मैं सभी सुझावों को ध्यान में रखूंगा तथा धीरे-धीरे हम कुछेक नीति संबंधी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे जिससे कि जहां तक आपकी इन आलोचनाओं का संबंध है, आप अपने आपको संतुष्ट कर सकेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर सदन अपनी स्वीकृति दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्त सम्बन्धी प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ होगा।

खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं खंड 2 सभा के मत के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3—भाग 2 में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3 में सरकार द्वारा संशोधन सं० 59 रखा गया है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 20 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

(क) विद्यमान उपखंड (vक) को उपखंड (vघ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपखंड (v घ) के पहले निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

"(v क) कोई ऐसी राशि जो धारा 28 के खंड (iii क) के अधीन आय-कर से प्रभार्य है।"

(ख) उपखंड (v क) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1967 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

"(v ख) कोई ऐसी राशि जो, धारा 28 के खंड (iii ख) से अधीन आय-करसे प्रभार्य है।"

(ग) उपखंड (vख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1972 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

"(vग) कोई ऐसी राशि जो धारा 28 के खंड (iii ग) के अधीन कर से प्रभार्य है।" (59)

(प्रो० मधु दंडवते)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एस० राव, आपने संशोधन संख्या 78, 79 तथा 80 की सूचना दी है। क्या आप उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 20—

"1 अप्रैल, 1962" **के स्थान पर**

"1 अप्रैल, 1991" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (78)

पृष्ठ 4, पंक्ति 23,—

"1 अप्रैल, 1967" के स्थान पर

"1 अप्रैल, 1991" प्रतिस्थापित किया जाए। (79)

पृष्ठ 4, पंक्ति 27,—

"1 अप्रैल, 1972" के स्थान पर

"1 अप्रैल, 1991" प्रतिस्थापित किया जाए। (80)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० एस० राव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 78, 79 और 80 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 78, 79 और 80 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 क

नियम 80 (एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खंड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त विधेयक, 1990 में सरकारी संशोधन संख्या 60* में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किए जाने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खंड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त विधेयक, 1990 में सरकारी संशोधन संख्या 60* में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किए जाने की अनुमति दी जाए।" (76)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ, पंक्ति 33 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

"3क. आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (1) के उपखंड (ग) में स्पष्टीकरण के खंड (क) में 'जो शब्द के पश्चात' वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (18) में यथापरिभाषित भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में या "शब्द, अंक और कोष्ठक, अन्तःस्थापित किए जाएंगे।" (60)

(प्रो॰ मधु दंडवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3क विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 पर चर्चा करेंगे। क्या श्री के॰ एस॰ राव संशोधन संख्या 81 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री के॰ एस॰ राव : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गंड 5 पर विचार करेंगे। क्या श्री के॰ एस॰ राव संशोधन सं॰ 82, 83 और 84 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री के॰ एस॰ राव : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 6 से 8 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 8 (क)

नियम 80 (एक) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

प्रो॰ मधु दंडवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खंड की विषयवस्तु से संगत संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त विधेयक, 1990 में सरकारी संशोधन संख्या 61 में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किए जाने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा उस खण्ड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त विधेयक, 1990 में सरकारी संशोधन संख्या 61 में इसके लागू होने का संबंध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किए जाने की अनुमति दी जाये।" (77)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु दण्डवते आप संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत कर सकते हैं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें,—

"8क. आय-कर अधिनियम की धारा 33कख के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 1991 से रखी जाएगी, अर्थात :—

"33कख (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार करता है, पूर्व वर्ष के अन्त से छह मास के अवसान के पूर्व या अपनी आय की विवरणी देने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय बैंक के पास किसी खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विशेष खाता कहा गया है) जो निर्धारिती द्वारा उस बैंक के पास चाय बोर्ड द्वारा इस निमित अनुमोदित स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रखा गया है, कोई रकम या रकमें जमा की हैं वहां निर्धारिती को, इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कटौती (जो कटौती पूर्ववर्ती वर्षों से अग्रनीत किसी हानि, यदि कोई हो, के धारा 72 के अधीन मुजरा किए जाने के पूर्व अनुज्ञात की जाति है),—

(क) इस प्रकार जमा की गई रकम या रकमों के योग के बराबर राशि की, या

(ख) ऐसे कारबार के लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि की, (इस धारा के अधीन कोई कटौती करने के पहले "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित),

इनमें से जो भी कम हो,अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसा निर्धारिती कोई फर्म है या कोई व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय है, वहां इस धारा के अधीन कटौती, यथास्थिति, किसी

भागीदारी या ऐसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के किसी सदस्य की आय की संगणना करने में अज्ञात नहीं की जाएगी ।

परन्तु यहां और कि जहां विशेष खाते में जमा की गई किसी रकम के संबंध में कोई कटौती किसी पूर्व वर्ष में इस उपधारा के अधीन अनुज्ञात की गई है वहां किसी अन्य पूर्व वर्ष में ऐसी रकम के संबंफ में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए, निर्धारिती के ऐसे कारबार के खाते की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार ने संपरीक्षा नहीं कर ली है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नहीं दे देता है ।

परन्तु ऐसे मामले में जहां निर्धारिती से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने लेखाओं को संपरीक्षा कराना अपेक्षित है, जहां इस उपधारा के उपबन्धों का उस दशा में पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा निर्धारिती उस विधि के अधीन ऐसे कारबार के लेखाओं की संपरीक्षा करा लेता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन यथाअपेक्षित संपरीक्षा की रिपोर्ट तथा इस उपधारा के अधीन विहित प्ररूप में एक और रिपोर्ट दे देता है ।

(3) विशेष खाते में निर्धारिती के नाम जमा कोई रकम, स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए या नीचे विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही निकालने के लिए अनुज्ञात की जाएगी, अन्यथा नहीं—

(क) कारबार का बन्द होना;

(ख) निर्धारिती की मृत्यु;

(ग) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब का विभाजन;

(घ) फर्म का विघटन;

(ङ) कंपनी का परिसमापन ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग में लाई गई किसी रकम के सम्बन्ध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी—

(क) कोई मशीनरी या संयंत्र जिसे किसी कार्यालय, परिसर या निवास-स्थानों, जिसके अन्तर्गत अतिथिगृह की प्रकृति का कोई निवास-स्थान भी है, प्रतिष्ठापित करना है;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र, (जिनमें कम्प्यूटर नहीं है);

(ग) कोई मशीनरी या संयंत्र जिसका कुल वास्तविक लागत (चाहे अवमूल्यन के रूप में या अन्यथा) किसी एक पूर्व वर्ष के "कारबार या वृद्धि के लाभ और अभि-

लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में, कटौती के रूप में अनुज्ञात है;

(घ) कोई नई मशीनरी या संयंत्र, जिसे ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में प्रतिष्ठापित करना है।

(5) जहां किसी विशेष खाते में निर्धारिती के नाम जमा कोई रकम, उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट परिस्थिति में निर्धारिती द्वारा किसी पूर्व वर्ष के दौरान निकाल ली जाती है वहां ऐसी संपूर्ण रकम को उस पूर्व वर्ष के कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और वह तदनुसार उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो कि, यथास्थिति, कारबार बंद नहीं हुआ था या फर्म का विघटन नहीं किया गया था।

(6) जहां किसी विशेष खाते में निर्धारिती के नाम जमा कोई रकम, स्कीम के अनुसार ऐसे कारबार के संबंध में किसी व्यय के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग में लाई जाती है वहां ऐसा व्यय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(7) जहां किसी विशेष खाते में निर्धारिती के नाम जमा कोई रकम, जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए स्कीम के अनुसार उपयोग में लाए जाने के लिए निर्मुक्त की जाती है, और उसका उस पूर्व वर्ष के भीतर पूर्णतः या भागतः उपयोग में नहीं लाई जाती है तो, यथास्थिति, ऐसे संपूर्ण राशि या उसका भाग जो उपयोग में नहीं लाया गया है, कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परन्तु यह उपधारा उस मामले में लागू नहीं होगी जहां ऐसी रकम उपधारा (3) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में खाते के बंद किए जाने पर किसी पूर्व वर्ष के दौरान निर्मुक्त की जाती है।

(8) जहां स्कीम के अनुसार अर्जित किसी आस्ति का उस पूर्व वर्ष के अन्त से, जिसमें उसे अर्जित किया गया था, आठ वर्ष के अवसान के पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को किसी पूर्व वर्ष में विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है वहां ऐसी आस्ति की लागत का वह भाग जिसका संबंध उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौतियों से है, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उस आस्ति का विक्रय या अन्यथा अन्तरण किया जाता है, कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी :—

(i) जब निर्धारिती द्वारा आस्ति का विक्रय या अन्यथा अंतरण सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उस के अधीन स्थापित किसी निगम, या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को किया जाता है; या

(ii) जहां आस्ति का विक्रय या अन्तरण फर्म द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति में किसी कम्पनी द्वारा ऐसी फर्म के उत्तराधिकार के संबंध में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म उस कम्पनी को किसी आस्ति का विक्रय या अन्यथा अन्तरण करती है और वह स्कीम उस कम्पनी को उसी रीति में लागू रहती है जिसमें वह फार्म को लागू थी।

स्पष्टीकरण :—परन्तुक के खंड (ii) के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब,—

(i) उत्तराधिकार के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी संपत्तियां कम्पनी की संपत्तियां हो जाती हैं;

(ii) उत्तराधिकार के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म के सभी दायित्व कम्पनी के दायित्व हो जाते हैं; और

(iii) कम्पनी के सभी शेयरधारक ऐसे उत्तराधिकार के ठीक पूर्व फर्म के भागीदार थे।

(9) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती उस तारीख के पश्चात्, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

(क) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

(ख) "चाय बोर्ड" से अभिप्रेत है चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड। (61)

(प्रो० मधु दंडवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 9 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालासाहिब विखे पाटिल—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 11 से 15 में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 से 15 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16—नई धारा 80 घघ का अन्तःस्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 18 में,—

"या सरकारी औषधालय" का लोप करें। (62)

पृष्ठ 7, पंक्ति 23-24 में,—

निम्नलिखित का लोप करें—"उसमें से पूर्व वर्ष के संबंध में ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् असुविधाग्रस्त आश्रित कहा गया है) आय के, यदि कोई हो, बराबर रकम को घटा कर,"। (63)

पृष्ठ 7, 25 से 27 का लोप करें। (64)

पृष्ठ 7, पंक्ति 29 और 30 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"जैसी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित की गई है, एक लाख रुपए से अधिक है।"

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी अस्पताल" पद के अन्तर्गत सरकार के किसी विभाग द्वारा सरकारी सेवकों और कुटुम्ब के सदस्यों की चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के लिए स्थापित और चलाया जा रहा कोई विभागीय औषधालय भी है चाहे वह पूर्णकालिक हो या अंशकालिक और किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित अस्पताल तथा कोई अन्य अस्पताल जिसके साथ सरकार ने सरकारी सेवकों के उपचार से लिए व्यवस्था की हो, भी है।(65)

(प्रो० मधु दंडवते)

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 11,—

"व्यक्ति" के पश्चात् "व्यक्तियों"

अन्तःस्थापित किया जाए। (85)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 13 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) यथास्थिति, उस व्यष्टि का/के नातेदार है/हैं या उस हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं और अपनी/उनकी संभाल या भरण-पोषण के लिए ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति पर आश्रित नहीं है/हैं, और" (86)

पृष्ठ 7, पंक्ति 13,—

"सदस्य हैं" के स्थान पर "सदस्य है/सदस्य हैं"

प्रतिस्थापित किया जाए। (87)

पृष्ठ, 7 पंक्ति 16,—

"पीड़ित है" के स्थान पर

"पीड़ित है/हैं" प्रतिस्थापित किया जाए। (88)

पृष्ठ 7, पंक्ति 22,

"अधीन रहते हुए", के पश्चात्

"प्रत्येक असुविधाग्रस्त व्यक्ति के संबंध में" अन्तःस्थापित किया जाए। (89)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 25 से 27 का लोप किया जाए। (90)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, श्री के० एस० राव द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं० 85 से 90 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 85 से 90 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 17 से 23 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 से 23 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24—धारा 80ड के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए

पृष्ठ 9, पंक्ति 28 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

"(i) किसी अनुसूचित बैंक या लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी की दशा में, किसी अन्य देशी कम्पनी से लाभांश के रूप में आय के साठ प्रतिशत के बराबर रकम की;

(ii) किसी अन्य देशी कंपनी की दशा में, लाभांश के रूप में उतनी आय को जो नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रथम उल्लिखित देशी कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।" (66)

पृष्ठ 9, पंक्ति 47 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें,—

(iii) "राज्य वित्तीय निगम" और "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम" का वही अर्थ है जो धारा 48ख में है; (67)

पृष्ठ 9, पंक्ति 48 में, "(iii)" के स्थान पर "(iv)" रखें। (68)

(प्रो० मधु दंडवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, यथा संशोधित विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 25 से 27 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 से 27 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 28—अध्याय 8 में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, क्या आप अपने संशोधन सं० 1, 2 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपने संशोधन सं० 4 से 8 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालासाहिब विखे पाटिल—उपस्थित नहीं हैं।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : उपस्थित नहीं हैं।

श्री के० एस० राव, क्या आप अपने संशोधन संख्या 91 से 97 प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 37 **के स्थान** पर निम्नलिखित **रखें**—

"(i) किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसा व्यष्टि या ऐसा अवयस्क जिसका कि वह संरक्षक है"

(69)

(प्रो० मधु दंडवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 29 और 30 में कोई संशोधन नहीं है। मैं दोनों खण्डों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 29 और 30 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 और 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 31—धारा 119 में संशोधन

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15, पंक्ति 40—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और खंड (ख) में [कोई आय-कर प्राधिकारी, जो उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) न हो]" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "[आय-कर सर्किल में

कोई आय-कर प्राधिकारी जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो]" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (98)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री के० एस० राव द्वारा प्रस्तुत खंड 31 में किए जाने वाले संशोधन सं० 98 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 98 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 32 से 47 में कोई संशोधन नहीं हैं। मैं सभी खंडों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 से 47 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 47 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 48—परिणामिक संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 17, पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

(ii) धारा 197क की उपधारा (1) में, "उसकी उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय आयकर के लिए न्यूनतम से कम होगी" शब्दों के स्थान पर उसकी उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की सगणना में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा" शब्द रखे जाएंगे। (70)

पृष्ठ 17, पंक्ति 36 में, "(ii)" के स्थान पर "(iii)" रखें। (71)

पृष्ठ 17, पंक्ति 38 में, "(iii)" के स्थान पर "(iv)" रखें। (72)

पृष्ठ 17, पंक्ति 40 में, "(iv)" के स्थान पर "(v)" रखें। (73)

(प्रो० मधु दंडवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 48, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 48, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 49 से 64 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 49 से 64 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49 से 64 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खंड 65 में संशोधन संख्या 9 दिया है। वह इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल—उपस्थित नहीं।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी—उपस्थित नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 65 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 66 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 66 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 66 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खंड 67 में संशोधन संख्या 10 दिया है। वह इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 67 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 68 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 68 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 69—1989 के अधिनियम 13 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 और 37 के स्थान परनिम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

(ख) धारा 42 की उपधारा (1) में,—

(i) "यदि ऐसी यात्रा के लिए किराया भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाता है तो", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (57)

(प्रो० मधु दण्डवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 69, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 69, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने खंड 70 में संशोधन संख्या 11 से 17 की सूचना दी है। वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल—उपस्थित नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा—प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी—उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 70 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 70 विधेयक में जोड़ दिया गया।

पहली अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने संशोधन संख्या 18 से 24 की सूचना दी है। वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल—उपस्थित नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ने संशोधन संख्या 35 से 37 की सूचना दी है। वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी उपस्थित नहीं हैं। अब सरकार ने जिस संशोधन का सुझाव दिया है वह है—

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 36 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है।	कुल आय का 10 प्रतिशत;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किन्तु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रति- जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3000 रुपए धन उस रकम का 35 प्रति-शत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है।" (74)

(प्रो० मधु दण्डवते)

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 29, पंक्ति 6—

"6 प्रतिशत" **के स्थान पर** "5 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (99)

पृष्ठ 29, पंक्ति 8—

"2,100 रुपए धन उस रकम का 12 प्रतिशत" **के स्थान पर** "1,750 रुपये धन उस रकम का 10 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (100)

पृष्ठ 29, पंक्ति 10—

"8,100 रुपये धन उस रकम का 18 प्रतिशत" **के स्थान पर** "6,750 रुपए धन उस रकम का 15 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (101)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० एस० राव के संशोधन संख्या 99, 100 और 101 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 99, 100 और 101 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गयी।

दूसरी अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री गिरधारी लाल भार्गव संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अब सरकार ने जिस संशोधन का सुझाव दिया है वह है—

संशोधन किया गया

पृष्ठ 33, पंक्ति 9,—

"9607.11 और 9607.19" के स्थान पर "9607.11, 9607.19 और 9607.20" प्रतिस्थापित किया जाए। (58)

(प्रो० मधु दण्डवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"दूसरी अनुसूची, यथा संशोधित विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दूसरी अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरी और चौथी अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि तीसरी और चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी और चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड 1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में—

"धारा 2 से धारा 59 तक" के स्थान पर "धारा 2 से धारा 61 तक" रखें। (75)

(प्रो० मधु दण्डवते)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं सभा की सर्वसम्मत स्वीकृति के लिए इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया गया।

अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 मई, 1990/28 वैशाख, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली

पी०एन०एस०-48/6/43/90 (एन०)
210

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक दि इण्डियन प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।